दशम माला, खंड 28, अंक 12

बुधवार, 9 मार्च, 1994
18 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 28 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 12, बुधवार, 9 मार्च, 1994/18 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय		**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		**1-21**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	201, 202, 204 और 205	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		**22-284**
तारांकित प्रश्न संख्या :	203 और 206 से 220	22-56
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2228 से 2305, 2307 से 2309, 2311 से 2389, 2391, 2393 से 2401 और 2403 से 2446	57-284
ऋषिकेश-बद्रीनाथ सडक के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8317 के 12 मई, 1993 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		**285-287**
भारतीय फिल्मों में अश्लीलता के बारे में		**287-300**
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**300-303**
राज्य सभा से संदेश		**303**
बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक		**304**
राज्य सभा द्वारा यथा पारित		
सभा पटल पर रखा गया		304
लोक लेखा समिति		**304**
अट्ठावनवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		304

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

संचार संबंधी स्थायी समिति 304

पांचवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश -- प्रस्तुत 304

सभा के कार्य 304-308

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1993-94 308

मंत्री द्वारा वक्तव्य 308-309

8 मार्च, 1994 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर सहारा एयरलाइन्स के विमान बोइंग-737 का दुर्घटनाग्रस्त होना

श्री जगदीश टाईटलर 308

बजट (रेल) 1994-95 -- सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (रेल), 1994-1995
तथा
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) - 1993-94 309-351

श्री नीतीश कुमार 310

कुमारी ममता बनर्जी 313

प्रो. प्रेम धूमल 315

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर 316

श्री हन्नान मोल्लाह 318

श्री गुमान मल लोढा 319

श्री के. मुरलीधरन 321

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 322

श्री राम टहल चौधरी 323

श्री एस.बी. सिदनाल 324

श्री ब्रह्मानन्द मंडल 326

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 327

श्री बालिन कुली 327

श्री पी.सी. थामस 328

विषय	पृष्ठ
श्रीमती सुमित्रा महाजन	329
श्री जार्ज फर्नांडीज	331
डा. के.वी.आर. चौधरी	336
श्री चन्द्रजीत यादव	337
श्री आर. अन्बारासु	339
श्री चुन चुन प्रसाद यादव	341
श्री वी. धनंजय कुमार	342
श्री सी.के. जाफर शरीफ	343
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1994	**351-355**
पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	351
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	351
श्री राम नाईक	352
श्री लोकनाथ चौधरी	352
श्री श्रीकान्त जेना	353
श्री गुमान लोढ़ा	354
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर	354
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	355
विनियोग (रेल) विधेयक, 1994	**355-357**
पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	355
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	356

जम्मू-कश्मीर बजट - 1994-995 — सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1994-95
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1993-94

मणिपुर बजट - 1994-95 — सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर), 1994-95
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर), 1993-94 **357-384**

प्रो. प्रेम धूमल 366

प्रो. एम. कामसन 368

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 370

श्री जसवंत सिंह 372

श्री हन्नान मोल्लाह 374

श्री जार्ज फर्नांडीज 376

श्री किरिप चालिहा 378

श्री उद्धव बर्मन 379

श्री भोगेन्द्र झा 380

श्री चित्त बसु 381

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 382

लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1994-95 — मतदान
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1993-94 — मतदान **384-385**

जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994 **385-386**

पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 385

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 385

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 386

विषय	पृष्ठ
जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1994	**386-387**
पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	386
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	387
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	387
लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर), 1994-95 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर), 1993-94 – जारी	**388**
मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994	**388-389**
पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	388
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	389
खंड 2,3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	389
मणिपुर विनियोग विधेयक, 1994	**390-391**
पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	390
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	390
खंड 2, 3 और 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	

लोक सभा

बुधवार, 9 मार्च 1994/18 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰पू॰ पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना

*201. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बन्द करने के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पर कोई निर्णय लिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकार को भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों, नामतः नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं। सरकार ने नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में यह निर्णय लिया है कि इसे बंद करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती न दी जाए। अन्य दो कम्पनियों के मामले विचाराधीन हैं।

श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार को और सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों को बन्द करने के लिये औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से कारण-बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने एक कम्पनी के बारे में इसे स्वीकार कर लिया है, जबकि अन्य दो कम्पनियों के मामले विचारधीन हैं? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यदि आप औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के

आधार पर इ। एककों को बन्द कर देते हैं, तो ऐसे बंद हुए एककों के कर्मचारियों की नियति क्या होगी। हजारों कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यं सड़कों पर आ जाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के पुनर्वास पर विचार करेगी, और क्या सरकार नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द किए जाने पर रोक लगा सकती है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक व्यापक नीति बनाई है। एन.आर.एफ. गठन का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बी.आर.एस. को कार्यान्वयन करने वाली इकाइयों को यह सलाह दी गई है कि श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं सलाह जैसी सुविधाएं देने हेतु केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। रुग्ण इकाइयों के भविष्य के बारे में श्रमिकों एवं मैनेजमेंट से विचार-विमर्श हेतु श्रम मंत्रालय में एक विशेष दिपक्षीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें श्रमिकों का नेतृत्व श्रमिक यूनियन ने नेता करते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि दो कम्पनियाँ ऐसी हैं, जिन्हें बन्द नहीं किया जायेगा और इनके मामले विचाराधीन हैं। इनमें से एक कम्पनी "टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" है। यह सौ वर्ष पुरानी कम्पनी है, जिसके पास विपुल परिसम्पत्तियां तथा सम्पत्तियां हैं ? यह कंपनी अपना व्यापार बढ़ाने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की स्थिति में सुधार करने जैसे एकमात्र उद्देश्य को लेकर कार्य करती रही है।

टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव पर आई.एफ.सी.आई. से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा विचार किया गया। अब निजीकरण के नाम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अपने विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अतः क्या सरकार टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु उनके पुनर्वास के मामले पर विचार करेगी ?

इसके अतिरिक्त हालांकि यह मेरे प्रश्न से सीधे रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं कर्नाटक के 'माण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड' के संबंध में पूछना चाहूंगा। इसे भी बन्द कर दिया गया है। क्या सरकार का इसे पुनः अर्थक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय सदस्य टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड तथा 'माण्ड्या पेपर मिल्स' के बारे में जानना चाहते हैं। टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को फरवरी, 1992 में सौपा गया था। चार सुनवाइयां हो चुकी हैं। टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा इसे पुनः अर्थक्षम बनाने की योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के बाद इस पर विचार किया गया, लेकिन

इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। कार्यरत अभिकरण को बाहरी समर्थकों से प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु नए विज्ञापन देने को कहा गया। 21-12-1993 को चौथी सुनवाई के दौरान टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अधिकारी संघ द्वारा प्रस्तुत पुनः अर्थक्षम बनाने की योजना पर भी विचार किया गया, परन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस कम्पनी का कोई भविष्य नहीं है और इसे बन्द कर दिया जाये, इसके अनुसार एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद दो निजी कम्पनियों ने इसे अपने नियंत्रण में लेने की रुचि दर्शाई है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इस संबंध में लिखा है। उपरोक्त कम्पनी औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इसे पुनः अर्थक्षम बनाने संबंधी नई योजना प्रस्तुत की है, लेकिन यह अभी प्रारम्भिक चरण में है।

माननीय सदस्य "माण्ड्य पेपर मिल्स" के बारे में जानना चाहते थे।

[हिन्दी]

1988-89 में सरकार ने मांण्ड्या मे पहले ही लगा दिया है। पब्लिक सैक्टर हमारी आर्थिक नीति का एक अंश है, लेकिन निरंतर यह प्रक्रिया जारी रह सकती है और पब्लिक सैक्टर को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। सारा समय इसमें नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई पार्टी आती है तो हम उसकी मदद करेंगे, यह सरकार की नीति है।

[अनुवाद]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने 7-1-1994 की सुनवाई में कम्पनी को बन्द किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। मेरे विचार से माननीय सदस्य इससे संतुष्ट हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह चार कम्पनियों के बारे में हैं तथा अन्य के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने स्वेच्छा से जानकारी दी है। उत्तर के दौरान उनके द्वारा उल्लेख की गई कम से कम तीन कम्पनियों के बारे में-मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री जी के आश्वासन के अनुसार सरकार ने इस मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजने से पहले अपनी तरफ से स्वयं इसकी कोई समीक्षा की थी।

दूसरी बात यह है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कम्पनियों को बन्द करने के लिए आदेश दे सकती है। धारा के प्रावधानों में ही यह कहा गया है कि धारा 16 के अन्तर्गत उचित जांच-पड़ताल की जाएगी और एक संचालन अभिकरण नियुक्त किया जाएगा, जिसे अपनी रिपोर्ट देनी होगी तथा जब तक वह रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दी जाए तब तक इन कम्पनियों को बन्द करने हेतु प्रथम दृष्ट्या निराकरण भी भेजे जाने का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से विशेषतौर पर यह जानना चाहूंगा कि क्या संचालन अभिकरणों ने उन तीन कम्पनियों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, जिसका उल्लेख उत्तर में किया गया है।

तीसरी बात, उन तीन संचालन अभिकरणों के निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं और क्या टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया-लिमिटेड तथा 'साइकिल कारपारेशन' के संबंध में न्यायिक कार्यवाही लंबित है।

संचालन अभिकरणों के रिपोर्ट के बिना इन कम्पनियों को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन शर्तों को पूरा किया गया है अथवा नहीं तथा सरकार ने आभार पूर्वक 'नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया' को बन्द करने संबंधी रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिए जाने के पहले न्यायालय के आदेशों का पालन किया है। जहां तक अन्य कम्पनियों का संबंध है, निजी लोगों को विक्रय हेतु पहले ही विज्ञापन दिए जा चुके हैं। उचित समीक्षा तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के उचित निर्णय के बिना ऐसा निर्णय कैसे लिया जा सकता है ? मैं इन उप प्रश्नों में से प्रत्येक के बारे में विशेष रूप से जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय सदस्य अगर इंडीबिजुअली पब्लिक सैक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनको जो 19 के बारे में बी.आई.एफ.आर. को रेफर किया है उनकी सूची दे सकती हूं, इसमें स्टेटस रिपोर्ट दी हुई है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि तीन केसेज की रिपोर्ट बी.आई.एफ.आर. को दी जा चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने कैसे निर्णय लिया ? संचालन अभिकरणों के रिपोर्ट तथा सर्वेक्षण के बिना यह निर्णय आप कैसे ले सकते हैं ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में कोई न्यायालय का आदेश है कि संचालन अभिकरणों की रिपोर्ट के बिना इन कम्पनियों को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : ऐसी बात नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे पास आर्डर है। प्रधान मंत्री जी आप ही बताये। कम्पनी को रिव्यू करके रोक कीजिये।

[अनुवाद]

कृपया इन कम्पनियों को बचायें।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : श्री सोमनाथ चटर्जी के मामले में किसी निष्कर्ष अथवा निर्णय पर पहुंचने में यदि किसी प्रकार की कानूनी खामी है, और यदि आप यही कहना चाहते हैं, तो हम इसको देखेंगे तथा आपको तथ्यों से अवगत करायेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसी आधार पर आदेश दिए गए हैं। प्रधान मंत्री जी को इसे अवश्य देखना चाहिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप एक साथ दो बातें कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि एक कानूनी बात है तथा दूसरा मानवीय मुद्दा है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आपने कानूनी दलील से शुरुआत की थी। पहले हम अपने को संतुष्ट कर लें।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन तीनों उपक्रमों विशेषकर साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को बन्द किए जाने का निर्णय ले लिया है? मैं जानती हूं कि यह मुनाफे में चलने वाली एक कम्पनी है। मैंने निजी तौर पर इस मामले पर विचार किया है? मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष इस मामले को दो वर्ष पहले रख चुकी है। सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में की थी, लेकिन सभी कह रहे हैं कि यह 'बोर्ड फार इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंसियल रिकन्सट्रक्शन की बजाए यह बोर्ड "बोर्ड फार इंडिस्ट्रियल एण्ड फाइनेंसियल लिक्यूडेशन' बन गया है। उन कम्पनियों का क्या होगा जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में अपना नाम पंजीकरण कराने वाले हैं ? यह बोर्ड इस कम्पनी को बेचने जा रही है, चूंकि इनके पास वित्त नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम में एक लाख साठ हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं। प्रबंधक के आदेश में कहा गया है कि 1-4-1994 के बाद कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी।

अतएव, इसका आशय है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के एक लाख साठ हजार श्रमिक और यदि आप प्रत्येक परिवार के पांच सदस्य गिनें, तो लगभग आठ लाख लोग सड़क पर आ जाएंगे, बशर्ते कि सरकार इस मामले में उचित रुचि नहीं लेती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी और माननीय प्रधान मंत्री भी सदन में उपस्थित हैं कि क्या सरकार इस इकाई हेतु किसी पुनर्वास पैकेज पर विचार कर रही है, जिससे कि यह इकाई बन्द नहीं हो सके। इस इकाई के बन्द किए जाने की बजाए सरकार को आधुनिक प्रस्ताव लाने चाहिए, जिससे कि श्रमिकों को बचाया जा सके और वे सड़कों पर भूखे न मरें। मैं माननीय मंत्री को इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिये कहूंगी तथा मैं माननीय प्रधान मंत्री से भी अनुरोध करूंगी कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बताया है, उससे मुझे लगा कि उन्होंने एक छोटा-सा भाषण दे दिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने भाषण नहीं दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वश्चन पूछा है।

श्रीमती कृष्णा साही : लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यह प्रश्न हैवी इंडस्ट्रटीज से संबंधित है न कि पब्लिक एंटरप्राइजेज से। जो आपने नेशनल टैक्सटाइल का पूछा है वह हैवी इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत नहीं आता है। वह पब्लिक एंटरप्राइजेज के अन्तर्गत आता है।

[अनुवाद]

नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में न्यायालय के दिए गए निर्देश का पालन किया गया है। यह औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पुनः सुनवाई

के लिए गया और उसने इसकी फिर से सुनवाई की। नेशनल बाइसिकिलि कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या अन्य कम्पनियों के मामले में कोई कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बताया है, हम सरकारी क्षेत्र के लिए सभी कुछ नई औद्योगिक नीति के अनुसार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सरकार का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, वह पब्लिक सैक्टर को काम करने देना चाहती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा निरंतर जो घाटे में चल रहे हैं, जिनके लिए बी.आई.एफ.आर. रिवाइवल का पैकेज बनाएगा, उनको हम स्वीकार करेंगे। 48 पब्लिक सैक्टर यूनिट हैं, जिनमें से 20 को हम पहले ही ले चुके हैं। जब भारत सरकार ने उनको टेकओवर किया, तो उनकी बहुत बुरी दशा थी, उनमें से 6 को हमने प्रयत्न कर के बहुत इम्पूव किया, लेकिन कुछ ऐसी हैं, जिनको कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया जा सकता है, जो बिल्कुल वाएबल नहीं हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया की बाइसिकल बनाने की एक फैक्ट्री मुम्बई में है। किसी जमाने में वह हिन्द साइकिल बनाती थी, जो रैले, हरकुलिस और फिलिप्स आदि बेहतरीन साइकिलों के मुकाबले होती थी, लेकिन अब वह बन्द पड़ी हुई है। वहां के कामगारों ने एक प्रपोजल दिया है कि हम इस कारखाने को को–आपरेटिव बेस पर चलाना चाहते हैं। जब सरकार के पास वहां के कामगारों की ओर से ऐसा प्रपोजल आया है, तो सरकार उनके इस प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए क्यों तैयार नहीं है और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कदम उठाए, जिससे उस फैक्ट्री के कामगारों का जो पैसा है, वह पहले दिया जा सके, तो क्या इस प्रकार के निर्णय सरकार करेगी ?

श्रीमती कृष्णा साही : सर, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, प्रश्न यह है कि श्रमिकों को उनकी बकाया राशि अवश्य अदा की जानी चाहिए। मुंबई में जिन दो कारखानों को बन्द किया गया, वे पहले से ही सहकारिता के आधार पर कार्य कर रही हैं तथा कमानी उनमें से एक है

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, यह इससे ही संबंधित हैं जैसे और कम्पनियों के कामगारों ने प्रपोजल दिया है, वैसे ही उस कम्पनी के कामगारों ने प्रपोजल दिया है, जो उस प्रपोजल को आप क्यों नहीं मानना चाहते ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यह केस-टू-केस देखते हैं। यह बहुत लंबी सूची है, अगर आप चाहें, तो मैं डिटेल में बता सकती हूं।

श्री राम नाईक : उस सूची में से ही मैं पूछ रहा हूं। सर यह उन तीन कम्पनियों की सूची में से ही मैं पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री मृत्यंजय नायक : महोदय, कृपया मुझे भी अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? मैं इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चला सकता हूं। हर समय जब लोग बोलते हैं, आप केवल बीच में व्यवधान डालते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, परंतु इस तरह से नहीं। प्रत्येक व्यक्ति केवल टोका-टाकी कर रहा है। यह अच्छा नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह उड़ीसा से भी संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन तब आपको हर समय व्यवधान उत्पन्न की आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जायं।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा प्रश्न विशेषरूप से नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन के बारे में था, जिसे सरकार ने बन्द करने का फैसला किया है अतएवं यह एक विशिष्ट प्रश्न है, जिसका विशिष्ट उत्तर आना चाहिए।

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, जैसा कि नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संबंध है, सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मैं माननीय सदस्य को उत्तर दूंगी। औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने अंतिम सुनवाई, जो 20-12-93 को हुई, में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेशनल बाइकिसिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक अर्थक्षम कम्पनी नहीं है और यह उचित और समुचित है कि इस कम्पनी को बन्द किया जाये। सरकार ने नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में यह निर्णय लिया है कि इसे बंद करने के लिये औद्योगिक और पुनर्निर्माण बोर्ड के निर्णय को चुनौती न दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न यह है कि जब श्रमिक इसका अधिग्रहण करना चाहते थे तब आपने उन्हें यह कम्पनी क्यों नहीं सौंपी।

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, यदि वे इसे अधिग्रहण करना चाहते हैं तो हम इसे देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब आपने आश्वासन प्राप्त कर लिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, उत्तर के बीच में, माननीय मंत्री ने नेशनल रिन्यूवल फंड का उल्लेख किया है और यह भी कि वे अधिगृहीत कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों का पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्तैनाती करेंगे ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आचार्य महोदय, कृपया बीच में हस्तक्षेप नहीं करें। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आपसे हस्तक्षेप की आशा नहीं की जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप मुझे भी एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। आप व्यवधान डालते ही जा रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, प्रशिक्षण और पुनर्तैनाती सरकार का विचार होने के कारण, अब तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की बहुत-सी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि कितने मामलों में सरकार ने वास्तव में पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्तैनाती का काम हाथ में लिया है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, बंबई, मद्रास, आदि बड़े शहरों में रेसोर्सेस सेंटर कायम किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत प्राथमिक स्तर पर शुरू किए गए हैं। इसके डीटेल्स आ रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए थोड़ा समय चाहिए, उसके बाद बात सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री मृत्यंजय नायक : महोदय, उड़ीसा में काफी गंभीर परिस्थिति बनी हुई है। दस वर्ष पूर्व उड़ीसा राज्य के पास कोई मूलभूत ढांचा नहीं था। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जे.बी. पटनायक द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1000 करोड़ रुपये 1000 दिनों की अवधि के दौरान निवेश किए गए। लेकिन अब समस्या यह है कि वर्तमान समय में सरकार ने इन उद्योगों को सभी वित्तीय सहायताएं बंद कर दी हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंक भी उन्हें अतिरिक्त ऋण देने को तैयार नहीं हैं। अब सभी उद्योगपति गंभीर समस्या से मुकाबला कर रहे हैं। यह उड़ीसा में काफी गंभीर परिस्थिति है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा भी उठाए जाने वाला है। अतएव, मैं उड़ीसा से संबंधित एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाएं जाने का विचार है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय सदस्य उड़ीसा के बारे में जानना चाहते हैं। ईसके लिए अलग से प्रश्न करेंगे, तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय : महोदय, राष्ट्रीयकरण के समय में, सरकार ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में, यह बताया था कि पूंजी निवेश और योजना के अभाव तथा भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण उद्योग निरंतर रुग्ण हो गए और उन्हें पुनः अर्थक्षम बनाने, इनके आधुनिकीकरण तथा विविधिकरण के लिए पर्याप्त धनराशि आवश्यक थी और सरकार नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया सहित सभी रुग्ण चल रहे उद्योगों में पर्याप्त धनराशि का पूंजी निवेश करेगी। लेकिन आज तक इनके आधुनिकीकरण या विविधिकरण के लिये थोड़ी-सी भी धनराशि का पूंजी निवेश नहीं किया गया है। अब इन उद्योगों को बंद करने का प्रश्न आता है। अतएव, मेरा प्रश्न है :

(क) यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करती है, तो रुग्णता के लिए कौन जिम्मेदार होंगे और सरकार ने आधुनिकीकरण और विविधिकरण कार्य क्यों शुरू नहीं किया है।

(ख) जैसा कि हमारे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा बताया गया है, जब यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या सरकार इस पर किस तरह निर्णय ले सकती है; और

(ग) जब बकाया राशि के लिए छह सौ श्रमिकों ने आवेदन किया हुआ है, तो उन्हें अब तक कोई धनराशि क्यों नहीं दी गई है ? एक ओर तो सरकार कहती है कि वे औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास जांच और जब वे इस बोर्ड के पास जाते हैं, तो वे उन्हें धनराशि नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से इन प्रश्नों के संबंध में उत्तर चाहता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय के पास लंबित है।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा नहीं दिया है, मैं बताना चाहती हूं कि पिछले 3 वर्षों में 188 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और इस वर्ष छह हजार श्रमिकों के लिए 98 करोड़ रुपए का लक्ष्य बी.आर.एस. रखा गया है, और ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं दिया गया है।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, एच.ई.सी. और एम.ए.एम.सी. जैसे दो कारखानों की स्थिति खराब है। वहां पुराने इक्वीपमेंट बनाए जाते हैं और कोल इंडिया से जो आर्डर मिलता था, उसको बंद कर दिया गया। आज कर्मचारियों के वेतन का देर से पेमेंट होता है और इस महीने का पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार ने 1993 तक बैंक गारंटी दी थी ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि इस प्रश्न का आधा घंटा हो गया है।

श्री सूरज मंडल : क्या सरकार एच.ई.सी. के लिए कोई नया इक्वीपमेंट बनाने के लिए या उसके आधुनिकीकरण के लिए धनराशि देकर मजदूरों को आगे काम देने का काम करना चाहती थी, ताकि मजदूर बेकार न हों।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि एच.ई.सी. घाटे में जरूर जा रही है, लेकिन इनके प्रोडक्शन में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है।

[अनुवाद]

एच.ई.सी. द्वारा पूर्णतया नई योजना बनाई गई है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड 'आई.डी.बी.आई' से इसकी जांच कराने पर सहमत हो गया है। योजना की एक प्रति आई.डी.बी.आई. के पास इस प्रयोजना के लिए भेज दी गई है।

[हिन्दी]

न्यायालयों के भवन

*202. **†डा. वसंत पवार :**

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों हेतु कार्यालयों और आवासों दोनों के लिये भवनों के निर्माण हेतु 50:50 के आधार पर सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय प्रावधान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में सरकार ने जो केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीम अनुमोदित की है, उसके अन्तर्गत जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए सरकारी और आवासीय भवनों का विनिर्माण भी सम्मिलित है। स्कीम पर होने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत व्यय पूर्णतया केन्द्र द्वारा उठाया जाएगा।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन, योजना आयोग द्वारा अधिकाधिक मानदण्ड के आधार पर किया जाता है।

3. योजना आयोग ने वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की बाबत 50 करोड़ रुपए का उपबंध किया है। वर्ष 1994-95 के संबंध में बजट प्राक्कलनों को अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है।

4. वर्ष 1994-95 के लिए व्यय की अनुज्ञेय मदों के संबंध में राज्यों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन्हें अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 1994-95 के लिए व्यय की अनुज्ञेय मदों के संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 के लिए प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	असम	204.15

1	2	3
2.	बिहार	400.00
3.	गुजरात	1720.60
4.	गोवा	300.00
5.	हरियाणा	2589.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1862.34
7.	जम्मू-कश्मीर	1760.00
8.	कर्नाटक	3220.40
9.	केरल	1604.67
10.	मध्य प्रदेश	380.00
11.	महाराष्ट्र	2834.38
12.	मणिपुर	422.20
13.	मिजोरम	138.04
14.	नागालैंड	304.50
15.	पंजाब	2500.00
16.	राजस्थान	293.34
17.	सिक्किम	167.74
18.	तमिलनाडु	1265.27
19.	त्रिपुरा	1571.82
20.	उत्तर प्रदेश	12844.66
21.	पश्चिमी बंगाल	338.00
	योग	367.22 (करोड़)

डा. वसंत पवार : महोदय, सभी न्यायालय भवनों, विशेषरूप से जो जिले में हैं, की स्थिति बहुत खराब है। न्यायालयों को बैठने के लिये श्री स्थान का काफी अभाव है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि सभी राज्यों से 367.22 करोड़ रुपये तक प्रस्ताव आये हैं, जबकि प्रावधान केवल 50 करोड़ रुपये का किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य तथा केन्द्र

को 50:50 के अनुपात में धनराशि देती है। मैं माननीय महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या 367.22 करोड़ रुपये का यह प्रावधान व्यय उठाने के लिये काफी होगा क्या सरकार योजना आयोग से सिफारिश करके इस प्रावधान में वृद्धि करेगी। दूसरी बात, राज्यों को धनराशि का आवंटन करते समय योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड क्या हैं ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : प्रश्न दो भागों में है। पहला भाग यह है कि राज्यों ने उन्हें 367.22 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में दिये जाने की मांग की है। यहां पर मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि मानदंड यह है कि सभी राज्यों को अपनी वार्षिक योजना में वह धनराशि दर्शानी पड़ती है, जिसे वे स्वयं न्यायिक मूलभूत संरचना के लिये आवंटित कर सकते हैं और उस आधार पर, योजना आयोग अपने द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार धनराशि का आवंटन करता है। इसमें संदेह नहीं है कि राज्यों ने 367.22 करोड़ रुपये की मांग की है, परन्तु न्यायिक मूलभूत संरचना के लिये उन्होंने अपने राज्य द्वारा खर्च किये जाने हेतु जो धनराशि निर्धारित की है, वह 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इसलिये, जब तक वे 50 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान नहीं करते, तब तक योजना आयोग उन्हें 50 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं देगा। समस्या यह है।

डा. वसंत पवार : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। यहां तक कि मेरे जिले नासिक में वकीलों ने एक सहकारी समिति का गठन किया है और वकीलों के चैंबर के लिये उन्होंने भूमि की मांग की है; भूमि आवंटित कर दी गयी है; उन्होंने वकीलों के चैंबर का निर्माण कर लिया है और वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत मुवक्किलों संबंधी सुख-सुविधाएं, उपलब्ध करेगी मुवक्किलों को अपना दोपहर का भोजन करने के लिये शेड तथा निःशुल्क कानूनी सहायता केन्द्रों हेतु धनराशि उपलब्ध करेगी।

यह हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है, अभिलेख कक्ष, तथा कंम्पयूटरीकरण के लिये स्थान की कमी है तथा लोक अदालतों के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन सारी सुविधाओं को इस केन्द्र प्रायोजित योजना के निर्माण हेतु इन आधारभूत सुविधाओं में शामिल किया जायेगा।

श्री एच.आर. भारद्वाज : जहां तक इस केन्द्र प्रायोजित योजना का संबंध है, मेरा निवेदन है कि प्रधानतः जिला न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के लिये है।

जहां तक कंप्यूटरीकरण का संबंध है, हमारे पास एक पृथक कार्यक्रम है, जो इस योजना के अंतर्गत नहीं है। इस पर मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। यदि वे कंप्यूटरीकरण न्यायालयो को स्वचालित बनाने-के लिये कोई प्रस्ताव लायेंगे, तो हम निश्चय ही उनके साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, वे बिल्कुल ठीक कार्य कर रहे है। गत वर्ष, उन्होंने इसके लिये 209 लाख रुपये का आवंटन किया था और हमने महाराष्ट्र के 193 लाख रुपये दिये थे। इसलिये उनके द्वारा मांगी धनराशि के लगभग बराबर धनराशि उन्हें दी गयी।

अन्य मूलभूत सुविधाएं इसमें शामिल नहीं हैं।

डा. वसंत पवार : निःशुल्क कानूनी सहायता केन्द्रों के बारे में क्या कहना है ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति है। यदि कानूनी सहायता केन्द्र के लिये कुछ धनराशि की आवश्यकता है तो इसे उस संस्था द्वारा प्राप्त करके मुझे बड़ी खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : महाराष्ट्र के बारे 1994 में प्रपोजल दिये हैं, लेकिन 1993 में जो प्रपोजल दिया था, योजना आयोग के वहां मैचिंग ग्रांट 580 लाख रुपये होनी चाहिए थी, जबकि आपने 183.3 लाख ही दिये हैं। मेरा प्रश्न है कि मैचिंग ग्रांट का जो बैलेस है पेमेंट है 396.7 लाख, उसके बारे में शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महाराष्ट्र सरकार का अपना हिस्सा दो करोड़ नौ लाख रुपये का था, 1993-94 में, उसके अगेंस्ट हमने पहले 183 लाख दिये और आपकी जब चिट्ठी मिली तो मैंने कहा कि ज्यादा मिलने चाहिए। इसलिए हमने दस लाख और बढ़ाये, अब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का हिस्सा बराबर-बराबर का है। जो भी आपका हिस्सा होगा वह आपको दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर रखे गये विवरण को देखकर पता चलता है कि न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि संबंधी सूची में आंध्र प्रदेश सरकार का नाम नहीं है।

हाल ही में, आंध्र प्रदेश में वकीलों ने न्यायालय भवन के निर्माण तथा खंडपीठ की स्थापना हेतु एक बड़ा आंदोलन किया था। जहां तक आंध्र प्रदेश में भवनों का संबंध है, न्यायालय भी अत्यधिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है अथवा केन्द्र सरकार ने उसके साथ परामर्श नहीं किया है।

श्री एच.आर. भारद्वाज : जी, नहीं। यह सच नहीं है। आंध्र प्रदेश ने न्यायालयों की स्थापना की दिशा में अच्छा कार्य किया है। जनसंख्या के अनुपात में वहां न्यायालयों की स्थापना की स्थिति बहुत अच्छी है। 1993-94 में हमने उन्हें 2.2 करोड़ रुपये 22,02,000 रुपये का आवंटन किया है। वर्ष 1994-95 के लिये भी उनके प्रस्ताव हमारे पास है। हम इनकी जांच कर रहे हैं।

"ग्रिड क्वालिटी" विद्युत

*204. **†श्री जार्ज फर्नांडीज :**

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के जरिये "ग्रिड क्वालिटी" विद्युत का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या आठवीं योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान अब तक कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया, और

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) पवन, लघु जल विद्युत, बायोऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए 600 मे.वा. के मूल लक्ष्य को अभी हाल ही में संशोधित करके आठवीं योजना हेतु लगभग 2000 मे.वा. किया गया है।

(ग) इस योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1992-93 के दौरान 40 मे.वा. की क्षमता स्थापित की गई थी।

(घ) इन कार्यक्रमों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य और संपोषित बनाने के लिए बाजार अभिविन्यास का रूप दिया जा रहा है। बजटीय सहायता और संस्थागत वित्त, निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा अन्तर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय प्रबंधों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा नई राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन शुरू किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, इस स्टेटमेंट में मुझे किसी प्रकार की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। यह कहा जा रहा है कि

[अनुवाद]

"इन कार्यक्रमों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य और संपोषित बनाने के लिये बाजार अभिविन्यास का रूप दिया जा रहा है।"

[हिन्दी]

जबकि इस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेजा ऑफ एनर्जी के संबंध में आपके मंत्रालय के पास एनर्जी 2001 दस्तावेज है, जिसमें क्या संभावना है यह लिखा है। उन संभावनाओं में यह बताया गया है कि 2001 तक हिन्दुस्तान में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आप 15 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। यहां आप कहां 40 और 50 मेगावाट की बात कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। क्या सरकार केवल इस क्षेत्र को दिखावे के तौर पर बनाए रखना चाहती है यहां जो एनर्जी 2001 में दृष्टि है, उस पर अमल करने के लिए आपके पास कोई ठोस योजना है ?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि देश में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्र के विकास को यथासंभव अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

पहले मैं मुख्य उत्तर के संबंध में बोलूंगा। कार्यक्रम के पहले दशक में अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के कार्यों में पुनः प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित की गयी कुल संचित मेगावाट क्षमता मात्र 135 मेगावाट थी। वह 10 वर्षों के कार्यों का परिणाम था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हमने 40 मेगावाट क्षमता की स्थापना की। अब चालू वर्ष में हमने नीति में संशोधन कर दिया है, एक नयी नीति तथा कार्य योजना तैयार की है तथा मंत्रालय का कार्य बजट द्वारा पोषित योजनाओं की परिधि से आगे ले गये हैं। अब हम निजी क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं। हम पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के उद्यमियों के लिये प्रोत्साहनों का एक कार्यक्रम बनाते हैं तथा शीघ्र ही समाप्त होने वाले शीघ्र ही समाप्त होने वाले इस वर्ष में स्थापित क्षमता को बढ़ाकर दुगुना अर्थात् लगभग 70 मेगावाट कर दिया गया है। 1994-95 में हम उसे बढ़ाकर 250 मेगावाट कर देंगे। अतः, नयी नीति मजबूत हो रही है तथा पवन ऊर्जा, लघु पन बिजली तथा समूचे पुनः प्रयोज्य ऊर्जा क्षेत्र में वह अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है। देश में एक भारी आंदोलन है। हमें तर्क संगत रूप से यह निश्चय है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम 2000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक लक्ष्य से तीन गुना है। सरकारी लक्ष्य अब भी केवल 600 मेगावाट है, परन्तु इस मंत्रालय ने **स्वतः** यह लक्ष्य बढ़ाकर 2000 मेगावाट कर दिया है जो भारत को विश्व के पुनः प्रयोज्य ऊर्जा आंदोलन की पहली श्रेणी में ला खड़ा करेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष जी, मुझे सरकार के बयान पर विश्वास नहीं होता है, चूंकि यह रिन्यूएबल एनर्जी वाला मामला अभी अभी खोजा नहीं है। अनेक सालों से इस पर बहस चल रही है। इस साल की दो पंचवर्षीय योजनाओं में इस पर लंबा लिखा गया, लेकिन वह अमल नहीं हुआ यह स्वयं उन्होंने कुबूल किया है। मैं जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों को लाकर आप यहां क्या करेंगे, यह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप कहते हैं कि अगर छोटे पैमाने पर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़, जिसमें मिनी हाइडल की बात को भी मानते हैं, इन क्षेत्रों में जहा भारी संभावनाएं है उन संभावनाओं पर तत्काल अमल करने के लिये कौन से ठोस कदम अपनी तरफ से उठाने जा रहे हैं और जब ये सारे कदम आपको करने हैं, इसमें आर. एण्ड डी. का बहुत बड़ा सवाल आता है। इन्हीं के इस पंचवर्षीय योजना का एक वाक्य मैं पढ़कर सुनाता हूं। इसके प्लान आउटले में कहा है कि

[अनुवाद]

> "राज्य सरकार की ऊर्जा विकास एजेंसियां, जिनका कार्य इस पूरे गैर-पुनः प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रमों को लागू करना है, प्रौद्योगिकी विकास तथा तकनीकी सहायता एजेंसियों के रूप में अपनी भूमिका निभाने के स्थान पर अधिकतर ऊर्जा उपायों संबंधी गैर-पुनः प्रयोज्य स्रोतों के क्षेत्र में विनिर्माताओं तथा प्रयोक्तायों के मध्य विचौलियों की भूमिका निभा रहे हैं।"

[हिन्दी]

जब ये आज की स्थिति है तो इससे निपटने के लिए आपके पास क्या उपाय है ? क्या हर चीज़ के लिए आप अमेरिका के लोगों को लेकर सारा काम करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विगत समय में प्रमुख रूप से अनुसंधान तथा विकास विभाग के रूप में कार्य करता रहा है तथा पूरे देश में निदर्शन परियोजनाओं शुरू करने में भी संलग्न रहा है।

गत वर्ष के दौरान हमारे प्रधान मंत्री, जो इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, के निर्देशन तथा मार्ग दर्शन में, हमने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर इनमें से कुछ प्रणालियों के वाणिज्यीकरण तक विस्तृत कर दिया है जो अनुसंधान तथा विकास के पश्चात् वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम सिद्ध हुई हैं। इसी आधार पर हमने पवन ऊर्जा के लिये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। लगभग 600 मे.वा. की पवन ऊर्जा परियोजनाएं कार्याधीन हैं। हमने पूरे देश में 1000 लघु पन बिजली परियोजनाएं चालू की हैं। हमने 1100 मे.वा. के स्थलों और पवन ऊर्जा स्थलों का निर्धारण किया है। हमने उद्यमियों को आगे आने को लिए प्रोत्साहित किया है। हमने वित्त पैकेज तैयार किए हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : आइडेन्टिफिकेशन कई सालों से चल रहा है प्रधान मंत्री जी !

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : हमने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जारी रखा हुआ है। हमारे बजट का 30 से 40 प्रतिशत का उपयोग न केवल सीधे मंत्रालय द्वारा बल्कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य वैज्ञानिक विभागों द्वारा भी समन्वित रूप से अनुसंधान हेतु किया जाता है। इनमें से कई अनुसंधान कार्यक्रमों से परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। अनुसंधान पर बल दिया गया है और यह जारी है। हमारा प्रयास पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। यह सही है कि विदेशी कम्पनियों के साथ कुछ संयुक्त उद्यम आरंभ हुए हैं, क्योंकि फिलहाल कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी इन्हीं देशों के पास हैं। हमने अनुसंधान जारी रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भी अनुसंधान हो रहा है।

श्री एस.बी. सिदनाक : बिजली की भारी कमी होने पर कारखानों और उद्योगों का रख-रखाव समुचित तरीके से नहीं हो सकता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस लीकेज को, जो उत्पादक का एक तिहाई है, रोकने जा रही है, जो कि यूं ही बर्बाद हो जाता है ?

तमिलनाडु में 100 मे.वा. के एक फ्लोटिंग केंद्र की स्थापना के लिए अमरीका के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। क्या इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं ? यदि हां, तो इसकी क्या सेवा शर्तें हैं और उत्पादन कब से आरंभ हो जाएगा ?

क्या औद्योगिक और कृषि अवशिष्टों से पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के उत्पादन के लिए परियोजना स्थापित कर दी गई है ? यदि हां, तो इससे कितने मेगावाट का उत्पादन होगा ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : प्रश्न के पहले भाग का संबंध ऊर्जा का किफायत से उपयोग करने का है। सचमुच यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ऊर्जा कार्यकुशलता और संरक्षण से देश में कुल ऊर्जा उत्पादन में 25 प्रतिशत तक बचत हो सकती है। परन्तु ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण और ऊर्ज की बचत सभी ऊर्जा विभागों, यथा, पेट्रोलियम, कोयला विद्युत मंत्रालयों और पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतो का भी कार्य है। यह एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है।

जहां तक तमिलनाडु में ओ.टी.ई.सी. का प्रश्न है, तो तमिलनाडु में कुलसेकरम में एक 100 मे.वा. समुद्री ताप विद्युत संयंत्र लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड तथा अमेरिका की सी सोकर पावर नामक कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसे आदर्श स्थल माना जा सकता है। परियोजना पर 5,750/- करोड़ की लागत आएगी। पूरी राशि सहयोगी उद्यमी द्वारा लगाई जाती है। हमें कोई जोखिम नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने उचित दर पर विद्युत की खरीद के संबंध में ही करार किया है। डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। भारत सरकार से विभिन्न प्रकार की मंजूरियों में शीघ्रता की जाएगी।

आशा है कि अगले पांच-छः वर्षों में परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। यह विश्व में अपने किस्म की पहली परियोजना है।

श्रीमती मालिनी चट्टाचार्य : अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इस परियोजना के वाणिज्यीकरण के बारे में कहा है। अपारंपरिक ऊर्जा का एक लाभ यह होता है कि वह कम खर्चीला होता है। यह छोटे पैमाने पर हो सकता है और लागत की दृष्टि से भी प्रभावी होता है। स्वदेशी माल और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भी इसे लगाया जा सकता है।

मैं जानना चाहती हूं कि पंचायतों जैसे निचले स्तर के लाभ अर्जित न करने वाले संगठनों द्वारा सामुदायिक आधार पर ऐसी परियोजनाएं लगाए जाने की क्या संभावनाएं हैं। तिहत्तरवें संशोधन द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा को पंचायतों के कार्यक्षेत्र में लाया गया है।

मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे लाभ अर्जित न करने वाले संगठनों को किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वे अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हैं ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख पारम्परिक कार्यक्रम परिवार जैव-गैस कार्यक्रम और परिष्कृत चूल्हा कार्यक्रम हैं। इस मंत्रालय के पूरे 200 करोड़ रुपये के बजट का चालीस प्रतिशत का उपयोग इन्ही कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत सभी उपयुक्त दस प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पहले ही शामिल कर लिया गया है। एक सौ बीस लाख परिष्कृत चूल्हे और 12 से 15 लाख जैव-गैस प्लांट पहले ही लगाए जा चुके हैं। इस पूरे कार्यक्रम का कार्यान्वयन मूलतः और सरकारी एजेंसियों और ग्राम-स्तर के संगठनों के माध्यम से हो रहा है। इस जन-कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को मंत्रालय के कामकाज में लगभग भागीदारी की भूमिका दी जाएगी।

जहां तक प्रश्न का पहला भाग संबंधित है, तो यह कहना सही नहीं है कि सभी पुनः प्रयोज्य स्रोत आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होते हैं। जैव-गैस कार्यक्रम अवश्य ही लाभप्रद हैं। पवन ऊर्जा और लघु पनबिजली भी सस्ते हैं। गैस तैयार करना भी सस्ता है, पर सौर तापीय, सौर फोटोवोल्टेइक और

अन्य सभी प्रकार की अन्य प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के तेजी से विकसित होने से प्रभावित हो कर लाभप्रद हो रहे हैं। आरम्भिक चरणों में राज-सहायता की आवश्यकता है। राज-सहायता खंडों में दी जएगी और इन प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण किया जाएगा।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सरकार इस मंत्रालय की कार्यकुशलता बनाए रखना चाहगी। इस क्षेत्र में हम समुचित संगठनों, विशेषत वैज्ञानिक और तकनीकी संगठनों, अन्य निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से काम करना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, जैसा कि हमको बताया गया है पारम्परिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, वे तो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं जैसे हाइडल इनर्जी है, थर्मल इनर्जी है या एटामिक इनर्जी है, इनमें से किसी भी स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है किन्तु क्या समुद्र की सतह की ऊष्मा से बिजली पैदा करने की जो पद्धति निकाली गई है, इस दृष्टि से इस दिशा में क्या हमारे यहां कुछ काम करने का प्रयास हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : मैंने पहले ही समुद्र की तापीय ऊर्जा के विषय में कहा है यह समुद्र में जल के तापमान का व्युत्फल होता है। भूगर्भ स्थलाकृति और जल धाराओं के चलन के कारण दक्षिण भारत के पूर्वी की-बोर्ड और पश्चिमी की-बोर्डों को आदर्श स्थल माना गया है।

समुद्र जल तरंग ऊर्जा, अर्थात् तरंग के कार्य नामक एक और प्रौद्योगिकी है। त्रिवेन्द्रम के निकट विजिंगम के पास एक अनुकृति तैयार की जा रही है। ऐसा ही एक-एक मेगावाट का प्रोटोटाइप अंडमान द्वीप समूह में भी लगाने का प्रस्ताव है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बायो-मास द्वारा समुचित रूप से बायोगैस के प्रसोग से अपारम्परिक ऊर्जा उत्पन्न करने के क्षेत्र में गम्भीर कदम उठाए हैं। इसे हमारे बम्बई आई.आई.टी. पोवई के कुछ वैज्ञानिकों ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। यदि इसे वाणिज्यिक स्तर पर सफल सिद्ध किया जा सके तो काफी हद तक हमारी विद्युत आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और हमारी चीनी मिलों को भी सहायती मिल सकती है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में गम्भीर कदम उठाएगी?

श्री एस. कृष्ण कुमार : हम खोई से विद्युत के उत्पादन का एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। कार्यक्रम विकास के चरण में है। पहले ही चीनी मिलों में खोई को लेकर 6.0 मेगावाट की स्थापना हो गई है और यह भी जैव ऊर्जा है। हमने देश में 400 चीनी मिलों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किया है, प्रत्येक चीनी मिल 10 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर सकता है। यह सबसे सस्ती बिजली होगी, जिसकी लागत 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट आएगी। हमारे पास एक कार्यक्रम है। दस-पंद्रह चीनी मिलें सामने आई हैं। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी बायो-गैस और बायो-मास के हमारे कार्यक्रम हैं।

श्री इरा अन्बरासु : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन-कौन से राज्य अपारम्परिक क्षेत्र को प्रोत्साहन उपलब्ध करा कर विद्युत का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु सरकार ने अपारम्परिक क्षेत्र से इस विद्युत के उपयोग के लिए प्रोत्साहन के रूप में आकर्षक प्रस्ताव रखे हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : पुनः प्रयोज्य ऊर्जा के विकास में निजी क्षेत्र की भागेदारी को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय ने विस्तृत माडल दिशा-निर्देश दिए हैं। कुछ राज्यों ने इन सुझावों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और उसे कार्यान्वित किया है। संभवतः गुजरात अधिकतम प्रोत्साहन दे रहा है उसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा भी इस संबंध में अच्छा कार्य कर रहे हैं। अन्य राज्यों को अभी अपने प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा करनी है।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : सौर ऊर्जा के संबंध में दो विकल्प हैं। हमें अपने अनुसंधान और विकास बढ़ाना है और तब हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरा उपाय है इजरायल के पास से उपलब्ध तकनीकी जानकारी। उन्होंने इस प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनुसंधान और विकास कार्य करना चाहती है अथवा प्रमाणित विदेशी प्रौद्योगिकी लेना चाहती है, जिससे सौर प्रणाली को समृद्ध बनाया जा सके।

श्री एस. कृष्ण कुमार : विद्युत उत्पादन के लिए दो प्रकार की सौर प्रौद्योगिकी हैं -- एक है सौर ताप और दूसरा है सौर फोटोवोल्टिक। राजस्थान के जोधपुर जिले में इजराइली तकनीकी जानकारी की सहायता से 30 मेगावाट वाणिज्यिक सौर-ताप संयंत्र लगाने का सरकार का विचार है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अतः सौर ताप संयंत्र से वाणिज्यक तौर पर विद्युत उत्पादन करने वाला हमारा देश विश्व में पहला देश हो जाएगा। सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के संबंध में भी हमने उद्यमियों से कहा है कि वे 10 मेगावाट जैसी परियोजना राजस्थान जैसे धूप वाले राज्य में आधुनिकतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लगाएं। हम प्रौद्योगिकी-आर्थिक संभावनाओं और कार्यक्रम शुरू करने हेतु एक बार राज सहायता देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री कृपालसिंधु भोई : महोदय, 1970 में डा. होमी भाभी ने वार्षिक सामान्य बैठक में कहा था कि देश 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा पैदा कर सकता है और ज्वारीय ऊर्जा पर भी उतना ही बल दिया गया था। उसी आधर पर 1980 में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन, श्री चक्कालिंगम ने ज्वारीय तरंग ऊर्जा के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। मुख्य समस्या कम तापक्रम पर कार्बोनाइजेशन रसायन के उत्पादन की थी, जो हमारे देश में बहुत कम होता था। उसकी प्रभावी लागत अधिक थी। इसी कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। उस परियोजना रिपोर्ट का क्या हुआ? हमारे देश में ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन की स्थिति क्या है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : हमारे पास मुख्यतः कैम्बे की खाडी, कच्छ की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन में 10,000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। देश के किसी भी भाग में संभावनाओं का पता नहीं लगाया गया है। एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता संबंधी अध्ययन किया गया है, लेकिन इसके स्तर को बढ़ा दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि इस परियोजना को लागू करने हेतु आवश्यक 6,000 करोड़ रुपये किस तरह एकत्र किये जायें। हमने गुजरात सरकार को यह सुझाव दिया कि इसे कमान क्षेत्र विकास माना जाए, क्योंकि वहां एक बांध, सड़क एवं अन्य

आधारभूत संरचना, मात्स्यिकी आदि होंगे। ज्वारीय संयंत्र के पास संचार आदि का भी विकास किया जाएगा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभप्रदता

*205. †**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शत प्रतिशत लाभप्रद बनाने तथा उन्हें वाणिज्यिक आधार पर चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अब यह विचार है कि इन उपक्रमों के समझौता ज्ञापन में इनके लाभ तथा कार्यकुशलता बढ़ाने पर और अधिक बल दिया जाये, ताकि उनकी दशा को सुधारा जा सके;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ प्रोत्साहन देने संबंधी कोई योजना बनायी है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित सरकारी नीति का लक्ष्य उनकी लाभकारिता में सुधार करना तथा वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन में उनकी सहायता करना है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को लाभप्रद बनाने की दुहाई दे रही है और सरकार जिस तरीके से शेयर बेच रही है उससे इन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों द्वारा कब्जा हो जाने का खतरा है। इन क्षेत्रों की शेयर की बिक्री से जो धनराशि प्राप्त होती है तो उसे इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करेंगे? क्या अभी तक इस धन का उपयोग बजट के घाटे को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, यदि ऐसा है तो क्यों?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न इससे नहीं उठता है। इनका प्रश्न है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को शतप्रतिशत लाभप्रद बनाने तथा उन्हें वाणिज्यिक आधार पर बनाने का निर्णय लिया है, इसका ब्यौरा इन्होंने दिया है। ये डिस-इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि सरकार अपना शेयर बच रही है तो उसका उससे क्या मतलब है। यह एम.ओ.यू. समझौता हस्ताक्षर से संबंधित है··· **(व्यवधान)**

श्री बृजभूषणशरण सिंह : माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं।...(व्यवधान) क्या सरकार की वर्तमान नीति के कारण बेरोजगारी बढ़ी है।...(व्यवधान) 1992-93 में कितने राष्ट्रीय उद्योगों को बंद करना पड़ा है। अलग-अलग राज्यों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने बेरोजगारों के लिए कोई योजना बनाई है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने योजना बनाई है, जिसका ब्यौरा हम समय-समय पर सदन में देते रहे हैं।...(व्यवधान) सवाल कुछ है तो जवाब कुछ सुनिये? सवाल से संबंधित प्रश्न पूछिए तो मैं आपको जवाब दूंगी। यह समझौता हस्ताक्षर से संबंधित है। अभी तक कोई पी.एस.यू. बंद नहीं हुए हैं और एन.आर.एफ. और बी.आर.एफ. की श्रकिकों के लिए योजना बनाई है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभप्रदता के पहलू से जुड़ा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् लाभप्रदता के पहलू की कोई समीक्षा या आकलन की गई है और क्या हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता के संदर्भ में कोई सुधार हुआ है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले। लाभप्रदता का प्रश्न औद्योगिक संबंधों से भी जुड़ा है, जिसका अर्थ प्रबंध में श्रमशक्ति की भागेदारी भी है। लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए क्या उनके द्वारा समाज कल्याण के उपायों में कोई कमी की गई है?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैं प्रश्न नहीं समझ पाई हूं।

अध्यक्ष महोदय : वर्कर्स के रिलेशन्स बनाने की कोशिश आपकी है क्या?

श्रीमती कृष्णा साही : जी, हां।

श्री राम नगीना मिश्र : हमारे देश के नेताओं ने सोचकर सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योग लगाये थे, क्या कारण है कि वे आज फेल हो रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : समय कम है उत्तर के लिए इसलिए प्रश्न पूछें।

श्री राम नगीना मिश्र : सरकार ने ऐसा कोई सर्वे कराया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्यों फेल हो रहे हैं और उसमें जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है?

श्रीमती कृष्णा साही : इकोनोमिक टाइम्स में भी निकला है, मैं वह माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं :

[अनुवाद]

1993-94 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने शुद्ध लाभ में 17 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के लाभ में 5 प्रतिशत की कमी हुई है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

*203. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर अंकुश रखने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) आवश्यक, जीवन रक्षक और रोग निरोधी दवाइयों की उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषध नीति, 1986 के उद्देश्यों के अनुसार अभिज्ञात औषधों की कीमतें औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

निर्धन लोगों के लिए आवास कार्यक्रम

*206. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने हाल ही में निर्धन लोगों के लिए आवास और आश्रय-स्थलों में सुधार करने हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई पायलट योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1993-94 और 1994-95 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंड और शर्तें क्या हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. हडको ने प्रायोगिक आधार पर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास निर्माण तथा आवास सुधार के लिये ऋण सहायता देने का निर्णय लिया है, किन्तु इन संगठनों द्वारा शुरू की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं के लिये हडको द्वारा कोई अलग वित्तीय सहायता राशि नहीं रखी गई है। इस पर अमल के पहले साल में हडको कुछ गैर-सरकारी संगठनों को 2 करोड़ रुपये के ऋण देने पर विचार करेगा।

2. गैर-सरकारी संगठनों के चयन तथा वित्तीय राशि वितरण के मानक इस प्रकार है :

(क) प्रायोगिक परियोजना के लिये गैर-सरकारी संगठनों का चयन अनौपचारिक सेक्टर की विकास संबंधी जरूरतों के प्रसंग में उन संगठनों के सफल कार्य-निष्पादन के प्रमाणित रिकार्ड के आधार पर किया जाएगा।

(ख) प्रायोगिक स्कीम के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों को अपनी धनराशि लाभार्थी समूहों के लिये सुलभ रखनी होगी।

(ग) स्कीम शुरू होने से पूर्व लाभार्थी समूहों की पहचान बतायी जायेगी।

(घ) गैर सरकारी संगठन को समुचित लागत किफायती विकल्पों द्वारा लाभार्थी समूह की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

(ङ) लाभार्थियों को ऋण की क्रमिक अदायगी तथा शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने का दायित्व गैर-सरकारी संगठन का होगा।

(च) स्कीम में यह भी व्यवस्था है कि गैर-सरकारी संगठन अपना अप्रयुक्त फालतू धन हडको के पास जमा करा दें, ताकि उस धन को उचित प्रति लाभ के कामों में लगाया जा सके और ऋण वापसी में चूक की स्थिति में धरोहर के रूप में भी माना जा सके।

(छ) गैर सरकारी संगठनों को हडको दर पर 2% ब्याज तथा संरचनात्मक कार्यों, क्रमिक अदायगी जरूरतों आदि के लिये तथा एक बारगी 2.5% की दर से सर्विस प्रभार की अनुमति होगी।

(ज) इन स्कीमों का लिखत-पढ़त प्रभार घटा कर 1000 रुपये प्रति स्कीम रखा जायेगा और उससे कोई अग्रोन्मुखी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(झ) ऋण की जमानत यदि सुलभ हो तो रेहन द्वारा अन्यथा बैंक गारन्टी द्वारा ली जायेगी।

(ञ) यदि कोई जमानत सुलभ नहीं होती हो निम्नलिखित अपेक्षाएं होंगी :

– समुचित प्राधिकारी से भू-धृति बाबत आश्वासन।

– ऋण की 10% से 25% तक की राशि को जमा रखना, जिसका निर्णय परियोजना के मूल्यांकन के समय किया जाएगा।

– लाभार्थियों से मासिक/तिमाही किश्तों की अगाही जाने वाली ऋण राशि में से 75% से 90% राशि जमा कराने के प्रति गैर-सरकारी संगठन की गारंटी।

– मकान मरम्मत के लिये 2500 रुपये तक ऋणों के प्रसंग में, गैर-सरकारी संगठनों की गारन्टी के सिवाय कोई जमानत नहीं ली जाएगी।

"बल्क" औषध

*207. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से "बल्क" औषधों तथा उनके फार्मूलेशन्स के मूल्यों को कम करने हेतु कोई अध्ययन करने के लिए कहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु बी.आई.सी.पी. से कहा गया है कि वह प्रपुंज औषधों का लम्बित पड़ा लागत तथा तकनीकी अध्ययन पूरा करे।

[हिन्दी]

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

*208. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संयंत्र में कितनी धनराशि निवेश की गयी है;

(ग) क्या ये संयंत्र आर्थिक रूप से अक्षम सिद्ध हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने कर विचार किया गया है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) से (घ) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) के स्वामित्व वाले रामागुण्डम और तालचर एकक ही देश में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र हैं। 31-3-93 को रामगुण्डम और तालचर संयंत्र में क्रमशः 243.29 करोड़ रुपये और 256.84 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश था। ये संयंत्र उपस्कर/डिजाइन कमियों, बारंबार

उपस्कर खराबियों, कोयले में राख की उच्च मात्रा आदि की वजह से घटिया क्षमता उपयोग के कारण व्यवहार्य साबित नहीं हुए हैं। अधिक समय तक विद्युत कटौतियों/विद्युत प्रतिबिन्धों से भी इन एककों का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ है।

एफ.सी.आई. को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अध्यधीन रुग्ण कंपनी घोषित किया गया है। इन संयंत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में कोई भी कार्यवाही, बी.आई.एफ.आर., जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगी।

खादी की मांग

*209. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में खादी की मांग तेजी से बढ़ रही है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खादी के उत्पादन को बढ़ाने एवं विदेशों में और खादी के बाजार खोजने हेतु किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) चूंकि खादी का धागा हाथ से कता और हाथ से बना प्राकृतिक होता है, इसके निर्यात की गुंजाइश है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादन को बढ़ाने के लिये अनेक उपाय किये हैं, जैसे :

(1) सूती खादी को बढ़ाने के लिये मात्रा और गुणवत्ता के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उच्च गति के 6 ताकुओं वाले नये माडल के चरखो और ग्राम लक्ष्मी करघों की शुरुआत की है।

(2) देश के 6 भिन्न-भिन्न भागों में केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं, ताकि कताई करने वालों के लिये नियमित और गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(3) बिहार के सहरसा और सुपौल जिलों में गहन खादी उत्पादन और रोजगार सृजन योजनाएं शुरू की गई हैं।

(4) देश के भिन्न-भिन्न भागों में नये माडल के चरखो के लिये अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है, ताकि चरखो की खाली पड़े रहने से बचाया जा सके।

के.वी.आई.सी. खादी उत्पादक संस्थानों के साथ विदेशी प्रदर्शनियों में संयुक्त रूप से भाग लेकर खादी की किस्मों के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. और कुछ संस्थानों ने खादी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये घाना, सिंगापुर, दुबई और लंदन में हुई प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

[अनुवाद]

शहरी जनसंख्या

*210. **श्री जीवन शर्मा :**
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों, विशेषकर दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) शहरी क्षेत्रों में लोगों के बड़ी संख्या में आगमन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारत में शहरी आबादी 1981 में 159 मिलियन से बढ़कर 1991 में 217 मिलियन हो गई है। जनगणना के अनुसार, दिल्ली शहर की आबादी 1981 से 1991 की अवधि में 5.73 मिलियन से बढ़कर 8.42 मिलियन हो गई है। वृद्धि जन्म जात बढ़ोत्तरी तथा आवासन के कारण हुई है। आवासन शहरों में औद्योगिकीकरण एवं बेहतर रोजगार अवसरों व बेहतर जीवन दशाओं के कारण हो रहा है।

(ग) शहरी विकास राज्य का विषय है, अतः शहरी क्षेत्रों में आवासन से होने वाली जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाने के उपाय राज्य सरकारों को ही अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिये करने होते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों, विशेषतः बड़े शहरों में आबादी की बाढ़ का राकने के लिए 8वीं योजना में दोहरी नीति की परिकल्पना की गई है, अर्थात :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार अवसर पैदा करके बेहतर जीवनयापन सुविधाओं को जुटाने के लिए सघन ग्रामीण विकास कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(ii) रोजगार अवसरों में वृद्धि करने तथा फालतू ग्रामीण श्रम को समायोजित करने हेतु शहरी अवस्थापनाएं उपलब्ध कराने के लिए छोटे और मझौले कस्बों के विकास पर अधिक बल।

दिल्ली के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) नामक एक अन्तर-राज्य कानूनी निकाय की स्थापना की गई है। इस बोर्ड ने सन 2001 ई. तक दिल्ली से विस्थापित किये जाने वाले लगभग 20 लाख व्यक्तियों को आकर्षित कर स्थायी रूप से बसाने के लिए प्राथमिकता वाले शहरों नामतः मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर-खुर्जा परिसर, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी-भीवाड़ी-दारूहेड़ा, पलवल और अलवर तथा दो दिल्ली महानगर क्षेत्र नामतः बहादुरगढ़ और कोंडली के त्वरित विकास

की रणनीति पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर स्थित कुछ सम-सुविधायुक्त् शहरों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आवश्यक औषध

*211. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में आवश्यक औषधों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं,

(ख) स्वीकृत मानदंडों/प्रक्रिया के आधार पर औषधों की स्वतः मूल्य वृद्धि के लिए क्या उपाय किये गये हैं, और

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के पास मूल्य वृद्धि के कुल कितने प्रस्ताव अभी भी लम्बित पड़े हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) और (ख) भेषज उद्योग से संबंधित इन सभी मामलों पर 19 और 21 अगस्त, 1993 को सदन में चर्चा हो चुकी है। उसके आधार पर औषध नीति, 1986 में आवश्यक संशोधनों को अन्तिम रूप देने का काम अग्रिम अवस्था में है।

(ग) कीमत निर्धारण/संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीबों को रोजगार

*212. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री लाल बाबू राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण गरीबों के लिये रोजगार की गारंटी की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 जनवरी, 1994 तक इस प्रयोजनार्थ कुल कितने ग्रामीण गरीबों का पंजीकरण किया गया, और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सरकार ने देश के 257 जिलों में स्थित सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरुस्थली क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 1754 चयन किए गए पिछड़े खंडों, जिनमें पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जा रही है, में सुनिश्चित रोजगार योजना नामक एक नई योजना शुरू की है।

योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को, जो शारीरिक श्रमवाला अकुशल कार्य के जरूरतमंद हैं और जो इस तरह का कार्य करना चाहते हैं को गैर-कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है। यद्यपि योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को इस तरह का रोजगार मुहैया कराना है, इसके तहत 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम दो वयस्क सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 80 : 20 के आधार पर वहन किया जाता है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सिर्फ श्रम प्रधान कार्य शुरू किए जाने हैं। जब कभी 20 जरूरतमंद व्यक्ति काम की मांग करते हैं तो ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिये नये कार्य शुरू किए जा सकते हैं। विशेष मामलों में खण्ड विकास अधिकारी नये कार्य भी शुरू कर सकते हैं, यदि केवल 10 व्यक्ति भी कार्य की मांग करें।

18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वाले लोग अपनी ग्राम पंयाचतों में स्वयं को पंजीकृत कराने के पात्र हैं। इसलिए पंजीकरण के ब्यौरे सिर्फ ग्राम पंचायतों में ही उपलब्ध रहते हैं। ग्राम पंचायतें ऐसे पंजीकृत लोगों की संख्या के बारे में खण्ड विकास अधिकारी को सूचित करेंगे, जो इन ब्यौरों को संकलित करेगा और पंजीकृत लोगों की संख्या के बारे में जिला कलेक्टर/उप-आयुक्त को सूचित करेगा। राज्य सरकारों द्वारा इस सूचना का उल्लेख अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्टों में करना होगा, जो वित्त वर्ष के समाप्त होने के उपरान्त अपेक्षित हो जाएंगी।

चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना का आशय ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी सक्षम वयस्कों, जो रोजगार के जरूरतमंद हैं और जो यह कार्य करना चाहते हैं, के लिये गैर कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, इसलिए एक वर्ष अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये रोजगार के प्रावधान हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

कुटीर एवं शहद उद्योग

*213. **श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुटी एवं शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्यवार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी कार्यान्वयन ऐजेंसियों के माध्यम से देश में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। मधुमक्खी पालन उद्योग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अधीन एक ग्राम्य उद्योग है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किये गये उपायों में आधुनिक वैज्ञानिक रूपरेखा पर

मधुमक्खी पालन उद्योग का विकास, बागवानी क्षेत्रों का पता लगाना और उनको इसमें शामिल करना भी शामिल है। शहद की उपज बढ़ाने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने देश के अधिकांश भागों में मधुमक्खियों की अधिक उपज देने वाली किस्में भी शुरू की हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग बुनियादी सहायता, सेवाओं के पैकेज जैसे प्रशिक्षण, मानक मधुमक्खी बक्सों की खरीद के लिए कम मूल्यों पर उन्नत उपकरणों की आपूर्ति, पर्याप्त तकनीकी सहायता तथा उपयुक्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान मधुमक्खी पालन उद्योग को राज्यवार वितरण का एक विवरण संलग्न है। इसके अलावा, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के लिए 92-93 में 34.88 लाख रु. जारी किये गये थे, ताकि एस.ए.सी. बूड रोग से पीड़ित मधुपालकों का पुनर्वास किया जा सके, जिनकी कालोनियां इस रोग से प्रभावित हुई थीं।

विवरण

वर्ष 1990-91, 1991-92 के दौरान राज्यवार वितरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	1990-91			1991-92			1992-93		
		अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल	अनुदान	ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.72	0.69	1.41	0.76	2.78	3.54	0.02	0.77	0.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1.03	2.99	4.02	1.10	0.44	1.54	0.94	0.99	1.93
4.	बिहार	0.78	3.11	3.89	3.63	1.02	4.65	0.34	1.28	1.62
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	0.05	0.08	0.13
7.	हरियाणा	0.17	0.65	0.82	0.43	0.45	0.88	0.12	0.34	0.46
8.	हिमाचल प्रदेश	0.50	6.44	6.94	3.42	6.73	10.15	3.00	3.36	6.36
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.01	1.68	1.69	0.96	4.24	5.20	0.03	1.78	1.81
10.	कर्नाटक	2.23	10.54	12.77	0.73	2.65	3.38	2.22	6.06	8.28

11. केरल	2.12	16.59	18.71	0.52	7.57	8.09	5.17	9.94	15.11
12. मध्य प्रदेश	0.01	–	0.01	0.24	0.08	0.32	–	0.10	0.10
13. महाराष्ट्र	0.52	6.38	6.90	1.31	2.18	3.49	6.15	4.65	10.80
14. मणिपुर	2.29	1.83	4.12	0.54	0.14	0.68	0.44	0.10	0.54
15. मेघालय	1.96	0.40	2.36	0.98	0.25	1.23	0.76	0.02	0.78
16. मिजोरम	0.26	0.13	0.39	0.25	0.05	0.30	0.20	0.11	0.31
17. नागालैंड	–	–	–	2.37	5.44	7.81	4.04	1.95	5.99
18. उड़ीसा	4.24	8.02	12.26	2.25	2.65	4.90	5.14	8.11	13.25
19. पंजाब	0.08	2.10	2.18	0.32	0.93	1.25	0.06	0.10	0.16
20. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21. सिक्किम	1.48	0.44	1.92	–	–	–	–	–	–
22. तमिलनाडु	0.75	9.29	10.04	1.90	4.15	6.05	1.09	1.02	2.11
23. त्रिपुरा	0.30	–	0.30	0.52	–	0.52	–	–	–
24. उत्तर प्रदेश	2.14	5.57	7.89	–	0.72	0.72	1.18	1.13	2.31
25. पश्चिम बंगाल	2.92	2.77	5.79	1.43	1.01	2.44	0.38	0.74	1.12
26. अंडमान एवं निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	24.51	79.80	104.31	23.66	43.48	67.14	31.33	42.63	73.96

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*214. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए कितनी सहायता मांगी गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में रिपोर्ट मिली हैं, और

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) 1990-91, 1991-92, और 1992-93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम भूमि सुधार, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किये गये राज्यवार आवंटन/रिलीज, विवरण-I (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम), विवरण-II (भूमि सुधार) और विवरण-III (सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम), में दिये गये हैं, जो कि राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और अन्य तथ्यों पर आधारित हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार केन्द्र सरकार को उपरोक्त कार्यक्रमों के संबंध में प्रगित रिपोर्ट भेजती हैं। 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान निधियों के राज्यवार उपयोग को विवरण-IV (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम) में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोग को विवरण-II व III में शामिल किया गया है।

विवरण-I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में निधियों के आबंटन दर्शाता विवरण

(रु. लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			जवाहर रोजगार योजना			त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम*		
		90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	5502.91	5177.52	4880.00	15637.71	15555.01	17176.34	23.010	25.470	25.470
2.	अरुणाचल प्रदेश	469.44	469.44	416.00	251.31	27.05	131.34	4.170	4.620	4.620
3.	असम	1502.92	1414.06	1332.00	3887.08	3467.48	4955.31	13.700	17.120	13.700
4.	बिहार	11025.89	10361.00	9778.00	29234.83	28429.78	37352.50	27.100	35.020	29.990
5.	गोवा	97.80	97.80	86.00	142.91	282.79	324.90	0.500	00.550	0.550
6.	गुजरात	2266.10	2132.11	2010.00	5712.05	6408.76	8195.83	14.640	19.990	16.330
7.	हरियाणा	542.26	510.19	480.00	1496.76	2055.02	1836.47	8.670	13.874	9.990
8.	हिमाचल प्रदेश	194.14	182.66	172.00	862.81	964.14	1107.11	6.400	6.420	6.420
9.	जम्मू व कश्मीर	271.13	255.10	240.00	1600.00	1992.90	1711.70	19.130	23.910	19.160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	3444.34	3240.68	3054.00	8550.77	9321.49	11399.80	21.160	23.420	23.420
11.	केरल	1871.12	1760.48	1660.00	4332.78	5049.74	6159.44	10.760	12.450	11.910
12.	मध्य प्रदेश	7297.04	6865.57	6472.00	19927.61	17119.51	26309.75	25.470	33.557	28.190
13.	महाराष्ट्र	5894.54	5546.00	5228.00	15522.87	12975.66	20039.83	30.630	34.380	33.900
14.	मणिपुर	43.51	40.94	38.00	296.60	113.02	516.10	3.080	3.080	3.080
15.	मेघालय	130.55	122.82	116.00	99,18	189.79	368.88	4.200	4.200	4.200
16.	मिजोरम	195.60	195.60	174.00	666.92	182.74	195.55	1.170	1.290	1.290
17.	नागालैंड	205.38	205.38	182.00	483.80	578.84	502.21	4.220	4.220	4.220
18.	उड़ीसा	3605.01	3391.85	3198.00	10048.47	8360.48	13405.24	12.060	13.350	13.350
19.	पंजाब	458.57	431.46	406.00	1273.49	1314.42	1361.75	3.830	4.240	4.240
20.	राजस्थान	3514.63	3306.82	3118.00	10481.46	7580.42	13653.57	36.660	41.830	41.830
21.	सिक्किम	39.12	39.12	34.00	112:36	269.57	285.58	3.720	3.720	3.720
22.	तमिलनाडु	4940.56	4648.44	4382.00	13778.93	12051.53	17007.61	18.240	20.190	20.190
23.	त्रिपुरा	153.97	144.87	136.00	391.42	474.10	535.69	3.500	4.478	3.500
24.	उत्तर प्रदेश	4727.97	13857.12	13062.00	38830.87	35637.61	47109.97	42.680	55.780	47.240

25. पश्चिम बंगाल	6155.62	5791.65	5460.00	15856.92	10613.77	20379.06	16.480	22.360	18.240
26. अंडमान व निको.	48.90	48.90	43.00	78.29	52.16	62.58	0.400	0.400	0.400
27. चंडीगढ़	9.78	–	–	28.14	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000
28. दादरा व नागर हवेली	9.78	9.78	9.00	80.74	78.50	91.02	0.120	0.130	0.130
29. दिल्ली	48.90	48.90	–	92.09	0.00	0.00	0.130	0.140	0.140
30. दमन व दीव	19.56	19.56	17.00	25.04	4.38	20.28	0.200	0.220	0.220
31. लक्षद्वीप	5.00	5.00	4.00	87.01	25.83	60.08	0.100	0.100	0.100
32. पांडिचेरी	39.12	39.12	35.00	223.79	80.36	232.91	0.260	0.260	0.260
योग	4731.16	70360.74	66222.00	200095.01	181556.85	252488.40	356.390	430.769	390.000

*जल सप्लाई के आंकड़े करोड़ रुपये में हैं।

विवरण-II (क)

भूमि की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को 1990-91 से 1992-93 के दौरान वित्तीय सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत रिलीज और उपयोग की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	1990-91		1991-92		1992-93	
		केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	207.00	207.00	81.53	81.53	47.26	अप्राप्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	22.50	अप्राप्त
4.	बिहार	349.72	286.65	36.95	अप्राप्त	–	–
5.	गुजरात	–	–	40.00	39.28	15.00	अप्राप्त
6.	गोवा	–	–	–	–	–	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	18.00	18.00	19.68	16.72	20.00	अप्राप्त
11.	केरल	15.00	5.89	15.00	4.92	15.00	अप्राप्त
12.	मध्य प्रदेश	15.00	15.00	80.00	अप्राप्त	10.00	अप्राप्त
13.	महाराष्ट्र	51.99	46.60	42.17	40.87	26.40	अप्राप्त
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	22.51	15.64	24.00	24.00	16.23	अप्राप्त
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	7.29	7.29	10.00	10.00	15.00	अप्राप्त
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	32.00	32.00	17.00	16.99	12.00	अप्राप्त
23.	त्रिपुरा	0.54	0.28	0.26	0.98	1.00	अप्राप्त
24.	उत्तर प्रदेश	35.00	18.78	122.37	20.10	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	15.00	3.07	15.00	अप्राप्त	–	–
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा और नागर हवेली	0.25	0.25	0.25	शून्य	0.25	अप्राप्त
29.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
30.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	0.11	0.23	0.94	0.16	0.36	अप्राप्त
	योग	769.41		505.12		201.00	

नोट : 1992–93 के दौरान अधिकांश राज्यों को निधियां अंतिम तिमाही के दौरान रिलीज की गई, इसलिए इसका उपयोग लंबित है।

विवरण-II (ख)

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत रिलीज की गई और उपयोग की गई निधियां

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	1990-91		1991-92		1992-93	
		केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.00	–	–	–	–
2.	असम	50.00	50.00	–	–	40.00	अप्राप्त
3.	बिहार	150.00	अप्राप्त	–	–	–	–
4.	गुजरात	100.00	48.17	–	–	248.70	अप्राप्त
5.	गोवा	30.00	14.49	4.00	10.70	–	11.0
6.	हरियाणा	50.00	14.00	25.00	25.00	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	110.00	85.73	–	–	–	–
8.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	120.00	अप्राप्त
9.	कर्नाटक	7.50	7.50	100.00	26.16	–	–
10.	केरल	75.00	75.00	–	–	54.68	44.1
11.	मध्य प्रदेश	12.45	12.45	143.975	143.975	351.89	176.9
12.	महाराष्ट्र	189.84	अप्राप्त	10.75	अप्राप्त	87.66	अप्राप्त
13.	मणिपुर	15.00	अप्राप्त	–	–	–	–
14.	मेघालय	50.00	शून्य	–	–	–	–
15.	मिजोरम	–	–	29.50	29.50	22.10	अप्राप्त
16.	नागालैण्ड	17.50	5.47	6.50	15.25	7.70	अप्राप्त
17.	उड़ीसा	–	–	55.25	5.00	90.00	अप्राप्त

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	पंजाब	162.50	161.97	165.87	148.61	206.45	अप्राप्त
19.	राजस्थान	70.00	69.53	43.48	15.32	189.15	अप्राप्त
20.	सिक्किम	16.00	अप्राप्त	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	10.00	अप्राप्त	74.00	अप्राप्त	62.88	अप्राप्त
22.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	281.89	2.60
23.	पश्चिम बंगाल	200.00	75.00	173.75	शून्य	110.90	12.50
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.68	5.80	–	–	20.85	अप्राप्त
25.	चंडीगढ़	15.00	अप्राप्त	17.00	अप्राप्त	–	–
26.	दिल्ली	25.00	20.42	17.00	7.48	–	–
27.	दमन और दीव	–	–	6.50	अप्राप्त	–	–
28.	पांडिचेरी	10.00	9.99	32.88	31.34	–	–
	योग	1362.47		905.42		1894.85	

नोट : 1992–93 के दौरान निधियां वर्ष की अंतिम तिमाही में रिलीज की गई थीं, इसलिए अधिकांश राज्य सरकारों से वित्तीय प्रगति लम्बित है।

विवरण-II (ग)

भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई और उपयोग की गई निधियां

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जिला	1990–91		1991–92	
			केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग	केन्द्रीय रिलीज	केन्द्रीय रिलीज का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश		–	–	–	–
3.	असम		–	–	–	–
4.	बिहार		–	–	–	–
5.	गुजरात		–	–	–	–
6.	गोवा		–	–	–	–
7.	हरियाणा	रेवाड़ी	6.00	2.46	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश		–	–	–	–
9.	जम्मू और कश्मीर		–	–		–
10.	कर्नाटक	गुलबर्गा	25.00	अप्राप्त	–	–
11.	केरल	तिरुअनंतपुरम	25.00	अप्राप्त	–	–
12.	मध्य प्रदेश	मुरैना	3.00	3.00	–	–
13.	महाराष्ट्र		–	–	–	–
14.	मणिपुर	4 राज्य	25.00	अप्राप्त	–	–
15.	मेघालय		–	–	–	–
16.	मिजोरम		–	–	–	–
17.	नागालैंड		–	–	–	–
18.	उड़ीसा		–	–	–	–
19.	पंजाब	रोपड़	25.00	25.00	–	–
20.	राजस्थान	डुंगरपुर	5.00	5.00	–	–
21.	सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य	–	–	12.00	अप्राप्त
22.	तमिलनाडु		–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	उत्तरी जिले	25.00	12.61	–	–
24.	उत्तर प्रदेश		–	–	–	–
25.	पश्चिम बंगाल		–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		–	–	–	–
27.	चंडीगढ		–	–	–	–
28.	दादरा व नागर हवेली		–	–	–	–
29.	दिल्ली		–	–	8.03	अप्राप्त
30.	दमन व दीव		–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप		–	–	–	–
32.	पांडिचेरी		–	–	–	–
	योग		139.00		20.03	

नोट : उपयुक्त प्राधिकारी के पास योजना अनुमोदनार्थ लंबित होने के कारण निधियां 1992–93 के दौरान रिलीज नहीं की गयी हैं।

विवरण-III

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन एवं खर्च

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1990-91		1991-92		1992-93	
		आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम							
1.	आन्ध्र प्रदेश	1203.00	1244.66	1203.00	1324.51	1203.00	1479.47
2.	बिहार	828.00	665.97	828.00	565.45	828.00	579.51
3.	गुजरात	746.00	830.36	746.00	736.37	746.00	787.68
4.	हरियाणा	135.00	152.37	135.00	141.36	135.00	142.14
5.	जम्मू और कश्मीर	214.50	289.50	214.50	331.23	214.50	332.29
6.	कर्नाटक	1249.00	1140.02	1249.00	1197.40	1249.00	1272.39
7.	मध्य प्रदेश	809.00	678.58	809.00	953.01	809.00	685.34
8.	महाराष्ट्र	1343.00	1266.18	1343.00	1284.23	1343.00	1247.66

9.	उड़ीसा	621.00	545.47	621.00	726.29	621.00	563.41
10.	राजस्थान	514.00	647.01	514.00	485.09	514.00	635.70
11.	तमिलनाडु	657.00	739.38	657.00	670.92	657.00	660.34
12.	उत्तर प्रदेश	1386.00	1237.56	1386.00	1363.54	1386.00	1271.36
13.	पश्चिम बंगाल	517.50	471.11	517.50	307.19	517.50	296.74
	योग :	10223.00	9908.17	10223.00	10086.59	10223.00	9954.02
मरुभूमि विकास कार्यक्रम							
1.	गुजरात	225.00	254.48	225.00	280.47	225.00	208.82
2.	हरियाणा	425.00	470.40	425.00	438.09	425.00	469.30
3.	हिमाचल प्रदेश	200.00	202.01	200.00	189.74	200.00	228.91
4.	जम्मू और कश्मीर	300.00	300.29	300.00	305.33	300.00	294.45
5.	राजस्थान	3800.00	4688.77	3800.00	3649.32	3800.00	3650.47
	कुल :	4950.00	5915.95	4950.00	4862.95	4950.00	4851.95

विवरण-IV

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 के दौरान निधियों के उपयोग दर्शाता विवरण

(रु. लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम			जवाहर रोजगार योजना			त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम*		
		90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93	90-91	91-92	92-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	7200.12	6548.98	5411.42	19317.09	19065.78	19866.06	23.010	28.450	25.470
2.	अरुणाचल प्रदेश	278.58	294.47	426.52	223.75	221.17	234.80	3.370	2.990	5.820
3.	असम	1762.26	1587.04	1584.46	5648.57	5000.44	4034.49	11.784	17.620	7.000
4.	बिहार	9948.86	8384.64	7726.73	42582.90	37580.16	41257.59	10.927	26.450	33.780
5.	गोवा	106.72	67.30	53.54	277.12	364.56	340.36	0.375	0.790	0.520
6.	गुजरात	2341.24	2307.69	2204.50	7513.03	10039.31	8327.77	13.650	15.150	17.970
7.	हरियाणा	1002.65	756.84	796.25	2085.43	2353.04	2012.13	7.965	8.240	11.660
8.	हिमाचल प्रदेश	411.62	352.47	291.88	1270.68	1186.15	1049.73	6.422	5.380	6.420
9.	जम्मू और कश्मीर	516.11	421.07	385.47	1636.30	2046.35	1635.94	15.690	19.900	7.560

10. कर्नाटक	3076.53	2782.63	2671.68	10892.31	11082.63	12533.91	18.705	20.390	28.130
11. केरल	2043.51	1784.84	1647.95	6819.92	7252.79	6843.94	15.249	13.680	10.710
12. मध्य प्रदेश	8376.81	9353.08	7336.37	24234.17	31681.83	29328.16	26.335	32.870	25.540
13. महाराष्ट्र	5722.53	5633.70	5332.16	19254.92	18124.11	18648.24	25.262	23.763	32.150
14. मणिपुर	136.27	153.20	86.42	490.06	206.77	292.23	3.075	2.360	2.180
15. मेघालय	172.93	162.62	173.80	339.35	481.47	413.10	3.780	3.340	2.750
16. मिजोरम	214.81	169.72	212.29	833.41	260.51	213.27	1.162	1.750	1.280
17. नागालैंड	257.69	299.15	236.84	617.46	733.84	637.21	2.596	2.300	1.380
18. उड़ीसा	3637.09	3671.71	3373.97	12845.26	14033.59	13067.13	15.364	11.650	14.940
19. पंजाब	1050.47	858.45	935.95	1222.55	1053.97	2590.84	4.972	4.240	4.240
20. राजस्थान	3563.24	4079.89	3258.25	17087.49	13206.41	12246.06	36.660	41.830	41.170
21. सिक्किम	37.17	47.39	39.71	197.78	328.62	303.56	3.398	4.200	3.820
22. तमिलनाडु	5010.43	4527.72	4436.01	19661.60	21134.07	20094.35	25.892	24.410	23.940
23. त्रिपुरा	354.65	397.81	414.47	525.40	602.99	485.40	2.685	2.900	3.120
24. उत्तर प्रदेश	16969.98	16226.71	14395.38	45773.98	48146.83	52257.00	38.306	42.190	48.020
25. पश्चिम बंगाल	6588.96	6317.73	5758.50	17019.09	19342.16	21412.74	13.727	13.900	13.501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	41.21	38.06	39.34	102.02	86.73	67.50	0.636	0.000	
27.	चंडीगढ़	–	–	–	12.29	0.00	0.00	0.000	0.000	
28.	दादरा व नागर हवेली	9.26	8.67	10.41	66.53	103.31	76.31	0.000	0.000	
29.	दिल्ली	43.87	22.57	–	56.84	0.00	0.00	0.096	0.012	0.000
30.	दमन व दीव	15.01	11.28	16.30	15.46	27.23	5.33	0.000	2.820	1.830
31.	लक्षद्वीप	9.18	7.80	8.60	64.72	49.15	61.66	0.045	0.000	0.000
32.	पांडिचेरी	49.09	33.55	42.47	164.48	193.27	139.39	0.065	0.100	0.260
	अखिल भारत :	80948.85	77308.78	69307.64	258851.96	265989.24	270476.20	331.205	373.675	375.170

*त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेना में महिलाएं

*215. **श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 तक तीनों सशस्त्र सेनाओं में पृथक-पृथक कितनी महिलाओं की भर्ती की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सेनाओं में महिलाओं की भर्ती को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार जिन महिला अधिकारियों को तीनों सेनाओं की कुछ विशेष शाखाओं/कोरों (सेना चिकित्सा कोर, सेना दंतचिकित्सा कोर तथा सैन्य परिचर्या सेवा को छोड़कर, जिनमें महिलाओं को भर्ती करने की परंपरा पहले से रही है) में भर्ती किया गया था, उनकी संख्या इस प्रकार है :

थल सेना	–	50
नौसेना	–	35
वायुसेना	–	55

दूसरे बैच की 25 महिलाएं सेना में और 49 महिलाएं वायुसेना में भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण ले रही थीं।

सशस्त्र सेनाओं की कुछ विशेष शाखाओं/कोरों में महिलाओं को अल्पकालीन कमीशन अफसर के रूप में भर्ती करने की योजना प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए अनुमोदित की गई है। वायुसेना की तकनीकी शाखाओं के मामले में, उनकी कार्य-अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना की कार्यविधि की पुनरीक्षा की जाएगी और प्राप्त अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इसे जारी रखा जाए अथवा नहीं।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

*216. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिकी में सरकार की नीति, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में एक सुदृढ़ आत्मनिर्भर स्वदेशी आधार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी सूचना को प्रोत्साहन देने तथा उसका दर्जा बढ़ाने और उपयुक्त मूल

संरचनात्मक सुविधाओं एवं योग्य जनशक्ति का सृजन करने के उद्देश्यों पर आधारित रही है। नई आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के अन्तर्गत किए गए कई उपायों के फलस्वरूप उत्पादन तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोत्तरी होने पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है। इनमें स्थापना स्थल संबंध सीमाओं से छूट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के उप-क्षेत्रों तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी को छोड़कर लाइसेंसिग से छूट, आयातित पूंजीगत वस्तुओं को आसानी से प्राप्त करने की अनुमति देते हुए निर्यात-आयात नीति में उदारीकरण, मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंसिग योजना आदि शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए विशेषकर दो नई योजनाएं आरंभ की गई हैं अर्थात् सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.)। एस.टी.पी. उन लघु सॉफ्टवेयर इकाइयों को मूल संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जो निर्यात बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं। ई.एच.टी.पी. योजना देश में सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना करने के लिए कार्यान्वित की गई है, जिसमें इनके निर्यात की संभावना को बढ़ाने तथा एक कुशल इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रिक फार्मास्यूटिकल कंपनी

*217. **श्री राम विलास पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक बहुराष्ट्रिक फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने ब्रांड नाम असंगठित क्षेत्र के निर्माताओं को पट्टे पर देकर सरकार के मूल्य विनियमों का उल्लंघन कर रही हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कंपनियों की पहचान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) संगठित क्षेत्र की भेषज कंपनियों द्वारा असंगठित क्षेत्र के निर्माताओं को ब्रांड नामों के लाइसेंस देने का स्वतः ही यह अर्थ नहीं है कि ऐसे उत्पादों को मूल्य विनियमनों से छूट प्राप्त है। यदि संगठित क्षेत्र की इकाइयों के ब्रांड नामों के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उत्पादों की बिक्री की जाती है तो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबंधों के अधीन मूल्य नियंत्रण तब भी लागू होता है।

योजना परिव्यय

*218. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार वास्तविक योजना परिव्यय क्या है,

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए प्रत्येक मामले में मूल तथा संशोधित योजना परिव्यय क्या है;

(ग) 1994-95 के लिए राज्यवार प्रस्तावित योजना परिव्यय क्या है,

(घ) राज्यवार तथा संघ क्षेत्र राज्यवार 1993-94 के लिए संशोधित परिव्यय तथा 1994-95 के लिए प्रस्तावित परिव्यय के बीच अतंर वार्षिक विचलन क्या है, और

(ङ) कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक विचलन के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) वार्षिक योजना 1992-93 के लिए मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय, वार्षिक योजना 1993-94 के लिए मूलरूप से अनुमोदित/संशोधित अनुमोदित परिव्यय, 1994-95 के लिए सहमत परिव्यय तथा वार्षिक योजना 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्ययों के ऊपर वार्षिक योजना 1994-95 के लिए सहमत परिव्ययों में परिवर्तन को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर्शाने वाला विवरण-I से IV में संलग्न है।

किसी राज्य का वार्षिक योजना परिव्यय उस राज्य द्वारा अपने संसाधनों तथा उपलब्ध केन्द्रीय सहायता द्वारा किए गए योगदान के अनुमानों के सन्दर्भ में तय किया जाता है। वर्षानुवर्ष राज्य के वार्षिक योजना आकार में अन्तर इन संघटकों में परिवर्तन दर्शाता है।

विवरण-I

वार्षिक योजना 1992-93 मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रुपये करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1660.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.00
3.	असम	960.00
4.	बिहार	2202.73
5.	गोवा	152.50
6.	गुजरात	1875.00
7.	हरियाणा	830.00

1	2	3
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00
9.	जम्मू और कश्मीर	820.00
10.	कर्नाटक	1915.00
11.	केरल	913.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00
13.	महाराष्ट्र	3160.00
14.	मणिपुर	210.00
15.	मेघालय	241.00
16.	मिजोरम	160.00
17.	नागालैंड	185.00
18.	उड़ीसा	1405.00
19.	पंजाब	1150.00
20.	राजस्थान	1400.00
21.	सिक्किम	110.00
22.	तमिलनाडु	1751.00
23.	त्रिपुरा	282.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	155.00
27.	चंडीगढ़	68.00
28.	दादरा व नागर हवेली	18.15
29.	दमन व दीव	14.50
30.	दिल्ली	920.00
31.	लक्षद्वीप	25.00
32.	पांडिचेरी	90.00

विवरण-II

वार्षिक योजना 1993-94 मूल रूप से अनुमोदित/संशोधित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना-1993-94	
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित* अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1851.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	290.00	
3.	असम	1027.00	
4.	बिहार	2300.00	
5.	गोवा	170.00	
6.	गुजरात	2137.00	
7.	हरियाणा	920.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	560.00	
9.	जम्मू और कश्मीर	880.00	
10.	कर्नाटक	3025.00	
11.	केरल	1000.00	
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	
13.	महाराष्ट्र	3804.00	
14.	मणिपुर	230.00	
15.	मेघालय	281.00	
16.	मिजोरम	185.00	
17.	नागालैंड	203.50	
18.	उड़ीसा	1450.00	

1	2	3	4
19.	पंजाब	1250.00	
20.	राजस्थान	1700.00	1704.76
21.	सिक्किम	120.00	
22.	तमिलनाडु	2101.00	2102.21
23.	त्रिपुरा	310.00	
24.	उत्तर प्रदेश	4050.00	
25.	पश्चिम बंगाल	1550.00	
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	156.50	
27.	चंडीगढ़	80.00	
28.	दादरा व नागर हवेली	22.00	
29.	दमन व दीव	16.00	
30.	दिल्ली	1075.00	
31.	लक्षद्वीप	32.00	
32.	पांडिचेरी	108.00	108.00

* अन्य राज्यों के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय विचाराधीन हैं।

विवरण-III

वार्षिक योजना 1994-95 स्वीकृत परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1994-95 स्वीकृत परिव्यय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2130.00

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	335.00
3.	असम	1051.00
4.	बिहार	2400.00
5.	गोवा	182.00
6.	गुजरात	2240.00
7.	हरियाणा	1025.00
8.	हिमाचल प्रदेश	650.00
9.	जम्मू और कश्मीर	950.00
10.	कर्नाटक	3275.00
11.	केरल	1260.00
12.	मध्य प्रदेश	2750.000
13.	महाराष्ट्र	4400.00
14.	मणिपुर	240.00
15.	मेघालय	281.00
16.	मिजोरम	207.00
17.	नागालैंड	220.66
18.	उड़ीसा	1950.00
19.	पंजाब	1450.00
20.	राजस्थान	2450.00
21.	सिक्किम	135.00
22.	तमिलनाडु	2750.00
23.	त्रिपुरा	310.00
24.	उत्तर प्रदेश	4562.00
25.	पश्चिम बंगाल	1706.00

1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	205.00
27.	चंडीगढ	88.00
28.	दादरा व नागर हवेली	25.00
29.	दमन व द्वीव	18.50
30.	दिल्ली	1560.00
31.	लक्षद्वीप	32.00
32.	पांडिचेरी	135.00

विवरण-IV

वार्षिक योजनाएं-1993-94 और 1994-5-मूल रूप से अनुमोदित/स्वीकृत परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1993-94 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 1994-95 स्वीकृत परिव्यय	अन्तर (अर्थात्) कालम 4- कालम 3	अन्तर का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1851.00	2130.00	279.00	(15.07)
.2	अरुणाचल प्रदेश	290.00	335.00	45.00	(15.51)
3.	असम	1027.00	1051.00	24.00	(2.34)
4.	बिहार	2300.00	2400.00	100.00	(4.35)
5.	गोवा	170.00	182.00	12.00	(7.06)
6.	गुजरात	2137.00	2240.00	103.00	(4.82)
7.	हरियाणा	920.00	1025.00	105.00	(11.41)
8.	हिमाचल प्रदेश	560.00	650.00	90.00	(16.07)

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	880.00	950.00	70.00	(7.95)
10.	कर्नाटक	3025.00	3275.00	250.00	(8.26)
11.	केरल	1000.00	1260.00	260.00	(26.00)
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	2750.00	350.00	(14.58)
13.	महाराष्ट्र	3804.00	4400.00	596.00	(15.67)
14.	मणिपुर	230.00	240.00	10.00	(4.35)
15.	मेघालय	281.00	281.00	0.00	(0.00)
16.	मिजोरम	185.00	207.00	22.66	(12.25)
17.	नागालैंड	203.00	220.00	16.50	(8.11)
18.	उड़ीसा	1450.00	1950.00	500.00	(34.48)
19.	पंजाब	1250.00	1450.00	200.00	(16.00)
20.	राजस्थान	1700.00	2450.00	750.00	(44.11)
21.	सिक्किम	120.00	135.00	15.00	(12.50)
22.	तमिलनाडु	2101.00	2750.00	649.00	(30.89)
23.	त्रिपुरा	310.00	310.00	0.00	(0.00)
24.	उत्तर प्रदेश	4050.00	4562.00	512.00	(12.64)
25.	पश्चिम बंगाल	1550.00	1706.00	156.00	(10.06)
	संघ राज्य क्षेत्र				
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	156.50	205.00	48.50	(30.99)
27.	चंडीगढ़	80.00	88.00	8.00	(10.00)
28.	दादरा व नागर हवेली	22.00	25.00	3.00	13.64)
29.	दमन व द्वीप	16.00	25.00	2.50	(15.63)
30.	दिल्ली	1075.00	1560.00	485.00	(45.12)
31.	लक्षद्वीप	32.00	32.00	0.00	(0.00)
32.	पांडिचेरी	108.00	135.00	27.00	(25.00)

अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्में

*219. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भा.भा. परमाणु अनुसंधान केन्द्र के परमाणु कृषि विभाग के वैज्ञानिकों ने विकिरण-प्रवेश उत्परिवर्तनों का प्रयोग करके दालों, तिलहनों तथा अन्य नकदी फसलों की अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का विकास किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भा.भा. परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित 17 बेहतर कृषिजोपजातियों को, जिनमें मूंगफली की छः किस्में, माष (उड़द) की तीन किस्में, मूंग, अरहर (तूर), सरसों की दो-दो किस्में और चावल तथा पटसन की एक-एक किस्म शामिल हैं, राज्य अथवा राष्ट्रीय उपजातीय वितरण समितियों द्वारा आम खेती के लिए वितरित की गई हैं।

उर्वरक उद्योग

*220. **श्री कृपा सिंधु भोई** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरक उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इस हेतु तैयार की गई योजनाएं क्या हैं, और

(ग) उन योजनाओं को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग) स्वदेशी यूरिया के एक बड़े भाग का उत्पादन लागत आयातों की तुलना में मूल्य प्रतिस्पर्धी है। इसके अतिरिक्त उत्पादन तथा परिवहन लागतों को कम करने के लिए उर्वरक उद्योग को निम्नलिखित रियायतें दी गयी हैं :

(i) पूंजीगत मामलों जिसमें नये उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने तथा चालू संयंत्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकत प्रारम्भिक पुर्जे शामिल हैं, के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है;

(ii) फास्फोरिक एसिड जो फोस्फेटिक उर्वरक के निर्माण के लिए कच्चा माल है, के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है;

(iii) पूंजीगत मालों पर दिए गए सीमा शुल्क की वापसी तथा 1-1-1991 अथवा उसके बाद आरंभ किये गये संयंत्रों के संबंध में आवधिक ऋणों पर ब्याज में 3 प्रतिशत की रियायत के लिए एक योजना मंजूरी की गई है;

(iv) फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों तथा उनके कच्चे माल के परिवहन पर रेलवे भाड़ा कम कर दी गई है;

(v) उर्वरक एककों को आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य और उत्पाद शुल्क रियायतें उपलब्ध हैं, और

(vi) 1993-94 में डी.ए.पी. पर उपलब्ध कराई गई 1000 रुपए प्रति मीटरी टन की विशेष रियायत तथा अन्य कम्पलैक्स उर्वरकों पर आनुपातिक रियायत को केवल स्वदेशी उत्पादन तक सीमित किया गया है।

[हिन्दी]

मंत्रालयों में अधिकारियों की पदोन्नति सूची

2228. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति सूची कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संबंधित वर्ष में नियमित रूप से प्रकाशित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा संबंधित वर्ष में पदोन्नति सूची के नियमित प्रकाशन में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का संबंध है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों को ध्यान में रखकर केन्द्रीकृत ग्रेडों के लिये चयन सूची तैयार करता है। तदनुपरान्त ये सूचियां इन मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाती हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित करने में लगने वाली देरी तथा न्यायालय में मामलों इत्यादि जैसी रुकावटों के बावजूद इन सूचियों को यथाशीघ्र जारी करने के प्रयास किये जाते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के अतिरिक्त मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी तथा गैर-तकनीकी सेवाओं से भी लिया जाता है। प्रत्येक सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी अलग-अलग है। इन सेवाओं में पदोन्नति संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाती है तथा उनके द्वारा जारी पदोन्नति सूची के बारे में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

यमुना नदी पर बांध का निर्माण

2229. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को आगरा और कानपुर में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी और गंगा नदी पर बांध के निर्माण के संबंध में स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) आगरा, मथुरा और वृन्दावन को पेयजल मुहैय्या कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा 60.42 करोड़ रुपये के लागत धन वाली "आगरा बैराज" नामक एक परियोजना तकनीकी आर्थिक मंजूरी हेतु केन्द्रीय जल आयोग को हाल ही में प्रस्तुत की गई है।

कानपुर में गंगा नदी के ऊपर बैराज की कुल लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाने की संभावना है।

(ग) आगरा में यमुना नदी के ऊपर बैराज के निर्माण हेतु परियोजना प्रस्ताव चूंकि हाल ही में प्राप्त हुआ है, प्रस्ताव की अभी जांच की जानी है और परियोजना की मंजूरी केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य केन्द्रीय जांच एजेंसियों की अभ्युक्तियों का राज्य सरकार द्वारा उत्तर देने में तत्परता पर निर्भर करती है।

कानपुर में गंगा नदी के ऊपर बैराज बनाने बाबत निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

पेयजल

2230. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पेयजल में रासायनिक और जैविक संदूषण को रोकने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार जल गुणवत्ता जांच के लिये विशेष रूप से बनायी गयी कम से कम एक प्रयोगशाला प्रत्येक जिले में खोलने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे नमूना आधार पर पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का सर्वेक्षण करें, ताकि रासायनिक और संदूषण पर रोक लगाने के लिए कार्य नीति बनाई जा सके। जहां कहीं पर भी पेयजल में अनुमेय सीमा से अधिक रासायनिक संदूषण की समस्या है, किफायती जल स्रोतों की मार्फत स्वच्छ पेयजल की सप्लाई हेतु योजनाएं शुरू की जाती है अथवा जहां पर यह व्यवहार्य/किफायती नहीं है, उपयुक्त शुद्धिकरण संयंत्र जैसे खारापन दूर करने के संयंत्र, फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र, लौह दूर करने के संयंत्र आदि लगाये जाते हैं। जिला स्तरीय 118 स्थिर प्रयोगशालाएं तथा 18 चलती फिरती प्रयोगशालायें अनुमोदित की गई हैं।

(ग) विद्यमान सुविधाओं तथा नई प्रयोगशाला की आश्वयकता को ध्यान में रखने के पश्चात आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक जिले में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।

जर्मन सहयोग वाली परियोजनाएं

2231. **श्री राम कापसे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन सहयोग वाली कितनी परियोजानएं इस समय केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) वे कितनी अवधि से लंबित हैं, और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विदेशी सहयोग के लिये आवेदन प्राप्त होना तथा उन पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन आवेदनों को प्राय: 40-45 दिनों में निपटा दिया जाता है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद फरवरी, 1994 के अंत तक विदेशी सहयोग के 507 आवेदनों का अनुमोदन किया गया है। 35 दिन की औसत अवधि के 16 आवेदन विचार की विभिंम्न अवस्थाओं में थे।

रंगीन टी.वी. सेटों का निर्यात

2232. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में कुल कितने रंगीन टी.वी. सेटों का निर्यात हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस समय कुल कितने क्रयादेश हाथ में हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान निर्यात किए गए रंगीन टी.वी. सेटों की संख्या लगभग 62000 है (मुक्त व्यापार क्षेत्रों द्वारा किए गए निर्यात को छोड़कर)। जिन देशों को रंगीन टी.वी. सेटों का निर्यात किया जा रहा है, उनमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जाम्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, पुर्तगाल आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर का विकास

2233. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क सरकार अथवा डेनमार्क के किसी गैर-सरकारी संगठन ने हुगली पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर शहर के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पावर टिलर्स

2234. **श्री बी. देवराजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में पावर-टिलर्स की कुल कितनी आवश्यकता है और उनका कितना उत्पादन होता है, और

(ख) कौन-कौन-सी कंपनी किस-किस टाइप के पावर-टिलर्स का निर्माण करती हैं और उनके विदेशी सहयोगियों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चूंकि पावर टिलरों के निर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है, इसलिए क्षमता संबंधी बाधा नहीं है। अतः पावर टिलरों की आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया है। 1992-93 में 8685 पावर टिलरों का उत्पादन हुआ था।

(ख) कंपनियों के नाम उनके विदेशी सहयोगकर्त्ता और उनके द्वारा निर्मित पावर टिलरों की किस्म निम्न प्रकार हैं :

एकक का नाम	सहयोगकर्त्ता का नाम	पावर टिलरों की किस्म
वी.एस.टी. टिलर्स ट्रेक्टर्स लि., बंगलौर	मित्सुबिशि जापान	8 एच.पी (एअर कूल्ड) 9 एच पी (वाटर कूल्ड)
केरल एग्रो मशीनरी कार्पोरेशन लि., अथानी (केरल सरकार का उपक्रम)	कुबोटा जापान	12 एच.पी. (मैक्स) (वाटर कूल्ड)
जे.के. सातोह एग्रो मशीनरी लिमिटेड, कानपुर	जे.के. एंड सातोह, जापान	ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे सरकार को उत्पादन की सूचना नहीं भेज रहे हैं
कृषि इंजिन्स लि., हैदराबाद	कृषि (अकितु) जापान	
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, पटना	कुबोटा जापान	

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए भाषा नीति

2235. **श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग को निदेश जारी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा पहले ही अंग्रेजी, हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी अन्य भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कुछ अन्य परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी है। शेष परीक्षाओं के लिए डा. सतीश चन्द्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रश्न पर विचार किया गया और अपनी सिफारिशें कीं। सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

ग्रामीण आदिवासी लोगों का उत्थान

2236. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों, विशेष रूप से आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में, के उत्थान हेतु सहायता देने की किसी योजना का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सरकार आदिवासी लोगों के उत्थान हेतु, विशेषतया आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में, सहायता उपलब्ध कराने के लिए बहुत-सी स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। ऐसी स्कीमों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। इन सभी स्कीमों का उद्देश्य त्वरित आर्थिक विकास के जरिए इन लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। भारत सरकार अनुच्छेद 275 (1) के तहत राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए) तथा निधियां भी उपलब्ध कराती है ताकि आदिवासी विकास हेतु वे अपने प्रयासों को पूरा कर सकें। वर्ष 1993-94 के दौरान इन आबंटनों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में क्रियान्वित स्कीमों के ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1992-97 के लिए अनुमोदित आवंटन	1993-94 के दौरान आवंटन
1	2	3	4
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	1250.00	275.00
2.	अनुच्छेद 275 (1) अनुवाद	200.00	75.00
3.	ट्राइफेड में निवेश	35.00	8.00
4.	ट्राइफेड को सहायता अनुदान	5.00	1.00
5.	ट्राइफेड को कीमत समर्थन	2.00	0.50
6.	तिलहनों का विकास	8.00	–
7.	स्वैच्छिक संगठन	15.00	4.00
8.	(अनु. जनजातियों के लिए) बालक होस्टल	17.00	3.00
9.	(अनु. जनजातियों के लिए) बालिका होस्टल	14.00	3.00
10.	(अनु. जनजातियों के लिए) आश्रम स्कूल	10.00	2.50
11.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण		
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान तथा अनुसंधान अध्येतावृति।	5.25	1.20
	(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय अथवा अंतर राज्य स्वरूप की सहायता परियोजनाएं	0.75	0.15
12.	आदिवासी क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षणिक परिसर	10.00	1.25

1	2	3	4
13.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	9.00	1.90
14.	एम.ई.पी. के लिए राज्यों तथा आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान.	10.00	3.50
	जोड़	1591.00	380.00

विवरण-II

वर्ष 1993-94 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत जारी राशि तथा अनुच्छेद-275 (1) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन के ब्यौरे

(लाख रु.)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	28-2-94 तक जारी कुल राशि	अनुच्छेद 275 (1) के तहत वर्ष 1993-94 के लिए आवंटन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1593.22	437.25
2.	असम	871.48	301.56
3.	बिहार	2530.54	801.00
4.	गुजरात	2192.25	668.25
5.	हिमाचल प्रदेश	355.33	27.00
6.	जम्मू और कश्मीर	300.00	105.75
7.	कर्नाटक	439.76	251.25
8.	केरल	152.25	36.00
9.	मध्य प्रदेश	7117.65	1651.56
10.	महाराष्ट्र	2234.45	795.00

1	2	3	4
11.	मणिपुर	395.39	53.25
12.	उड़ीसा	3603.23	815.25
13.	राजस्थान	2094.68	576.75
14.	सिक्किम	61.00	9.75
15.	तमिलनाडु	214.05	72.00
16.	त्रिपुरा	346.34	80.25
17.	उत्तर प्रदेश	69.22	32.25
18.	पश्चिम बंगाल	945.75	423.00
19.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	77.72	–
20.	दमन व दीव	28.29	–
आदिवासी बहुल राज्य			
21.	अरुणांचल प्रदेश	–	60.75
22.	मेघालय	–	148.56
23.	मिजोरम	–	63.75
24.	नागालैंड	–	90.00
	जोड़ :	25622.20	7500.00

[अनुवाद]

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान

2237. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा ने गत पांच वर्षों के दौरान कोई अंटार्कटिका अभियान आयोजित किया है अथवा ऐसे किसी अभियान में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान के निकट भविष्य में ऐसे अभियानों के कोई और प्रस्ताव हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां, श्रीमान। पिछले 5 वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने, महासागर विकास विभाग द्वारा आयोजित सभी अंटार्कटिक अभियानों में भाग लिया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ)) दक्षिणी महासागर के जीव विज्ञान और तटीय, हिमानी नखलिस्तान तथा सरोवरी पर्यावरण के पारितंत्र पर अध्ययन करना, अंटार्कटिक अभियानों में बराबर चलने वाले कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष, भाग लेने वाले वैज्ञानिक संगठनों के अध्यक्षों की बैठक द्वारा प्रत्येक अभियान के लिए विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा तैयार किया जाता है, इस बैठक में राष्ट्रीय समुंद्र विज्ञान संस्थान का भी प्रतिनिधित्व होता है।

विवरण

अभियान और वर्ष	वैज्ञानिक का नाम	कार्यक्रम
9वां (1989)	श्री एन. रम्मैया श्री जियालाल जायसवाल	हिमदेशीय और अलवण जल झीलों की उत्पादकता का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक उत्पादन और जीवाणु निर्धारण (पहचान) के अध्ययन किए गए।
10वां (1990)	श्री आर.ए. श्रीपद	श्रीमावार नखलिस्तान की हिमजल सरिताओं में सूक्ष्मजैविक वनस्पतिजात के संरचना कार्यों और उपनिवेशन का अध्ययन।
11वां (1991)	डॉ. वी.के. धरगालकर डॉ. एक्स वर्लेसर	अंटार्कटक में समुद्री और अलवण जल पारितंत्र के अध्ययन को जारी रखना।
12वां (1992)	डॉ. वी.के. धरगालकर श्री बी. इन्गोले	हिमदेशीस झील में अभिवहन प्रक्रियाओं का अध्ययन और ऊष्मा बजट का आकलन।
		अंटार्कटिक तट के साथ-साथ समुद्र स्तर विभिन्नता अध्ययन।
		वर्ष पर्यन्त जीवन के आदिरूपों का अध्ययन और सरोवरी तथा समुद्रवैज्ञानिक अध्ययन।
13वां (1993)	डॉ. पी.ए. लोक भारती	जैव फलक्स अध्ययन, सरोवरी अध्ययन और अंटार्कटिक पर्यावरण की पोषी संरचना का स्पष्टीकरण।

डी.डी.ए. फ्लैटों का मूल्य

2238. **श्री मोहन रावले :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में डी.डी.ए. फ्लैटों के उच्च प्रशासनिक मूल्य संबंधी समाचार शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में प्रशासनिक लागत के प्रसंग में खास बात लागत निर्धारण में प्रशासनिक प्रभार, ऊंचे मूल्य के टेंडर, निम्न आय वर्गों को दोहरी सबसिडी, फालतू जनशक्ति और दिल्ली नगर निगम को नागरिक सुविधाओं के अंतरण में अत्यंत विलम्ब की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार इन मदों बाबत स्थिति इस प्रकार है :

यह सत्य नहीं है कि प्रशासनिक लागत, फ्लैट के मूल्य का 17% बनती है। तथापि फ्लैटों के लागत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण एस.एफ.एस., एम.आई.जी. तथा एल.आई.जी. फ्लैटों के लिये 11% की दर से और जनता फ्लैटों के लिये 6.7% की दर से ऊपरी प्रशासनिक खर्च वसूल करता है। एम.आई.जी. और एस.एफ.एस. तथा सहकारी समूह आवास समितियों व वाणिज्यिक संपतियों आदि जैसी अन्य श्रेणियों पर प्रीमियम वसूल करके ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. श्रेणियों के फ्लैटों के भूमि घटक पर परस्पर राज-सहायता दी जाती है।

टेंडरों की जांच न किये जाने बाबत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगी दरें सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्य अवार्ड करने हेतु कुछ सुधारों के साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल के अनुरूप एक निर्धारित पद्धति है।

समाचार में बताई गई कुल स्टाफ संख्या 30-6-93 को कार्यरत स्टाफ बाबत है। कुछ कालोनियां दिल्ली नगर निगम को अंतरित कर दिये जाने के बाद वर्क-चार्ज स्टाफ घटकर अब 15326 रह गया है। समूचे वर्क-चार्ज स्टाफ को दी गई मजदूरी लगभग 5.00 करोड़ रुपये प्रतिमाह बैठती है।

यद्यपि, खेल गांव में नागरिक सेवाएं दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को अंतरित करने में समय लगा है, किन्तु यह सही नहीं है कि इन खर्चों की वसूली फ्लैटों की लागत में आवंटियों से की गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करना सरकार का प्रयास है। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक समय-समय पर दिल्ली विकास प्राधिकरण का निरीक्षण करके खर्च में बचत की सलाह देता रहता है।

विंड मॉनिटरिंग स्टेशन

2239. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विंड मॉनिटरिंग स्टेशन (वायु निगरानी केंद्रों) के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका दर्जा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जैव गैस संयंत्रों, सौर ऊर्जा पंप सेटों, सौर-चूल्हों और सौर-हीटरों की स्थापना हेतु परियोजना के विकास के लिए भी प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए पांच पवन मॉनीटरिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। ये स्टेशन पहले स्थापित किए गए 15 स्टेशनों के अतिरिक्त हैं, जिनमें से इस समय नौ स्टेशन कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) बायोगैस संयंत्र, सौर कुकर और सौर जल तापकों के लिए योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों से परामर्श से वार्षिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सौर पंपों के लिए 1000 पंपों की बाजारोन्मुख प्रदर्शन परियोजना को चालू वर्ष के दौरान शुरू किया गया है, जो राज्य एजेंसियों सहित सभी पात्र उपयोगकर्त्ताओं के लिए है।

[हिन्दी]

गुजरात में कानूनी सहायता योजना

2240. **श्री काशीराम राणा** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान देश में विशेषतः गुजरात में कानूनी सहायता योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना के निर्धारित सिद्धांतों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या 1992-93 के दौरान इस योजना के अंतर्गत गुजरात को दी गई धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान देश में विधिक सहायता स्कीम द्वारा 11,30,238 लोगों को फायदा प्राप्त हुआ है।

गुजरात में वर्ष 1992-93 के दौरान विधिक सहायता स्कीम द्वारा 46,847 व्यक्तियों को फायदा हुआ है।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लागू करने से विधिक सहायता कार्यक्रम को कानूनी आधार मिलेगा। अधिनियम में वार्षिक आय की अधिकतम सीमा को, उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष मामले की दशा में 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, करने और उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले की दशा में 9,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये या ऐसी उच्चतर रकम, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) केंद्रीय निधियों का आवंटन 'राज्य आधार' पर नहीं किया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान गुजरात राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, जिला और सेशन न्यायाधीश, देहगाम, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, अनवरत शिक्षा और विस्तारण कार्य विभाग, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय और गुजरात के एक सामाजिक कार्रवाई समूह को 1,75,136 रुपये का सहायता अनुदान मंजूर किया गया था, जिनमें से 1,15,136 रुपये का हिसाब प्राप्त हुआ है।

अमरीका से प्रौद्योगिकी का अंतरण

2241. **श्री बारे लाल जाटव :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **प्रधान मंत्री** अमरीका से प्रौद्योगिकी के अंतरण के बारे में 12 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 964 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना अब तक एकत्रित कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय वार्ता, जिसका असर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर पड़ना है, का तीसरा दौर सितंबर 1993 से संपन्न हुआ। भारत सरकार की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी चिंताओं से अवगत कराने को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक सकारात्मक वार्ता में संलग्न करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नये उपग्रह

2242. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास "ओसन" उपग्रह जैसे नये उपग्रह छोड़ने तथा उपग्रह पर आधारित माइक्रोवेव सेंसर विकसित करने संबंधी प्रस्ताव है;

(ख) क्या अंतरिक्ष विभाग ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) अंतरिक्ष विभाग ने महासागर विकास विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय से समुद्र से संबद्ध अध्ययनों के लिए उपग्रह आंकड़ों के उपयोग के क्षेत्र में अनेक परियोजनाएं आयोजित की हैं। समुद्र-विज्ञानीय उपयोगों में उपग्रह सुदूर संवेदन की संभाव्यता पर विचार करते हुए अंतरिक्ष विभाग और महासागर विकास विभाग ने संभावित समुद्री संवेदकों, जिन्हें भावी उपग्रहों में भेजा जा सकता हो, की परिभाषा के लिए व्यवहार्य अध्ययनों की आयोजना के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल गठित किया है।

माइक्रोवेव सुदूर संवेदन कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग अनेक क्रियाकलाप आयोजित कर रहा है। अभी तक जिन संवेदकों का विकास किया गया है, उनमें उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटर (भास्कर-I और II उपग्रहों में रखा गया "समीर"), पार्श्व अवलोकन वायुयानवाहित राडार (स्लार), वायुयानवाहित संश्लेषित द्वारक राडार (सी. बैण्ड में) और भू-आधारित प्रकीर्णमापी शामिल हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद में यूरोपीयन सुदूर संवेदन उपग्रह (ई.आर.एस.-I) प्राप्त किए जा रहे माइक्रोवेव आंकड़ों का, सतही पवनों, तरंगों, समुद्री-स्थलाकृति-विज्ञान इत्यादि जैसे विविध समुद्र-विज्ञानीय उपयोगों के लिए अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न उपयोगों में जियोसैट तुंगतामापी से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग भी किया गया है। इन प्रयासों से संभावित भावी उपग्रह मिशनों के लिए अंतरिक्ष आधारित माइक्रोवेव-संवेदकों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

उत्तर प्रदेश में मल-जल निपटान योजना

2243. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के महानगरों में मल-जल निपटान योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में कार्यक्रम कार्यान्वयन की पुनरीक्षा

2244. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** 8 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 965 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भागवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपर्युक्त पूर्व प्रश्न के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति के विवरण की एक प्रति, जो कि सदन के पटल पर रखने के लिए संसदीय कार्य विभाग को भेजी गई थी, संलग्न है।

विवरण

पूर्ति की तारीख.......

दसवीं लोकसभा का आठवां सत्र, 1993 योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

प्रश्न सं. तिथि और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
डा. कार्तिकेश्वर पात्र द्वारा दिनांक 8-12-93 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 965	**उड़ीसा में कार्यक्रम कार्यान्वयन की पुनरीक्षा : पूछा गया** (क) उड़ीसा में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यक्रम कार्यान्वयन की पुनरीक्षा संबंधी रिपोर्ट का विभागवार ब्यौरा क्या है; (ख) इस संबंध में कितनी प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई; (ग) घटिया कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं, और (घ) बेहतर कार्य निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) एवं (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मासिक वास्तविक प्रबोधन के लिए पता लगाई मदों के संबंध में वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उड़ीसा के लक्ष्यों और उपलब्धि को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। परिशिष्ट-I (ग) राज्य सरकार द्वारा दर्शाए गए, वर्ष 1991-92 और 1992-93 के लिए अलग-अलग मदवार कम कार्य निष्पादन के कारणों, को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। परिशिष्ट-II (घ) कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए मुख्य सचिव, उड़ीसा और विकास आयुक्त, उड़ीसा के स्तर पर नियमित समीक्षाएं की जा रही हैं।	समय के भीतर

परिशिष्ट-I

राज्य का नाम : उड़ीसा

क्र. सं.	सूत्र कोड	सूत्र का विवरण	इकाइयां	91–92			92–93		
				लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01क	ए.ग्रा.वि. कार्यक्रम (परिवार)	संख्या	108539	110563	102	90457	88358	98
2.	01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	संख्या	34644000	34778000	100	30652000	32639000	106
3.	01ग	लघु उद्योग इकाईयों (पंजी.)	संख्या	2000	2220	111	1500	2125	142
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	500	2258	452	1000	2204	220
5.	06	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	संख्या	73	82	112	26	12	46
6.	07क	सुलझाई गई पेयं जल समस्या	संख्या	3864	3762	97	1734	1579	91
7.	08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	35	35	100	15	0	0
8.	08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	संख्या	40	15	38	35	0	0
9.	08घ	बाल प्रतिरक्षण (पोलियो एवं बी.सी.जी.)	संख्या	795000	736128	93	876414	782731	89

10.	09 क	परिवार नियोजन नसबंदी	संख्या	203000	136137	67	175000	127720	73
11.	09 ख	समतुल्य नसबंदी—आई.यू.डी., सी.सी. एवं ओ.पी.	संख्या	81667	70399	86	90556	66963	74
12.	09 ग	ए.बा.वि.से. खंड परिचालन (संचयी)	संख्या	134	134	100	176	178	101
13.	09 घ	आंगनवाड़ियां (संचयी)	संख्या	11823	10465	89	15080	14804	98
14.	11 क	अ.जा. के परिवारों को दी गई सहायता	संख्या	65000	52011	80	65000	53955	83
15.	11 ख	अ.ज.जा. के परिवारों को दी गई सहायता	संख्या	60000	67304	112	65000	80528	124
16.	14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	संख्या	6000	17325	289	5000	12719	254
17.	14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	संख्या	7833	6534	83	7000	9744	139
18.	14 ग	इन्दिरा आवास योजना (मकान)	संख्या	9110	16992	187	8885	11305	127
19.	14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	1500	1733	116	1500	2271	151
20.	14 ङ	निम्न आय वर्ग आवास	संख्या	3000	2770	92	3000	3180	106
21.	15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	संख्या	11600	13059	113	9556	9697	101
22.	16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	50000000	42852000	86	50000000	42542300	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	16 ख	लगाये गये क्षेत्र में सार्वजनिक एवं वन भूमि	हैक्टेयर	57000	58390	102	60000	74135	124
24.	18	उचित दर दुकानें	संख्या	50	570	1140	50	296	592
25.	19 क	विद्युतीकृत ग्राम	संख्या	995	1010	102	860	200	23
26.	19 ख	शक्ति चालित पम्पसेट	संख्या	2900	5025	173	5700	2905	51
27.	19 ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	60000	99890	166	75000	90210	120
28.	19 घ	बायो गैय संयंत्र (राज्य)	संख्या	10000	8386	84	9500	12521	132

परिशिष्ट-II

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उड़ीसा राज्य द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कम निष्पादन के कारण

सूत्र सं.	मद	कम कार्य निष्पादन के कारण
1991-92		
7 क	पेयजल समस्या ग्राम	ए.एस.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत आवंटन में कमी, अपेक्षित संख्या में जी.आई. पाइपों का उपलब्ध न होना, कल पुर्जों की अपर्याप्त आपूर्ति तथा कैलिक्स रिंग्स का उपलब्ध न होना, इत्यादि।
8 ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	कुछ चुने हुए स्थलों पर न्यायालयों में मुकदमें तथा कुछ मामलों में ग्रामीणों से वांछित सहयोग प्राप्त न होना।
9 क	परिवार नियोजन नसबंदी	दवाओं और पट्टियों का अपर्याप्त होना, खाने की गोलियों की आपूर्ति में विलंब तथा राज्य के कुछ आंतरिक भागों में चिकित्सकों के रिक्त पद।
11 क	सहायता दिए जाने वाले अनुसूचित जाति के परिवार	अवास्तविक लक्ष्य निर्धारण।
1992-93		
6	बंधुआ मजदूर पुनर्वास	न्यायिक जांच के कारण बंधुआ मजदूरों की मुक्ति में विलंब तथा कुछ बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास के लिए उपलब्ध न होना।
8 क	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना	निधियों की कमी।
8 ङ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	
9 क	परिवार नियोजन नसबंदी	निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ऊंचा होना तथा निधियों को जारी करने में विलंब
9 ख	समतुल्य नसबंदी	
19 क	विद्युतीकृत ग्राम	आर.ई.सी. द्वारा सूची ऋण जारी न करना।
19 ख	शक्तिचालित पम्पसेट	

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटरों का प्रयोग

2245. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाकर रोजगार के अवसर घटाये जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्त वर्ष के दौरान कितनी नौकरियां कम हुई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु आनुषंगिक एकक

2246. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता क्षेत्र में लघु आनुषंगिक एकक बंद होने के कगार पर हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों को चलाए रखने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाए जायेंगे?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। उपभोक्ता क्षेत्र में अनुषंगी इकाइयों के बंद होने के बारे में अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, यदि उपभोक्ता क्षेत्र में अनुषंगी ऐककों के बंद होने की हमें सूचना मिलेगी तो हम उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करेंगे।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योग

2247. **श्री खेलन राम जांगडे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान मंजूर किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में 1992 के दौरान विदेशी पूंजी निवेश से स्थापित उद्योगों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1993 के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना संबंधी दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इन अनुमोदनों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का

नाम, विदेशी सहयोगकर्ता, विनिर्माण की मद और सहयोग का स्वरूप संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और हर परियोजना की समय अनुसूची भिन्न-भिन्न है।

विवरण

क्र. सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम	विनिर्माण की मद	सहयोग का स्वरूप
1.	मध्य प्रदेश ग्लाइकैम इंडस्ट्रीज लि., 214, न्यू पैलेशिया, इन्दौर-452 001	अनिवासी भारतीय	सोया डि-ऑयल्ड केक	वित्तीय
2.	रुचि सोया इंडस्ट्रीज लि., 214, तुलसियानी चैम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, बम्बई-452 001	अनिवासी भारतीय	तेल से प्राप्त सोयाबीन सोलवेंट	वित्तीय

[अनुवाद]

भूकम्प-रोधी आवासों हेतु प्रौद्योगिकी

2248. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की ने भूकम्प-रोधी आवासों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है तथा पूर्व-निर्मित आवास किस डिजाइन के हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में, भूकम्प-रोधी आवासों के निर्माण हेतु इस प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने का है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने भूकंपरोधी आवासों के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी है।

(ख) सी.बी.आर.आई. द्वारा प्रस्तावित डिजाइन/प्रौद्योगिकियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :

1. **दीवारों का निर्माण** : दीवारों के निमार्ण के लिए प्रीकास्ट सॉलिड कांक्रीट ब्लॉक चिनाई और प्रीकास्ट स्टोन चिनाई की सिफारिश की गई है।

2. **छत का निर्माण** : सपाट छतों के निर्माण के लिए प्रीकास्ट प्रबलित कांक्रीट तख्ता और जॉइस्ट स्कीम की सिफारिश की गई है।

3. **नींव** : अप्रसरणशील मिट्टी तथा स्थिर भूमि वाले क्षेत्रों के लिए सीमेंट चूनालेप में आर.आर. चिनाई/पत्थर चिनाई ब्लॉकों/प्रीकास्ट कांक्रीट ब्लॉकों तथा कांक्रीट ब्लॉकों तथा कांक्रीट आधार वाली पट्टीदार नींव की संस्तुति की गई है। प्रसरणशील काली कपास मृदा युक्त गहरे निक्षेपों (3.0 एम से ज्यादा) वाले क्षेत्रों के लिए प्लिन्थ युक्त अन्डररीम्ड पाइल नींव की सिफारिश की गई है। उक्त प्रौद्योगिकियों/डिजाइनों का उपयोग करके बनाए गए घर किफायती होंगे तथा भूकम्पीय जोन 4 में अपेक्षित भूकम्प के झटकों के परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित रहेंगे।

(ग) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र में घरों के चालू निर्माण कार्य में सी.बी.आर.आई. की प्रौद्योगिकियों के उपयोग का अनुमोदन कर दिया है।

चंडीगढ़ में पार्कों का रख-रखाव

2249. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में बहुत से पार्कों एवं खुले स्थानों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गये हैं, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पार्कों एवं खुले स्थानों के विकास तथा पार्कों के रख-रखाव के लिए प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई और वास्तव में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासों का निर्माण

2250. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और मऊ में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए आवासों का निर्माण कर रहा है;

(ख) क्या इस निर्माण कार्य की देख-रेख उपमंडल स्तर पर की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो कितने उपमंडल इस कार्य की देख-रेख कर रहे हैं तथा इसका नियंत्रण प्राधिकरण कौन सा है;

(घ) प्रत्येक उपमंडल को सौंपे गए कार्य की लागत कितनी है;

(ङ) क्या इस कार्य पर नियंत्रण रखने के लिए वाराणसी में कोई मतभेद है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। वाराणसी, गाजीपुर और मऊ जिलों में रिहायशी क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। तथापि, बलिया में रिहायशी क्वार्टरों का कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग)	मऊ	–	1 उपमंडल
	वाराणसी	–	2 उपमंडल
	गाजीपुर	–	3 उपमंडल

गाजीपुर उपमंडल कार्यपालक इंजीनियर, कानपुर के नियंत्रणाधीन है और अन्य 3 उपमंडल कार्यपालक इंजीनियर इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन हैं।

(घ) प्रत्येक मंडल को दिये गये कार्य की लागत इस प्रकार है :

	1993-94	(रुपये लाखों में)
1.	सहायक इंजीनियर, वाराणसी	13
2.	सहायक इंजीनियर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	67
3.	सहायक इंजीनियर, मऊ	90
4.	सहायक इंजीनियर, गाजीपुर	100

(ङ) जी, नहीं।

(च) वाराणसी में तथा इसके आसपास कार्यभार को देखते हुए वाराणसी में मंडल का औचित्य नहीं बनता।

[अनुवाद]

आधारभूत सुविधाओं के लिए भूमि

2251. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या डी.डी.ए. ने एक मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि ट्रंक सुविधायें उपलब्ध करने के लिए आवश्यक भूमि द्वारका के फेज-एक और फेज-दो में सम्मिलित नहीं होगी, परंतु उसकी लागत लाभार्थियों को वहन करनी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) उन ट्रंक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) क्या "वायु चिमनी" भी इन ट्रंक सुविधाओं का एक भाग है;

(ङ) "वायु चिमनी" के लिये कितने हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और उसकी लागत कितनी है;

(च) इस लागत का भार आवास समितियों पर डालने के क्या कारण हैं, और

(छ) "वायु चिमनी" की लागत नागर विमानन प्राधिकरणों पर डालने और तदनुसार भूमि की लागत कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में इस प्रकार कहा :

96 हेक्टेयर भूमि ट्रंक सुविधाओं के लिए और आवश्यक होगी, जो फेज-I और II का भाग नहीं है। इसकी लागता अतिरिक्त अधिग्रहण के व्यय के रूप में थी, जो केवल सामुदायिक आवास समितियों द्वारा ही नहीं, अपितु सभी श्रेणियों के लाभार्थियों द्वारा वहन की जाएगी।

(ख) 96 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है और उसकी अनुमानित कीमत 18.057 करोड़ रुपये है।

(ग) भूमि, मलजल निर्यास, जल शोधन संयंत्र आदि जैसी ट्रंक सुविधाओं के लिए अपेक्षित है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) लगभग 208 हेक्टेयर भूमि वायु चिमनी के अंतर्गत आती है। इस भूमि की अधिग्रहण लागत लगभग 42.00 करोड़ रुपये है। यह लागत द्वारका फेज-I और फेज-II के लाभार्थियों पर अनुपातत: डाली गयी है और यह भूमि हरित क्षेत्र का एक भाग है, जो हर हालत में लाभार्थियों पर डाली जानी है। इसे ध्यान में रखते हुए नागर विमानन मंत्रालय से इस लागत की वसूली किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लेटैक्स रबड़ धागे के लिये समझौता

2252. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री सत्य देव सिंह :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मलेशिया की मैसर्स रूबटिला इन्टरनेशनल लिमिटेड के साथ ताप-रोधी लेटैक्स रबड़ धागे के निर्माण के लिये कोई समझौता किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने ताप-रोधी लेटैक्स रबड़ धागों के निर्माण के लिए मै॰ रूबफिला इन्टरनेशनल लिमिटेड, मलेशिया के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए है। तथापि, निजी क्षेत्र की एक कंपनी मै॰ रूबफिला इन्टरनेशनल लि॰, त्रिवेन्द्रम ने ताप-रोधी लेटैक्स रबड़ा धागों के निर्माण के लिए मै॰ रूबफिला एस॰डी॰एन॰बी॰एच॰डी॰ मलेशिया के साथ विदेशी सहयोग किया है और नई दिल्ली में 14 दिसंबर, 1993 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान के लिए "कापार्ट" के अंतर्गत परियोजनाएं

2253. **गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में "कापार्ट" योजना के अंतर्गत अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन-सी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ग) उक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी प्रदान की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) कापार्ट (लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) ने राजस्थान में अब तक 9.25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 365 परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

(ख) और (ग) कापार्ट ने केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (आर्ट्स), सामाजिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं

जागरूकता शिविरों की योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाएं मंजूर करता है। स्वीकृत की गई राशि तथा रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रमांक	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना	32	0.52	0.45
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8	0.17	0.11
3.	स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा	36	1.21	0.64
4.	जवाहर रोजगार योजना	47	1.89	0.98
5.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	61	1.56	1.06
6.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	49	1.76	1.29
7.	लाभार्थियों का संगठन	37	0.12	0.12
8.	जागरूकता शिविर	68	0.80	0.53
9.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	19	1.17	1.17
10.	सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण	8	0.04	0.04
	कुल	365	9.25	6.39

[अनुवाद]

"डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट" तकनीक

2254. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों हेतु साक्ष्यों की पुष्टि के लिए "डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट" तकनीक शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस आधार पर कितने मामले निपटाए गए, और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस तकनीक को कब तक लागू करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सिक्किम में उद्योग

2255. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975 से अब तक कितनी औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, और

(ख) 1991-92, 1992-93, और 1993-94 में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1975 से सिक्किम में उद्योगों की स्थापना के लिए 3 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये गये हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सिक्किम में उद्योगों की स्थापना के लिए अगस्त, 1991 से 8 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर किये गये हैं।

(ख) योजना आयोग ने सिक्किम राज्य में उद्योगों (मझौले, ग्रामीण, लघु उद्योग और खनिज विकास) की स्थापना के लिए निम्नलिखित राशि अनुमोदित की थी :

(रुपये करोड़ में)

1991-92	4.14
1992-93	3.85
1993-94 (अनन्तिम)	4.18

[हिन्दी]

विष्णु प्रयाग पनबिजली परियोजना

2256. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जोशी-मठ स्थित विष्णु प्रयाग पनबिजली परियोजना का कार्य लम्बे समय से बन्द पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस परियोजना पर फिर से कार्य आरंभ करने का है;

(ग) यदि हां, तो कार्य कब से आरंभ कर दिया जाएगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) विष्णु प्रयाग बहु-उद्देशीय पनबिजली परियोजना (4x65.5 मेवा) की योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1978 में राज्य परियोजना के रूप में मंजूरी दी गई। इस परियोजना पर अब तक लगभग 25 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

राज्य सरकार ने इस परियोजना को निजी क्षेत्रक में कार्यान्वित करने हेतु एक निजी निवेशकर्ता के साथ समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है। आवश्यकता अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद परियोजना पर कार्य शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण

2257. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर दिये जाने वाले आरंभिक और सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में आई.ए.एस. अधिकारियों के प्रशिक्षण पर कुल कितना खर्च हुआ ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) तथा (ख) सरकार भारतीय प्रशासिनिक सेवा के अधिकारियों को दिये जाने वाले आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का पुनर्गठन करने पर विचार नहीं कर रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सेवा के दौरान विभिन्न स्तरों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है तथा इस सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिये भेजने पर सरकार को कोई खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारा खर्च संबंधित देश/संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

रुग्ण औषध एकक

2258. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने औषध एककों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(ख) प्रत्येक एकक में कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन एककों में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हुए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत भेषज उद्योग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के 6 उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) क्षेत्र के औपचारिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया गया है। इन छः कम्पनियों में 30-9-93 को कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 14,200 थी। बी.आई.एफ.आर. द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्माम्युटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एस.) के लिए पुनरुद्धार योजना अनुमोदित कर दी गई है। अन्य पांच मामले तैयार/विचार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में है। रुग्ण औद्योगिक कंम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि बी.आई.एफ.आर. रोजगार को अधिकतम संरक्षण प्रदान करते हुए उत्पादक औद्योगिक परिसम्पत्ति के पूर्ण उपयोग के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगा। इन रुग्ण कम्पनियों का पुनरुद्धार या अन्यथा बी.आई.एफ.आर. कानून के अन्तर्गत गठित सांविधिक प्राधिक प्राधिकरण, के आदेशों पर निर्भर करेगा।

दमन में सचिवालय का निर्माण

2259. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **शहरी विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन में दमन-दीव-दादरा नागर हवेली सचिवालय के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को सचिवालय के निर्माण का ठेका देने में किसी प्रकार की अनियमितताएं बरतने संबंधी जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दमन में दमन-दीव-दादरा नागर हवेली सचिवालय भवन के निर्माण पर आज की तारीख तक 1,40,77,576 रुपये का कुल व्यय किया है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान पद्धति के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग, एम.ई.एस. और रेलवे और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास पंजीकृत ठेकेदारों को टेंडर जारी करता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव-दादरा नगर हवेली के निर्माण कार्य सलाहकार बोर्ड के अनुमोदन से चीफ इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, गोआड द्वारा टेण्डर स्वीकार किये जाने के पश्चात् ठेका एक यथाविधि पंजीकृत ठेकेदार को अवार्ड किया गया था।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित दहेज के कारण मृत्यु के मामले

2260. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद उच्च न्यायालय में दहेज के कारण मृत्यु और उत्पीड़न के कितने मामले लम्बित हैं,

(ख) यह कब से लम्बित हैं,

(ग) इनके विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) इन मामलों का निपटान कब तक किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

शहरी विकास के लिए सहायता

2261. **डा. लक्ष्मीनारायण पांड्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ शहरों को शहरी विकास के लिए वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले शहरों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में विशेष रूप से भोपाल, इंदौर और उज्जैन को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) की केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1979-80 से मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। आई.डी.एस.एम.टी. के संशोधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कस्बों को शामिल करने के लिये जनसंख्या सीमा एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख की गई है। 7-3-94 तक आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत 592 कस्बे शामिल किये गये हैं। आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत शामिल किये गये कस्बों में नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। भोपाल, इन्दौर तथा उज्जैन नगर आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक है।

विवरण

विभिन्न राज्यों के उन कस्बों के नाम, जो 1978-80 से 7-3-94 तक आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत शामिल किए गए हैं

क्र.सं.	राज्यों/कस्बे का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	अमाचन्द्रापुरम
2.	तेनाली
3.	अन्नाकापल्लई
4.	विजयनगरम
5.	भिमावरम
6.	करीम नगर
7.	त्रिपती
8.	श्रीकाकूलम
9.	मैडक
10.	गुंटाकल
11.	चित्तौड़
12.	बडवाल
13.	नाडियाल
14.	प्रोद्यातूर
15.	महबूब नगर
16.	भिमनीपट्टीनम
17.	जहीराबाद
18.	शीद्दीपेट
19.	अंगोले
20.	गुड्डीवाडा
21.	आदीलाबाद

1	2
22.	मालगोंडा
23.	कावली
24.	यामीगनूर
25.	पेडापुरम
26.	खम्माम
27.	मछलीपट्नम
28.	थाडीपल्लीगुडेन्न
29.	ताडपत्तरी
30.	कामेरेडी
31.	नर्सरावपेट
32.	तनूकूर
33.	धडमवरम
34.	रामचन्द्र पुरम-I
35.	तन्डूर
36.	सिद्दीपेट-I
37.	वानेपार्थी
38.	काकीनाडा
39.	जड्डयापेटा
40.	कुरनूल
41.	कुड्डापा
42.	निडाडोआलु
43.	मदनामल्ली
44.	चिराला
45.	रिप्पाले
46.	पोन्नूर

1	2
47.	नरायणपेट
48.	जागीटीयाल
49.	श्रीकलहास्तरी
	असम
50.	तिनसुखिया
51.	सिलचर
52.	तेजपुर
53.	जोरहाट
54.	डिब्रूगढ़
55.	दिप्पू
56.	क्रीम गंज
57.	नागौंन
58.	हफलोग
59.	बोंगे गांव
60.	शिव सागर
61.	डुब्री
62.	गोल घाट
63.	नार्थ लखीमपुर
	बिहार
64.	हाजीपुर
65.	गोपालगंज
66.	सहरसा
67.	डालटन गंज
68.	छपरा
69.	धुमका

1	2
70.	छाय भाषा
71.	बेगुसराय
72.	जीयोघार
73.	अराह
74.	हजारीबाग
75.	बेतीया
76.	गीरीडीही
77.	धनबाद
78.	कटिहार
79.	सिवान
80.	किसन गंज
81.	सीतामणी
82.	भूमर
83.	पूर्णिया
84.	नवादा
85.	बौद्धगया
86.	मधुबनी
87.	बिहार शरीफ
88.	दरभंगा
89.	ज़हानाबाद
90.	शाहीब गंज
91.	बंका
	गोवा
92.	पणजी
93.	मर्म गांव

1	2
94.	पोंडा
95.	मापुसा
	गुजरात
96.	आनन्द
97.	पाटननोट
98.	पोरबन्दर
99.	वलसाद
100.	वारावल पाटा
101.	पालम पुर
102.	अंखलेश्वर
103.	धाऊथ
104.	अहमदाबाद
105.	गोधरा
106.	भूज्ज
107.	अमरेली
108.	महशाना
109.	खम्भाट
110.	कलोल सेज
111.	सानन्द
112.	धिंगम्म
113.	दिशा
114.	महूवा
115.	बिलमोरा
116.	बिसनागर
117.	उपलिता
118.	ओंझा

1	2
119.	गोंडाल
120.	नवसारी
121.	हिम्मत नगर
122.	जूनागढ़
123.	सुरेन्द्र नगर
124.	बोटार्ड
125.	मोरगी
126.	सिधपुर
127.	बारमागोन
128.	केसुद
129.	माधवान
	हरियाणा
130.	अंबाला
131.	सिरसा
132.	सोहना
133.	करनाल
134.	कुरुक्षेत्र
135.	हिसार
136.	भिवानी
137.	शाहबाद
138.	जीन्द
139.	सोनीपत
	हिमाचल प्रदेश
140.	कासुमपती
141.	मंडी

1	2
142.	हमीरपुर
	जम्मू और कश्मीर
143.	अनन्तनाग
144.	कथुवा
145.	लेह
146.	डोडा
	कर्नाटक
147.	हासन
148.	चित्रा दुर्गा
149.	तुमकौर
150.	रायचूर
151.	होसपेत
152.	चन्नापट्ना
153.	कनकपुरा
154.	मगाडी
155.	हुमनाबाद
156.	होलीनारीस पुर
157.	सागर
158.	शाहापुर
159.	जमखांडी
160.	कौशल नगर
161.	रानीबेनूर
162.	करकला
163.	चिक्काबालापुर
164.	रामानगरम

1	2
165.	सिरसी
166.	हरिहर
167.	सिंधानूर
168.	कोलीगल
169.	गोक्क
170.	बासवाकल्याण
171.	कोलर
172.	कूडुपी
173.	सिकारी पुर
174.	मालावल्ली
175.	रबाकावी बनहाटी
176.	दंडली
177.	चिन्तामणी
178.	चिकमंगलूर
179.	गोरीबिधूर
180.	बदामी
181.	तिपदूर
182.	गुरुमितकल
183.	साउन्दट्टी
184.	बायडगी
185.	करवर
186.	निप्पानी
187.	बीडार
188.	हवेरी
189.	बिलेरे

1	2
190.	मधुगीरी
1914	कृष्णाराज नगर
1924	इल्कल
193.	डोडाबालापुर
	केरल
194.	गुरुवयूर
195.	कोटायम
196.	त्रिचूर
197.	कायामुलम
198.	तिल्लीचेरही
199.	त्रिरूर
200.	चिन्नाचेरह
201.	बाडागाड़ा
202.	बालापुरम
203.	ठोड्डुपूज्जा
204.	मंझरी
205.	पालगाढ
206.	कन्यौरे
207.	कासरगुड्डू
208.	मुयावुगुज्जा
209.	पुनलूर
210.	कालपाठा
211.	नयाथंगारा
212.	सोरेनूर
213.	चयाकाड
214.	पथनमथिट्टा
215.	अल्लापूज्जा
216.	कोलाम

1	2
	मध्य प्रदेश
217.	बिलास पुर
218.	खुजराहो
219.	डिबास
220.	इटारसी
221.	रीवा
222.	कान्ती
223.	भोझनपुर
224.	मोरना
225.	डुंगर गढ़
226.	राजनन्द गांव
227.	बालाघाट
228.	सिंधवाडा
229.	हाडा
230.	बयावन
231.	गुणा
232.	सिध्धी
233.	होशंगाबाद
234.	गढवाला
235.	पंचमढ़ी
236.	अमर कंटक
237.	कोटा
238.	सहडोल
239.	बन्दर
240.	मऊ

1	2
241.	जगदल पुर
242.	रतलाम
243.	भिलाईदुर्ग
244.	सतना
245.	छत्तरपुर
246.	अबदुल्लागंज
247.	निम्मच
248.	बहतूल
249.	भिण्ड
250.	दम्मोह
251.	सहौरे
252.	विदिशा
253.	पन्ना
254.	दत्तीया
255.	खेर गांव
256.	शिव पुरी
257.	राय गढ़
258.	सागर
259.	टीकमगढ़
260.	मन्दशोर
	महाराष्ट्र
261.	मांड
262.	बर्सि
263.	पारलीवीजन्त
264.	यदतमल

1	2
265.	सतारा
266.	रत्नागिरि
267.	काटोल
268.	कमलनेर
269.	परभानी
270.	काम्पीटी
271.	किनवात
272.	ओसमानाबाद
273.	मोरसी
274.	हिन्गन घाट
275.	जलना
276.	अमेबेगोगयी
277.	सेल्लू
278.	डिगरास
279.	बान्दरा
280.	वासिम
281.	इस्लाम पुर
282.	बारामती
283.	पन्धार पुर
284.	रामटेक
285.	निलांगगर
286.	चिंगलूर
287.	अकोट
288.	दुलजा पुर
289.	वर्धा

1	2
290.	एकतापुरी
291.	पुसाद
292.	करड .
293.	बीड
294.	चन्द्रपुर
295.	गोदचिरोली
296.	गोंडिया
297.	छपड़ा
298.	खमगोन
299.	नारखेड़
300.	मलकापुर
301.	नन्दुरबार
302.	पैठान
303.	चाली गांव
304.	हिंगोली
305.	बल्डाना
306.	नांदेड
307.	सोवरे
308.	अचलपुर
309.	जलगांव
310.	श्रीराम पुर
311.	श्रीपुर (वारवाड़ा)
312.	वानी
313.	अमबेड
314.	अहमद नगर

1	2
315.	कोपर गांव
316.	लादूर
317.	पहलटन
318.	संगमनेर
319.	सांगली
320.	धूले
	मणिपुर
321.	जीरीबुम्ब
322.	कचिन्नग
323.	लामलाई
324.	बिसनपुर
325.	इम्फाल
326.	लानसेन
327.	थोवल
328.	नाम्बोल
* 592.	सेकमाई
	मेघालय
329.	सिलांग
330.	तूरा
331.	जोआई
332.	नोगसटोइन
333.	विलम नगर
334.	सोरा
335.	बाघ मारा

1	2
	मिजोरम
336.	एरवाल
337.	नूगलई
	नागालैंड
338.	कोहीमा
339.	तूएनसेंग
340.	मोक्क चूंग
341.	जूनहेबोटो
342.	मोन
	उड़ीसा
343.	पूरी
344.	सम्बल पुर
345.	बालासूर
346.	राउरकेला
347.	जय पुर
348.	धनकनल.
349.	कोयझार
350.	बारीपेड
351.	बोलांगीर
352.	पारादीप
353.	कोरापुट
354.	फुलबनी
355.	हवानी पटना
356.	केन्द्र पाड़ा
357.	एंगुल

1	2
358.	जयपुर रोड
359.	बारागढ़
360.	रायगढ़ा
361.	गोपाल पुर
362.	भबरक
363.	सुन्दर गढ़
364.	जगत सिंह पुर
365.	जाज पुर
367.	अथ गढ़
368.	झार सुंगध
	पंजाब
369.	पठान कोट
370.	होशियार पुर
371.	संगरूर
372.	मोगा
373.	फगवाडा
374.	खन्ना
375.	भटिण्डा
376.	बटाला
377.	बरनाला
378.	कपूरथला
379.	गुरदास पुर
380.	नाभा
3814	रोपड
382.	पटियाला

1	2
383.	गोविन्द गढ़
384.	फिरोज पुर
	राजस्थान
385.	पाली
386.	बारन
387.	भिलवाडा
388.	सिक्कर
389.	चूरू
390.	सुमेर पुर
391.	नाथद्वारा
392.	बाड़मेर
393.	गंगा नगर
394.	जेसलमेर
395.	चित्तौड़गढ़
396.	जालौर
397.	सिरोही
398.	माऊंटआबू
399.	बनसवारा
400.	विनाल
401.	डोगरपुर
402.	भरतपुर
403.	नागुर
404.	पुष्कर
405.	किसनगढ़
406.	दयशाह

1	2
407.	धौलपुर
408.	सवाई माधोपुर
409.	निम्भेरा
410.	राजसमान
411.	झुन्झुनू
412.	रतनागढ़
413	ध्यौली
	सिक्किम
414	नवथंग
415	माचीबाजार
416.	गंगटौक
	तमिलनाडु
417	औटकामांडू
418.	करूर
419.	धरमापुरी
420.	पुड्डू कोट्यी
421.	त्रीचगोडी
422.	पलानी
423.	गोभी चित्तैपल्लैम
424.	मन्नार गुडी
425.	धरापुरम
426.	मेट्यपुल्लम
427.	चैनगलपट्टु
428.	कोनूर
429.	अट्टूर

1	2
430.	त्रुवेनामल्ली
431.	उदमालपेट
432.	नामाकाल
433.	कऊतलापट्टी
434.	होसुर
435.	पोलाची
436.	थेनालिंगरम
437.	नागापट्टीलम
438.	रानीपेट-आरकोटवालाज
439.	पानुरूती
440.	कारईकुड्डी
441.	कालाकरूची
442.	अरनी
443.	अराकोनम्
444.	सिवामनागा
445.	मधुरथकाम्
446.	एन्डीपेट्टी
447.	पट्टुकोटई
448.	अरूपुकोटई
449.	अरूनातंगी
450.	रमनाथकपुरम्
451.	रामेश्वरम्
452.	आर्यालुर
453.	सत्यमनागलम्
454.	टुटीकोरईन

1	2
455.	सलेम
456.	कोडीकनाल
457.	त्रनावल्ली
458.	त्रिपुर
459.	त्रिवेंधीपुरम
460.	परमाकुडी
461.	पुन्जी प्लेमपुट्टी
462.	त्रिपुथर
463.	राशिपुरम
464.	नम्बलापुरम
465.	टिंडोववम्
466.	पैरामबलुर
467.	कांचीपुरम्
468.	कृष्नागिरी
469.	विरुथुचलम्
470.	विल्लुपुरम्
471.	त्रितुतानी
472.	बारगुरु
473.	ईदापट्टी
474.	तैनकाशी
475.	कुहालूर
476.	भवानी
477.	कामारापल्लम्
478.	कुरूची
479.	थीरुथंगल

1	2
	त्रिपुरा
480.	उदयपुर
481.	कैलासहर
482.	धर्मानागर
483.	अगरतला
484.	अमरपुर
485.	बलोनिया
	उत्तर प्रदेश
486.	जौनपुर
487.	फतेहपुर
488.	आजमगढ़
489.	हाथरस
490.	बांदा
491.	बाराबंकी
492.	रायबरेली
493.	अल्मोरा
494.	ऐटा
495.	बलिया
496.	महोबा
497.	कासगंज
498.	गाजीपुर
499.	सीतापुर
500.	मनीपुरी
501.	हरदोई
502.	बिजनौर

1	2
503.	उरई
504.	देवरिया
505.	बदन
506.	अमेठी
507.	काशीपुर
508.	पदरूना
509.	सुल्तानपुर
510.	बिसवान
511.	सामली
512.	बड़ोई
513.	मनुथभंजन
514.	संडीला
515.	पीलीभीत
516.	बहराईच
517.	ललितपुर
518.	मिर्जापुर
519.	इटावा
520.	सम्बल
521.	हल्द्वानी
522.	लखीमपुर
523.	सिकंदराराऊ
524.	कौच
525.	कैराना
526.	मोदीनगर
527.	दिलसर

1	2
528.	औरईया
529.	रुड़की
530.	गोंडा
531.	मवाना
532.	कोशिकलान
533.	सिकंदराबाद
534.	विलासपुर
535.	मुरानीपुर
536.	चुनार
537.	मुजफ्फरनगर
	पश्चिम बंगाल
538.	खड्गपुर
539.	मिदनापुर
540.	बैकोरा
541.	कालीमपोंग
542.	कचबेहार
543.	पुरलिया
544.	इंगलिश बाजार
545.	कृष्णानगर
546.	सुरी
547.	तारकेश्वर
548.	जलपाईगुड़ी
549.	सिलीगुड़ी
550.	दार्जिलिंग
551.	बहरामपुर

1	2
552.	बल्लारभाट
553.	विष्नुपुर
554.	बसीरहाट
555.	रायगंज
556.	रानाभाट
557.	केतवा
558.	बोलपुर
559.	आरामबाग
560.	दोन्तई
561.	ह्यवड़ा
562.	रानीगंज
563.	हालदई (एनसीयू)
564.	झारगारम्
565.	कलना
566.	जंगीपुर
567.	अलीपुंरदुंर
568.	रघुनाथपुर
569.	घाटल
570.	इस्लामपुर
571.	शान्तिपुर
572.	मुर्शिदाबाद
573.	कुर्सीदंग
574.	झालदा
575.	माल
576.	मिरिक

1	2
577.	चाकदा
578.	डायमंड हॉर्बर
579.	नवाद्वीप
580.	रामपुरहाट
581.	तमलुक
582.	सोनामुखी
	अरुणाचल प्रदेश
583.	तवंग
	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
584.	पोर्ट ब्लेयर
	दादरा तथा नागर हवेली
585.	सिल्वासा
	लक्षद्वीप
586.	कवारती
	पाण्डिचेरी
587.	करायकल
588.	माहे
589.	पांडिचेरी
590.	यनम
591.	विल्लईनूर
	मणिपुर
*592.	सेकमई

जवाहर रोजगार योजना

2262. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए विभिन्न राज्यों में 120 पिछड़े जिलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश में भी ऐसे जिलों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन योजनाओं पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च होगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। जवाहर रोजगार योजना को देश के विभिन्न राज्यों के चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों में लागू किया गया है जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की बहुतायत है और इसलिए वहां ग्रामीण रोजगार के गहन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जिलों का चयन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को 50 प्रतिशत और कृषिगत श्रमिक उत्पादकता को 50 प्रतिशत तरजीह के आधार पर किया गया है (उन जिलों को छोड़कर, जो वाणिज्यिक और औद्योगिक तौर पर उन्नत हैं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जिलों सहित, जिनमें अधिकांश खण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों में हैं) इन 120 जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। मध्य प्रदेश में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु पिछड़े जिलों के रूप में 17 जिलों का चयन किया गया है। ये जिले हैं, बस्तर, बिलासपुर, झबुआ, पश्चिमी निमाड़, सरगुजा, रायपुर, मांडला, रायगढ़, धारा, शहडोल, सिव, सीमी, पूर्वी निमाड़, जबलपुर, बेतूल, राजनदगांव और दुर्ग।

(ङ) 1993-94 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को आवंटित केन्द्रीय अंश संलग्न विवरण–II में दर्शाया गया है।

विवरण-I

चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य/जिले का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	अदीलाबाद
2.	महबूबनगर
3.	वारंगल
4.	खम्माम
5.	पूर्वी गोदावरी
6.	नालगोंडा
7.	प्रकाशम

1	2
8.	अनन्तपुर
9.	करनूल
	बिहार
10.	पलामू
11.	पश्चिमी सिंहभूम
12.	गुमला
13.	रांची
14.	दुमका
15.	गया
16.	हजारीबाग
17.	साहिबगंज
18.	गड़वा
19.	गिरडीह
20.	सहरसा
21.	मुंगेर
22.	वैशाली
23.	मुजफ्फरपुर
24.	दरभंगा
25.	सुपुल
26.	छपरा
27.	जम्मुई
28.	गोडा
29.	माधेपुरा
30.	भागलपुर
31.	भभुआ
32.	नवादा

1	2
	गुजरात
33.	पंचमडल
34.	वलसाड
35.	सूरत
36.	बड़ोदरा
37.	अमरेली
38.	सुरेन्द्रनगर
	जम्मू व कश्मीर
39.	डोडा
40.	ऊधमपुर
	कर्नाटक
41.	गुलबर्गा
42.	कोलार
43.	धारवाड़
44.	बीजापुर
45.	टुमकूर
46.	चित्रदुर्ग
47.	बेलारी
48.	बीदर
	मध्य प्रदेश
49.	बस्तर
50.	बिलासपुर
51.	झबुआ
52.	पश्चिमी निमाड़
53.	सरगुजा

1	2
54.	रायपुर
55.	मांडला
56.	रायगढ़
57.	धाड़
58.	शहडोल
59.	सिव
60.	सीधी
61.	पूर्वी निमाड़
62.	जबलपुर
63.	बेतूल
64.	राजनंदगांव
65.	दुर्ग
	महाराष्ट्र
66.	धुले
67.	नासिक
68.	थाणे
69.	यवतमाल
70.	अमरावती
71.	नांदेड़
72.	भण्डारा
73.	चन्द्रपुर
74.	बुलदाना
75.	अकोला
76.	पुणे
77.	अहमदनगर

1	2
78.	शांगली
79.	शोलापुर
80.	बीड
81.	औरंगाबाद
	उड़ीसा
82.	कोरापुट
83.	मयूरभंज
84.	कटक
85.	सम्बलपुर
86.	सुन्दरगढ
87.	कालाहांडी
88.	किओंझर
89.	गंजाम
90.	फूलबनी
	राजस्थान
91.	उदयपुर
92.	बांसवाड़ा
93.	डूंगरपुर
94.	सवाईमाधोपुर
95.	बारमेड़
96.	अजमेर
	तमिलनाडु
97.	दक्षिण आरकोट
98.	छांगेलपट्टु
99.	तंजावुर

1	2
100.	धर्मपुरी
101.	चिदम्बरनार
102.	रामनाथपुरम
	उत्तर प्रदेश
103.	इलाहाबाद
104.	सीतापुर
105.	गाजीपुर
106.	हरदोई
107.	सोनभद्र
108.	बलिया
109.	मिर्जापुर
110.	पिथौरागढ़
111.	पौढ़ी गढ़वाल
112.	अलमोड़ा
113.	बांदा
114.	बहराइच
	पश्चिम बंगाल
115.	मेदनीपुर
116.	कूचविहार
117.	वर्धमान
118.	बांकुरा
119.	पुरूलिया
120.	बीरभूम

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना के दूसरे दौर के अंतर्गत 1993-94 के दौरान निधियों का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	4995
2.	बिहार	13785
3.	गुजरात	3110
4.	जम्मू व कश्मीर	683
5.	कर्नाटक	3772
6.	मध्य प्रदेश	12195
7.	महाराष्ट्र	8174
8.	उड़ीसा	5715
9.	राजस्थान	3655
10.	तमिलनाडु	2604
11.	उत्तर प्रदेश	6668
12.	पश्चिम बंगाल	4900
		70256

[हिन्दी]

अबूधाबी के व्यापारियों द्वारा निवेश

2263. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अबूधाबी के प्रमुख व्यापारी भारत में निवेश के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। नई नीति की घोषणा से 31 दिसंबर, 1993 तक आबूधाबी के शीर्ष व्यापारियों से प्राप्त तथा सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम	विनिर्माण की मद	राशि रुपये मिलियन	इक्विटी
1.	श्री आर.आर. जोशी	सैफ बिन डारविस	सड़क तथा राजमार्गों का निर्माण	2.00	40%

[अनुवाद]

चमड़ा उद्योगों के विकास हेतु आबंटन

2264. **श्री हरिलाल तनजी पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गुजरात में चमड़ा उद्योगों के विकास हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वर्षवार कितनी धनराशि नियत की, और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये वर्षवार कितनी धनराशि नियत की गई ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) किसी राज्य योजना में केन्द्र सरकार द्वारा चमड़ा उद्योगों के विकास के लिए कोई अलग आबंटन नहीं किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2265. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उन्होंने किन क्षेत्रों में निवेश किया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अनिवासी भारतीयों द्वारा पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना किए जाने हेतु

पिछले तीन वर्षों (1991 से 1993) के दौरान कुल मिलाकर लगभग 12.60 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन की निगरानी राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ख) निवेश के क्षेत्र हैं—माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल व्हील फ्लैंज लुब्रीकेटर, हॉस्पीटल-सह-उन्नत निदान केन्द्र और पोर्टफोलियो निवेश।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2266. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक उपक्रम का कुल पूंजी परिव्यय कितना है और इनमें से प्रत्येक में सरकार का हिस्सा कितना है;

(ग) इनमें से प्रत्येक उपक्रम में 1991-92 और 1992-93 के दौरान कुल कितनी पूंजी व्यय की गयी;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के कोई नए उपक्रम स्थापित करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) 31 मार्च, 1993 तक गुजरात राज्य में केन्द्र सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम थे। उनकी अवस्थिति, उनमें किए गए पूंजीनिवेश तथा सरकारी शेयर एवं वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान पूंजीगत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

सरकारी उद्यम का नाम	अवस्थिति	31 मार्च, 1993 तक सामान्य शेयर एवं ऋण के रूप में कुल पूंजीनिवेश	सरकारी शेयर	पूंजीगत व्यय	
				1992-93	1991-92
इंडियन पैट्रोकैमिकल्स लि.	बड़ौदा	19546	14880	28535	39933
नेटेका (गुजरात) लि.	अहमदाबाद	2484	*	2	55

* धारक कंपनी एन.टी.सी.लि. द्वारा धारित

(घ) एवं (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि हेतु स्वीकृत नई परियोजनाओं/योजनाओं तथा उनकी अनुमानित लागत का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

परियोजना/योजना का नाम		प्रत्याशित लागत	आठवीं योजना
पेट्रोरसायन (आई.पी.सी.एल.)			
(क)	बड़ौदा स्थित बूटाडाइन निष्कर्षण संयंत्र का नवीकरण	41	
(ख)	बड़ौदरा में पी.बी.आर. विस्तार	145	
(ग)	बड़ौदा में पी.पी. संयंत्र का नवीकरण	194	
(घ)	गंधार में गैस क्रैकर	3495	
(ङ)	बड़ौदा में उन्नत इंजीनियरी प्लास्टिक	155	
(च)	नलधारी में स्पेनडेक्स	73.00	
(छ)	नलधारी में पी.एफ.वाई. चरण-II	132.00	
टेक्सटाईल (एन.टी.सी.) (गु.) लि.			
(1)	एन.टी.सी. के तहत दो मिलों का आधुनिकीकरण	28.74	

नारियल जटा उद्योग

2267. **श्री गोपीनाथ गजपति :**
श्री एन. डेनिस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात के लिये किस राज्य से नारियल जटा की खरीद की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने नारियल जटा उद्योग के आधुनिकीकरण और उसमें विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आधुनिकीकरण और विविधता लाने के बावजूद नारियल जटा के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) निर्यात के लिए अधिकांश कयर का केरल में उत्पादन किया जाता है और कुछ उत्पादन तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है।

(ख) तथा (ग) कयर उद्योग के आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए बोर्ड ने कई उपाय किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

1. फैब्रीकेटिड तथा लोकप्रिय मोटरमुक्त रैट्स, आटोमैटिक स्पिनिंग मशीन, मोटरयुक्त बीमिंग व्यवस्था, अर्ध-स्वचालित करघे इत्यादि। अभी कुछ समय पूर्व तक उत्पादन के गैर-पारंपरिक क्षेत्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और उड़ीसा जैसे राज्य केवल कयर के रेशें व रस्सी (यार्न) के सप्लायर ही रहे हैं। उत्पादन में विविधता लाने के लिए बोर्ड ने योजनागत कार्यक्रमों के जरिये कई विकासात्मक योजनाएं चालू की हैं, जैसे गैर पारंपरिक राज्यों में भी मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण।

2. रंगने और ब्लीच करने के लिए कम लागत वाले आधुनिक तरीके शुरू किए तथा इसके लिए सामूहिक सेवा केन्द्र चालू किये।

3. गलाने के लिए नये तरीके आरंभ करके गलाने की अवधि को 8 महीने से घटाकर 3 महीने किया गया।

4. कयर रेशे, रस्सी (यार्न) और तैयार उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बोर्ड ने 1 अक्तूबर 1993 से सितंबर 1994 तक गुणवत्ता वर्ष मनाने का निर्णय किया है।

5. उत्पाद विकास तथा उत्पाद विविधीकरण कार्यक्रम में भवन निर्माण क्षेत्र में उपयोग हेतु पोलीमर कंपोजिट बोर्ड तथा कयर जिप्सम बोर्ड का विकास करना सम्मिलित है। ये बोर्ड लकड़ी और लकड़ी आधारित उत्पादों के प्रतिस्थापन की क्षमता रखते हैं, जो आजकल वालिंग और पैनलिंग आदि में प्रयुक्त होती हैं।

6. भू-क्षरण और चट्टान खिसकने आदि की घटनाओं को रोकने हेतु पर्यावरण के अनुकूल कयर उत्पादों और "कयर जिओ-टेक्सटाइल" बनाना।

7. "कयर पिथ" जो एक बेकार पदार्थ है, को जैविक विकास खाद लिग्नोसल्फोनेट आदि बनाने हेतु इसे कम्पोस्ट करके इसका आर्थिक उपयोग करना।

(घ) और (ङ) चूंकि कयर के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों दृष्टिकोण से वृद्धि हो रही है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत से इसके निर्यात में स्थिरता आ गयी है।

स्वदेशी उद्योगों को सुरक्षित रखना

2268. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उद्योग के लिये उसके समतुल्य विदेशी उद्योगों की तुलना में एक "लेवल प्लेइंग फील्ड" तैयार करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) इस तरह के प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) स्वदेशी उद्योग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या दीर्घकालिक योजना बनाई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु स्वदेशी उद्योगों के लिए एक "लेवल प्लेइंग फील्ड" तैयार करने की आवश्यकता पर विभिन्न वाणिज्य और उद्योग संगठनों द्वारा बल दिया गया है। स्वदेशी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्तर प्राप्त कर सकें इसके लिए वर्तमान आर्थिक सुधारों के तहत पहले ही अनेक अभ्युपाय किए गए हैं। उद्योग सरकार को सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया निरंतर और परस्पर प्रभावशाली है।

वैज्ञानिक विकास पर व्यय

2269. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास वैज्ञानिक विकास पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय सीमा 0.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.5 प्रतिशत करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यातायात की समस्याएं

2270. **श्री अनंतराव देशमुख : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यातायात समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार का द्रुत जन परिवहन प्रणाली शुरू करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली में बढ़ते यातायात की दशा को देखते हुए "मैसर्स राइटस" से एक साध्यता अध्ययन करवाया गया था, जिन्होंने दिल्ली में 184.5 कि.मी. की दूरी पर एम.आर.टी.एस. (मेट्रो रेल सहित) प्रारंभ करने की सिफारिश की। परियोजना की कुल लागत 1992-93 के मूल्यों के आधार पर 7500 करोड़ रुपये (लगभग) है।

परियोजना की भारी लागत को ध्यान में रखकर इसके लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराना संभव नहीं हुआ है। निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने से पूर्व परियोजना के निधियन के वैकल्पिक स्रोत जुटाने होंगे।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन

2271. **श्री छीतूभाई गामीत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले के मुन्द्रा और कुकमा क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए कुछ परीक्षण किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कोई योजना भेजी है, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है और चालू/आगामी वित्तीय वर्ष में इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है/देने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अब तक कच्छ जिले के मुंद्रा और कुकमा स्थानों पर कोई पवन फार्म परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं। तथापि अभी हाल ही में पवन सर्वेक्षणों के द्वारा इन स्थानों पर पवन विद्युत उत्पादन के लिए अच्छी संभाव्यता की संभावनाओं का संकेत दिया गया है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पश्चिमी घाट पर माइक्रो/मिनी पनबिजली परियोजनाएं

2272. **श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में पश्चिमी घाट पर माइक्रो तथा मिनी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या किसी निजी प्रतिष्ठान को मिनी पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिलों के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में नौ लघु जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अनुसंधान का कार्य किया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति आय

2273. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तथा (ख) भारत की प्रति व्यकित आय (चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) 1991-92 के 5583 रुपये से बढ़कर 1992-93 में 6249 रु. हो गयी है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार की विकासोन्मुख नीतियां, निवेश तथा कार्यक्रम आने वाले वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ायेंगे।

[हिन्दी]

विशेषज्ञ समिति का गठन

2274. **श्री गुमान मल लोढा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उन चीनी मिलों के कार्यकरण की जांच करने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने का है, जो चीनी उत्पादन के साथ-साथ विद्युत का उत्पादन करती हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने बायोमास आधारित सह-उत्पादन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को तैयार करने के कार्य में सहायता देने के लिए अगस्त, 1993 में एक कार्यबल का गठन किया था। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को अक्तूबर, 1993 में प्रस्तुत की। इसमें चीनी मिलों में खोई आधारित सहउत्पादन के माध्यम से 3500 मेवा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। इस कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर इस मंत्रालय ने अभी हाल ही में चीनी मिलों में खोई आधारित सहं-उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में विद्युत के उत्पादन और ग्रिड को देने के लिए विशुद्ध अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर कार्मिक

2275. **श्री के. तुलसिऐया वान्डायार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में प्रतिवर्ष कितने कम्प्यूटर कार्मिकों की आवश्यकता पड़ती है, और

(ख) इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) 8वीं योजनावधि के दौरान विनिर्माण सहित कम्प्यूटरीकरण संबंधी कार्यकलापों के लिए डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर लगभग 2 लाख कम्प्यूटर व्यवसायविदों की मांग का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर विकास, जिसमें निर्यात भी शामिल है, के लिए 35,000 कम्प्यूटर व्यवसायविदों की आवश्यकता का अनुमान है।

(ख) पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर पेशेवरों की उपलब्धता का सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित रूप कदम उठाए हैं :

(1) औपचारिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने डिग्री/डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 253 संस्थानों की सहायता की;

(2) अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षा के स्तर/प्रशिक्षण के स्तर का मानकीकरण करने के लिए सरकार ने अगस्त, 1990 में एक योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत सुनिर्धारित प्रतिमानों तथा मानदंडों को पूरा करने वाले कम्प्यूटर संस्थानों को विशिष्ट स्तर के पाठ्यक्रम अर्थात "ओ" (आधारभूत), "क" (उन्नत डिप्लोमा), "ख" (स्नातक) और "ग" (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

मद्रास को पेयजल

2276. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक वीरानाम झील से पेय जल मद्रास में लाने की 464 करोड़ रुपये की योजना का वित्त पोषण करने को राजी हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने, विश्व बैंक की सहायता से मद्रास को पेयजल आपूर्ति

में सुधार करने के लिए 720 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत से वीरानाम जल आपूर्ति स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। विश्व बैंक मिशन ने स्कीम की जांच कर ली है और स्कीम को मूल्यांकन हेतु लिए जाने से पूर्व उन्होंने राज्य सरकार को अनिवार्य अध्ययन पूरे करने तथा कतिपय शर्तों को पूरा करने की सलाह दी है। अभी औपचारिक करार नहीं किया गया है।

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का आवंटन

2277. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों की पुनरीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जल सप्लाई और स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उड़ीसा राज्य की आबटित निधियों निम्न प्रकार हैं :

(रुपये लाख मे)

कार्यक्रम	आबंटन		
	1990-91	1991-92	1992-93
जवाहर रोजगार योजना	12739.07	10438.69	16389.03
ग्रामीण जल सप्लाई	1206.00	1355.00	1335.00
ग्रामीण स्वच्छता	63.00	126.00	74.00
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1802.50	1695.92	1590.00

(ख) से (घ) उपरोक्त कार्यक्रमों की समय-समय पर मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड दौरों के द्वारा समीक्षा की जाती है। इन आवधिक समीक्षा रिपोर्टों के अलावा निजी स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं/संगठनों की सहायता से समवर्ती मूल्यांकन के रूप में विशेष मूल्यांकन अध्ययन भी समय-समय पर कराये जाते हैं। इन मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

पनडुब्बी नाशक नौका

2278. **श्री सुधीर राय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने माझ गांव गोदी पर एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बी के स्थान पर पनडुब्बी नाशक (एस.एस.के.) नौकाओं का निर्माण करने का विकल्प अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) के फ्लैट/भूखंड

2279. **डा. साक्षीजी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान संसद सदस्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों अथवा प्लाटों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान सांसदों को प्राथमिकता आधार पर कोई फ्लैट/प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है। तथापि, तीन सांसदों को बिना बारी के आबंटन दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना बारी के आधार पर फ्लैट दिए गए हैं।

[अनुवाद]

उद्योग-विहीन जिले

2280. **श्री नुरूल इस्लाम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में उद्योग-विहीन जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार ने इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) नई औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् इन जिलों में अब तक किस-किस तरह के औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं अथवा किये जायेंगे, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए कितने औद्योगिक-लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) लखीमपुर और उत्तरी कच्छार हिल्स को "उद्योग सहित जिले" घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) किसी क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, जहां तक संभव होता है उनके प्रयासों में मदद करती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदें

2281. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के पश्चात् लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों में व्यवसाय जारी रखने हेतु जिन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं, उनके ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नीति के बाद की अवधि के दौरान 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व के साथ जारी किये गये विदेशी सहयोग अनुमोदनों की सूची

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम	विनिर्माण की मद
1	2	3	4
1.	मै. टी.ई.सी. बासन्ना, बम्बई	डा. ए.एल. कूपर, यू.एस.ए.	एसीट अमीनोफीन (पैरासीटामोल)
2.	मै. चेल्ला पिल्लैयार, मद्रास	मै. के.जी. कार्ग कोरिया, हांगकांग	लेदर वैलेट्स और लेदर गुड्स
3.	मै. कारीजौन अपेरल्स प्रा. लि. हैदराबाद	मै. रायडर इंक, यू.एस.ए.	रेडीमेड गारमेन्ट्स
4.	मै. करोना लेदर्स लिमिटेड, महसाना	मै. इकोलेट एस.के.ओ., डेनमार्क	लेदर शूज
5.	मै. करोना लेदर्स लिमिटेड, महसाना	मै. इकोलेट एस.के.ओ., डेनमार्क	लेदर शूज
6.	मै. स्पोर्ट्स एंड लेजर एपेरल लिमिटेड, नई दिल्ली	मै. ला कैमाइज लैकोस्टे, फ्रान्स मै. डेरानले एस.ए. फ्रान्स	पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिये लेपोस्टे एपेरल्स की रेन्ज,
7.	मै. मिर्डाज सागर आप्टीकल्स प्रा. लि., हैदराबाद	मिडास आप्टीकल्स कं. लि., कोरिया	मैटेरियल फ्रेमों के अलावा प्लास्टिक फ्रेम और सनग्लासेज के हिस्से-पुर्जे
8.	मै. बाबू जी मल्टीफाइबर लि., हैदराबाद	ग्रीनवुड मिल्स इंक., यू.एस.ए.	डेनिम फैब्रिक्स एंड गारमेन्ट्स
9.	मै. गोकाक पटेल वोलकर्ट लि., बंबई	सिम्बे टैक्सटाइल्स मिल्स प्रा. लि., आस्ट्रेलिया	टैरी टावल फैब्रिक्स एंड एपेरल्स

10.	मै. बाटा इंडिया लि., कलकत्ता	मै. बाटा (बी.एस.) बी.वी. नीदरलैण्ड्स	सभी प्रकार के फुटवीयर, फुटवीयर कम्पोनेन्ट आदि
11.	मै. स्काईलाइम लेदर इंडस्ट्रीज लि., बंगलौर	अंसार रहमान, यू.के. मिस्टर प्राइमो वैसकेवी विरदियानी एंड एसोसिएट्स	लेदर शूज
12.	मै. ए. शफीक अहमद, मद्रास	मै. समाहा ट्रेडिंग यू.के. लि., यू.के.	लैदर शू अपर्स
13.	मै. साब शू फैक्ट्री प्रा. लि., नई दिल्ली	मै. बहादुर डेरी सिंह करी, यू.के.	लैदर शू, अपर्स और लैदर सेन्डल
14.	मै. सुरेश थ्री बैग्स इंडिया प्रा. लि., मद्रास	मै. ई.जे. लौक. ओ.वाई. फिनलैण्ड थ्री बैग्स यू.के. लि.	लेडीज हैण्डबैग्स, मैन्स पोर्टफोलियो बैग्स एंड ट्रेवल बैग्स
15.	मै. कौरनेल गुप्ता प्रिन्टिंग प्रा. लि., नई दिल्ली	मिस्टर सी.जे. कौरनेल एंड मिसेज एप्रिल कौरनेल, कनाडा	निर्यात डाइंग और ब्लीचिंग के लिये प्रिन्टिंग फेब्रिक्स के गारमेन्ट
16.	मै. एच.एल. आनन्द एक्सपोर्ट प्रा.लि. नई दिल्ली	मै. मिस्टर राजेश्वर चोपड़ा (यू.एस.ए., एन.आर.आई.) मिस्टर संजीव चोपड़ा (कनाडा, एन.आर.आई.) मिस्टर गजेन्दर सिंह (कनाडा, एन.आर.आई.)	हाई फैशन मैन्स एंड वोमेन वीयर
17.	मै. कुलदीप शर्मा (एन.आर.आई.) गाजियाबाद (उ.प्र.)	–	काटन/ब्लेण्डेड नीटेड फैब्रिक ग्रे
18.	मै. केबी एंड लिमिटेड, नई दिल्ली	1. मै. ठकराल इन्वेस्टमैन्ट होल्डिंग प्रा.लि. सिंगापुर (ई.आई.एन.) 2. मै. मैरीफट्टूरा लेन जीट्न्स, इटली(टेक.)	मैन्स शूटिंग, जैकेट्स और ट्राउजर्स

1	2	3	4
19.	मै. आदित्य लेदर एक्सपोर्ट प्रा. लि. मद्रास, तमिलनाडु	मिस्टर पैट्रिक बेऊर ए.एम. स्कुजेन्सटक, जर्मनी	लेदर जैकेट एंड एसेसीरीज
20.	मै. ए.के. बजौरिया, मार्फत सौरेश्वरी गैसेज प्रा. लि., नई दिल्ली	मै. कोरिया स्पोर्ट्स गुड्स कं. लि., कोरिया	सोकर बाल, बालीबाल, बास्केटबाल इत्यादि
21.	मै. गोल्ड कास्ट फैशन्स प्रा. लि., नई दिल्ली.	मै. स्टोनवीयर इंक, यू.एस.ए.	महिलाओं के रेशमी शूट, महिलाओं की सिल्क एसेम्बली और महिलाओं के रेशमी कपडे

[अनुवाद]

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

2282. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत नल के जल की आपूर्ति के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है, और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना कब तक स्वीकृति हो जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं। त्वरित ग्रामीण पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाएं गुजरात सरकार द्वारा, उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों के लिए तकनीकी पैकेज

2283. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने भारतीय उद्योग के लिए "टेक्नोलोजी पैकेजेज विद परफारमेंस गारंटी" योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) 1993 में सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तकनीकी पैकेजों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितना आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सी.एस.आई.आर. ने स्वयं जहां कहीं भी आवश्यक है, उद्योग को "टैक्नोलॉजी पैकेजेज विद परफॉरमेंस गारंटी" का प्रस्ताव देना आरम्भ किया है।

(ख) उद्योग की प्रतिक्रिया सामान्यतः सकरात्मक रही है।

(ग) हाल ही में अस्तित्व में आने के कारण इन पैकेजों का समारम्भ 1994 में किया जाएगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में जिला उद्योग केन्द्र

2284. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन जिलों में इन केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार उन जिलों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) असम राज्य में 23 जिलों में से 17 जिलों में जिला उद्योग केंद्र स्थापित किये गये हैं। जैसे :

(1) कामरूप

(2) नालबाड़ी

(3) बारपेट

(4) धुबड़ी

(5) गोलपाड़ा

(6) कोजराझार

(7) मोंगालडोई

(8) सोनितपुर

(9) लखीमपुर

(10) डिबरूगढ़

(11) शिवसागर

(12) जोरहाट

(13) नागौन

(14) कार्बी अंगलोंग

(15) एन.सी. हिल्स

(16) करीमगंज

(17) कच्छार।

(ग) और (घ) जिन 6 जिलों में अब तक जिला उद्योग केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं, वे हैं :

(1) तिनसुखिया

(2) गोलाघाट

(3) धेमाजी

(4) मोरीगांव

(5) हेलाकाण्डी

(6) बोगाई गांव।

तथापि इन जिलों को राज्य सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रबंध के अनुसार साथ लगे जिलों के निकटतम जिला उद्योग केंद्र द्वारा देखा जाता है।

	उस जिले का नाम जिसमें जिला उद्योग केंद्र नहीं हैं	उस जिला केंद्र का नाम, जिसके साथ इसे संबद्ध किया गया
1.	तिनसुखिया	जिला उद्योग केंद्र, डिवरूगढ़
2.	गोलाघाट	जिला उद्योग केंद्र, जोरहाट
3.	धेमाजी	जिला उद्योग केंद्र, लखीमपुर
4.	मौरी गांव	जिला उद्योग केंद्र, नौगांव
5.	हेलाकाण्डी	जिला उद्योग केंद्र, कच्छार
6.	बोंगाई गांव	जिला उद्योग केंद्र, गोलपाड़ा

शेष 6 जिलों में चरणबद्ध रूप से राज्य सरकार का जिला उद्योग केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो। एन.डी.सी. के निर्णय के अनुसार जिला उद्योग केंद्रों की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट आवंटित न करना

2285. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1994 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के हजारों फ्लैटों का निर्माण किया गया है, किन्तु उनका आवंटन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन फ्लैटों का तत्काल आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। पूर्ण अवस्थापन सुविधाओं वाले फ्लैटों के संबंध में इस प्रकार के आवंटन का कोई बकाया नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि शीघ्र आवंटन के लिए फरवरी 1994 में 10 बड़े ड्रा निकाले गए। 15,138 व्यक्तियों को आवंटन/नियतन की पेशकश की गई।

नल-कूपों के लिए निधि

2286. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा देश में लोगों को विशेषतः समस्याग्रस्त और साधनहीन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूप लगवाने के लिए राज्यों को कुल कितनी निधि उपलब्ध कराई गई;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस निधि के उपयोग में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) सरकार द्वारा देश के उन समुद्र तटीय क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं, जहां का पानी बहुत खारा है अथवा नलकूप लगवाने के कुछ ही महीनों बाद नलकूप का पानी खारा हो जाता है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) गांवों में पेयजल मुहैया कराने के लिए ट्यूबवेल लगाने के लिए अलग से निधियां नहीं रिलीज की जाती हैं। राज्यों को केंद्रीय सहायता त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान रिलीज की गई निधियों और प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा किये गये खर्च के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जहां जल में खारेपन की गंभीर समस्या है अथवा ट्यूबवेल बन कर तैयार होने के कुछ ही महीनों के बाद खारे हो जाते हैं, वहां लोगों को पेयजल मुहैया कराने के लिए दूरस्थ वैकल्पिक

स्वच्छ स्रोतों से आपूर्ति के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। जहां यह व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है, वहां खारापन दूर करने के संयंत्र लगाये जाते हैं। अब तक 147 खारापन दूर करने के संयंत्र चालू किये जा चुके हैं, जिनमें इनके अतिरिक्त 7 संयंत्र और लगाये गये हैं परन्तु अभी चालू नहीं हुए हैं। हाल ही में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में 43 गांवों और 120 बसावटों के लिए 10.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक खारापन दूर करने के संयंत्र की स्थापना का अनुमोदन किया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94	
		रिलीज	खर्च	रिलीज (28-2-94 तक)	खर्च (जनवरी, 94 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.470	25.470	41.240	29.383
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.620	5.820	4.970	3.240
3.	असम	13.708	7.000	10.925	9.072
4.	बिहार	18.474	33.780	39.270	15.809
5.	गोवा	0.550	0.520	0.040	0.441
6.	गुजरात	16.330	17.970	21.930	13.713
7.	हरियाणा	8.328	11.660	14.795	8.970
8.	हिमाचल प्रदेश	6.420	6.420	8.306	6.450
9.	जम्मू व कश्मीर	14.000	7.560	18.888	11.564
10.	कर्नाटक	23.420	28.130	35.120	23.561
11.	केरल	11.910	10.710	9.635	4.533
12.	मध्य प्रदेश	27.021	25.540	46.000	30.167
13.	महाराष्ट्र	24.237	32.158	37.930	22.514
14.	मणिपुर	3.080	2.180	1.540	1.100
15.	मेघालय	4.200	2.750	2.100	0.533

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	1.290	1.280	2.100	1.061
17.	नागालैंड	2.281	1.380	2.110	0.185
18.	उड़ीसा	13.350	14.940	17.480	9.730
19.	पंजाब	4.240	4.240	6.880	8.346
20.	राजस्थान	41.830	41.170	68.860	33.116
21.	सिक्किम	3.677	3.820	3.720	2.912
22.	तमिलनाडु	20.190	23.940	26.440	16.357
23.	त्रिपुरा	3.040	3.120	2.356	1.969
24.	उत्तर प्रदेश	47.240	48.020	67.080	35.754
25.	पश्चिम बंगाल	18.240	13.500	15.122	10.748
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.000	–	0.000	0.000
27.	दमन व दीव	0.220	1.830	0.475	0.260
28.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पांडिचेरी	0.130	0.260	0.000	0.177
30.	दिल्ली	0.072	0.006	0.108	0.108
31.	दादरा व नागर हवेली	0.000	–	0.100	–
32.	चंडीगढ़	0.000	–	0.000	–
	योग :	362.560	375.174	507.120	301.773

गोदामों/शीतागार के लिए धन

2287. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदामों/शीतागार का उपयोग किस कार्य के लिए किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण भागों और विशेष रूप से गुजरात में गोदामों/शीतागार के निर्माण के लिए धन आवंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में कितने गोदामों/शीतागार के निर्माण का प्रस्ताव है, और

(ङ) विभिन्न राज्यों में अब तक कितने गोदामों/शीतागार का निर्माण किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) शीत भंडारों का फलों और सब्जियों, मुख्य रूप से आलू के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण गोदामों को खाद्यान्नों, कृषिगत अंतर्निदिष्ट साधनों आदि के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) से (घ) ग्रामीण गोदामों की स्थापना की एक योजना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1979-80 से कार्यान्वित की जा रही है, को राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में गोदामों और शीत-भंडारों के निर्माण के लिए वित्तीय आवंटन कर रहा है।

वर्ष 1994-95 के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में 76,550 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले 655 गोदामों के निर्माण के लिए 16.50 करोड़ रुपये और 8 सहकारी शीत-भंडारों के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। गुजरात के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य	निर्मित गोदामों की संख्या*	निर्मित सहकारी शीत भंडारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4776	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	-
3.	असम	841	1
4.	बिहार	1881	20
5.	गोवा	5	6
6.	गुजरात	3159	3
7.	हरियाणा	1885	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1816	1
9.	जम्मू व कश्मीर	178	3
10.	कर्नाटक	5208	3
11.	केरल	1997	-
12.	मध्य प्रदेश	6386	14

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	6092	2
14.	मणिपुर	177	-
15.	मेघालय	120	-
16.	मिजोरम	19	-
17.	नागालैंड	43	1
18.	उड़ीसा	2590	18
19.	पंजाब	4706	16
20.	राजस्थान	4709	3
21.	सिक्किम	25	-
22.	तमिलनाडु	5211	1
23.	त्रिपुरा	230	1
24.	उत्तर प्रदेश	10447	95
25.	पश्चिम बंगाल	2821	42
26.	संघ शासित क्षेत्र	2	1
	योग :	65329	230

*इसमें ग्रामीण गोदामों की स्थापना की योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण गोदामों (राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार) के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित गोदामों की संख्या भी शामिल है।

उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड का अमोनिया संयंत्र

2288. **श्री पी.सी. थामस :**
श्री के.वी. थामस :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय के 2 फरवरी, 1994 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उर्वरक और रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड, कोचीन के अमोनिया भंडारण टैंक को बंद कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इससे उर्वरक और रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड उद्योगमंडल, केरल को अमोनिया की सप्लाई प्रभावित होगी, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) केरल उच्च न्यायालय ने 14-2-94 को दिये गये अपने निर्णय में निर्णय की तारीख से तीन माह के भीतर विलिंग्डन द्वीप स्थित फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (एफ.ए.सी.टी.) के अमोनिया भंडारण टैंक को बंद करने का आदेश दिया है। मैसर्स एफ.ए.सी.टी. केरल उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के खिलाफ भारत के उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका दायर करने के लिए कार्यवाही कर रही है। एफ.ए.सी.टी. उद्योगमंडल स्थित अपने 900 टन प्रतिदिन के अमोनिया संयंत्र परियोजना का पहले ही कार्यान्वयन कर रही है, जिससे आरम्भण के पश्चात कथित भण्डार टैंक की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

गुजरात में उर्वरक एकक

2289. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित उर्वरक एकक अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप उर्वरकों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार इन एककों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) काण्डला स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. तथा भरूच स्थित गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कंपनी लि. के कम्पलैक्स उर्वरकों का उत्पादन करने वाले एककों को छोड़कर जिनकी क्षमता उपयोगिता 25-8-92 से अनियंत्रण के पश्चात कम्पलैक्स उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण उठान में कमी की वजह से कम थी, गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख उर्वरक एकक संतोषजनक रूप से उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये गये हैं, जिनसे गुजरात राज्य के एककों को भी लाभ होगा :

(i) नये उर्वरक संयंत्रों तथा पुराने संयंत्रों के पुनर्वास के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर सीमा शुल्क 23-9-1992 से समाप्त कर दिया गया है।

(ii) फास्फेटिक उर्वरकों तथा उनके कच्चे मालों के लिए रेलवे भाड़े मे कमी की गई है।

(iii) फास्फोरिक एसिड, जो डी.ए.पी. के उत्पादन के लिए कच्चा माल है, के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(iv) नये एककों द्वारा लिए गए आवधिक ऋणों पर तथा पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए गए आवधिक ऋणों पर ब्याज दर में 3% की रियायत सरकार द्वारा दी जाएगी बशर्ते कि अन्तिम दर 12% या उससे अधिक रहे।

(v) अनियंत्रित फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी के प्रभाव को कम करने के लिए तथा स्वदेशी एककों को आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वदेशी डी.ए.पी. पर रु. 1000 प्रति टन की रियायत और स्वदेशी कम्पलैक्स उर्वरकों तथा एस.एस.पी. पर आनुपातिक रियायत वर्ष 1993-94 के दौरान दी जा रही है।

भारी उद्योग

2290. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत चल रहे भारी उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक उद्योग में विदेशी ऋण के रूप में प्राप्त धन सहित कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;

(ग) इन उद्योगों में कुल कितने विदेशी ऋण का निवेश हुआ है और 1992-93 के वित्तीय वर्ष के दौरान उस पर ब्याज के रूप में कितना धन दिया गया;

(घ) क्या इन उद्योगों को 1992-93 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) 1992-93 के दौरान इन उद्योगों को कितनी सहायता दी गई?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार, भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सहकारी क्षेत्र के 48 प्रचालनरत उपक्रम थे। ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों में से वर्ष 1992-93 में 33 उपक्रमों को घाटा हुआ। वर्ष 1992-93 में उनके द्वारा अर्जित लाभ और घाटे तथा उन्हें दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	उपक्रम
1	2
1.	एन्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लि.
2.	हुगली प्रिंटिग लि.

1	2
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
4.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि.
6.	रेरोल बर्न लि.
7.	जेसम एण्ड कंपनी लि.
8.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
9.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं.लि.
10.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंग कं.लि.
11.	वेबर्ड (इंडिया) लि.
12.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लि.
13.	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
14.	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वसल्स लि.
15.	भारत पम्पस् एण्ड कम्प्रेसर्स लि.
16.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.
17.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
18.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
19.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लि.
20.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
21.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.
22.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.
23.	एच.एम.टी. लि.
24.	प्रागा टूल्स लि.
25.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.
26.	एच.एम.टी. इंटरनेशनल लि.

1	2
27.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि.
28.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
29.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.
30.	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
31.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
32.	स्कूटर्स इंडिया लि.
33.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.
34.	सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
35.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.
36.	माण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि.
37.	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.
38.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
39.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यु कं. लि.
40.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
41.	सॉभर साल्ट्स लि.
42.	नेपा लि.
43.	रिहेब्लिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
44.	टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
45.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
46.	भारत लेदर कारपोरेशन लि.
47.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
48.	द नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

विवरण-II

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	वर्ष 1992–93 के दौरान लाभ (+) हानि (–)	वर्ष 1992–93 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता			
			योजना	गैर-योजना	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लि.	3.77	–	–	–	–
2.	हुगली प्रिंटिंग लिमिटेड	0.08	–	–	–	–
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	309.00	–	–	–	–
4.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड	–3.20	0.50	–	2.50	3.00
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड	0.61	0.25	1.00	0.60	1.85
6.	रेरोल बर्न लिमिटेड	–0.84	–	–	–	–
7.	जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड	–9.72	0.50	–	–	0.50
8.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड	–1.65	–	2.50	6.00	8.50
9.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	1.81	–	–	–	–
10	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंग लि.	–9.81	0.75	2.50	–	3.25

1	2	3	4	5	6	7
11.	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	−1.30	–	–	–	–
12.	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड	−0.24	0.25	–	–	0.25
13.	बी.बी.जे. कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	3.16	–	–	–	–
14.	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	2.33	–	–	–	–
15.	भारत पम्पस् एण्ड कमप्रेसर्स लिमिटेड	−14.24	1.00	4.50	0.50	6.00
16.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	−15.17	0.50	1.00	13.50	15.00
17.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	−16.37	0.50	1.50	4.00	6.00
18.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.59	0.50	–	–	0.50
19.	ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी लिमिटेड	2.60	–	–	2.00	2.00
20.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	−30.47	–	10.50	5.00	15.50
21.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	12.11	66.50	–	–	66.50
22.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	−127.25	43.25	11.35	41.00	95.60
23.	एच.एम.टी. लिमिटेड	−12.53	–	–	7.15	7.15
24.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	−5.17	–	–	–	–
25.–	एच.एम.टी. बियरिंग्स लिमिटेड	2.62	–	–	–	–

26.	एच.एम.टी. इन्टरनेशनल लिमिटेड	2.30	–	–	–	–
27.	इन्स्ट्रूमेंन्टेशन लिमिटेड	–11.60	–	–	3.00	3.00
28.	राजस्थान इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	0.43	–	–	–	–
29.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि.	–71.81	1.00	10.05	17.12	28.17
30.	नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	–13.58	–	2.10	0.50	2.60
31.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	–12.35	–	1.70	1.50	3.20
32.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	60.91	0.25	12.95	2.40	15.60
33.	भारत ऑप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड	–11.29	–	0.70	0.50	1.20
34.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	–59.94	–	–	–	–
35.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	–51.33	–	–	3.85	3.85
36.	पाण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि.	–16.68	–	–	–	–
37.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड	–23.76	–	–	–	–
38.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	39.81	–	–	–	–
39.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कंपनी लि.	–77.87	–	–	–	–
40.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	–0.11	0.50	0.25	–	0.75
41.	सांभर साल्ट्स लि.	0.05	–	–	–	–
42.	नेपा लिमिटेड	–5.19	–	–	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
43.	रिहेब्लिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	−32.00	–	7.00	6.10	13.10
44.	टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	−23.11	–	5.75	1.65	7.40
45.	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	−25.48	3.00	8.40	4.00	42.40
46.	भारत लेदर कारपोरेशन लि.	−1.25	–	0.40	0.50	0.90
47.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	−59.81	–	–	2.50	2.50
48.	दि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	0.21	–	–	0.50	0.50
	योग	425.77	146.25	84.15	128.37	358.77

मध्य प्रदेश में भूकंपीय वेधशाला

2291. **श्री सूरजभानू सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भूकंपीय झटकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार से राज्य में एक आधुनिक भूकंपीय वेधशाला की स्थापना करने और शीघ्र मोबाइल यूनिटें स्थापित करने का आग्रह किया है, और

(ख) यदि हां, तो इससे कौन-कौन से उद्देश्य पूरे होंगे?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) 26 फरवरी, 1994 को भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भोपाल में एक आधुनिक स्थाई भूकंपीय वेधशाला आरंभ की गई। खांडवा, रतलाम तथा जबलपुर इलाकों में संवेदनशील मोबाइल संयंत्रों की मदद से सूक्ष्म भूकंपीय क्षेत्र-सर्वेक्षण भी किये गये। रिपोर्टों को राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राज्य में आने वाले 3 तथा उससे ऊपर के परिमाण के भूकंपों की मानीटरिंग भोपाल स्थित स्थाई वेधशाला करेगा। सूक्ष्म भूकंपीय सर्वेक्षण से इलाके की भूकंपीय गतिविधियों की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

उर्वरक एकक

2292. **श्री शांताराम पोतदुखे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के संयंत्रों को फिर से सक्षम बनाने अथवा उन्हीं स्थलों पर नये संयंत्रों की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा इनका कितना उपभोग किया जाता है;

(घ) इन संयंत्रों की अल्प उत्पादन क्षमता के क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार ने इन संयंत्र में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) ये दोनों कंपनियां बी.आई.एफ.आर. द्वारा रुग्ण घोषित की गयी हैं। इन कंपनियों के भविष्य के संबंध में कोई भी निर्णय, नए संयंत्र स्थापित करने सहित, बी.आई.एफ.आर., जोकि न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित पड़ी कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. के विभिन्न संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता क्रमशः 808.65 और 653.5 हजार टन नाइट्रोजन

है। वर्ष 1992-93 के दौरान एफ.सी.आई. तथा एच.एफ.सी. की समग्र स्थापित क्षमता उपयोगिता क्रमशः 31.7% और 33.6% थी।

(घ) कम उत्पादन के मुख्य कारण प्रौद्योगिकी कमियां, सिस्टम डिजाइन में कमियां, बारंबार उपस्कर खराबियां, संयंत्रों का पुरानापन, पावर की कमी आदि हैं।

(ङ) संयंत्रों में मरम्मत तथा प्रतिस्थापनों तथा अधिकांश एककों में कैपटिव पावर संयंत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, सरकार निवेश आपूर्तियों की लागत को पूरा करने के लिए इन कंपनियों को वित्तीय समर्थन भी प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय आवास नीति के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य

2293. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आवास नीति के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए एक उचित कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आवासीय वित्त हेतु मकान दूसरी बार बंधक रखने की अनुमति देने और समग्र वित्त व्यवस्था से इसे जोड़ने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। कानूनी तथा नियामक बाधाओं को दूर कर आवास कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति में संलग्न विवरण में किये गये उल्लेख के अनुसार एक विस्तृत कार्य सूची निर्धारित की गयी है।

(ग) और (घ) आवास सेक्टर में वित्त की आगत में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति में एक सकारात्मक उपाय के रूप में आवास रेहन हेतु एक गौण बाजार के सृजन का विचार किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस सम्बन्ध में विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए विभिन्न संस्थानों अर्थात् - राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हॉम फाइनेंस, जीवन बीमा निगम गृह वित्त आदि से लिये गये अधिकारियों से एक अध्ययन दल का गठन किया है।

विवरण

राष्ट्रीय आवास नीति में उल्लिखित कानूनी तथा नियामक फ्रेमवर्क

कानूनी बाधाओं को दूर करने सम्बन्धी उपायों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) दखलकारों को **वास-स्थान अधिकार प्रदान** करने के लिए भूमि सुधार तथा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों में प्रावधान, परियोजनाओं द्वारा विस्थापित लोगों का समुचित पुनर्वास करना, आदिवासी परिवारों की बेदखली से सुरक्षा करना, वनों तथा सार्वजनिक भूमि आदि पर उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण।

(ख) मार्ग दर्शक के रूप में राष्ट्रीय भवन संहिता के आधार पर राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा वृहतर योजना मानकों, भू-उपयोग योजनाओं, भवन उपविधियों तथा अवस्थापना मानकों में संशोधन; इससे आश्रय की लागत में कमी करने में मदद मिलेगी, और भूमि का कारगर उपयोग और आवास कार्यकलाप सुसाध्य होगा;

(ग) भू-स्वामियों के हितों का ध्यान रखकर सघन भूमि का शीघ्र जुटान, सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण पर लागू होने वाले कानूनों और पद्धति में समुचित संशोधन करना;

(घ) नगर नियोजन विशेषतः निम्न आय वर्ग की बस्तियों और आवास के स्व-स्थान सुधार के मापदण्डों और मानकों सम्बन्धी कानूनों और विनियमों की समीक्षा तथा संशोधन;

(ङ) सामूहिक अथवा सहकारी आवास कार्यकलाप सम्बन्धी वर्तमान सहकारी कानूनों में पृथक अध्याय का अधिनियम करना, ताकि उनकी कार्य प्रणाली को सरल बनाया जा सके और मौजूदा बाधाओं को हटाया जा सके;

(च) व्यक्तिगत मालिकों को अधिकार के हस्तांतरण सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रबन्ध और उधार देने वाले संस्थानों द्वारा अपार्टमेंट पर अधिभार लगाने के प्रावधान करने के लिए उन राज्यों में, जहां ऐसे कानून नहीं हैं, वहां अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम बनाना और मौजूदा कानूनों में यथा आवश्यक समुचित संशोधन करना;

(छ) अनौपचारिक सेक्टर में गरीबों और परिवारों को आवास तथा सुविधाएं विशेषतः अधिक उधार देने के लिए वित्त की लागत में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए निम्नलिखित के माध्यम से कार्रवाई :

- लचीली तथा समानांतर आवश्यकताएं और पुनर्भुगतान अनुसूचियां;
- आवास वित्त संस्थानों के संसाधनों में और वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय आवास द्वारा पुनर्वित्त पोषित आवास वित्त संस्थानों के रेहनों के शीघ्र मोचन-निषेध के प्रावधान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन करता तथा आवास रेहनों के लिए गौण बाजार के सृजन में सहायता करना;
- अंग्रेजी रेहन प्रणाली को सरल बनाना;
- दस्तावेजों के पंजीकरण तथा रेहन निष्पादित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना;
- मालिकाना अधिकार की जांच की प्रक्रिया सरल बनाना तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मालिकाना अधिकार के पंजीकरण टोरेन सिटम को चरणबद्ध रूप में प्रारम्भ करना।

ग्रामीण जनसंख्या

2294. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना के आधार पर देश में राज्यवार कुल कितनी ग्रामीण जनसंख्या है;

(ख) ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत भाग राज्यवार विशेषतः आन्ध्र प्रदेश पर खर्च किया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार सरकार द्वारा देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ग्रामीण विकास पर खर्च में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उत्तर-पश्चिमी राज्यों में 1993-94 के लिए प्रमुख ग्रामीण विकास स्कीमों नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.आर.) के लिए आबंटनों में पिछले वर्ष के आबंटनों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 2-10-93 को देश में पहचान किए गए 1754 पिछड़े ब्लॉकों में रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) नामक एक नई स्कीम आरंभ की गई, जिनमें इस समय सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू है। 1754 ब्लॉकों में से 97 ब्लॉक गुजरात में, 114 महाराष्ट्र में और 122 राजस्थान में हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92 के लिए ग्रामीण जनसंख्या (1991 जनगणना) तथा ग्रामीण विकास स्कीमों पर व्यय किये गये निवल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य	I ग्रामीण जनसंख्या (लाख में)	II प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय (1919-92) रु. करोड़ में	III निवल राज्य घरेलू उत्पाद (1991-92) रु. करोड़ में	कालम 4 तथा कालम 5
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	456.2	329.62	36191.0	0.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.5	14.91	484.0	3.08
3.	असम	199.3	113.31	9562.3	1.18
4.	बिहार	750.2	506.50	25454.9	1.99
5.	गोवा	6.9	10.54	1032.3	1.02

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	270.6	193.31	26533.3	0.73
7.	हरियाणा	124.1	77.72	14437.3	0.54
8.	हिमाचल प्रदेश	47.2	55.31	2797.9	1.98
9.	जम्मू व कश्मीर	56.8	67.32	3167.0	2.13
10.	कर्नाटक	310.7	299.44	25435.1	9.82
11.	केरल	214.2	136.90	13542.7	1.01
12.	मध्य प्रदेश	503.4	478.81	27354.9	1.75
13.	महाराष्ट्र	483.9	371.32	62097.7	0.60
14.	मणिपुर	13.3	15.73	760.5	2.07
15.	मेघालय	14.4	10.79	797.6	2.36
16.	मिजोरम	3.7	0.82	*	-
17.	नागालैंड	10.0	17.54	674.3	2.60
18.	उड़ीसा	274.2	219.03	12913.2	1.70
19.	पंजाब	142.9	45.13	19620.8	0.23
20.	राजस्थान	339.4	309.11	19501.5	1.59
21.	सिक्किम	3.7	12.16	223.6	5.43
22.	तमिलनाडु	367.8	3 1.67	28868.2	1.18
23.	त्रिपुरा	23.3	15.90	*	-
24.	उत्तर प्रदेश	1115.0	750.10	56300.6	1.33
25.	पश्चिम बंगाल	493.7	290.86	35827.1	0.81

*आंकड़े उपलब्ध नहीं।

I. आंकडों को पूर्णांक में दर्शाया गया है।

II. प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यकमों अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर व्यय।

III. 30-11-93 की स्थिति के अनुसार चालू कीमतों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग

2295. **श्री ललित उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** 22 दिसंबर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3279 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य मंत्रियों/राज्यों के मंत्रियों पर रक्षा विभाग के विमानों एवं हेलीकाप्टरों के किराए के रूप में बकाया राशि वसूलने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) जिन मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों ने पूर्णतः अथवा अंशतः बकाया राशि दे दी है, उनका और जिन लोगों पर उक्त राशि अभी तक बकाया है उनका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संबंधित राज्य सरकारों से बकाया देय राशियों का शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। वायुसेना मुख्यालय ने बकाया राशि की शीघ्र वसूली करने के लिए अधिकारियों के विशेष दल तैनात किए हैं।

(ख) 1-10-93 से 30-11-93 तक की अवधि के दौरान वायुसेना के वायुयान के प्रयोग से संबंधित बकाया राशि की स्थिति संलग्न विवरणों में दी गई है।

विवरण-I

अक्तूबर, 1993 से 30 नवंबर, 1993 तक प्रधानमंत्री, मुख्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा गई सरकार, यात्राओं के लिए भारतीय वायुसेना के वायुयानों/हेलिकाप्टरों के इस्तेमाल के लिए वसूल की गई/बकाया राशियों के ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्री/मुख्य मंत्री का नाम	वसूल की गई राशि	बकाया राशि
1	2	3	4
1.	श्री पी.वी. नरसिंह राव प्रधान मंत्री	सरकारी प्रयोजन के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए हकदार	
2.	श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन मंत्री	17,35,883 रु.	शून्य
3.	श्री पी.वी.आर. नायडु, विद्युत राज्य मंत्री	-	08,62,423 रु.
4.	श्री मल्लिकार्जुन, रक्षा राज्य मंत्री	सरकारी प्रयोजन के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए हकदार	शून्य
5.	श्री राजेश पायलट, गृह राज्य मंत्री	01,68,300 रु.	शून्य

1	2	3	4
6.	श्री पी.एम. सईद, गृह राज्य मंत्री	08,46,154 रु.	शून्य
7.	श्रीमती जयललिता, मुख्य मंत्री, तमिलनाडु	25,16,963 रु.	शून्य
8.	श्री ललथनहवला, मुख्य मंत्री, मिजोरम	01,45,077 रु.	01,32,478 रु.
9.	श्री एच. सैकिया मुख्य मंत्री, असम	-	05,78,444 रु.
10.	श्री जी. अपांग मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	07,15,783 रु.	शून्य

विवरण-II

1 अक्तूबर, 1993 से 30 नवंबर, 1993 तक की अवधि के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा गैर-सरकारी यात्राओं के लिए भारतीय वायुसेना के वायुयानों/हेलिकाप्टरों के इस्तेमाल करने से संबंधित वसूल की गई/बकाया राशियों के ब्यौरे।

1.	श्री पी.वी. नरसिंह राव प्रधान मंत्री	-	8,29,63,833 रु.

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन

2296. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदकमण्डलम स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड की फिल्म उत्पादन संबंधी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) इसे 1992-93 के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त हुई तथा 1993-94 के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) इसमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या यह उपक्रम धन की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स् मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड(एच.पी.एफ.) की, फिल्मों के उत्पादन के लिए अधिष्ठापित क्षमता 15.324 मिलियन वर्ग मीटर प्रति वर्ष है।

(ख) वर्ष 1992-93 में 6.661 मिलियन वर्ग मीटर का उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1993-94 में 4.000 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन का अनुमान है।

(ग) कर्मचारियों की संख्या 3,631 है।

(घ) एच.पी.एफ. को हुई भारी हानियों के कारण इसके प्रचालनों पर हाल ही में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ङ) कंपनी के निष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा इसके प्रचालनों की स्थिरता के लिए प्रयास किये जा रहे है।

गुजरात में उद्योग

2297. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद गुजरात में कितने और किस प्रकार के उद्योग पंजीकृत किए गए, और

(ख) 1992-93 के दौरान गुज़रात में विदेशी सहयोग के लिए कितने उद्योग पंजीकृत किए गए?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा बे बाद जनवरी, 1994 तक गुजरात राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में कुल 1739 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की संख्या से संबंधित आंकड़े स्थापना-स्थलवार केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

समुद्र तट-रेखा पर चौकसी

2298. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटरक्षक बल को जलपोतों, विमानों की अपर्याप्त संख्या तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण उचित चौकसी बढ़ाने में कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी समुद्र तट पर पाकिस्तानी नौसेना द्वारा भारतीय मत्स्य नौकाओं को परेशान किए जाने, पाकिस्तानी मत्स्य नौकाओं द्वारा हमारे समुद्र में मछली पकड़ने तथा मादक द्रव्यों और हथियारों की तस्करी में लिप्त होने संबंधी कतिपय घटनाओं की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर तट-रेखा के साथ-साथ चौकसी बढ़ाने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) समुचित निगरानी रखने के लिए पर्याप्त सैन्य बल तैनात किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा भारतीय मछुआरों को परेशान किए जाने की 21 घटनाएं हुई हैं। तथापि, पाकिस्तानी मछली नौकाओं द्वारा मादक द्रव्यों और हथियारों की तस्करी की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है।

(ङ) निगरानी बढ़ाने के लिए कार्मिकों की अतिरिक्त टुकडियां तैनात की गई हैं। दैनिक गश्तें भी की जा रही हैं। तटरक्षक विकास योजना 1992-97 में नए पोत और वायुयान प्राप्त किए जाने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

सिविल सेवाओं के अधिकारियों के संवर्ग में परिवर्तन

2299. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 से भारतीय सिविल सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा) के कितने अधिकारियों के राज्य संवर्गों में परिवर्तन किया गया है;

(ख) सम्बद्ध अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन अधिकारियों का किस राज्य संवर्ग से परिवर्तन किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1986 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दी गई अंतर संवर्ग परिवर्तन की अनुमति

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	से	को	कारण
1	2	3	4	5
	1986			
1.	प्रीति सुदान (आर.आर. : 1983)	हरियाणा	आ.प्र.	विवाह
2.	अमिताभ मुखर्जी (आर.आर. : 1983)	गुजरात	प.ब.	विवाह
3.	मनीषा श्रीधर (आर.आर. : 1984)	नागालैण्ड	आ.प्र.	विवाह

1	2	3	4	5
4.	आशीष बहुगुणा (आर.आर. : 1978)	प.ब.	राजस्थान	विवाह
5.	सीमा बहुगुणा (आर.आर. : 1983)	जे. एण्ड के.	राजस्थान	विवाह
6.	अतुल बग्ई (आर.आर. : 1983)	म.त्रि.	उ.प्र.	विवाह
7.	आर.एस. मान (आर.आर. : 1965)	हरियाणा	पंजाब	विवाह
8.	रमेश इन्दर सिंह (आर.आर. : 1974)	प.ब.	पंजाब	लोकहित
9.	अरुणा (आर.आर. : 1982)	तमिलनाडु	केरल	विवाह
10.	मिताली सेन गुप्ता (आर.आर. : 1984)	प.ब.	महाराष्ट्र	विवाह
	1987			
11.	इन्दु भूषण (आर.आर. : 1983)	उ.प्र.	राजस्थान	विवाह
12.	संजय प्रसाद (आर.आर. : 1986)	पंजाब	गुजरात	विवाह
13.	विनीत चौधरी (आर.आर. : 1982)	म.-त्रि.	हि.प्र.	विवाह
14.	टी. शिरींग यागंजोम दास (आर.आर. : 1982)	उ.प्र.	असम-मेघालय	विवाह
15.	एस.के. गुलाटी (आर.आर. : 1982)	प.ब.	हरियाणा	विवाह
	1988			
16.	वीनू गुप्ता (आर.आर. : 1987)	बिहार	राजस्थान	विवाह
17.	सलीना एस.वी. सिंह (आर.आर. : 1986)	म.-त्रि.	मध्य प्रदेश	विवाह

1	2	3	4	5
18.	एम.के. सिंह (आर.आर. : 1985)	सिक्किम	मध्य प्रदेश	विवाह
19.	निशा सिंह (आर.आर. : 1987)	गुजरात	हि.प्र.	विवाह
20.	वन्दना खुल्लर (आर.आर. : 1985)	यू.टी.	महाराष्ट्र	विवाह
21.	एम. मोहना राव (आर.आर. : 1987)	प.ब.	मध्य प्रदेश	विवाह
22.	चित्रा राम चन्द्रन (आर.आर. : 1985)	बिहार	आ.प्र.	विवाह
23.	मनीष नन्दा (आर.आर. : 1985)	प.ब.	हि.प्र.	विवाह
	1989			
24.	धीरा खण्डेलवाल (आर.आर. : 1986)	यू.टी.	हरियाणा	विवाह
25.	आई.एस.एम. प्रसाद (आर0आर0 : 1986)	म.-त्रि.	कर्नाटक	विवाह
26.	उषा शर्मा (आर.आर. : 1985)	म.-त्रि.	राजस्थान	विवाह
27.	राजीव अरोड़ा (आर.आर. : 1987)	बिहार	हरियाणा	विवाह
28.	गीता सागर (आर.आर. : 1981)	गुजरात	ए.जी.एम.यू.टी	विवाह
29.	अनीता करवल (आर.आर. : 1988)	बिहार	गुजरात	विवाह
30.	राधा श्रीवास्तव (आर.आर. : 1988)	मध्य प्रदेश	उ.प्र.	विवाह
31.	जिवेश [illegible] (आ[illegible] 1987)	ए.जी.एम.यू.टी	उ.प्र.	विवाह

1	2	3	4	5
32.	सुनील कुमार (आर.आर. : 1987)	पंजाब	उ.प्र.	विवाह
33.	एस.राधा (आर.आर. : 1988)	असम-मेघालय	उ.प्र.	विवाह
34.	बीरा राणे (आर.आर. : 1988)	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	विवाह
35.	शालिनी मिश्रा (आर.आर. : 1988)	गुजरात	आ.प्र.	विवाह
	1990			
36.	अमीता प्रसाद (आर.आर. : 1985)	प.ब.	कर्नाटक	विवाह
37.	गौरी सिंह (आर.आर. : 1987)	प.ब.	मध्य प्रदेश	विवाह
38.	संजीव कौशल (आर.आर. : 1986)	तमिलनाडु	हरियाणा	अधिकरण के आदेश
39.	सुनील गेरवाल (आर.आर. : 1983)	बिहार	महाराष्ट्र	मेडिकल
40.	समीर सिंह चन्देल (आर.आर : 1989)	पंजाब	राजस्थान	विवाह
41.	जी.वी.वी. शर्मा (आर.आर. : 1986)	नागालैण्ड	उड़ीसा	विवाह
42.	जयश्री मुखर्जी (आर.आर. : 1986)	म.-त्रि.	महाराष्ट्र	विवाह
43.	रेनू शर्मा (आर.आर. : 1988)	बिहार	ए.जी.एम.यू.टी.	विवाह
44.	मनोज सोनिक (आर.आर. : 1988)	म.-त्रि.	महाराष्ट्र	विवाह
45.	नरेन्द्र कुमार (आर.आर. : 1988)	असम-मेघालय	ए.जी.एम.यू.टी.	अधिकरण के आदेश

1	2	3	4	5
46.	एस.के संधू (आर.आर. 1987)	जे.एण्ड.के	पंजाब	अधिकरण के आदेश
47.	रवनीत कौर (आर.आर. 1987)	असम-मेघालय	पंजाब	अधिकरण के आदेश
	1991			
48.	अंशुली आर्य (आर.आर. 1989)	कर्नाटक	बिहार	विवाह
49.	बसुधा शर्मा (आर.आर. 1987)	नागालैंड	आ.प्र.	विवाह
50.	वी. कुलश्रेष्ठ (आर.आर. 1989)	असम-मेघालय	बिहार	विवाह
51.	जी. जयश्री (आर.आर.)	असम-मेघालय	तमिलानाडु	एन.ई. पालिसी
52.	इशीला राय	पंजाब	केरल	विवाह
53.	कुसुमजीत बेदी	नागालैण्ड	पंजाब	एन.ई. पालिसी
54.	एस. अपर्णा	नागालैण्ड	गुजरात	एन.ई. पालिसी
55.	ए.वी. चतुर्वेदी	मणिपुर	बिहार	विवाह
56.	मैत्री दास	सिक्किम	महाराष्ट्र	अनुकम्पा के आधार पर
57.	आई. रानी कुमुदि नी.	जे. एण्ड के.	आ.प्र.	अनुकम्पा के आधार पर
58.	वी.के. जीना	म.–त्रि.	उड़ीसा	एकल महिला अधिकारी (एन.ई.)
1992				
59.	एस.ए. तागदे	केरल	महाराष्ट्र	अनुकम्पा के आधार पर

1	2	3	4	5
60.	आरती ऋषी	केरल	उड़ीसा	विवाह
61.	अर्चना अग्रवाल	ए.जी.एम.यू.टी.	उ.प्र.	विवाह
62.	सुधीर गर्ग	म.-त्रि.	उ.प्र.	विवाह
63.	सौरभ गर्ग	केरल	उडीसा	विवाह
64.	वन्दना गुरनानी	केरल	कर्नाटक	विवाह
65.	आर.एन. गुप्ता	प.बं.	पंजाब	अनुकम्पा के आधार पर
66.	मीना आहुजा	जे.एण्ड.के.	राजस्थान	एन.ई. तथा जे. एण्ड के. की नीति के तहत
	1993			
67.	सीमा एस. श्रेष्ठा (आर.आर. : 1991)	प.ब.	पंजाब	विवाह
68.	सीमा शर्मा (आर.आर. : 1992)	असम-मेघालय	महाराष्ट्र	एन.ई को आबंटित एकल महिला अधिकारी
69.	श्यामला रामकृष्ण (आर.आर. : 1990)	बिहार	महाराष्ट्र	विवाह
70.	अरविन्द कुमार (आर.आर. : 1991)	गुजरात	आ.प्र.	विवाह
71.	बी.वी.आर. सुब्रमनियन (आर.आर. : 1987)	म.-त्रि.	मध्य प्रदेश	विवाह
72.	कल्पना भट्टनागर (आर.आर. : 1992)	प.ब.	मध्य प्रदेश	विवाह
73.	नीलम शम्मी (आर.आर. : 1992)	असम	मध्य प्रदेश	विवाह
74.	अमित यादव	प.ब.	ए.जी.एम.यू.टी.	विवाह

1	2	3	4	5
75.	अनीता भट्टनागर (आर.आर. : 1985)	गुजरात	उ.प्र.	अनुकम्पा के आधार पर
76.	मनु श्रीवास्तव (आर.आर. : 1991)	जे. एण्ड के.	मध्य प्रदेश	विवाह
	1994			
77.	सुप्रिया साहू	बिहार	तमिलनाडु	विवाह

(28-2-94 तक)

वर्ष 1986 से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को दी गई अन्तर्संवर्ग परिवर्तन की अनुमति

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	से	को	कारण
1	2	3	4	5
	1986	शून्य		
	1987			
1.	श्री ए.पी. महेश्वरी	गुजरात	उ.प्र.	विवाह
	1988			
2.	श्री बुआ सिंह	पंजाब	उ.प्र.	सुरक्षा के आधार पर
3.	श्रीमती ए.आर. अनुराधा	तमिलनाडु	आ.प्र.	विवाह
	1989			
4.	श्री आर.के. सहाय	म.-त्रि.	महाराष्ट्र	मेडिकल
5.	श्री विनोद कुमार मल	महाराष्ट्र	गुजरात	विवाह
6.	डा. ईश कुमार	म.-त्रि.	आ.प्र.	विवाह
7.	श्री हरदीप सिंह	म.-त्रि.	पंजाब	मेडिकल
8.	श्रीमती शिवागमी सुन्दरी	तमिलनाडु	ए.जी.एम.यू.टी.	विवाह
	1990			
9.	श्री नन्द कुमार सारवाडे	जे.एंड के	पं.ब.	विवाह
10.	श्रीमती बी. राधिका	जे.एंड के.	उड़ीसा	विवाह

1	2	3	4	5
	1991			
11.	श्री अजय कुमार	महाराष्ट्र	गुजरात	विवाह
12.	श्री टी. सुनील कुमार	म.-त्रि.	कर्नाटक	विवाह
13.	श्रीमती अर्चना एन. सोंदेवाला	आ.प्र.	कर्नाटक	विवाह
14.	श्रीमती सुषमा सिंह	प.ब.	मध्य प्रदेश	विवाह
15.	श्री सुभाष चन्द्र	उड़ीसा	उ.प्र.	विवाह
	1992			
16.	श्रीमती तिलोतमा वर्मा	आ.प्र.	उ.प्र.	विवाह
17.	श्री वी.के. भवरा	ए.एंड एम.	पंजाब	विवाह
18.	श्री राजीव रंजन वर्मा	मध्य प्रदेश	उ.प्र.	विवाह
19.	श्रीमती सीमा अग्रवाल	हि.प्र.	तमिलनाडु	विवाह
	1993			
20.	कु. नुजहत खान	पंजाब	ए.जी.एम.यू.टी.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में आबंटित एकल महिला अधिकारी
21.	श्रीमती प्रज्ञा रिचा	केरल	मध्य प्रदेश	विवाह
	1994			
22.	श्री अनुराग शर्मा	आ.प्र.	कर्नाटक	विवाह
23.	श्रीमती ममता ए. शर्मा	प.ब.	कर्नाटक	विवाह
24.	श्री राजवीर प्रताप शर्मा	तमिलनाडु	उ.प्र.	विवाह

भारतीय वन सेवा के उन अधिकारियों का नाम जिनके संवर्ग में परिवर्तन किया गया है।

क्र.सं.	नाम	आबंटन का वर्ष	से	को	परिवर्तन का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	सुश्री मधु शर्मा	1986	महाराष्ट्र	कर्नाटक	विवाह

1	2	3	4	5	6
2.	मनोज कुमार सरकार	1986	पंजाब	तमिलनाडु	विवाह
3.	अभय जौहरी	1986	यू.टी.	असम	विवाह
4.	सुश्री ऋतु कक्कड़	1986	महाराष्ट्र	कर्नाटक	विवाह
5.	अवन कुमार	1987	बिहार	उ.प्र	विवाह
6.	सुश्री ज्योत्सना सित्लिंग	1987	जे. एंड के.	उ.प्र.	एकल महिला अधिकारी की एन.ई. या जम्मू और कश्मीर में. तैनाती न की जाए।
7.	सुश्री नीलू गेरा	1987	मध्य प्रदेश	जे. एंड के.	विवाह
8.	अमित सहाय	1987	जे. एंड के.	असम	विवाह
9.	सुश्री नीता हूडा	1987	गुजरात	हरियाणा	विवाह
10.	श्रीमती शोमिता मजूमदार	1988	प.ब.	महाराष्ट्र	विवाह
11.	सुश्री पुसाजुले मेकरो	1988	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	विवाह
12.	वी.के. तिवारी	1988	यू.टी.	हि.प्र.	विवाह
13.	सुश्री अनिता एस. अरेकल	1989	केरल	कर्नाटक	विवाह
14.	सुश्री रेनू सिंह	1990	प.ब.	मध्य प्रदेश	विवाह

केकड़े से लायसेट की प्राप्ति

2300. **डा. आर. मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा ने केकड़े के रक्त से "लायसेट" प्राप्त करने और अलग करने की विधि विकसित की है जैसा कि 10 फरवरी, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केकड़े का देसी दवाइयों में बहुत पहले से प्रयोग होता रहा है तथा अनुसंधान और विकास में इसकी विस्तृत जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं, और

(ङ) इस बारे में प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) हाइपोडर्मिक सिरिंज द्वारा अश्वनाल कर्कट के शरीर से हीमोलिम्फ निकाला जाता है। इस निकाले गए पदार्थ में रसायन मिलाए जाते हैं और लायसेट अलग करने के लिए दो बार अपकेन्द्रित किया जाता है। इस जन्तु को क्षति पहुंचाए बिना हर बार में 20 मिलीलीटर हीमोलिम्फ निकाला जा सकता है।

(ग) से (ङ) इसके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में देसी दवाइयों में प्रयोग किए जाने की सूचना है। तथापि, किसी वैज्ञानिक अध्ययन के विवरण को दस्तावेज की सहायता से प्रमाणित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रौद्योगिकी आंकड़ा बैंक

2301. **श्री बीरसिंह महतो : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ औद्योगिक प्रौद्योगिकी आंकडा बैंक स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये बैंक कहां-कहां स्थापित किये गये हैं तथा इनके लक्ष्य क्या हैं, और

(ग) क्या इन बैंकों में कार्य शुरू हो गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य-मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) देश में निम्नलिखित संगठनों के जरिये चुनिन्दा प्रौद्योगिकियों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध है :

क्र.सं.	संगठन का नाम	स्थापना स्थल	क्या काम करना शुरू कर दिया है	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1.	प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद	नई दिल्ली	जी हां	अनुसंधान और विकास योजनाकारों, उद्यमियों और निगमित प्रबन्धकों की पैदा हो रही वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी सूचना संबंधी जरूरतों को को डाटाबेस पूरा करेगा।

1	2	3	4	5
2.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रलेखन केन्द्र	नई दिल्ली	जी हां	महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिकाओं को एकत्र करना और इन्हें सम्भालना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सूचना का प्रसार करना
3.	राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम	नई दिल्ली	जी हां	प्रयोगशाला सम्बन्धी जानकारी का व्यवसायीकरण करना, ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास और संवर्धन करना तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण के संबन्ध में जानकारी का प्रसार करना।
4.	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली	नई दिल्ली	जी हां	विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में एक उपयुक्त सूचना प्रणाली का संवर्धन करना और इसके विकास में सहायता करना तथा इन्हें नेटवर्क से अन्तः सम्बन्ध करना।
5.	प्रौद्योगिक सूचना केन्द्र	नई दिल्ली	अक्टूबर, 94 से कार्य करना शुरू करेगा	भारत और विदेश में प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में सिगलविंडों जानकारी प्रदान करना। इस उद्देश के लिए प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र भारत और विदेश में उपलब्ध डाटा बैंक से सम्पर्क करेगा।

[अनुवाद]

वनरोपण कार्यक्रम

2302. **श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कुल कितनी परती भूमि है;

(ख) राज्य में, इस परती भूमि के कितने क्षेत्र पर पेड़-पौधे लगाए जा सकते हैं और कितने परती भूमि क्षेत्र पर पेड़-पौधे लगाना संभव नहीं है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों में राज्य के किन-किन क्षेत्र में वन लगाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख) गुजरात में बंजरभूमि का पता लगाने के लिए अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार गुजरात में कुल 78.36 लाख हेक्टेयर बंजरभूमि है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि किस बंजरभूमि क्षेत्र में पेड़-पौधे लगाना संभव है और किस बंजरभूमि क्षेत्र में पेड़-पौधे लगाना संभव नहीं है।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में बनीकरण/वृक्षारोपण क्रियाकलाप के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य पूरा किया गया।

वर्ष	वनीकरण/वृक्षारोपण के अंतर्गत पूरा किया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	निजी भूमि पर रोपण हेतु बीजाकुंर का वितरण (संख्या लाखों में)
1990-91	0.485	2356.36
1991-92	0.635	2511.86
1992-93	0.648	2281.46

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात

2303. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा किए गये निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह निर्यात अनुमान से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन उपक्रमों का उत्पादन और इनकी निर्यात क्षमता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के निर्यात-निष्पादन से सम्बन्धित ब्यौरा 23 फरवरी, 1994 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992-93 के अध्याय 12 (खण्ड-III) में दिया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्यात-आय वर्ष 1991-92 के 8979.78 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1992-93 में 10345.07 करोड़ रुपये हो गई। निर्यात में वृद्धि हेतु नई आयात नीति, 1992-97 1 अप्रैल, 1992 से लागू कर दी गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में शहरी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

2304. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में केन्द्रीय सहायता से समेकित शहरी विकास योजनाएं शुरू की जा रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं किन-किन क्षेत्रों में शुरू की जा रही हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1979-80से कर्नाटक राज्य सहित अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में छोटे तथा मझौले नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना चल नही है। छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना का लक्ष्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण संलग्न भूमि की बेहतरी के लिए उत्थान केन्द्रों का विकास करना और ग्रामीण आबादी को बड़े शहरों तथा नगरों में जाने से रोकता है। प्रत्येक वर्ष छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के लिए नगरों का चयन इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के पास उपलब्ध बजट आबंटन के आधार पर तथा राज्य सरकारों से योजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों सहित प्राप्त प्राथमिकता वाले नगरों की सूची के आधार पर किया जाता है। 07 मपर्च, 1994 तक कर्नाटक राज्य के 47 नगरों को छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है और 1288.86 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक राज्य में विभिन्न नगरों के लिए छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता

(1979-80 से 07-03-94 तक)

क्र.सं.	नगर का नाम	जिला	राशि
1	2	3	4
	कर्नाटक		
	छठी योजना		
1.	इसन	इसन	40.000
2.	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	51.055

1	2	3	4
3.	थिरूर	थिरूर	54.917
4.	रायचूर	रायचूर	36.280
5.	हासपेंट	बेल्लारी	24.800
6.	चन्नापट्टन	बंगलोर	44.900
7.	कनकापुरा	बंगलोर	35.980
8.	मगड	बंगलोर	32.430
9.	हूंकाबाद	बिदर	38.290
10.	होलेनारसीपुर	हसन	36.500
11.	सागर	सीहोगा	42.950
12.	शाहपुर	गुलबर्ग	53.550
13.	जरांडी	बीजापुर	35.410
14.	भूसाल नगर	कोलगू	25.360
15.	रानीबेनूर	तारवाड़	33.850
16.	करजला	दक्षिण कन्नड़	33.500
	योग		616.361
	सातवीं योजना		
17.	चिकडलपुर	कोलार	33.000
18.	राखनगढ़	बंगलौर	26.000
19.	सिरसी	उत्तरा खण्ड	30.000
20.	हरिहर	चित्र दुर्गा	36.000
21.	सिंघनौर	रायचूर	37.000
22.	कोलीगल	मैसूर	34.000
23.	गोकाक	बैलगांव	22.000
	योग		218.000

1	2	3	4
	1990-91		
24.	बसावा कल्याण	बिदर	15.000
25.	कोलार	कोलार	18.000
26.	उडूपी	दक्षिण खण्ड	17.500
27.	शिकारीपुर	मिगा	18.000
	योग		68.500
	1991-92		
28.	हलावेली	हंडिया	10.000
29.	रबाकवि-बन्नाहटी	बिजापुर	10.000
30.	दनकली	करवार	20.000
31.	चिन्तामणी	कोलार	10.000
32.	चिकमंगलूर	चिकमंगलूर	20.000
	योग		100.0000
	आठवीं योजना		
33.	तिपतूर	तुंकूर	20.000
34.	गोवरी बिदानूर	गोरी विदानूर	20.000
35.	बाडामी	बाजापूर	18.000
36.	गुरूमतकाल	गुलबर्ग	10.000
37.	सुन्दत्ती	बोलगांव	20.000
38.	बैयादगी	धारवाड़	12.000
39.	करवाड़	उत्तर कन्नड़	20.000
40.	बिदार	बिदार	17.000
41.	हवेरी	धारेवाड़	14.000

1	2	3	4
42.	बलेरी	बलेरी	35.000
43.	हादुगिरी	तुंकूर	12.000
44.	के॰आर॰ नगर	मैसूर	11.000
45.	इलकल	बिजापुर	22.000
46.	डोडाबालापुर	बंगलौर	25.000
47.	निपानी	बैलगांव	30.000
	योग		286.000
	कुल योग		1288.861

गुजरात में हैंडपम्प लगाना और कुएं खोदना

2305. **डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण और सूखा प्रवण क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने और कुएं खोदने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि दी गई है, और

(ख) राज्य में आज तक कितने हैंडपम्प लगाए गए हैं और कितने कुएं॰खोदे गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) त्वरित ग्रामीण पेयजल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजनावार आधार पर रिलीज नहीं की जाती है। कुएं खोदने के लिये सहायता नहीं दी जाती है बशर्तें कि ये स्वच्छ कुएं न हों। गुजरात को 1993-94 के लिये 26.56 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से अब तक 20.74 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।

(ख) केन्द्र सरकार के स्तर पर खोदे गए कुओं की संख्या की निगरानी नहीं जाती है। राज्य सरकार ने सूचित किया था कि जनवरी, 1994 तक 54121 हैंडपम्प लगाए गए थे।

बायलर एवं अनफायर्ड प्रेशर वेसेल्स संबंधी कानूनों की समीक्षा

2037. **प्रो॰ प्रेम धूमल :**
श्री अन्ना जोशी :
श्री फूल चंद वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972 में बायलर एवं अनफायर्ड प्रेशर वेसेल्स संबंधी कानूनों की व्यापक समीक्षा के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या उक्त समिति ने कोई रिपोर्ट दी है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बीस वर्षों के बाद उक्त रिपोर्ट को लागू करने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सिफारिशों के कार्यान्वयन पर 1974 से विचार किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट को 1974 और फिर 1984 में राज्य सरकारों को परिचालित किया गया था। अधिकतर राज्य बायलरों की जांच के लिए न तो केन्द्र सरकार के संगठन की स्थापना करने के लिए सहमत थे और न ही अपने बायलर निरीक्षणालय पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण चाहते थे। अतः केन्द्र सरकार ने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात और नई औद्योगिक नीतियों तथा राज्य सरकारों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

[हिन्दी]

सैनिक स्कूलों में छात्रावास

2308. **श्री मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने सैनिक स्कूलों में छात्रावास हैं;

(ख) कितने सैनिक स्कूलों के पास अपना छात्रावास नहीं है, और

(ग) सभी सैनिक स्कूलों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) देश में 18 सैनिक स्कूल हैं। सभी स्कूलों में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विभिन्न राज्यों में स्थित सैनिक स्कूलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	सैनिक स्कूल
1	2
1.	सैनिक स्कूल, सतारा, महाराष्ट्र
2.	सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, हरियाणा

1	2
3.	सैनिक स्कूल, बालाचड़ी, गुजरात
4.	सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़, राजस्थान
5.	सैनिक स्कूल, कपूरथला, पंजाब
6.	सैनिक स्कूल, कोरूकुंडा, आंध्र प्रदेश
7.	सैनिक स्कूल, कजाकुटम, केरल
8.	सैनिक स्कूल, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
9.	सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर, उड़ीसा
10.	सैनिक स्कूल, अमरावतीनगर, तमिलनाडु
11.	सैनिक स्कूल, रेवा, मध्य प्रदेश
12.	सैनिक स्कूल, तिलैया, बिहार
13.	सैनिक स्कूल, बीजापुर, कर्नाटक
14.	सैनिक स्कूल, गोलपाड़ा, असम
15.	सैनिक स्कूल, नगरोटा, जम्मू तथा कश्मीर
16.	सैनिक स्कूल, इम्फाल, मणिपुर
17.	सैनिक स्कूल, सुजानपुर तिहरा, हिमाचल प्रदेश
18.	सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, उत्तर प्रदेश।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मतदाता पहचान-पत्र

2309. **श्री ए. अशोक राज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कम लागत पर मतदाता पहचान-पत्र बनाने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसिल) जो सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, भाभा

परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा देश में ही विकसित की गई प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाकर फोटो लगे पहचान पत्र बनाने की एक प्रणाली तैयार करता है।

प्रत्येक प्रणाली की अनुमानित लागत 6.5 लाख रुपये है और प्रत्येक कार्ड की आवर्ती लागत लगभग 2.50 रुपये बैठेगी। इस प्रणाली के कई लाभ हैं जैसे कि उचित लागत पर कम समय में काफी संख्या में कार्डों का उत्पादन, प्रशिक्षण तथा परिचालन की सुगमता, आसानी से भंडारण, कार्डों का पुनः प्रापण तथा उन्हें अद्यतन किया जाना। अंकीकृत प्रतिबिम्ब संसाधन प्रणाली में एक न्यूट्रान परावर्तन-सह स्वस्थाने मुद्रक भी है। इस प्रणाली में फोटो पर आधारित निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा उसे अद्यतन करने के लिए चुनाव संबंधी आंकड़े तैयार करने हेतु एक वैकल्पिक सुविधा मौजूद है।

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड

2311. **प्रो. उम्मरेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड कृष्णा-गोदावरी गैस बेसिन के निकट एक संयुक्त उद्यम की स्थापना कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उसे शुरू करने के लिये क्या समय निर्धारित है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) यद्यपि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि॰ (इफको) कृष्णा गोदावरी बेसिन के समीप गैस पर आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन इसे इस उद्यम के लिए गैस आबंटित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

2312. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 को योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं लम्बित थीं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत और सिंचाई क्षमता कितनी है, और

(घ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) दिनांक 31-1-1994 तक योजना आयोग के पास मध्य प्रदेश की कोई बड़ी अथवा मध्यम सिंचाई परियोजना निवेश स्वीकृति हेतु कार्रवाई के लिए लम्बित नहीं हैं।

विज्ञान सम्मेलन, 1993

2313. **डा. लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आधुनिक जीवन शैली को पुनः परिभाषित करने हेतु अक्तूबर, 1993 में हुए विज्ञान सम्मेलन में दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : 24 से 27 अक्तूबर, 1993 को नई दिल्ली में विश्व जनसंख्या पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा एक विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विश्व के विभिन्न इलाकों के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 58 अकादमियों द्वारा हस्ताक्षरित जनसंख्या वक्तव्य के सार में आधुनिक जीवन-पद्धति का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। (विवरण संलग्न है)।

विवरण

विश्व की वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या शिखर सम्मेलन
24-27 अक्तूबर, 1993, नई दिल्ली, भारत

जनसंख्या वक्तव्य का सार
58 अकादमियों द्वारा हस्ताक्षरित

1994 का वर्ष एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाये जब दुनिया के लोगों ने आगामी पीढ़ियों की भलाई के एक साथ मिलकर काम करने की ठानी।

दुनिया भर की अकादमियां आह्वान करती हैं सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्णयकर्त्ताओं का, खास तौर पर 1994 के संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या तथा विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लेने वालों से कि वे अब बुद्धिमतापूर्ण कदम उठायें तथा विश्व स्तर पर जनसंख्या एवं जीवनयापन योग्य विकास के लिए एक एकीकृत नीति अपनायें।

समस्या

दुनियां एक अभूतपूर्व जनसंख्या विस्तार की ओर बढ़ रही है। एक जीवन-अवधि के दौरान ही दुनियां की जनसंख्या बढ़कर दुगुनी से ज्यादा 5.5 बिलियन हो गई, तथा अगली शताब्दी के मध्य तक कम से कम जन्म दर के सबसे अधिक आशावादी परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए भी दुनियां की आबादी 7.8 बिलियन के शिखर को छू लेगी। पिछले दशक में विश्व जनसंख्या बढ़ोतरी की तुलना में जमीनी तथा समुद्री दोनों का खाद्य उत्पादन घटा है।

मानवीय जनसंख्या, आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक का वातावरण के बीच जटिल रिश्ता होता है तथा उसे अच्छे तरीके से नहीं समझा जाता है। इतना ही नहीं, इस बात में भी कोई शक नहीं कि पर्यावरण प्रणाली पर खतरा जनसंख्या के आकार तथा स्रोतों के दोहन से जुड़ा हुआ है। बढ़ता हुआ ग्रीन हाऊस गैस-उत्सर्जन, ओजोन का छीजना तथा अम्ल-वर्षा, जैव-विभिन्नता का नष्ट होना, वन का नष्ट होना तथा ऊपरी भू-सतह का क्षरण, पानी, खाद्य तथा ईंधन की कमी यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार प्राकृतिक प्रणालियां को उनकी सीमाओं की छोर तक धकेला जा रहा है।

विकसित देश, जहां दुनियां की एक तिहाई से भी कम आबादी रहती है, में दुनियां के उत्पादन व खनिज एवं जीवाश्म - ईंधन-खपत का 85% चुकता है। धनी तथा गरीब दोनों ही देश औद्योगिक गतिविधियों, गलत कृषि-व्यवहारों, जनसंख्या के जमाव तथा अपर्याप्त व परिस्थितिकी के बारे में बिना सोचे-समझे गतिविधियों के कारण वातावरण की क्षति में अपना योगदान देते हैं। इसके बावजूद कम विकसित देशों तथा संक्रमण से गुजर रहे देशों के लिए विकास एक जायज आशा है।

समाधान

हमारा साझा लक्ष्य है, वर्तमान तथा भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए, जिन्दगी के स्तर को बेहतर बनाना। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि मूलभूत मानवीय अधिकारों को बरकरार रखते हुए तथा एक संरक्षित पर्यावरण में सद्भावपूर्ण तरीके से रहने की क्षमता के साथ सामाजिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक विकास को बढ़ाया जाये। सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण की समस्याओं से जूझने के लिए हमें अपने बच्चों की जिन्दगी की अवधि के दौरान ही शून्य जनसंख्या बढ़ोत्तरी की रफ्तार हासिल करनी होगी।

इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है यदि समय रहते, राजनीतिक इच्छाशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सूझबूझ भरा इस्तेमाल तथा मानवीय इनजेन्युटी का प्रयोग किया जाये, लेकिन यदि सिर्फ अभी आवश्यक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति निर्धारित की जाये, तभी यह संभव है।

इस कार्य का हम कैसे पूरा करें?

आवश्यकता है :

– स्त्री और पुरूषों को यौन, सामाजिक तथा आर्थिक जिन्दगी में समानता के अधिकार प्राप्त हों जिससे कि परिवार के आकार के बारे में वे व्यक्तिगत निर्णय ले सकें;

– परिवार-नियोजन तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक सबों की सुविधाजनक पहुंच, तथा गर्भनिरोधकों के कई सुरक्षित एवं सस्ते किस्मों के विकल्प का उपलब्ध होना;

– परिवार-नियोजन को स्वैच्छिक रूप से अपनाये जाने को बढ़ावा तथा असुरक्षित एवं खतरनाक व्यवहारों की समाप्ति;

– स्वच्छ जल, सफाई, मोटे तौर पर मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें तथा शिक्षा;

– दीर्घावधि पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को मान्यता देने वाली सही सरकारी नीतियां;

– एक नई आचार-संहिता जो अनावश्यक उपभोग को अस्वीकार करती हो, के तहत विकसित देशों में अधिक क्षमता वाले तथा पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नष्ट करने वाले व्यवहारों का अपनाया जाना;

– पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण, कर निर्धारण तथा उपभोग पर अंकुश की नीतियां आदि तैयार करना, जिससे कि उपभोक्ता-व्यवहार में परिवर्तन आये;

– विश्वस्तरीय तथा स्थानीय परिस्थितिकी की समस्याओं से जूझने में उद्योगीकृत देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता;

– "वातावरण के लिए प्रौद्योगिकी" की परिकल्पना का प्रोन्नयन;

– सरकारों द्वारा कानूनों, आर्थिक योजना तथा प्राथमिकता निर्धारण में वातावरण के लक्ष्यों को शामिल करना, तथा वातावरण की विषम परिस्थितियों में सुधार करने वाले संगठनों, व्यक्तियों को बढ़ावा;

– सभी देशों द्वारा सामूहिक प्रयास;

समस्याओं की बेहतर समझदारी, विकल्पों तथा समाधानों, खास तौर पर जिन्हें नीचे दर्शाया गया है, के विकास में प्राकृतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य व्यवसायिकों को अपनी भूमिका अदा करनी है :

– प्रजनन-व्यवहारों, परिवार का आकार तथा परिवार-नियोजन को प्रभावित करने वाले तथ्यों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक भूमिका;

– मानवीय विकास में बाधा पहुंचाने वाले तथ्यों, खास तौर पर सामाजिक असमानता, जाति, वर्ग तथा लिंग पूर्वाग्रहों की समाप्ति में भूमिका;

– विश्वस्तरीय तथा स्थानीय वातावरण के परिवर्तन, इसके कारणों (सामाजिक, औद्योगिक, जनसंख्यात्मक तथा राजनीतिक) तथा उन्मूलन के लिए नीतियों के निर्णय में भूमिका;

– विशेष तौर पर महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शिक्षा तथा मानव-स्रोत-विकास में सुधार;

– परिवार-नियोजन कार्यक्रमों, नये गर्भ-निरोधक विकल्पों तथा मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भूमिका;

– ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण, जिसमें कम ऊर्जा तथा पदार्थों की खपत होती है;

– प्राकृतिक विज्ञानों, इंजीनियरी, औषधि, सामाजिक विज्ञानों, प्रबंधन तथा अंतर्विषयी अध्ययनों के लिए विकासशील देशों में स्वदेशी क्षमता का विकास;

– जीवन-यापन योग्य विकास के लिए प्रौद्योगिकी तथा कार्यनीति का निर्माण;

– विश्व की साझी थाती की रक्षा करने के लिए नेटवर्कों, समझौतों तथा सम्मेलनों का आयोजन;

* शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में विश्व भर के वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान।

निम्नलिखित संगठनों द्वारा शिखर सम्मेलन का वक्तव्य समाकृत किया गया है।

एकेडमी आफ साइंस आफ अल्बानिया

आस्ट्रेलियन एकेडमी आफ साइंस

आस्ट्रियन एकेडमी आफ साइंसिस

बंगलादेश एकेडमी आफ साइंसिस

एकेडमी आफ साइंसिस आफ बेलारूस

नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस आफ बोलिविया

ब्राजिलियन एकेडमी आफ साइंसिस

बलगारियन एकेडमी आफ साइंसिस

रायल सोसाइटी आफ कनाडा

केरिबियन एकेडमी आफ साइंसिस

चाइनीज एकेडमी आफ साइंसिस

कोलम्बियन एकेडमी आफ एक्जेक्ट, फिजिशियल एंड नेचुरल साइंसिस

क्रोआटियन एकेडमी आफ साइंस एंड आर्ट्स

क्यूबन एकेडमी आफ साइंसिस

एकेडमी आफ साइंसिस आफ दि चैक रिपब्लिक

रायल डेनिश एकेडमी आफ सांइंसिस एंड लैटर्स

एकेडमी आफ साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलोजी इजिप्ट

एंस्टोनियन एकेडमी आफ साइंसिस

फेडरेशन आफ एशियन साइंटिफिक एकेडमीज एंड सोसाइटिज

डैल्गेशन आफ दि फिनिश एकेडमीज आफ साइंस एंड लैटर्स

फ्रेंच एकेडमी आफ साइंसिज

कान्फ्रेंस आफ दि जर्मन एकेडमीज आफ साइंसिस

घाना एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंसिस

एकेडमी आफ एथेंस, ग्रीक

हंगरियन एकेडमी आफ साइंसिस

इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी

इजरायल एकेडमी आफ साइंसिस एंड ह्यूमैनिटिस

कजाकिस्तान नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस

रायल साइंटिफिक सोसाइटी

कीनिया नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस

नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस, रिपब्लिक आफ कोरिया

लात्वियन एकेडमी आफ साइंसिस

लित्थुआनियन एकेडमी आफ साइंसिस

मेकेडोनियन एकेडमी आफ साइंसिस एंड आर्ट्स

मलेशियन साइंटिफिक एसोसिएशन

नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस, मैक्सिको

एकेडमी आफ साइंसिस आफ मालदोवा

मंगोलियन एकेडगी आफ साइंसिस

एकेडमी आफ दि किंगडम आफ मोराको

रायल नेपाल एकेडमी आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी

रायल नीदरलैण्ड्स एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंसिस

नाइजिरियन एकेडमी आफ साइंस

नार्वेजियन एकेडमी आफ साइंस एंड लैटरस

पाकिस्तान एकेडमी आफ साइंसिस

नेशनल एकेडमी आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी, फिलिपीन्स

रोमानियन एकेडमी आफ साइंसिस

रशियन एकेडमी आफ साइंसिस

स्लोवेनियन एकेडमी आफ साइंसिस एंड आर्ट्स

रायल स्वैदिश एकेडमी आफ साइंसिस

कान्फ्रेंस आप दि स्विस साइंटिफिक एकेडमीज

थर्ड वर्ल्ड एकेडमी आफ साइंसिस

यूगाण्डा नेशनल एकेडमी आफ साइंस एंड टेक्नोलोजी

यूक्रानियन एकेडमी आफ साइंसिस

रायल सोसाइटी आफ लंदन

नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस आफ दि यूनाइटिड स्टेटस आफ अमेरिका

नेशनल एकेडमी आफ फिजिक्स, मैथेमैटिक्स एंड नैचुरल साइंसिस आफ वैनेजुएला

रुग्ण एककों का पुनरुद्धार

2314. **श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों से अपने पुनरूद्धार सम्बन्धी सम्भाव्य योजनाएं भेजने के लिये कहने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने रुग्ण एककों ने अपनी पुनरुद्धार योजनाएं भेज दी हैं, और

(ग) इन योजनाओं पर क्या कार्यवाही की गयी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 50 रुग्ण हैं तथा इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है। उपरोक्त 50 उद्यमों में से 45 रुग्ण उद्यमों को मण्डल में पंजीकृत किया जा चुका है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन द्वारा नियुक्त प्रचालन अभिकरण उक्त उद्यमों के लिए नवीकरण योजनाएं प्रस्तुत करेंगे, ताकि मण्डल में उस पर विचार-विमर्श किया जा सके। गैर-औद्योगिक रुग्ण सरकारी उपक्रमों में प्रशासनिक मंत्रालयों में और संबद्ध प्रबंधन को सरकार के विचारार्थ पुनरुद्धार योजनाएं बनानी होंगी।

मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को सहायता

2315. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के मध्य प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के कतिपय उन क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है, जिन्हें उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। तथापि, उपलब्ध सीमित संसाधनों के कारण यह निर्णय लिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को आठवीं योजना में किसी नए पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत न किया जाए।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में संसाधनों का अभाव

2316. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अनुदान में कमी किये जाने के कारण वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन करने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) योजनेतर व्यय में अत्यधिक बढोत्तरी होने और योजनेतर बजट संबंधी सहायता में तदनुसार बढ़ोत्तरी न होने के कारण सी.एस.आई.आर. ने कुछ समय के लिए संसाधनों के अभाव का सामना किया। वर्ष 1993-94 के योजनेतर बजट में 27.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नियतन किए जाने से संसाधनों की स्थिति में आंशिक सुधार आया है।

(ग) और (घ) सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान उद्योग को अपनी प्रौद्योगिकी/ज्ञानाधार के विपणन के माध्यम से अतिरिक्त बजट-समर्थन जुटाने के लिए सक्षम हो गए हैं।

ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण

2317. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल इन्फामेंरिक सेंटर के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य-योजना क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) माइक्रो स्तरीय आयोजना को सुदृढ़ करने और तहसील/ब्लाक स्तरीय डाटा बेसों का अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टरों पर विकास करने के लिए कम्प्यूटर संचार सहायता का तहसील/ब्लाक तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। यह प्रक्रिया प्रायोगिक आधार पर पहले ही दो जिलों में आरम्भ की जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस विस्तार कार्यक्रम की सम्भाव्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसने विभिन्न राज्यों में विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एन.आई.सी. की ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ पूरक आधार पर भूमि रिकार्ड कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है। एन.आई.सी. अपनी सेवाओं का तहसील/ब्लाक स्तर तक विस्तार कर रहा है, ताकि भूमि रिकार्ड कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम और एन.आई.सी का विस्तार

कार्यक्रम संसाधन भागीदारी के माध्यम से समय और लागत बचाते हुए एक समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार आश्वासन योजना

2318. **श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत छः राज्यों को धन की दूसरी किश्त जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं, और

(ग) राज्यों को तीसरी किश्त कब तक जारी कर दी जायेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 4-3-1994 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 15 राज्यों को निधियों की दूसरी किस्त रिलीज कर दी है। ये राज्य निम्नलिखित हैं :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. हरियाणा
5. कर्नाटक
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. मिजोरम
10. नागालैंड
11. उड़ीसा
12. राजस्थान
13. सिक्किम
14. त्रिपुरा
15. पश्चिम बंगाल।

(ग) 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की तीसरी किस्त राज्य सरकारों से उन जिलों, जिन्होंने उनके पास पहले से उपलब्ध निधियों में से 50 प्रतिशत अथवा अधिक राशि का सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु इस्तेमाल कर लिया है, के संबंध में और निधियां रिलीज करने के प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद रिलीज की जायेंगी।

उर्वरक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

2319. **डा. असीम बाला** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक क्षेत्र में इस समय विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौता हुआ है,

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या हल्दिया उर्वरक एकक का निजीकरण किया जा रहा है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण के लिए इंडस्ट्रीज कीमिक्स डू सेनेगल (आई.सी.एल.) सेनेगल के साथ भारत सरकार, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) और सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन (स्पिक) का एक संयुक्त उद्यम सेनेगल में पहले ही उत्पादन कर रहा है। मैसर्स सदर्न पेट्रोकैमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण के लिए जोर्डन में जार्डन फासफेट माइन्स कम्पनी लि. (जे.पी.एम.सी.) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) ओमान और इरान में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकारी/सहकारी/निजी क्षेत्रों की कुछ उर्वरक कम्पनियों ने दूसरे देशों जैसे कातार, सऊदी अरब और ब्रूनी में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है।

(घ) इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में खादी और कुटीर उद्योग

2320. **श्री टी.जे. अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खादी और कुटीर उद्योग के विकास हेतु प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इन लघु उद्योगों की स्थापना हेतु किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी गई है अथवा दी जाएगी, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत केरल को कितनी सहायता दी गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अलैप्पी जिले में रोजगार सृजन के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से एक विशेष कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव किया गया है। मधुमक्खी पालकों के पुर्नवास हेतु भी एक विशेष

कार्यक्रम पिछले वर्ष चालू किया गया है। इसके अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले खादी तथा ग्रामोद्योगों के क्षेत्र में केरल राज्य में भी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाये गये हैं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित वित्तीय सहायता के प्रतिमानों के अनुरूप होगा। खादी तथा ग्रमोद्योग आयोग ने हिली बोर्डर, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग के क्षेत्रों के लिए भी सहायता के उदार आदर्श निर्मित किये हैं। उक्त सहायता आदर्श केरल सहित पूरे देश में लागू है।

(ग) जहां तक केरल का संबंध है, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उद्योगों/योजनाओं जैसे कपास, मसलिन खादी, मोटरी, चूना निर्माण, कुछीर दिया सलाई तथा अगरबत्ती, बेंत तथा बांस, मधुमक्खी पालन, अनाज व दालों का प्रसंस्करण फल प्रसंस्करण, रेशा, साबुन, चमड़ा, बायो गैस, बढ़ईगिरी तथा लौहारगिरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलीवस्त्र, कपड़ा इत्यादि को कार्यान्वित करता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयेग ने अपने क्षेत्र के तहत केरल राज्य को खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए निम्न धनराशि वितरित की :

(रुपये लाख में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1990-1	175.44	750.41
1991-92	220.83	247.12
1992-93	203.25	704.40

बुनकरों का उत्थान

2321. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे बुनकरों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन बुनकरों के आर्थिक उत्थान हेतु विशेष रूप से धनराशि नियत करने के लिये कोई निर्देश दिए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार सहित सभी संबंधितों को निम्नलिखित के लिये निर्देश जारी कर दिये गए हैं :

(1) प्रत्येक करघाहीन बुनकर को एक करघे की व्यवस्था।

(2) करघाहीन बुनकरों के लिये ट्राइसेम प्रशिक्षण।

(3) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बुनकर परिवारों की कवरेज और

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था।

ये लाभ गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले पात्र बुनकरों को दिया जाने हैं। अलग से कोई निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं और उपरोक्त सहायता ग्रामीण विकास मंत्रालय के चल रहे कार्यक्रमों की मार्फत दी जाती है।

डी.डी.ए. फ्लैटों को किराये पर दिया जाना

2322. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री मोहन रावले :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डी.डी.ए. अधिकारियों द्वारा नगर के विभिन्न भागों में डी.डी.ए. फ्लैटों को किराये पर दिये जाने के संबंध में 8 जनवरी, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी. हां। 8-2-94 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-15 रोहिणी में किराये पर दिये गये 5 एल.आई.जी. फ्लैटों का पता लगाया था।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अपराधियों के अनधिकृत प्रवेश करने वालों के रूप में दर्ज करने के लिए 8-2-94 को पुलिस में शिकायत की गयी है। क्षेत्र के प्रभारी जूनियर इंजीनियर को रोहिणी में अनाबंटित डी.डी.ए. फ्लैटों को किराये पर दिये जाने के लिए निलम्बित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता

2323. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कितनी-कितनी प्रति व्यक्ति वार्षिक केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को दी जा रही प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक सहायता अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित मुखर्जी फार्मूले के तहत वर्ष 1994-95 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता अन्य कई गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

वार्षिक योजना 1994-95 के लिए केंद्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति (सकल) आवंटन

क्र.सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति (रु.)
1	2	3
क.	**विशेष श्रेणी ***	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6556
2.	असम	612
3.	हिमाचल प्रदेश	1070
4.	जम्मू और कश्मीर	1810
5.	मणिपुर	2226
6.	मेघालय	2093
7.	मिजोरम	6219

1	2	3
8.	नागालैंड	4475
9.	सिक्किम	6427
10.	त्रिपुरा	1591
	जोड़-क	1320
ख.	**गैर-विशेष श्रेणी****	
1.	आन्ध्र प्रदेश	163
2.	बिहार	170
3.	गोवा	595
4.	गुजरात	105
5.	हरियाणा	188
6.	कर्नाटक	105
7.	केरल	180
8.	मध्य प्रदेश	136
9.	महाराष्ट्र	91
10.	उड़ीसा	173
11.	पंजाब	120 ***
12.	राजस्थान	170
13.	तमिलनाडु	159
14.	उत्तर प्रदेश	146
15.	पश्चिम बंगाल	111
	जोड-ख	142
	जोड़ : (क+ख)	202

विवरण-II

वार्षिक योजना 1994-95 के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रति व्यक्ति (सकल) आवंटन

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति (रु.)
क.	**विधायिका सहित**	
1.	दिल्ली	268
		(3837)
2.	पांडिचेरी	1807
		(2860)
ख.	**विधायिका रहित**	
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17826
4.	चण्डीगढ़	3424
5.	दादरा और नागर हवेली	3378
6.	दमन और दीव	2984
7.	लक्षद्वीप	100
	जोड़	1108

* इस समय 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण पद्धति पर।

** इस समय 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत की पद्धति पर।

*** विशेष योजना ऋण के अतिरिक्त।

नोट : 1. प्रति व्यक्ति आंकड़े जनसंख्या नीति विवरण 1977 के अनुसार फार्मूले में प्रयोग किए गए के अनुसार 1971 जनसंख्या के आधार पर निकाले गए हैं।

2. परेन्थेसिस केन्द्रीय सहायता के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्तपोषित अन्य संघ राज्य की तुलना में प्रति व्यक्ति परिव्ययों के आकड़े दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

रसायन एककों के लिए कार्यकारी दल

2324. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संबंधी संधि के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी रसायन निर्माणकारी औद्योगिक एककों पर निगरानी रखने के लिए कोई कार्यकारी दल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इसके लिए कुछ औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) जी, नहीं। फिर भी रासायनिक हथियार समझौता के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिंए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

2325. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए संभावित उद्यमियों को निजी परामर्श और उपयोगिता रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ऐसी परियोजनाओं को चलाने के लिए वित्तीय सहायता देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस उद्देश्य से कोई अनुदान भी उपलब्ध है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि यह मंत्रालय विस्तृत सर्वेक्षण तथा अनुसंधान और 3 मेवा. क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए संभाव्यता-सह-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा सिंचाई बांधों की तलहटी और नहर प्रपात आधारित स्थलों पर 15 मेवा. क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों को उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इरेडा द्वारा 14.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर परियोजना की लागत के 75 प्रतिशत तक ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) और (च) जी, हां। यह मंत्रालय इरेडा की ऋण सहायता योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को छोड़कर अन्य परियोजनाओं की स्वीकार्य निर्माण, विद्युत और यांत्रिक कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पूंजीगत आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराता है, जो कि परियोजना की श्रेणी और प्रकार पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

निर्वाचन-क्षेत्रों को बारी-बारी से आरक्षित करना

2326. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को बारी-बारी से आरक्षित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई परिसीमन आयोग नियुक्त किए जाने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। ऐसा एक प्रस्ताव है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से व्यवस्थित किया जाए, तथापि स्थानों को चक्रानुक्रम से व्यवस्थित करने के लिए ठीक-ठीक रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं की गई है।

(ग) और (घ) परिसीमन आयोग नियुक्त किए जाने का प्रश्न संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 के अधिनियम बन जाने के पश्चात् ही उठ सकता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योग

2327. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में, विशेषतः एटा में सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु कोई नीति बनायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (च) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाएं स्थापित करने या मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करने का निर्णय परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम नामशः भारत इम्यूनोलोजिकल एण्ड बायोलोजिकल कंपनी लि. और इण्डियन मैडीसिंस एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों क्रमशः बुलन्दशहर और अल्मोड़ा में स्थित है।

[अनुवाद]

अपंजीकृत लघु उद्योग

2328. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के उद्योग विभाग अथवा एन.एस.आई.सी. में बिना किसी पंजीकरण के देश में चल रहे लघु उद्योग की इकाइयों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो 20 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार ऐसी इकाइयों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों को पंजीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कुछ मदों का उत्पादन विशेषतौर पर लघु उद्योगों द्वारा ही करने के लिए निश्चित किया है;

(ङ) यदि हां, तो श्रेणीवार ऐसी मदों के नाम क्या हैं, और

(च) पंजीकृत तथा अपंजीकृत लघु उद्योगों की इकाइयों को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने उन लघु औद्योगिक एककों की संख्या का अनुमान लगाया है जो या तो राज्य उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं अथवा बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। 31-3-1993 को गैर-पंजीकृत एककों की संख्या 5.98 लाख थी।

(ख) देश के प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में चल रहे गैर-पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, लघु क्षेत्र में चल रहे गैर-पंजीकृत एककों की राज्यवार संख्या का अनुमान लगाने के लिए विशेष अध्ययन के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) राज्य/संघ शासित उद्योग निदेशालयों में लघु औद्योगिक एककों का पंजीकरण कराना स्वैच्छिक तौर पर है। पंजीकरण कराने पर लघु औद्योगिक एककों को उनके विकास के लिए निर्धारित विभिन्न सुविधाएं/रियायतें पाने में सहायता मिलती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इस समय सरकार द्वारा केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 836 वस्तुएं निर्धारित की गई है। इन 836 वस्तुओं के श्रेणीवार नाम भारत का राजपत्र सं. एस.ओ. 477(ई) दिनांक 25 जुलाई, 1991 में पहले ही अधिसूचित कर दिये गये हैं।

(च) ऐसे लघु औद्योगिक एककों को सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गयी सुविधाओं में ऋण देना, विकसित भूखंड और एस्टेट, विपणन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता की जांच और प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उत्पाद शुल्क में छूट आदि सुविधाएं शामिल हैं। केन्द्रीय बजट 1994-95 में, पंजीकृत और बिना पंजीकृत दोनों प्रकार के एककों को समान उत्पाद-छूट देने का प्रस्ताव है।

चीनी मिलों द्वारा विद्युत उत्पादन

2329. **श्री शंकरराव डी. काले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की कई चीनी मिलों ने अपनी खोई से विद्युत उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मिलों ने अपनी अतिरिक्त विद्युत रियायती दरों पर राज्य सरकार को देने की पेशकश भी की है, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में एक चीनी फैक्ट्री में 9.35 मेवा. अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन और इस विद्युत को राज्य की ग्रिड को देने के लिए खोई आधारित सह-उत्पादन प्रदर्शन परियोजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए इस राज्य से तीन अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कुछ शर्तों के अधीन सह उत्पादित्र अतिरिक्त विद्युत की खपत करने के लिए संबंधित चीनी फैक्ट्रियों को सिद्धांत रूप से निरापत्ति प्रेषित कर दी गई है।

"अग्नि" का प्रक्षेपण

2330. **प्रो. एम. कामसन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में ही विकसित भारत की भूमि से भूमि पर मार करने वाली मध्यम श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल "अग्नि" का तीसरा परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे छोड़े जाने के उद्देश्य और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और

(ग) भविष्य में भी इन मिसाइलों के प्रक्षेपण का कार्य जारी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रि-एंट्री तकनालॉजी डिमोंस्ट्रेटर "अग्नि" का तीसरा उड़ान परीक्षण 19 फरवरी, 1994 को सफलतापूर्वक किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य रि-एंट्री और संबंधित तकनालॉजी की जांच करना था। इस मिशन की सभी अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं।

(ग) "अग्नि" परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली उड़ानों की कड़ी में यह अंतिम उड़ान थी।

नारियल-जटा का निर्यात

2331. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान अब तक नारियल-जटा का राज्यवार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) नारियल-जटा का अधिकतम मात्रा में उत्पादन और निर्यात करने वाले राज्य का नाम क्या है, और

(ग) कितने मूल्य की नारियल-जटा का इस प्रकार निर्यात किया गया?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1993-94 (अप्रैल 1993 से जनवरी, 1994 तक) के दौरान निर्यात किए गए नारियल जटा की राज्यवार मात्रा नीचे दी गयी है :

राज्य	मात्रा (मी. टन में)
केरल	29261
कर्नाटक	15
महाराष्ट्र	40
दिल्ली	200
	29876

(ख) केरल राज्य।

(ग) 10,103.81 रुपये।

गढ़वाल क्षेत्र के विकास हेतु योजनाएं

2332. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल मंडल के विकास हेतु योजना आयोग को कुछ योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के संबंध में कोई अलग स्कीम योजना आयोग को नहीं भेजी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

द्वारका में भूमि अधिग्रहण की लागत राशि जमा करना

2333. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका में चरण-एक और चरण-दो के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत राशि को जमा करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सामूहिक आवास समितियों को आवंटन के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत राशि को पहले भी इस प्रकार जमा किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में यह विधि अपनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या द्वारका में "उपयोगिता" भूमि को निःशुल्क दिये जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि हां, तो "उपयोगिता" भूमि का ब्यौरा क्या है और इस भूमि का मूल्य किससे लिया जायेगा।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि द्वारा फेज-I की भूमि अधिग्रहण लागत फेज-II की लागत से कम होने के कारण फेज-I और II की लागतों को मिलाकर एक करने का निर्णय लिया गया है, ऐसा करने से फेज-I और II में भूमि के बिक्री मूल्य में भारी अंतर नहीं होगा, क्योंकि अंतर जनता को स्वीकार्य नहीं होता।

(ख) और (ग) अतीत में भू-लागतों को मिला कर एक करने पर विचार नहीं किया गया था, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के आबंटियों से वसूली जाने वाली भूमि कीमत निर्धारित करने के लिए "डिस्काउंण्टेड कैश फलो विधि अपनाकर परियोजनाओं का कोई विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण नहीं जाता था। उस समय भूमि की कीमतें पारम्परिक पद्धति द्वारा अधिग्रहण और विकास की प्रचलित प्रति वर्ग मीटर दरों के आधार पर निर्धारित की जाती थीं। 1992-93 में पहली बार द्वारका परियोजना के लिए लागत-लाभ विश्लेषण किया गया तथा भूमि अधिग्रहण की कुल लागत को आधार बना कर इस परियोजना की समग्र भूमि की एक कीमत तय करना संभव हुआ।

(घ) भारत सरकार ने अपने आदेश, दिनांक 10-6-92 के द्वारा यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का कालोनियों में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आवश्यक भूमि को 1 रु. वार्षिक लाइसेंस शुल्क की दर पर आवंटित किया जाएगा। यह आदेश 1-4-89 से लागू माना गया है।

(ङ) इन सुविधाओं में विद्युत उप-केन्द्र, जलापूर्ति और नालियां बनाने का कार्य शामिल है। इन सुविधाओं के लिए आवश्यक भूमि की लागत को उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत परियोजना की पूरी लागत से सम्बद्ध किया जाएगा। यह ली जाने वाली पूर्व निर्धारित दरों का ही एक भाग है।

हुडको द्वारा स्वीकृत आवास योजनाएं

2334. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 तक हुडको द्वारा स्वीकृत आवास योजनाएं राज्यवार कुल कितनी हैं और राज्यवार कुल कितना ऋण स्वीकृत और जारी किया गया;

(ख) 31 दिसंबर, 1993 तक उनके द्वारा वापस की गई राज्यवार राशि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) 31 दिसंबर, 1993 को हुडकों में कितनी योजनाएं लम्बित है; अप्रैल-दिसंबर, 1993 की अवधि में कितनी अतिरिक्त योजनाएं प्राप्त हुई और इस अवधि में स्वीकृत राशि सहित राज्यवार कितनी योजनाएं हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) आरम्भ से तथा 31-12-93 तक हुडको ने 5893 करोड़ रुपये की ऋण राशि की कुल 8837 आवास परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

31-12-93 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न परियोजनाओं के लिए रिलीज किए गए ऋण की संचयी राशि 5688.51 करोड़ रुपये थी और 2565.79 करोड़ रुपये की राशि वापस मिली थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) 31-12-93 की स्थिति के अनुसार, कुल 454 आवास स्कीमें विचाराधीन थीं। अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान 224 अतिरिक्त स्कीमें प्राप्त हुई थी। इस अवधि के दौरान, हुडको ने 683.08 करोड़ रुपये की ऋण राशि की 535 स्कीमें अनुमोदित की हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। हुडको में स्कीमों का अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है और अन्य के साथ-साथ यह उधार लेने वाली एजेंसी द्वारा निर्धारित शर्तें आवश्यकताओं के अनुपालन पर निर्भर करता है।

विवरण-I

31-12-93 के स्थिति के अनुसार हुडको द्वारा अनुमोदित राज्यवार आवास स्कीमें

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1233	552.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2.61

1	2	3	4
3.	असम	64	55.35
4.	बिहार	103	139.68
5.	गोवा	10	8.37
6.	गुजरात	394	498.18
7.	हिमाचल प्रदेश	92	30.16
8.	हरियाणा	213	152.79
9.	जम्मू कश्मीर	56	39.19
10.	केरल	549	494.51
11.	कर्नाटक	648	406.21
12.	मेघालय	11	21.53
13.	महाराष्ट्र	912	509.13
14.	मणिपुर	14	24.44
15.	मध्य प्रदेश	630	323.38
16.	मिजोरम	6	12.63
17.	नागालैंड	6	21.95
18.	उड़ीसा	240	207.52
19.	पंजाब	273	156.82
20.	राजस्थान	623	391.40
21.	सिक्किम	27	24.21
22.	तमिलनाडु	1027	747.80
23.	त्रिपुरा	13	6.86
24.	उत्तर प्रदेश	882	725.05
25.	पश्चिम बंगाल	164	218.08

	संघ राज्य-क्षेत्र		
26.	अण्डमान व निकोबार	9	2.73
27.	चण्डीगढ़	73	77.59
28.	दिल्ली	36	28.82
29.	दादरा एवं नागर हवेली	2	0.25
30.	पाण्डिचेरी	20	13.01
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	8837	5892.58

विवरण-II

रिलीज किए ऋण और वापस मिली राशि के राज्यवार ब्यौरे

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिलीज की गई संचयी ऋण राशि (करोड़ रुपये में) (31-12-93 की स्थिति के अनुसार)	संचयी वापस मिली राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	467.50	203.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.57	-
3.	असम	66.42	9.91
4.	बिहार	70.37	33.04
5.	गोवा	1.54	0.73
6.	गुजरात	428.05	191.68
7.	हिमाचल प्रदेश	24.48	11.76
8.	हरियाणा	130.51	82.90
9.	जम्मू व कश्मीर	19.96	14.53
10.	केरल	475.17	178.28

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	315.57	138.30
12.	मेघालय	8.48	0.41
13.	महाराष्ट्र	550.42	286.76
14.	मणिपुर	13.54	2.04
15.	मध्य प्रदेश	240.16	114.35
16.	मिजोरम	7.71	0.55
17.	नागालैंड	15.75	1.80
18.	उड़ीसा	122.52	56.85
19.	पंजाब	147.66	78.43
20.	राजस्थान	346.69	200.78
21.	सिक्किम	13.46	0.87
22.	तमिलनाडु	707.34	272.81
23.	त्रिपुरा	4.64	0.38
24.	उत्तर प्रदेश	1258.31	560.35
25.	पश्चिम बंगाल	111.91	44.79
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.81	0.33
27.	चण्डीगढ़	71.77	41.14
28.	दिल्ली	54.75	35.63
29.	दादरा एवं नागर हवेली	-	
30.	पाण्डिचेरी	11.44	3.39
	योग	5688.51	2565.79

विवरण-III

अप्रैल-दिसंबर, 93 के दौरान विचाराधीन स्कीमों तथा प्राप्त स्कीमों और स्वीकृत स्कीमों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	31-12-93 की स्थितिनुसार प्रक्रियाधीन आवास स्कीमों की संख्या	अप्रैल/दिसंबर 93 के दौरान मिली अतिरिक्त स्कीमों की संख्या	अप्रैल/दिसंबर 93 के दौरान स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत ऋण राशि (रु. लाखों मे)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	86	64	86	5788.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	1	181.70
3.	असम	16	7	16	1510.30
4.	बिहार	-	-	10	1613.99
5.	गोवा	-	-	-	-
6.	गुजरात	17	14	25	2635.78
7.	हिमाचल प्रदेश	1	-	3	704.33
8.	हरियाणा	15	12	12	1529.03
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7	6	2	218.22
10.	केरल	83	15	37	6985.82
11.	कर्नाटक	51	28	36	2471.32
12.	मेघालय	2	1	1	509.35
13.	महाराष्ट्र	9	-	23	3527.32
14.	मणिपुर	2	2	2	200.00
15.	मध्य प्रदेश	24	11	32	3501.82
16.	मिजोरम	1	3	2	100.91
17.	नागालैंड	1	1	-	-
18.	उड़ीसा	17	1	17	4976.26

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	25	7	29	4503.87
20.	राजस्थान	13	6	51	6530.29
21.	सिक्किम	1	-	1	200.00
22.	तमिलनाडु	59	30	85	7037.02
23.	त्रिपुरा	1	1	2	20.49
24.	उत्तर प्रदेश	9	7	45	10109.52
25.	पश्चिम बंगाल	8	6	12	1803.84
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	1	15.75
27.	चण्डीगढ़	5	-	3	422.72
28.	दिल्ली	-	2	1	1210.00
29.	दादरा एवं नागर हवेली	-	-	-	-
30.	पाण्डिचेरी	-	-	-	-
	योग	454	224	535	68308.27

सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का कार्यनिष्पादन

2335. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिरक्षा एककों द्वारा की गई बिक्री की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार की गई बिक्री का ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक एकक के उत्पादन और विक्रय में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	उत्पादन	बिक्री
1990-91	3105.05	3163.41
1991-92	3272.22	3442.91
1992-93	3823.82	3408.43

यदि देखा गया है कि उत्पादन मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। उत्पादन में हुई वृद्धि को उसी वर्ष की बिक्री के आंकड़ों मे नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि युद्धपोतों जैसे भारी उपस्करों को केवल उसी वर्ष की बिक्री के आंकड़ों में रखा जाता है, जिस वर्ष में वास्तविक रूप से उनकी सुपुर्दगी की जाती है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों में देखा गया है कि वर्ष 1992-93 में सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में उत्पादन-मूल्य पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 17 प्रतिशत बढ़ गया है। सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम निम्नलिखित कार्य करके अपना उत्पादन तथा बिक्री बढ़ाना चाहते हैं :

(1) सशस्त्र सेनाओं की नई तथा अत्याधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करना;

(2) लागत-नियंत्रण, माल-सूची प्रबंधन, उत्पादन तथा सुपुर्दगी-कार्यक्रमों को यथा निर्धारित ढंग से पूरा करने के लिए प्रबंध व्यवस्था में सुधार लाना;

(3) गैर-रक्षा ग्राहकों की जरूरतों के लिए अपने कार्य में विविधता लाना;

(4) निर्यात के लिए और अधिक कार्यों का पता लगाना।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए जवाहर रोजगार योजना

2336. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के गढ़वाल क्षेत्र के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अधिक अनुदान देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत विशेष अनुदान देने हेतु चुने गए जिलों का ब्यौरा क्या है और ये अनुदान कब तक उपलब्ध कराए जायेंगे, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियों का आबंटन इस संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अद्यतन सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उपलब्ध गरीबों के अद्यतन अनुमानों के अनुसार देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तथापि, राज्य से जिले को निधियों का आबंटन राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल जनसंख्या की तुलना में जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात और कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन को बराबर तरजीह के आधार पर तैयार किये गये पिछड़ेपन के सूचकांक के अनुसार किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय जिलों सहित देश के किसी भी जिले को कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जाता है।

तथापि, गहन जवाहर रोजगार योजना; जो कि 1993-94 से देश के 120 चयन किये गये पिछड़े जिलों, जिनमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं, में कार्यान्वित की जा रही है, के अन्तर्गत

इन जिलों को पूरक संसाधन मुहैया कराये गये हैं जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुतायत है और इसलिए वहां ग्रामीण रोजगार के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के 12 चयन किये गये पिछड़े जिले इलाहाबाद, मिर्जापुर, सीतापुर, गाजीपुर, हरदोई, सोनभद्र, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, बलिया, अल्मोड़ा, बांदा और बहराइच हैं। 66.68 करोड़ रुपये के केन्द्रीय आबंटन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश को 23.81 करोड़ रुपये की पहली किस्त रिलीज की जा चुकी है। दूसरी किस्त राज्य सरकार से उन जिलों, जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु उनके पास पहले से उपलब्ध निधियों में से 50 प्रतिशत अथवा अधिक का इस्तेमाल कर लिया है, से निधियों की और रिलीज के प्रस्ताव प्राप्त होते ही रिलीज कर दी जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बड़ी कम्पनियों का विलय

2337. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधनों के कारण सरकार द्वारा अब एक ही उद्योग की बड़ी कम्पनियों के आपस में विलय को अनुमति दे दी जाती है, और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का एक ही क्षेत्र में बड़ी कम्पनियों का विलय करके किस तरह एकाधिकार को समाप्त करने का विचार है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनियों के विलयन/समामेलन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391/394 के अन्तर्गत संबंधित उच्च न्यायालयों का अनुमोदन अपेक्षित होता है। एकाधिकार तथा अपरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 व 24 को एम.आर.टी.पी.(संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा दिनांक 27-9-1991 से हटा दिया गया है। तथापि, एम.आर.टी.पी. आयोग को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है।

"हैंड हेल्ड" फोन प्रणाली

2338. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को कम ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के माध्यम से कार्य करने वाले "हैड हेल्ड" फोन प्रणाली की व्यवहार्यता तथा अर्थशास्त्र पर अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन करने का ठेका मिल गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग की अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड ने "हैण्ड-हेल्ड" फोन सेवाओं के लिए निम्न भू-कक्षा (लियो) में उपग्रह समूहों की संबद्ध प्रौद्योगिकियों के आकलन तथा अंतरिक्ष खण्ड प्रणालियों के अध्ययन और परिभाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती उपग्रह संगठन (इन्मारसैट) से फरवरी, 1993 में एक ठेका प्राप्त किया है। ठेके पर हस्ताक्षर के बाद 15 सप्ताह में ही यह अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह ठेका 1,20,000 अमरीकी डालर मूल्य की राशि का है। इस अध्ययन के कार्यक्षेत्र में विस्तृत अंतरिक्ष खण्ड का विकास, और "हैण्ड-हेल्ड" फोन सेवाओं की सहायता में समर्थ संपूर्ण डिजाइन कार्य तथा प्रस्तावित उपग्रह प्रणाली के लिए विनिर्देशन और ऐसी प्रणालियों के क्रियान्वयन में अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों का विस्तृत मूल्यांकन कार्य शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि भूमि का अधिग्रहण

2339. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिल्ली के आसपास गांवों की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने बताया है कि दिल्ली में कृषि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार की गई दिल्ली की मास्टर प्लान के अनुसार मुख्य रूप से दिल्ली के नियोजित विकास की आवश्यकताओं के लिए अधिग्रहीत की जाती है। इस प्रकार पर्यावरणीय पहलुओं को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाता है, चूंकि परवर्ती विकास की योजना भी पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

2340. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिकों और कृषि में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस कार्य के लिए कितना आवंटन किया गया?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परमाणु ऊर्जा विभाग नाभिकीय चिकित्सा तथा नाभिकीय कृषि के क्षेत्र में कार्यक्रम चला रहा है। नाभिकीय चिकित्सा के क्षेत्र में, ट्राम्बे में उत्पादित रेडियोआइसोटोपों का.उपयोग नैदानिक तथा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। नाभिकीय कृषि के क्षेत्र में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत फसलों की किस्मों को बेहतर बनाना, उर्वरकों के उपयोग की क्षमता में वृद्धि करना तथा रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किए जाने की वजह से होने वाली पर्यावरण क्षति को कम करने के लिए एक एकीकृत कीटनाशक नियंत्रण प्रबंध व्यवस्था लागू करना और वाणिज्यिक उपयोग वाले पेड़-पौधों के सूक्ष्म प्रर्वधन के लिए ऊतकों का संवर्धन करना शामिल है।

(घ) नाभिकीय चिकित्सा, नाभिकीय कृषि के क्षेत्र तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में क्रमशः 120.90 लाख रुपए तथा 146.90 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है/करने का प्रस्ताव है।

विदेशी निवेश सम्वर्धन बोर्ड की बैठक

2341. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश सम्वर्धन बोर्ड और विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रतिनिधियों की 19 फरवरी, 1994 को संयुक्त बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर इस बैठक में विचार-विमर्श हुआ था;

(ग) इस बैठक में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बैठक का मुख्य उद्देश्य उन्हें विदेशी निवेश के लिए दिये गये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदनों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाना था। विभिन्न उद्यमियों द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दे, वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पाने, भूमि परिसीमन अधिनियम का सरलीकरण, शुल्क ढांचे में विसंगतियों को सुधारने, राज्य सरकारों के साथ निकटतम परस्पर कार्यवाही में आ रही कठिनाइयों से संबंधित थे।

(घ) विभिन्न पद्धतियों को सरल बनाने और जहां आवश्यक हो, प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है ताकि परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके

और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। नियमों, कार्यपद्धतियों आदि का सरलीकरण/युक्तियुक्तकरण करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

महाराष्ट्र में भूकम्प के अध्ययन हेतु विदेशी सहायता

2342. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतरर्राष्ट्रीय एजेंसियों से महाराष्ट्र में हाल के भूकम्प के कारणों का पता लगाने के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले, और

(ग) इस संबंध में अब तक किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां। सरकार ने महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित इलाकों के अध्ययन के लिए कुछ विदेशी वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया था।

(ख) यू.एन.डी.पी. की सहायता से तीन वैज्ञानिकों के एक दल ने 30-1-94 से 15-2-94 तक भारत का दौरा किया। इस दल में निम्नलिखित लाभ शामिल थे :

1. प्रो.के. मोगी
   अर्थक्वेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोक्यो यूनिवर्सिटी टोक्यो, जापान

2. प्रो. आर्क सी जॉनस्टन
   निदेशक
   सेंटर फार अर्थक्वेक रिसर्च एण्ड इंफार्मेशन मेमफिस स्टेट यूनिवर्सिटी
   मेमफिस, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका

3. प्रो. मैक्स वायस
   यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का
   जियोफिजिक्स इंस्टीट्यूट
   फेयरबैंक्स, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका

दल ने महाराष्ट्र के भूकंप पीडित इलाकों का दौरा किया तथा एन.जी.आर.आई., जी.एस.आई., आई.एम.डी., डब्ल्यू.आई.एच.जी., एस.ओ.आई., आई.आई.जी.,आई.आई.टी.(बम्बई), अंतरिक्ष विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श किया। यू.एस. जियोलॉजिकल सर्वे के जाने-माने भू भौतिक शास्त्री डा. एच.एम.अय्यर की भी सहायता ली गई, जिन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में भूकंपीय गतिविधियों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए करीब पांच सप्ताह (28-12-93 --8-2-94) रहे। यू.एस.ए. के दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रौ. प्रदीप तलवानी ने

कोयनर के आसपास की भूकंप से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए जनवरी 1994 के आरंभ में एक सप्ताह बिताया।

यू.एन.डी.पी. दल की प्रारूप-संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं। उनकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं : प्रायद्वीपीय शील्ड में भूकंपीय नेटवर्क की क्षमता को बढाना, मानव-शक्ति को मजबूत करना, दूरसंचार सुविधाओं में सुधार, आंकडा आधारित केन्द्र की स्थापना तथा देश में भूकंपीय गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं समन्वयन के लिए एक पद्धति की स्थापना।

(ग) लातूर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा एक भूकंपीय वेधशाला स्थापित की गई है।

जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय तथा प्रतिरोधकता पर अध्ययन किये हैं। इनसे तिरना नदी घाटी में पूर्व-उत्तर-पूर्व-पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में एक संभावित फाल्ट जोन के संकेत मिलते हैं। आगे अध्ययन किया जा रहा हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ने हीलियम गैस के मापनों को सम्पन्न किया है। इनसे पी.पी.बी. (प्रति बिलियन हिस्सा) के रेंज के बैक ग्राउंड वैल्यू की तुलना में कई पी.पी.एम. (प्रति मिलियन हिस्सा) तक के उच्च संद्यनन का संकेत मिलता है। उच्च हीलियम संद्यनन हाल के भूकंप के फ्रैक्चर/क्रैक्स के ओपनिंग के कारण हुआ है। इसमें किसी भी रेडियो सक्रिय तथा/या ज्वालामुखीय तत्वों की उपस्थिति का संकेत नहीं मिलता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित इलाकों के विभिन्न जियोलाजिकल विशेषताओं के मानचित्रण के लिए, नवीन भूकंपीय संयंत्रों की प्राप्ति के लिए तथा स्थानीय जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कई अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन अनुमोदित परियोजनाओं की कुल राशि 208 लाख रुपये है। नये संयंत्र प्राप्त होने शुरू हो गये हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता

2343. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को दी जा रही प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता अन्य राज्यों को दी जा रही प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता से बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्य प्रदेश को आवंटित की गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता गैर-विशिष्ट श्रेणी राज्यों में सबसे कम नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आधारभूत सुविधाएं बढ़ाना

2344. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षत्र के राज्यों विशेषकर सिक्किम के लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव या योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी राज्यों की सरकारें और विशेष रूप से सिक्किम की सरकार पिछली योजना की अवधि के दौरान आधार भूत संरचनात्मक सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता देती रही है जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, विद्युत सृजन में वृद्धि और परिवहन नेटवर्क का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (1992-93 और 1993-94) के दौरान इन मुख्य आधार भूत संरचनात्मक सेक्टरों को कुल योजना परिव्ययों का करीब 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत दिया गया जो इन राज्यों में आधार भूत संरचना के विकास को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एन.ई.सी. योजना परिव्ययों के एक प्रमुख भाग का उत्तर पूर्वी राज्यों के आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए वृद्धि की जा रही हैं। सिक्किम के संबंध में 1992-93 और 1993-94 के दौरान आधारभूत संरचना के लिए उपलब्ध कराया गया योजना परिव्ययों का अंश क्रमशः 36.83 और 38.08 प्रतिशत हैं।

ऑटो एक्सपो प्रदर्शनी

2345. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में ऑटो एक्सपो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी के दौरान कुल कितनी राशि के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, और

(ग) सरकार देश में निर्मित मशीनों और कल-पुर्जों की गुणवत्ता में सुधार लाने और इन्हें उन्नत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। "आटो एक्सपो" 93 प्रदर्शनी का अयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 7 दिसम्बर 93 से 15 दिसम्बर, 93 तक किया गया था।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रदर्शनी के दौरान 67.02 मिलियन रुपये के क्रयादेश बुक किये गये थे।

(ग) मशीनों और कल-पुर्जों के विनिर्माताओं को स्वतंत्र रूप से तकनीकी के आयात की अनुमति है। उनको पूंजीगत सामान और उपकरणों का रियायती शुल्क दर पर आयात करने की अनुमति है।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजना

2346. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पेयजल की कमी का सामना कर रहे महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित पेयजल योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जलापूर्ति राज्य का विषय होने के नाते केन्द्र सरकार नीति दिशा-निर्देश बनाती है और शहरी जल आपूर्ति के क्षेत्र में राज्य सरकार को तकनीकी सहायता मुहैया कराती है। केन्द्र सरकार बाह्य एजेंसियों से निधियां जुटाने और एल.आई.सी. ऋण तथा राज्य योजना के माध्यम से सहायता देने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। अभी हाल तक राज्यों/संघ शासित राज्यों के लिए केन्द्र प्रवर्तित शहरी जलआपूर्ति की कोई स्कीम नहीं थी। अतः महाराष्ट्र के पेय जल की कमी वाले शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्कीमों की केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षा नहीं हुई।

(ख) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष (1993-94) के दौरान एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम अर्थात 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के कस्बों का प्राथमिकीकरण, राज्य सरकार द्वारा भेजे गए कस्बों में पानी की कमी के आधार पर होगा। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के 30 कस्बों के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे हैं।

[हिन्दी]

अमरीकी निवेश

2347. **श्री बृज भूषण शरण सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकृत आर्थिक नीति के अन्तर्गत भारतीय उद्योगों/संयुक्त उपक्रमों में अमरीकी निवेश प्रस्तावों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बदली हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है, और

(ग) गत वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच डालर में हुए व्यापार का ब्यौरा क्या है?

उद्यो मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय उद्योग/संयुक्त उपक्रमों के प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदित अमेरिकी प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि
1990	42	34.48
1991	53	185.85
1992	154	1231.50
1993	151	3461.88

(ग) दोनों देशों के बीच हुए व्यापार का विवरण इस प्रकार है :

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डालरों में)

वर्ष	निर्यात	आयात	द्विपक्षीय व्यापार
1992-93	3.490	2.123	5.613
1993 (अप्रैल-सितम्बर)	1.92	1.128	3.049

[अनुवाद]

औषधियों का आयात

2348. **श्री प्रकाश वी. पाटील :**
श्री विजय नवल पाटील :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों का आयात करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितने मूल्य की औषधियों का आयात किया गया;

(ख) इन औषधियों का अयात कौन-कौन से देशों से किया जाता है;

(ग) इन औषधियों का आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया;

(घ) ऐसी औषधियों के आयात में कमी करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ङ) क्या यह आयात वर्तमान पेटेंटों के संबंध में किए गए समझौते के अनुसार किया जा रहा है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) प्रपुंज औषधों के कम्पनीवार आयात की मात्रा और मूल्य मानीटर नहीं किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

विदेशी कम्पनियों/अनिवासी भारतीयों द्वारा अचल भू-सम्पदा के क्षेत्र (रीयल एस्टेट) में निवेश

2349. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अचल-भू-सम्पदा (रीयल एस्टेट) नीति की हाल ही में समीक्षा की है और आवासीय तथा अचल भू-सम्पदा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए विदेशी कम्पनियों और अनिवासी भारतीयों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में आवास तथा स्थावर सम्पदा विकास में प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम बनाई है। इस स्कीम का उद्देश्य स्वदेश में विदेशी मुद्रा संवर्धन तथा आवास क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि करना है। इस व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से, स्कीम के तहत बहुत से ऐसे क्रियाकलाप शामिल किए गए हैं, जो प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश के पात्र हैं, जैसे कि सुविधायुक्त भूखंडों का विकास, इमारतदार रिहायशी परिसरों का निर्माण, रिहायशी और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण सहित स्थावर सम्पदा में निवेश, नगरों का विकास, अधसंरचना सुविधाएं, भवन-निर्माण सामग्रियों का उत्पादन, ऊपरलिखित क्षेत्रों के साथ-साथ आवास वित्त संस्थाओं में सहभागी उद्यमों में निवेश। आरंभ में, स्कीम में ओवरसीज कारपोरेट निकायों को शामिल नहीं किया गया। उदारीकृत निवेश सुअवसरों और अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को देखते हुए, सरकार ने अब मुख्यतः प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के नियंत्रण वाली ओवरसीज कारपोरेट निकायों को उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत लाने और उन्हें आवास तथा स्थावर सम्पदा उद्यमों में निवेश करने एवं तीन वर्ष की अभिबंधन अवधि के पश्चात् अर्जित लाभ का भाग प्रत्यावर्तित करने की अनुमति देने के साथ-साथ साम्य पूंजी सहभागिता और बिना किसी अभिबंधन अवधि के लागू करों का भुगतान करने पर अंश-पत्रों/परिवर्तनीय ऋण-पत्रों पर लाभांश/ब्याज के प्रत्यावर्तन की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। इस आशय की अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जानी होती है।

विद्युत क्षेत्र की राष्ट्रीय विकास परिषद समिति

2350. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) समिति ने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के लिए क्या भूमिका निर्धारित की है;

(घ) क्या सरकार ने समिति की रिपोर्ट की छानबीन की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) जी, नहीं। विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति का कार्य अभी भी प्रगति पर है।

कम्प्यूटर संस्थाएं

2351. **श्री के.टी. वान्डायार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्प्यूटर शिक्षा में गैर-सरकारी संस्थाओं के अनैतिक कार्यकलापों पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र में है तथा वे अपने मानदण्डों के अनुसार पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस संबंध में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए डी.ओ.ई.ए.सी.सी. नामक एक स्वैच्छिक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत सेवा तथा गुणवत्ता के सुनिर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों को विशिष्ट स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम-''ओ'' (आधारभूत), ''क'' (स्नातक), ''ग'' (स्नातकोत्तर)-आयोजित करने के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन दो व्यावसायिक निकायों अर्थात कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सी.एस.आई.) तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार इंजीनियरी संस्थान (आई.ई.टी.ई.) के माध्यम से किया जाता है। ये व्यावसायिक निकाय परीक्षाएं आयोजित करते हैं तथा सफल उम्मीदवारों को उपयुक्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान अपनी मूलसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के आधार पर यथोचित शुल्क लेते हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2352. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यालयों में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, और

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त कोटे को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानीय उम्मीदवारों से भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

समूह	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	5333	583	103
ख	578	115	51
ग	29799	4257	964
घ	557	192	67
योग	37267	5147	1185

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों का बैकलॉग बहुत ही कम है और ऐसा उन्हीं मामलों में है जहां अपेक्षित तकनीकी अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुए हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों से व्यापक रूप से सम्पर्क स्थापित करके और विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग को काफी हद तक दूर कर दिया है।

[हिन्दी]

नगरपालिका को आधारभूत सेवाएं

2353. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :
श्री तारा चन्द खंडेलवाल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नगरपालिका की आधारभूत सेवाओं में साझेदारी" विषय पर एक विचारगोष्ठी का हाल ही में नयी दिल्ली में आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विचारगोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया और उसमें की गयी चर्चाओं का निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नागरिक सुविधाओं का काम निजी क्षेत्र को सौंपने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। इस विषय पर 7-11 फरवरी, 1994 को एक सेमिनार हुई थी। ये यू.एन.डी.पी. के एशिया व प्रशांत क्षेत्र हेतु अर्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रायोजित थी। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने इसका आयोजन किया था।

(ख) ये कोई अन्तः सरकारी सेमिनार नहीं था, अतः उसमें किसी देश ने औपचारिक रूप से भाग नहीं लिया था। अर्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, फिलीपीन, श्रीलंका और थाईलैंड को बुलावा भेजा गया था। इस सेमिनार में आधारभूत नगरपालिका सेवाएं जुटाने में प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों की साझेदारी बाबत वैकल्पिक प्रबंधों पर विचार किया गया था। उसने इस प्रकार की साझेदारियों में विभिन्न वित्तीय व ठेकागत विकल्पों तथा उनके परिणामों पर भी विचार किया था।

प्रत्येक देश द्वारा अपनी-अपनी कार्ययोजना पेश करने के बाद सेमिनार का समापन हुआ। वक्ताओं ने साझेदारी कार्यो, व्यक्तियों व संस्थाओं की क्षमता वृद्धि पर जोर दिया। उसकी सिफारिश थी कि विभिन्न देशों में साझेदारी प्रबंधों की प्रक्रिया, विषय-वस्तु और प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। इसके लिए लागत विश्लेषण, शहरी सेवा संबंधी कानूनों, मर्यादाओं की समीक्षा तथा विकसित किये जाने वाले निष्पादन सूचकों पर शोध व प्रलेखन की जरूरत महसूस की गई। उसकी यह सिफारिश भी थी कि राष्ट्रीय नीतियों में तथा खास-खास देशों में प्रयुक्त प्रक्रियाओं बाबत सूचनाओं का आदान-प्रदान होना चाहिए।

(ग) और (घ) नगरपालिका सेवा प्रबंध और अधसंरचना के लिए शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने विभिन्न उपायों पर विचार किया है, जिनमें नगरपालिका सेवाओं की व्यवस्था के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना है, जबकि सरकार ने नगरपालिका सेवाओं के निजीकरण की विशिष्ट योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है। इस विषय पर राज्य सरकारों, विकास प्राधिकरणों तथा बड़ी नगर निगमों के साथ उन इलाकों के बारे में चर्चा की गई, जहां निजीकरण पर विचार किया जा सकता हो और नगर पालिका सेवाओं की व्यवस्था में निजी क्षेत्र को शामिल करने की शर्तों पर विचार किया जा सकता है। चूंकि स्वशासन राज्य का विषय है, नगरपालिका सेवाओं की व्यवस्था के बारे में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं ही लेना होगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में भूकम्प के झटके

2354. **श्री राम कापसे :**
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 से महाराष्ट्र में सतारा, औरंगाबाद तथा ठाणे जिले के दाहानु और जवहार ताल्लुकों के अनेक क्षेत्रों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है, और

(घ) यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) महाराष्ट्र के थाणे इलाके में जनवरी, 1994 से अब तक रिक्टर पैमाने पर 1.6 से 2.7 तक समय-समय पर छः हल्के भूकम्प आए हैं।

(ख) से (घ) थाणे इलाके के विभिन्न हिस्सों से हल्के भूकम्पों की सूचना मिली है। उनमें से कुछ भारत मौसम विज्ञान विभाग की भूकम्पीय वेधशालाओं द्वारा दर्ज की गई है। विगम में भी इस इलाके में हल्के भूकम्प आ चुके हैं। इसके अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक फील्ड पार्टी को प्रभावित इलाके में सूक्ष्म भूकंप मापनों के लिए भेजा चुका है। जिससे कि इलाके की भूकम्पनीयता को समझने में मदद मिलेगी।

ढलाई उद्योग

2355. **श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि भारतीय ढलाई उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और विश्व बैंक की वित्तीय योजनाओं के अंतर्गत सहायता के योग्य बनाया जाए, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 (ग) के तहत आते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के लिये विश्व बैंक से ऋण सहायता पाने के पात्र हैं, जिसमें फाउंड्री प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस संबंध में वाणिज्य तथा उद्योग संघ से कोई आवेदन नहीं मिला है। विश्व बैंक ऋण सहायता के तहत, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्य रूप से निजी परियोजनाओं के लिए तथा तरल एवं ठोस रद्दी के उपचार तथा निपटान के लिये औद्योगिक एस्टेट/उद्योग समूह में सामान्य निश्राव उपचार संयंत्रों के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

सिविल सेवा परीक्षा

2356. **श्री साक्षी जी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1992 में विषय-वार कितने उम्मीदवार बैठे थे;

(ख) इसमें विषयवार कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, और

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) अनुसूचित जाति - 1818

अनुसूचित जनजाति - 922

विवरण

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1992 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा विषयवार सफल उम्मीदवारों की संख्या

विषय	उम्मीदवारों की संख्या	सफल उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3
कृषि	3240	238
वनस्पति विज्ञान	5132	308
रसायन शास्त्र	4340	239
सिविल इंजीनियरिंग	4792	361
वाणिज्य	10056	482
वैद्युत इंजीनिरिंग	3278	213
अर्थशास्त्र	8727	565
भूगोल	6080	525
भू-विज्ञान	1414	90
भारतीय इतिहास	58611	4197
विधि शास्त्र	6664	316
गणित	4552	212
यांत्रिक इंजीनियरिंग	3513	250
दर्शन शास्त्र	1296	60
भौतिक विज्ञान	65281	571

1	2	3
राजनीति विज्ञान	14269	908
मनोविज्ञान	2326	176
समाज शास्त्र	10745	750
प्राणि-विज्ञान	6516	400
सांख्यिकी	1025	55
पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	617	33
लोक प्रशासन	10043	
वे उम्मीदवार जिन्होंने केवल एक ही प्रश्न-पत्र किया	79	
कुल	173843	11714

बिहार में लघु उद्योग

2357. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान में बिहार की लघु उद्योगों के कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में इस राज्य में कितने लघु उद्योग बंद अथवा रुग्ण हो गए, और

(घ) उन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योग विकास आयुक्त के कार्यालय ने उन सभी लघु उद्योग एककों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना 1989-91 के दौरान करायी थी जो लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) के अधीन आते हैं तथा 31-3-1988 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत थे। इसमें बिहार भी शामिल है, इस गणना के दौरान 5.82 लाख कार्यरत एककों से राज्य/जिला/उत्पादन स्तर की ब्यौरेवार जानकारी एकत्र की गयी थी। गणना के लिए संदर्भ वर्ष 1987-88 था। बिहार सहित राज्यवार रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गयी हैं। गणना के परिणामों से यह देखा गया था कि बिहार सरकार के राज्य उद्योग निदेशालय के पास पंजीकृत कुल 52778 एककों में से 1987-88 में 35760 एकक कार्यरत पाये गये थे।

(ग) विशेष रूप से यह जानने के लिए कि राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान कितने लघु उद्योग एकक बंद अथवा रोगी हो गये हैं कोई अध्ययन नहीं कराया गया, किन्तु लघु उद्योग एककों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना से यह पता लगा था कि बिहार सरकार उद्योग निदेशालय में पंजीकृत 17018 एकक पिछले 15 वर्षों के दौरान अर्थात् 1-1-73 से 31-3-88 के बीच विभिन्न कारणों से बंद पड़े थे या लापता थे।

(घ) जीव्य एककों को पुनः चालू करने के लिए बैंकों द्वारा नियमित आधार पर उपाय किये गये हैं।

विकास केन्द्र

2358. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्रों के लिए अब तक क्या-क्या आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में गत दो वर्षों के दौरान किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये केन्द्र धनराशि की कमी के कारण विकास कार्य करने में सक्षम नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के चुनिंदा विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, बैंकिंग, सड़कों और दूरसंचार जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि इन क्षेत्रों में उद्योग को आकृष्ट किया जा सके।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार को अब तक 3.0 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और, जो राज्य में 6 स्वीकृत केन्द्रों के लिए भूमि का अधिग्रहण और विकास करके बुनियादी सुविधाएं जुटाने की कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

टूथपेस्ट निर्माता

2359. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** टूथपेस्ट निर्माताओं की लाइसेंसीकृत क्षमता के बारे में 7 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1627 तथा 8 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6616 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच कर ली गयी है, जैसा कि अतारांकित प्रश्न 1627 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या न्यायालय द्वारा मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया है अथवा स्थगन आदेश खारिज कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) मामलों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और

(च) इस संबंध में संसद सदस्यों से अब तक कितने पत्र प्राप्त हुए हैं, और ऐसे प्रत्येक पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग में राज्य मंत्री और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) इस मामले की विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की गई है, किन्तु प्रसाधन सामग्री और सौन्दर्य-प्रसाधन के उत्पादन के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि॰ की क्षमताओं में संशोधन करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) मैसर्स कोलगेट पामोलिव (आई) लि॰ द्वारा लिए गए स्थगन आदेश को निष्प्रभाव करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर आवेदन को 9-2-93 को व्यर्थ कहकर खारिज कर दिया गया है और एक अन्य फर्म अर्थात मैसर्स पी.सी.ए. इंजीनियर्स द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक इस मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के संबंधित वकील को मैसर्स पी.सी.ए. इंजीनियर्स द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही करवाने की सलाह दी गई है।

(च) इस संबंध में अब तक ४ पत्र प्राप्त हो चुके हैं और माननीय संसद सदस्य द्वारा मांगी गयी वास्तविक जानकारी उन्हें दे दी गई है।

असम में गोबर गैस संयंत्र/धुआं रहित चूल्हे

2360. **श्री प्रवीन डेका :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम में कितने गोबर गैस संयंत्र/धुआं रहित चूल्हे स्थापित किए गए;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की स्थापना हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई और उक्त अवधि के दौरान राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या स्थापित संयंत्रों में से अनेक संयंत्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और राष्ट्रीय

उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, के अंतर्गत असम राज्य में वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में क्रमशः 1191, 986 और 1010 गोबर गैर संयंत्र तथा 40,000, 41386 और 33256 धुएं रहित चूल्हे लगाए गए।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता के अलावा प्रत्येक बायोगैस संयंत्र, उसके आकार के आधार पर टर्न की जॉब फीस और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन के अनुसार केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता के लिए पात्र है। वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत असम राज्य सरकार को 98.92 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-86 से 1989-90) के दौरान लगाए गए बायोगैस संयंत्रों पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर) नई दिल्ली द्वारा किए गए हाल ही के सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार असम राज्य में लगभग 90 प्र. संयंत्र कार्य करते हुए पाए गए। इस अध्ययन से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि शेष संयंत्र विभिन्न तकनीकी, प्रचालनात्मक, और सामाजिक समस्याओं जैसे कि संयंत्र में गोबर का घोल न देना, संयंत्र का गलत ढंग से निर्माण, जिससे गैस का रिसाव होता है, गैस होल्डर और पाइप लाइन में दरार, इनलेट और आउटलेट पाइपों में रुकावट तथा आवास स्थल बदलना आदि समस्याओं के कारण कार्य नहीं कर रहे थे।

(ङ) बायोगैस संयंत्रों की समग्र कार्यात्मकता को बढ़ाने के लिए उठाए गए उपचारात्मक कदमों में शामिल हैं :

- संयंत्रों की स्थापना में गैर सरकारी संगठनों, और निजी उद्यमियों की अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता।
- टर्न की जॉब फीस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों के बिना किसी समस्या के कार्य करने और उनके रखरखाव की वारंटी-अवधि के दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना।
- उपयुक्त लाभार्थियों और संयंत्रों के आकार के चयन पर बल देना।
- विज्ञापनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयासों को तेज करना।
- सतत् अनुसंधान एवं विकास प्रयासों से मॉडलों में सुधार करना।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का उत्पादन

2361. **श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में इस समय बनाई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आपूर्ति के लिए लंबित आदेशों का वस्तुवार और मूल्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कारपोरेशन द्वारा कुछ नई वस्तुओं का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, संघटित इस्पात संयंत्रों, वाकिंग ड्रेगलाइन्स, कोंप इलेक्ट्रिक बेलचों, ओ.बी. ड्रिल्स, हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर्स, ढलाइयों, गढ़ाइयों, भारी मशीन औजारों जैसे खान उपकरणों तथा सीमेंट, इस्पात, विद्युत आदि जैसे मूल क्षेत्र के उद्योगों के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों का निर्माण करती है।

(ख) ब्यौरे, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए आवश्यक सकर रॉड, तथा

2. सीमेंट संयंत्रों के लिए आवश्यक नी-हार्ड टायर।

विवरण

आपूर्ति के लिए लंबित कुछ महत्वपूर्ण आदेशों के मदवार व मूल्यवार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

मद	मूल्य करोड़ रुपये
1	2
कोक ओवन उपकरण	11.99
ब्लास्ट फर्नेस उपकरण	1.88
इस्पात गलत उपकरण	0.37
क्राशिंग व ग्राइडिंग उपकरण	11.24
क्रेनें	27.57
रोलिंग मिल उपकरण	11.11
इस्पात संयंत्र हिस्से-पुर्जे	28.56
खनन उपकरण हिस्से-पुर्जे	28.56
5 घन मीटर एंक्सकेवेटर	17.90
हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर	3.08

1	2
10 घन मीटर एक्सकेवेटर	16.18
ड्रेगलाइन	29.45
ड्रिलिंग रिग्स	3.51
ढांचे	0.46
सतत ढलाई मशीन	175.30
विविध उपकरण	3.00
इस्पात ढलाइयां	6.87
इस्पात गढ़ाइयां	11.82
गढ़ाई रोल्स	22.17
ढलाई रोल्स	1.37
लौह रोल्स	0.05
गहरे गड्ढे करने वाली मशीन	3.41
समतल परिबंधन मशीनें	3.63
रेडियल ड्रिसिंग मशीनें	0.83
प्लेनो-मिलिंग मशीन	0.75
मशीन औजारों के लिए साज-सामान व हिस्से-पुर्जे	1.76
जॉबिंग कार्यादेश	1.44
इस्पात संयंत्र व खनन हिस्से-पुर्जों की मदें	8.84
मशीन औजारों की मरम्मत	0.76

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच विवाद

2362. **श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने विवाद लम्बित हैं, और

(घ) सरकार ने उन्हें शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के मध्य विवाद के 19 मामले थे जिनमें से 15 मामले लम्बित हैं। लम्बित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विवादों का अविलम्ब, विवेकपूर्ण और किफायती ढंग से समाधान करने के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी विभागों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने के लिए एक स्थाई मध्यस्थता तंत्र का गठन पहले ही कर दिया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों के उपयुक्त मामलों को न्यायाधिकरण/न्यायालय स्तर पर निपटाने की अनुमति देने के लिए एक अन्य उच्चस्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

विवरण

31-12-1993 तक लम्बित मामलों का विवरण

क्रम सं॰	मामले की संख्या	पक्षों का नाम	स्थाई मध्यस्थता तंत्र को सौंपने की तिथि
1.	पीएमए/केएलएस/1/91	सीसीआई बनाम एनसीसीसी	27-02-91
2.	पीएमए/केएलएस/3/91	एनबीसीसी बनाम सीसीआई	04-10-91
3.	पीएमए/केएलएस/4/91	एनबीसीसी बनाम बीआरडीबी	14-10-91
4.	पीएमए/केएलएस/2/92	नेटेका बनाम एससीआई	05-07-92
5.	पीएमए/केएलएस/3/92	पीडीआईएल बनाम बीईएल	27-09-92
6.	पीएमए/केएलएस/4/92	एचईसी बनाम एनसीआई	24-09-92
7.	पीएमए/केएलएस/5/92	बीपीएमईएल बनाम नालको	07-10-92
8.	पीएमए/केएलएस/6/92	एससीआईएल बनाम उर्वरक विभाग	11-09-92
9.	पीएमए/केएलएस/1/93	एमएमटीसी बनाम रेल	11-02-93
10.	पीएमए/केएलएस/2/93	ईपीआई बनाम एआईआर	31-12-93
11.	पीएमए/केएलएस/3/93	एनबीसीसी बनाम सीसीआई	22-04-93
12.	पीएमए/केएलएस/4/93	टीएसएल बनाम बीएसपी	16-02-93
13.	पीएमए/केएलएस/5/93	सेल बनाम जीएआईएल	21-01-93
14.	पीएमए/केएलएस/6/93	एसटीसी बनाम एसपीटीसी	26-04-93
15.	पीएमए/केएलएस/7/93.	एमएएमसी बनाम एनबीसीसी	24-07-93

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना

2363. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह योजना कब से लागू की जायेगी;

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) गुजरात सहित देश में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1982-83 से शुरू की गयी है। कार्यक्रम में निरंतर सुधार किये जाते हैं।

(ख) डवाकरा के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के महिला सदस्यों की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि 10-15 महिलाओं का समूह बनाकर आय सृजन की गतिविधियों हेतु अवसरों का सृजन करने की मार्फत उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके। महिलाओं के लिए इस विशेष कार्यक्रम के अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 40 प्र॰ का आरक्षण है।

(ग) डवाकरा गुजरात के सभी जिलों में पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नेशनल टेस्ट रेंज, बलियापाल, उड़ीसा

2364. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के बालासोर जिले में बलियापाल में टेस्ट रेंज स्थापित करन का प्रस्ताव त्याग दिया है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तकनीकी दृष्टि से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद विशेषज्ञों की यह राय है कि बलियापाल ही राष्ट्रीय रेंज स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल है।

[हिन्दी]

गुजरात के लिए धनराशि

2365. **महेश कनोडिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कितनी दी गई;

(ख) क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित कुल धनराशि अपर्याप्त थी, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघशासित क्षेत्रों (गुजरात सहित) को निधियों का आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटन करते समय सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाता है। 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात को क्रमशः 8090.71 लाख रुपए और 9611.93 लाख रुपए आवंटित किये गये थे तथा 8188.77 लाख रुपए और 10,244.7 लाख रुपए रिलीज किये गये थे।

(ख) व (ग) जी, नहीं। तथापि, 1993-94 के बाद से जवाहर रोजगार योजना को देश के 120 चयन किये गये पिछड़े जिलों में लागू किया गया है, जिनमें सूखा प्रभावित जिले भी शमिल हैं। इस चरण के अंतर्गत गुजरात में 6 जिलों को अतिरिक्त निधियां रिलीज की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना जिसे गुजरात के 97 खण्डों सहित देश के 1754 खण्डों में 2 अक्टूबर, 1993 से शुरू किया गया है, और जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचलन में है, के अंतर्गत भी गुजरात में सभी सूखा प्रभावित खंडों को निधियां मुहैया करायी गयी हैं।

मध्य प्रदेश में विकास केन्द्रों के लिए निधि

2366. **श्री सूरज भानु सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विकास केन्द्रों की नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश को शेयर पूंजी और ऋण की राशि दी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की कार्यान्वयन एजेंसी (विकास केन्द्र, विकास निगम) ने इस प्रयोजनार्थ आवेदन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं को आवश्यक अनुदेश जारी किए है, और

(ङ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश सरकार को अब तक 14.5 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

बिहार को धनराशि का आबंटन

2367. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार को कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया, और

(ख) योजनाओं में निर्धारित इस धनराशि का उपयोग किये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किसी राज्य सरकार को विशेष रूप से कोई राशि आवंटित नहीं करता है। तथापि, योजना आयोग राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके योजना परिव्ययों को अनुमोदित करता है। परिव्ययों का उपयोग करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना

2368. **प्रो. सावित्री लक्ष्मण** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भीड़-भाड़ को कम करने हेतु कुछ सरकारी कार्यालयों को पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में ले जाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों को पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार की नीति सरकारी कार्यालयों को दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित करने की है।

रुग्णता के लिए निर्धारित मानदंड

2369. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी लघु उद्योग को रुग्ण घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं/अपनाए गए हैं, और

(ख) वास्तव में रुग्ण लघु उद्योग और मिथ्या आधार पर रुग्ण घोषित उद्योगों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, किसी लघु उद्योग एकक को रुग्ण उद्योग को तब वर्गीकृत किया जा सकता है जब :

(1) इसका कोई भी उधार खाता "संदेहास्पद" उधार हो जाये अर्थात इसके किसी भी उधार खाते की मूल रकम या ब्याज 2½ (ढाई) वर्ष से अधिक अवधि तक अतिदेय रही हो।

(2) पिछले दो लेखा वर्षों के दौरान संचित नकद हानियों के कारण इसका शुद्ध मूल्य इसके अधिकतम शुद्ध मूल्य का 50 प्र० या उससे अधिक घट गया हो।

(ख) जो बैंक पुनर्वास योजना तैयार करते हैं, उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश दिये हैं कि वे उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार रुग्णता की सच्चाई के बारे में अपनी तसल्ली कर लें।

[हिन्दी]

राजस्थान में सीमेंट संयंत्र

2370. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख संघटक चूना-पत्थर-मिट्टी और जिप्सम के बड़े भंडार हैं, और

(ख) यदि हां, तो राज्य में और अधिक सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। राजस्थान राज्य में उद्यमी उपलब्ध कच्चे माल का लाभ उठाकर राज्य में और सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को सहायता

2371. **श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को रुग्ण लघु उद्योगों को पुनः चालू करने हेतु कुल कितनी सहायता प्रदान की है, और

(ख) 1993-94 में इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) रुग्ण लघु एककों की सहायता के लिए सीमांत धन योजना चलाई गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा सीमांत धन योजना के तहत रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना के लिए स्वीकृत राशि उत्तर प्रदेश के लिए 1989-90 में 10 लाख रुपये, कर्नाटक के लिए 1990-91 में 28 लाख रुपये, राजस्थान और तमिलनाडु के लिए 1991-92 में क्रमशः 3.37 लाख रु. और 24.62 लाख रुपये थी। वर्ष 1992-93 के दौरान, कर्नाटक राज्य को 15.67 लाख रुपये मंजूर किये गये थे। राज्य सरकारों द्वारा भी इतनी ही राशि प्रदान की जा रही है। उपर्युक्त राज्यों के अलावा, अन्य किसी राज्य द्वारा पिछले 4 वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत इस प्रकार की किसी सहायता की मांग नहीं की गई है। इसलिए, उक्त सीमांत धन योजना को 1993-94 से समाप्त कर दिया गया है। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को पुनर्स्थापना सहायता मुहैया करने के लिए सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

"सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन" की मांगें

2372. **श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.ई.एस. के अधीक्षकों और कनिष्ठ अभियंताओं ने अपनी काफी समय से लम्बित मागों को पूरा न करने के विरुद्ध हाल ही में देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.ई.एस. की "सिविलियन इंजीनियर्स एसोसिएशन" से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) अखिल भारतीय सैन्य इंजीनियरी सेवा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने समयमान पदोन्नति, अन्य मंत्रालयों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं के समान योजना भत्ता दिए जाने और सैन्य इंजीनियरी सेवा में सहायक अभियंताओं के 350 पदों को बरकरार रखे जाने की अपनी मांगों को मनवाने के लिए द्वार सभाएं आयोजित कर, काले बिल्ले आदि पहनकर 1 फरवरी, 1994 से 10 फरवरी, 1994 तक देशव्यापी शांति पूर्ण आंदोलन-कार्यक्रम चलाया था। इस संबंध में अखिल भारतीय सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की विभिन्न यूनिटों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. जहां तक समयमान पदोन्नति देने का संबंध है, सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर उसे नामंजूर कर दिया। तथापि, यदि एसोसिएशन चाहे तो वह पांचवें वेतन आयोग का गठन किए जाने के बाद इस मामले को उसके साथ उठा सकती है।

3. सरकार योजना भत्ता दिए जाने की मांग पर विचार कर रही है।

4. सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के स्वीकृत किए गए 350 पदों का दर्जा घटाकर उन्हें पांच वर्ष के लिए सहायक इंजीनियर के रूप में परिवर्तित किया जाना था। अतः इन पदों को चरणबद्ध रूप से बहाल किया जाना था। अब तक 255 पद बहाल किए जा चुके हैं। तथापि, सेना के कोटे से इतने ही पद सिविलियन संवर्ग में अंतरित कर दिए गए हैं। दर्जा कम किए गए पदों को बहाल करने का कुल मिलाकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

[हिन्दी]

जूनियर इंजीनियरों और असिस्टेंट इंजीनियरों के विरुद्ध शिकायतें

2373. **श्री बारे लाल जाटव :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1993 से फरवरी, 1994 के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में नियुक्त जूनियर इंजीनियरों और असिस्टेंट इंजीनियरों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इन शिकायतों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायतें, रख-रखाव के स्तर, शिकायतें दूर करने में विलम्ब, माननीय संबंध, कार्यों को अवार्ड करने आदि के संबंध में हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सभी मामलों में शिकायतों की जांच करने और दोषी पाये गये अधिकारियों/स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए समुचित कार्रवाई की गई है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पवन ऊर्जा चक्कियां

2374. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेष रूप से कर्नाटक में इस समय कितनी पवन ऊर्जा चक्कियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास 1994 के दौरान राज्य में नई पवन ऊर्जा चक्कियां स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अब तक देश में 300 कि.वा. यूनिट आकार के कुल 416 पवन विद्युत जनित्रों की स्थापना की गई है, और इनमें से पांच जनित्र कर्नाटक राज्य में हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कपाटगुड्डा स्थान पर 2 मेवा. की एक प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में कई पवन विद्युत परियोजनाओं पर राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

सरकारी मकान बदलना

2375. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर/विवेकाधीन कोटा के अन्तर्गत प्रत्येक टाइप में कितने सरकारी मकान आवंटित किए गए;

(ख) प्रत्येक टाइप में प्राथमिकता के आधार पर मकान बदलने हेतु कितने सरकारी कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं, और

(ग) इस सूची में दर्ज सभी कर्मचारियों को मकान देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) : सूचना इस प्रकार है :

टाइप	बिना बारी के किये गये आवंटनों की संख्या		आवंटन परिवर्तन हेतु प्रतीक्षारत आवंटियों की संख्या	28.2.94 की स्थिति के अनुसार बारी पर आवंटन हेतु प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या
	1992	1993		
I	290	203	2573	3861
II	1078	1002	5010	10000
III	471	417	4436	10033
IV	267	244	1035	2581
V	123	132	121	633
VI	26	59	65	310

(ग) उपलब्ध बजटीय निपतनों के भीतर आवास स्टाक में वृद्धि हेतु उपाय किये गये हैं।

[हिन्दी]

राज्यों में खादी ग्रामोद्योग

2376. **श्री शिवराज चौहान : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में खादी ग्रामोद्योगों का विकास करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इन राज्यों की इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां। खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकासार्थ चलने वाले कार्यक्रम/योजनाएं पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार भी सम्मिलित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान और ऋण के रूप में इन राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(रुपये लाख में)

	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	बिहार
1990-91			
खादी अनुदान	80.62	1731.88	478.81
खादी ऋण	66.37	417.90	236.59
ग्रामोद्योग अनुदान	4.52	47.92	4.71
ग्रामोद्योग ऋण	98.76	1611.52	212.02
1991-92			
खादी अनुदान	149.38	1815.56	435.34
खादी ऋण	25.13	160.21	66.62
ग्रामोद्योग अनुदान	43.34	46.87	16.37
ग्रामोद्योग ऋण	370.17	783.95	112.26
1992-93			
खादी अनुदान	176.49	2223.71	651.26
खादी ऋण	137.52	586.94	97.03
ग्रामोद्योग अनुदान	55.66	57.29	00.34
ग्रामोद्योग ऋण	206.08	1290.27	4.64

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी हटाओ अभियान

2377. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी हटाओ अभियान शुरू करने के लिए कोई आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अभियान के दौरान कुल कितनी झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों को हटाया गया;

(ग) क्या सरकार ने झुग्गियों के ऐसे निवासियों को कोई वैकल्पिक भूखंड आवंटित किये है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) अतिक्रमण को हटाना और अनधिकृत निर्माण को गिराना एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे अतिकमर्णों/ढांचों को हटाने की कार्रवाई पुलिस की मदद से सम्बन्धित भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा संगत अधिनियमों के उपबन्धों के तहत समय-समय पर की जाती है। तथापि, पहचान किए गए प्राथमिकता स्थलों पर बसे झुग्गी-झोंपड़ी समूहों और जो जनवरी 1990 में विद्यमान थे, पुनः को अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों के अनुरोध पर वैकल्पिक स्थलों पर पुनः बसाना होता है। 1-4-1993 से 15-2-1994 की अवधि के दौरान, दिल्ली नगर निगम द्वारा 16 झुग्गियों को पुनः बसाया गया है। जनवरी 1990 के पश्चात् सार्वजनिक भूमि पर बसी झुग्गियों का पता लगते ही भूमि के स्वाभित्व वाली एजेंसियों द्वारा प्रावधान के अनुसार हटाया जाता है। ऐसे मामलों में कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किये जाते हैं।

गन्दी बस्ती आवास योजना, 1985 के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

2378. **श्री लाल बहादुर रावल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्ती आवास योजना, 1985 के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में रहने वाले कितने लोगों को पंजीकृत किया गया है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जातियों और सामान्य श्रेणी के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) दिसंबर, 1993 तक अनुसूचित जातियों और सामान्य श्रेणी के कितने-कितने लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं;

(घ) पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को भूखंड/फ्लैट के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं, और

(ङ) प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैट/भूखंड आवंटित कर दिए जाएंगे।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) यह स्कीम स्लम विंग द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पंजीकृत स्लम निवासियों की संख्या 27693 है।

(ख) अनुसूचित जाति	-	5390
सामान्य श्रेणी	-	19914

(ग) अनुसूचित जाति - 339

सामान्य श्रेणी - 1035

इसके अलावा, 601 विधवा पंजीकृतों द्वारा गठित दो सहकारी सामूहिक आवास समितियों को फ्लैटों के निर्माणार्थ भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

(घ) पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, पंजीकरण कानूनी वारिसों के नाम में अन्तरित किया जाता है। पंजीकरण के अन्तरण के बाद, प्राथमिकता क्रमांक के अनुसार आवंटन किया जाता है।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, फ्लैट उपलब्ध होने पर ही आवंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

2379. **डा. कृपासिन्धु भोई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आर.सी.एफ) की अन्तर्गत कितने उर्वरक संयंत्र आते हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र का कार्यकरण कैसा रहा है, और

(ग) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को अब तक संयंत्रवार कितना घाटा हुआ ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ.) के थाल और ट्राम्बे में स्थित दो एकक हैं। गत तीन वर्षों के दौरान थाल और ट्राम्बे में स्थित आर.सी.एफ. के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों के निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

संयंत्र का नाम	क्षमता (000 मी. टन)	उत्पादन (000 मी. टन)		
		1990-91	1991-92	1992-92
ट्राम्बे				
यूरिया-1	99.0	59.0	60.0	63.0
यूरिया-2	330.0	291.0	244.0	280.0
सुफला (15 : 15 : 15)	300.0	370	336.0	351.0
ए.एन.पी (20 : 20 : 0)	360.0	267.0	276.0	290.0
थाल				
यूरिया	1485.0	1391.0	1302.2	1432 0

(ग) कुवैती दीनार ऋण के दायित्वों में वृद्धि होने से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण वर्ष 1992-93 के लिए आर.सी.एफ. ने प्रथम बार कर-पश्चात 26.58 करोड़ रुपए की हानि उठाई। सरकार ने आर.सी.एफ. को इसकी प्रतिपूर्ति करने का पहले ही निर्णय ले लिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को अनुदान सहायता

2380. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए 1993-94 के दौरान विशेष अनुदान सहायता दी है;

(ख) यदि नहीं तो इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी सहायता अनुदान राशि दी गयी है, और

(ग) उन विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है, जिन पर यह धनराशि खर्च की जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के आरंभ से ही पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्कीम के तहत वर्ष 1993-94 के लिए 197.06 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। विकासात्मक सेक्टर, जिन पर राज्य के संसाधनों सहित यह राशि खर्च करने का प्रस्ताव है, को संलग्न विवरण में दर्शाया गया हैं।

विवरण

1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश की पर्वतीय उप-योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय

(क)	आर्थिक सेवाएं	(लाख रु. में)
	1	2
	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	8636
	ग्रामीण विकास	2981
	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1905
	ऊर्जा	4950
	उद्योग एवं खनिज	1253
	परिवहन एवं संचार	6161
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	120

	1	2
	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1420
	कुल आर्थिक सेवाएं	27426
(ख)	सामाजिक सेवाएं	13374
	कुल जोड़ (क+ख)	40800

[अनुवाद]

सरकारी क्वाटरों का निर्माण

2381. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या का समाधान करने हेतु और अधिक सरकारी क्वाटरों का निर्माण करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) नई दिल्ली में, 135 टाईप III तथा 120 टाईप IV के क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। निधियों की उपलब्धता की शर्त पर समय-समय पर और क्वार्टर स्वीकृत किए जाएंगे।

कम्प्यूटर सेटों की खरीद

2382. **जितेन्द्र नाथ दास : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कितने कम्प्यूटर सेट खरीदे गये;

(ख) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और

(ग) इससे कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग

2383. **श्री रवि राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि हेतु एक समेकित आधारभूत विकास योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत कृषि और उद्योग के बीच ताल-मेल पर विशेष बल दिए जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु तथा अति लघु उद्योगों के लिए समेकित आधारभूत विकास योजना (तकनीकी सेवाओं सहित) को कार्यान्वित किया जा रहा है। पूरे देश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में 50 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें प्रत्येक केन्द्र पर 5.00 करोड़ रु. व्यय होगा, जो लघु एककों को आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने तथा इनका विकास करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार से सहायता अनुदान के रूप में तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच 2 : 3 के अनुपात में हिस्सा होगा। इन केन्द्रों में स्थापित किए जाने वाले एक सामान्यतः कृषि क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करेंगे और कृषि क्षेत्र में प्रयोग के लिए उत्पादों का निर्माण करेंगे।

जड़ी बूटियों को पेटेन्ट करना

2384. **श्री असीम बाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जड़ी बूटियों को पेटेन्ट करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय मूल की जड़ी-बूटियों के पेटेन्ट अधिकार प्राप्त किये जाने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार जड़ी-बूटियां पेटेंट-योग्य नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार

2385. **श्री टी.जे. अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95 के दौरान केरल में वर्तमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केरल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की जिन नई परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति दी गई, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	आठवीं योजना में निर्धारित परिव्यय
कोट्टायम (एच.पी.सी.) में हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (एच.एन.एल.) की क्षमता को दो गुणा करने हेतु विस्तार योजना		
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर		
(क) उद्योग मंडल में नया अमोनिया संयंत्र	525	
(ख) कोचीन विस्तार	275	
कपड़ा		
एन.टी.सी. के तहत तीन कारखानों का आधुनिकीकरण		11.33
भारी उद्योग		
कोचीन शिपयार्ड		47.80

आंध्र प्रदेश में बुनकरों के लिए धनराशि

2386. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पेयजल मिशन में से बुनकरों के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या पेयजल मिशन ने आंध्र प्रदेश के ऐसे गांवों में कोई अध्ययन किया है, जहां बुनकरों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और

(घ) इस समस्या के निदान के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दुकानों का आवंटन

2387. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानों का आवंटन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर 703 दुकानें आवंटित की गई हैं।

(ख) तथा (ग) आवंटित दुकानों के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	शारीरिक रूप से विकलांग
1990-91 } 1991-92 }	271	17
1992-93	346	69
	617	86

[अनुवाद]

मिग विमानों की सर्विस के लिए रूसी प्रस्ताव

2388. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में सभी किस्म के मिग विमानों के लिए सर्विस केन्द्र खोलने हेतु हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के लिए विमानों के रूसी निर्माता मिग-मावो की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा कतिपय रूसी निर्माता संगठनों के बीच संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संयुक्त उद्यम में विशेषकर रूसी मूल के वायुयानों के लिए वैमानिक हिस्से-पुर्जे और उत्पाद में सहायक उपकरणों का भंडारण करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य करना होगा, ताकि जब भी आवश्यकता हो, इनकी बिक्री की जा सके। इससे रूस में उत्पादन एजेंसियों से हिस्से-पुर्जों की सप्लाई बनाए रखने के लिए सीधी अधिप्राप्ति से संबंधित हमारी अन्य व्यवस्थाओं की कमी पूरी होगी और हिस्से-पुर्जों का देश ही में उत्पादन करने में उत्पाद सहायता मिलेगी। संयुक्त उद्यम की रूपरेखा पारस्परिक विचार-विमर्श से तैयार कर ली गयी है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

2389. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर** : क्या **रसायन उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के पैंसिलीन-जी एकक का निजीकरण किया जा रहा है जैसा कि 10 फरवरी, 1994 के "एकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) पैंसिलीन-जी संयंत्र के लिए हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का मैक्स जी.बी. के साथ प्रस्तावित सहयोग का ब्यौरा क्या है,

(घ) मैक्स जी.बी. संयुक्त कंपनी ने उत्पादन और कार्यकुशलता में किन-किन सुधारों की गारंटी दी है, और

(ङ) इसमें कुल कितना निवेश करने का अनुमान है और इसका वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया ऋण

2391. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वित्तीय संस्थाओं से अपनी परियोजनाओं हेतु संस्थावार और परियोजनावार कितना ऋण लिया है, और

(ख) ऐसी वित्तीय संस्थाओं को कितना ब्याज दर का भुगतान किया गया/जा रहा है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1990-91 से 92-93 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	राशि	संस्था	परियोजना/प्रयोजन
1990-91	शून्य	-	-
1991-92	शून्य		-
1992-93	10.00 करोड़ रु.	एच.डी.एफ.सी.	असम्बद्ध ऋण

(ख) 18.5 प्र. वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान एच.डी.एफ.सी. को दिया गया।

महाराष्ट्र में पानी की कमी

2393. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही के महीनों में महाराष्ट्र में पानी की कमी का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों की केन्द्रीय क्षेत्र पेयजल योजनाओं की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की 15 अक्तूबर, 1993 को राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में और हाल ही में योजना आयोग में वार्षिक योजना चर्चा के दौरान तथा राज्य सरकार से प्राप्त मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्टों की मार्फत भी समीक्षा की गयी थी। 1993-94 में 22 बिना जलस्रोत वाले गांवों का कवरेज के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकार ने सूचित किया था ऐसे 13 गांवों को कवर किया जायेगा और शेष 9 गांवों के लिए 1994-95 के दौरान विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित समेकित ग्रामीण जल सप्लाई और स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत पाईप द्वारा जल सप्लाई की व्यवस्था की जायेगी। जनवरी, 1994 तक किसी भी बिना जल स्रोत वाले गांव को कवर नहीं किया गया है। 1993-94 में 1000 गांवों को कवर करने के कुल लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 1994 तक 975 गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैय्या करायी गयी हैं। जनसंख्या को कवरेज के रूप में प्रगति धीमी है। 17 लाख की जनसंख्या को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में दिसंबर, 1993 तक उपलब्धि केवल 7.35 लाख थी। वित्तीय प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 48.146 करोड़ रुपये और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 95.677 करोड़ रुपये की कुल उपलब्धता की तुलना में जनवरी, 1994 तक सूचित खर्च क्रमशः 22.514 रुपये और 43.545 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य सरकार की स्थिति की समीक्षा करने और योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का परामर्श दिया गया है, ताकि वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। केन्द्रीय सहायता की 16.95 करोड़ रुपये की बाकी राशि राज्य सरकार को रिलीज की जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रति व्यक्ति लागत में वृद्धि के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव भी प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया गया है।

सॉफ्टवेयर का निर्यात

2394. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री विजय एन. पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व सॉफ्टवेयर बाजार में भारत की कितनी भागीदारी है;

(ख) सॉफ्टवेयर के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है;

(ग) सॉफ्टवेयर का निर्यात किन-किन देशों को किया गया है/किया जाएगा, और

(घ) आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) सॉफ्टवयेर का विश्व बाजार लगभग 300 बिलियन अमरीकी डालर है और उसका लगभग 3 से 4 प्रतिशत भाग विकासशील देशों के लिए उपलब्ध बाजार संभावना है। विकासशील देशों के लिए उपलब्ध निर्यात बाजार की उस संभावना में भारत का हिस्सा लगभग 11 प्रतिशत है। यह बाजार संभावना मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तथा जापान में हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, उन्नत आंकड़ा संचार सुविधाएं, सॉफ्टवेयर निर्यात से प्राप्त लाभ को आयकर से छूट, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.) के अंतर्गत कार्य करने वाली कम्पनियों के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात से अर्जित आय के 50 प्र. हिस्से को विदेशी मुद्रा में रखना जैसी योजनाएं उन किए गए प्रयासों की कड़ी है, जिनसे सॉफ्टवेयर के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(घ) सॉफ्टवेयर के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल विशिष्ट योजनाएं नीचे दिए अनुसार है :

(1) सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अंतर्गत बंगलौर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गांधीनगर, पुणे तथा नोएडा में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एस.टी.पी.) की स्थापना के लिए 17.6 करोड़ रुपये की धनराशि की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(2) मूल्य संवर्धित उच्च गति आंकड़ा संवार नेटवर्क : दिल्ली, बंबई तथा मद्रास में उच्च गति आंकड़ा संचार सुविधाओं के लिए 8.75 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 18.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सक्रिय करना

2395. **श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को सक्रिय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) परिषद की वर्तमान स्थिति क्या है और परिषद द्वारा आयोजित की गई पिछली बैठक का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 24 अगस्त, 1990 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया गया था और तब से 5-10-1990 को उसकी केवल एक बैठक हुई है।

[हिन्दी]

सौर-ऊर्जा-चार्जर

2396. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
प्रो. प्रेम धूमल :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रक्षा बलों के लिए इस बीच सौर-ऊर्जा-चार्जर विकसित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे रक्षा बलों को कब तक सौंप दिया जायेगा;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका अनुमानित मूल्य कितना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) 200 सौर बैटरी चार्जर सेना को सौंपे जा चुके हैं।

(घ) इनके देश में ही उपलब्ध होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत मालूम नहीं की गई है।

विवरण

सौर ऊर्जा चार्जक एक कार्यक्षम हल्के वजन का फोल्ड करने योग्य तथा ले जाने में आसान आधुनिक संकेत सुविधा वाला और निर्गम टर्मिनलों से युक्त सौर प्रकाश वोल्टीय (एस.पी.वी.) पैनल है। यह कतिपय किस्म के संचार सेटों की बैटरियां चार्च करने में सक्षम है। यह सौर ऊर्जा चार्जक दूर-दराज के क्षेत्रों सहित अत्यधिक ऊंचाई पर अलग-अलग स्थित कम तापमान वाले उन क्षेत्रों में लागत प्रभावी विकल्प सिद्ध होता है। जहां कि वर्ष के अधिकांश महीनों में विविध संभारिकी समस्याओं के कारण आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता है। इसे एक पूर्ण प्राथमिक ऊर्जा संसाधन के रूप में बैटरी चार्ज करने के लिए उन स्थानों पर काम में लाया जा सकता है जहां पर सूर्य का प्रकाश सामान्यतया उपलब्ध रहता है।

विनिर्दिष्टियां संलग्न हैं।

अनुबंध

सौर ऊर्जा चार्जक की विनिर्दिष्टि

वैद्युत विनिर्दिष्टियां

सौर फोटावोल्टता पैनलों (आई. यू.) के माध्यम से सीरीज में जुड़े) से 100 मिली वाट/वर्ग सेमी. 25° सेल्सियस प्रचालन सैल तापमान और ए.एम. 1.5 की मानक परीक्षण स्थितियों में निम्नलिखित रूप से विद्युत प्राप्त होगी :

ओपन सर्किट वोल्टेज (वी.ओ.सी.)	41.0 वोटलता ± 5%
शार्ट सर्किट करंट (आई.एस.सी.)	1.75 वोटलता ± 5%
पीक इलेक्ट्रिकल (पी.एम.)	47.0 वोटलता ± 5%
पीक चार्जिंग करंट (आई.एम.)	1.48 वोटलता ± 5%

यांत्रिक विनिर्दिष्टियां

प्रत्येक सौर फोटोवोल्टता पैनल का माप निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

	क्लोज्ड	ओपन
चौड़ाई	280.00 मिमी.	280.00 मिमी.
गहराई	280.00 मिमी.	1270.00 मिमी.
ऊंचाई	45.00 मिमी.	10.00 मिमी.

सौर फोटोवोल्टता पैनल का भार 2.3 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

सूचक इकाई

सूचक इकाई चार्ज की जा रही बैटरी में विद्युत धारा के प्रवाह और सौर फोटोवोल्टता पैनलों के ठीक से लगाए जाने के बारे में बताएगी। बैटरी से सौर फोटोवोल्टता पैनलों की ओर विद्युत धारा

के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए चार्जर के भीतर ही व्यवस्था की जाएगी। विद्युत धारा मापी को इस प्रकार सील किया जाएगा कि उसमें हवा न जा सके तथा उसे उपयुक्त आधार पर लगाया जाएगा। दो कनेक्टर सौर फोटोवोल्टता पैनल में और। कनेक्टर बैटरी में लगाने के लिए उपयुक्त कनेक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस इकाई की लम्बाई-चौड़ाई आदि इस प्रकार होगी :

लम्बाई	1680.00 मिमी.
चौड़ाई	70.00 मिमी.
ऊंचाई	55.00 मिमी.
अनधिक भार	0.55 कि.ग्रा.

तापमान

प्रचालन	:	–30° सेल्सियस से	+65° सेल्सियम
भंडारण	:	–40° सेल्सियस से	+70° सेल्सियम

पर्यावरणीय विनिर्दिष्टियां

जे.एस.एस. प्रचालन 55555 (भू-उपस्कर आंशिक रूप से संरक्षित) की तालिका 3-3 (श्रेणी 1.2) के अनुसार उपस्कर पर्यावरणीय विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा।

भार

एक सौर चार्जक का भार कुल मिलाकर 7.5 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करना

2397. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उपक्रम में अब तक कितना-कितना निवेश किया गया है;

(ख) इनमें से रुग्ण अथवा बन्द हो गये उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम को हुए घाटे अथवा इसके द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है, और

(घ) रुग्ण उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) 31-3-1993 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 14 उपक्रम थे, जिनके पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित थे। उन उपक्रमों के नाम, 31-3-1993 तक उनमें किए गए निवेश और 31 मार्च, 1993 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान उठाई गई हानि/अर्जित लाभ का ब्यौरा संलग्नक में दिया गया है। उनमें से पांच उद्यम अर्थात इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इसेलेशन कम्पनी

लिमिटेड, माईका ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड और भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रुग्ण औद्योगिक (संशोधित) अधिनियम 1985 के तहत रुग्ण हो गए हैं। उनमें से कोई भी बन्द नहीं किया गया है। नवीकरण/पुनर्स्थापन पैकेज तैयार करने हेतु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंपा जा चुका है।

विवरण

बिहार में स्थित सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	31-3-1993 तक निवेश	लाभ/हानि		
			1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	भारत कोकिंग कोल लि.	287139	(−)7384	(−)4813	(−)9627
2.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	18996	(−)352	(−)1389	(−)1159
3.	भारत वैगन एण्ड इंजी. कंपनी लि.	1275	185	235	79
4.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	180052	4156	19377	526
5.	केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.	1904	190	166	147
6.	इंजीनियरिंग प्रोजक्ट्स इंडिया लि.	25102	(−)5981	(−)5834	(−)5387
7.	भारी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	56958	(−)12726	(−)19265	(−)9951
8.	इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्स्युलेशन कंपनी लि.	1815	14	(−)296	(−)87
9.	मेटालुर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	292	829	363	37
10	माइका ट्रेडिंग कारपो. ऑफ इंडिया लि.	3459	(−)821	(−)678	(−)492
11.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	8880	(−)1366	(−)1648	(−)1786
12	पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	8774	(−)829	24	(−)20

1	2	3	4	5	6
13.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	170	(−)5	(−)5	(−)5
14.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	17017	146	246	143

[अनुवाद]

एच.एम.टी., भेल और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की क्षमताओं का उपयोग

2398. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की क्षमता का कितना उपयोग किया जाएगा और इस अवधि के दौरान इनके कार्य निष्पादन में सुधार की क्या संभावनाएं हैं;

(ख) इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या दीर्घकालीन योजना बनाई गई है;

(ग) क्या उदारीकरण-प्रक्रिया और विश्व-व्यापी प्रतिस्पर्धा से उनके कार्य-निष्पादन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की दीर्घकालिक योजनाओं में नये उत्पाद क्षेत्रों में विविधकरण करना, संयुक्त उद्यमों का गठन तथा निर्यात की संभावनाओं का पता लगाना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्रों के इन उपक्रमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आने के लिए और अपने कार्यकलापों का नई आर्थिक नीतियों के अनुसार अनुकूलन करने के लिए अनेक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। एच.एम.टी. को अपने पृथक व्यवसाय समूहों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों में बदलने की संभावनाओं का पता लगाने की अनुमति दे दी गई है जो अधिकांश इक्विटी शेयरों के धारक हो सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा करना कंपनी के हित में हो। एच.ई.सी. ने अपनी उत्पादकता में सुधार, लागत में कटौती, विपणन की बेहतर कार्यनीतियों के उद्देश्य से टर्न अराउण्ड योजना बनाई है। भेल अपने निर्यात पर विशेष बल दे रही है तथा वर्ष 1992-93 में उनका निर्यात निष्पादन 786 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष 1991-92 में यह 634 करोड़ रुपये था।

विवरण

भेल, एच.एम.टी. व एच.ई.सी. की अनुमानित क्षमता उपयोगिता

एकक	आगामी 3 वर्षों में अनुमानित क्षमता उपयोगिता
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	
विद्युत क्षेत्र	50%
औद्योगिक क्षेत्र	70%
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एच.ई.सी.)	30 - 50%
एच.एम.टी.	
मशीन टूल्स	50 - 65%
ट्रेक्टर	90%
घड़ियां	50 - 90%

[हिन्दी]

महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

2399. **श्री एन.जे राठवा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य हेतु राज्य सरकार को कितना धन आवंटित किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

वर्ष	समूहों का लक्ष्य	बनाये गये समूह
1990-91	98	292
1991-92	500	552
1992-93	390	427

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को आवंटित निधियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	आबंटित निधियां (लाख में)
1990-91	9.59
1991-92	50.50
1992-93	39.39

[अनुवाद]

गुजरात में परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

2400. **श्री महेश कनोडिया :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अपनी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता में बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोध किया है।

(ग) 21-4-1993 को आयोजित नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के लिए समीक्षा समिति (आर.सी.एन.सी.ए.) की 5वीं बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि विश्व बैंक सहायता (लगभग 170 मिलियन यू.एस. डालर) की सहायता से अलग होने के कारण इस परियोजना में हुए घाटे को भारत सरकार द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक स्रोतों से पूरा किया जाएगा। बहरहाल, गुजरात सहित संबद्ध राज्यों के बीच इस वित्तीय सहायता के वितरण के लिए निश्चय मात्रा को अभी वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप देना है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश के नगरों का विकास

2401. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व-बैंक की सहायता से राज्य में कुछ नगरों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई परियोजना रिपोर्ट को शहरी विकास मंत्रालय ने अनुशंसित कर वित्त मंत्रालय को भेजा था, जिन्होंने परियोजना रिपोर्ट को विश्व बैंक में भेज दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सौर उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकी

2403. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में सौर उपकरणों का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात सहित सम्पूर्ण देश में प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से सौर जल तापन प्रणालियों, सौर कुकरों, सौर भभकों, सौर वायु तापकों और सौर प्रकाशवोल्टीय आधारित रोशनी प्रणालियों जैसी विभिन्न प्रकार की सौर ऊर्जा युक्तियों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस राज्य के विभिन्न भागों में उद्यमियों द्वारा उत्पादन यूनिटों की स्थापना की गई है। इस समय सौर गरम जल प्रणालियों के पंजीकृत 21 विनिर्माता, सौर कुकरों के 4 और सौर भभकों (स्टिल्स) के 7 पंजीकृत विनिर्माता हैं।

(ख) इस संबंध में उठाए गए कदमों में उपयोगकर्त्ताओं और विनिर्माताओं के लिए उदार ऋण सुविधाएं, कार्य निष्पादन मानक, प्रमाणीकरण और सूचना अभियानों आदि के माध्यम से जन जागृति पैदा करना जैसे प्रोत्साहनों को आरंभ करना शामिल है।

उर्वरकों का उत्पादन

2404. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का घरेलू उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी कमी होने का अनुमान है;

(ग) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के अलावा कुछ उर्वरक एकक दक्षिणी राज्यों को उर्वरक उपलब्ध कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में उर्वरक लाने ले जाने पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिये हैं, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) तीन मुख्य उर्वरक पोषकों, अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश में से लगभग 85% नाइट्रोजन की मांग तथा 70% फास्फेट की मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती है। पोटाश की सम्पूर्ण आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है, क्योंकि देश में पोटाश के ज्ञात भण्डार नहीं हैं।

(ग) और (घ) फैक्ट के अतिरिक्त दक्षिणी राज्यों को निम्नलिखित उर्वरक एकक नियंत्रित उर्वरकों की आपूर्ति कर रहे हैं :

1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰ का रामागुण्डम एकक
2. कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰
3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰
4. मंगलोर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰
5. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि॰
6. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि॰
7. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰
8. साउदर्न पेट्रो-कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि॰
9. जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि॰
10. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लि॰
11. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि॰
12. विशाखापत्तनम स्टील प्लांट लि॰
13. तुतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स लि॰
14. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰
15. गुंजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कंपनी लि॰

(ङ) और (च) नियंत्रित उर्वरकों का राज्यवार आबंटन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किया जाता है। उर्वरकों के परिवहन पर और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में नलकूप

2405. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान प्रत्येक वर्ष आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंड-पम्प लगाने के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई, और

(ख) 1994 के दौरान कितने हैण्ड-पम्प लगाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) निधियां योजनावार आधार पर अथवा केवल हैंडपम्पों को लगाने के लिये नहीं रिलीज की जाती हैं। तथापि, राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र रूप से विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियां मुहैया करायी जाती हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 1992 और 1993 के दौरान क्रमशः 16.136 करोड़ रुपये तथा 53.975 करोड़ रुपये की राशि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मुहैया करायी गई।

(ख) हैंडपम्प लगाने का वर्षवार लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका निर्धारण केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं होता है।

"विन्ड मैपिंग"

2406. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "विन्ड मैपिंग" के लिए पूरे देश में कोई सर्वेक्षण कराया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संभाव्यता का आकलन करने और उनके लिए स्थलों का पता लगाने हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक विस्तृत पवन सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसमें पवन मानचित्रण, पवन मानीटरिंग और जटिल भूभागीय परियोजनाएं शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में 126 पवन मानीटरिंग स्टेशन और 396 पवन मानचित्रण स्टेशन आरंभ किए गए हैं जिनमें से क्रमशः 59 और 189 स्टेशन इस समय कार्य कर रहे हैं। पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अब तक आठ राज्यों में 69 संभावित स्थलों का पता लगाया गया है। "भारत में पवन ऊर्जा सर्वेक्षण" पर अब तक दो पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया है जिनमें 50 पवन मानीटरिंग स्टेशनों के संबंध में विस्तृत पवन आंकड़े दिए गए हैं। आगे और स्थानों का पता लगाने के लिए पवन सर्वेक्षण परियोजनाओं को जारी रखा जा रहा है।

लघु क्षेत्र का संरक्षण

2407. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 51 प्रतिशत इक्विटी की भागीदारी के साथ भारत में कार्य कर रही कुछ विदेशी कंपनियां सरकारी क्षेत्र और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रतिबन्धित औद्योगिक इकाइयों में घुसपैठ कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कार्य-प्रणाली क्या है;

(ग) इन कंपनियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए उत्पादों के आरक्षण की नीति नई औद्योगिक नीति 1991 के अधीन भी जारी है। इस नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों सहित मझौले/बड़े उपक्रमों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन की अनुमति नहीं है बशर्ते कि वे 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व लें (निर्यातोन्मुख रेडीमेड गार्मेन्ट एककों के मामले में निर्यात दायित्व 50 प्रतिशत है और निवेश सीमा 3 करोड़ रुपये है)।

औद्योगिक नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थोड़े आरक्षण को बरकरार रखा गया है किन्तु चयन के आधार पर निजी क्षेत्र के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून सम्मेलन

2408. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1994 को "ला ऐज एन इंस्ट्रूमेन्ट आफ इकोनॉमिक चेंजेज इन द सार्क रीजन" (दक्षेश में कानून आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम के रूप में) पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें हुए विचार विमर्श का क्या निष्कर्ष निकला है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। "दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में विधि" पर 28 से 30 जनवरी, 1994 के दौरान एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन सार्क ला-इण्डिया द्वारा किया गया था जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत प्राइवेट निकाय है।

सरकार को उसमें हुए विचार-विमर्श के परिणामों की जानकारी नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

2409. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कोई आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) अब तक किन-किन आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है तथा इस संबंध में आठवीं योजना के दौरान ऐसी कौन-कौन सी सुविधाओं का विकास करने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। आठवीं योजना की विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए निर्दिष्ट योजना परिव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम

2410. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से प्राप्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के गांवों में पेयजल सप्लाई हेतु 74 योजनाएं प्राप्त हुई थीं। इन योजनाओं में से 2673.30 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 180 गांवों, जिनमें उनकी 200 बस्तियां थी शामिल हैं, के लिए 54 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए लगभग 298.11 लाख रुपये की लागत से 8 गांवों और 72 बस्तियों के लिए शेष 20 योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है। कुमाऊं मण्डल के, जो फलोराइड से प्रभावित क्षेत्र हैं, में पेयजल सप्लाई योजनाओं के लिए पहले चरण में 195 गांव तथा दूसरे चरण में 3391 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 421 गांवों में पेयजल सप्लाई की योजनाएं विचाराधीन हैं। आगरा और उन्नाव जिलों में मिली मिशन परियोजनाओं की अनुमानित लागत को संशोधित करके क्रमशः 400 लाख रुपये से 480 लाख रुपये तथा 353.18 लाख रुपये से 423.18 लाख रुपये कर दिया गया है।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हेतु निम्नलिखित योजनाएं प्राप्त हुई थीं।

क्रमांक	योजना का नाम	राशि (लाख रुपये में)
1.	2	3
1.	विलासपुर जिले में बैगा अनुसूचित जनजाति के 17 गांवों के लिए पेयजल	57.90

1	2	3
2.	सरगुजा जिले में पाण्डो जनजाति गांवों के लिए पेयजल	122.70
3.	बस्तर जिले के लिए पेयजल सप्लाई हेतु समेकित परियोजना	1244.93
4.	उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए घतिया परियोजना	341.50
5.	छिन्दवाडा जिले में अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के लिए तमिया/सुनसर परियोजना	439.11

क्रम संख्या 1 से 3 पर दी गयी योजनाएं अनुमोदित हो चुकी हैं। क्रम संख्या 4 और 5 पर दी गयी परियोजनाओं को राज्य सरकार को उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदन हेतु वापस लौटा दिया गया है। कीमतों आदि में वृद्धि हो जाने की वजह से राजगढ़ और शाहडोल जिलों में मिनी मिशन परियोजनाओं की अनुमोदित लागत में 74.61 लाख रुपये और 58.70 लाख रुपये की वृद्धि हो गई है। केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बेतुल जिले के बेतुल खण्ड के रोंधा में मॉडल गांव स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और 3.123 लााख रुपये की राशि रिलीज कर दी गयी है;

[अनुवाद]

शहरी निर्धन

2411. **श्री गोपी नाथ गजपति : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शहरी गरीबों के उत्थान के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई समीक्षा कराई गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) शहरी विकास मंत्रालय, शहरी निर्धनता उन्मूलन से सम्बन्धित निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहा है :

1. नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.)
2. निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा सुविधायें (यू.बी.एस.पी.)

(ख) और (ग) एन.आर.वाई. तथा यू.बी.एस.पी. के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का प्रबोधन मासिक रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इन स्कीमों की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आवधिक बैठकें भी की जाती हैं।

शुद्ध पेयजल की सप्लाई

2412. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गुन्टूर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने गुन्टूर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग

2413. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग के लिये कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया था;

(घ) यदि हां, तो उसमें किन प्रमुख बातों पर चर्चा की गयी थी, और

(ङ) इन्हें किस सीमा तक लागू किया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) डीनेचर्ड अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों के लिए मुख्य कच्चा माल है, पर आयात शुल्क 105% से घटाकर 10% कर दिया गया है। राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि चालू अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर 1993 - नवम्बर, 1994) के दौरान औद्योगिक अल्कोहल की सप्लाई पिछले वर्ष के स्तर से नीचे न जाने पाए और यह कि थोड़ी सी मात्रा जिसकी भेषज और कीटनाशी जैसे उद्योगों के लिए शुद्ध अल्कोहल के रूप में जरूरत पड़ती है, को छोड़कर औद्योगिक अल्कोहल को स्रोत पर डिनेचर्ड किया जाये।

(ग) से (ङ) शीरा और अल्कोहल के विनियंत्रण से उत्पन्न विभिन्न मुद्दे 4-11-93 को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के आबकारी मंत्रियों के सम्मेलन में उठाए गए थे। सम्मेलन में मामले पर विचार करने के लिए तथा राज्यों के नियमों और प्रक्रियाओं में समन्वय लाने के उपाय सुझाने के लिए ताकि वे शीरा और अल्कोहल के विनियंत्रण के अनुरुप हो सकें, कर्नाटक के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के आबकारी मंत्रियों का एक ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का ट्रैक्टर समूह

2414. **श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड रुग्ण स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड से ट्रैक्टर समूह हटाकर एक अलग कम्पनी बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, उससे क्या लाभ होगा;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान ट्रैक्टर समूह ने अब तक कितना लाभ अर्जित किया;

(छ) क्या सरकार का विचार नई कम्पनी के लिए धन उपलब्ध कराने का है, और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ज) सरकार ने एच.एम.टी. लिमिटेड के पृथक व्यवसाय समूहों को अंतरराष्ट्रीय सहभागियों वाले संयुक्त उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया है। से सहभागी अधिकांश इक्विटी के धारक हो सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा करना एच.एम.टी. के हित में हो। इससे एच.एम.टी. की नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा अपने आधुनिकीकरण और विकास के लिए अपेक्षित संसाधनों तक सतत पहुंच हो सकेगी।

(च) ट्रैक्टर व्यवसाय समूह का पिछले तीन वर्षों में कर-पूर्व लाभ इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लाभ (कर पूर्व)
1990-91	22
1991-92	28
1992-93	17
1993-94 (सितम्बर, 1993 तक)	(–) 2

डी.डी.ए. फ्लैटों/प्लाटों के आवंटितियों से बकाया राशि की वसूली

2415. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.ए. ने बिना बिके वाणिज्यिक भवनों एवं फ्लैटों हेतु क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए वाणिज्यिक परिसम्पतियों एवं निर्मित फ्लैटों के आरक्षित मूल्य में कमी करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि प्राधिकरण ने कतिपय शर्तों के साथ वाणिज्यिक सम्पतियों के आरक्षित मूल्य में कमी की अनुमति दी है। ताकि संचित माल सूची को निपटाया जा सके। तथापि, निर्मित फ्लैटों के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्राधिकरण ने मार्च 1993 में संकल्प पारित किया है कि 12-3-92 के पश्चात् नीलामी हेतु तीन से अधिक बार ऐसा किये गये और जो अभी भी अनाबंटित हैं, उन वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भूखण्डों के आरक्षित मूल्य में अधिकतम 10% तक की कमी की जा सकती है उन भूखड़ों का आरक्षित मूल्य, जो पांच अथवा उससे अधिक निलामियों के बावजूद भी दो से अधिक वर्षों से बिके नहीं हैं, के आरक्षित मूल्य को मार्च 92 में जारी संकल्प के अनुसार निकाले गये आरक्षित मूल्य के (अधिकतम) 20% तक की कमी की जा सकती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 12-3-92 के पश्चात तीन अथवा अधिक बार नीलामी में प्रस्तुत बिना बिकी दुकानों के बाबत आरक्षित मूल्य में 20% तक कमी करने की निर्णय लेने हेतु दिसम्बर 1993 में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। पांच अथवा अधिक बार नीलामी में 2 वर्षों से न बिकी दुकानों के लिए उनकी बिक्री के प्रयास में आरक्षित मूल्य में आरक्षित मूल्य के 40% तक कमी की जा सकती है।

[हिन्दी]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

2416. **श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहित देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विभागों और नोडल एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों के विकास, प्रसार और उन्हें लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में 12,500 बायोगैस संयंत्र, 2.30 लाख उन्नत चूल्हे, 25,000 सौर कुकर, 2912 वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र के स्थापना के कार्य को हाथ

में लिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत बायोमास गैसीफायर, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों और पवन पम्पन प्रणालियों को भी शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इन्जीनियरिंग क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2417. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय इन्जीनियरिंग क्षेत्र में लाभप्रद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम को प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ;

(ग) क्या उदारीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की वर्तमान नीति का इन उपक्रमों की लाभप्रदता पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, और

(घ) यदि हां, तो कितना?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) इन्जीनियरी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों तथा 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष तक विगत तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित लाभ संलग्न विंवरण में दिया गया है। जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के माध्यम से घोषित उदारीकरण का उद्देश्य सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना था। सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता में वृद्धि का रुख दिखाई देता है।

बहरहाल, अभी यह आंकने का उचित समय नहीं आया है कि उपक्रमों की लाभकारिता पर उक्त नीति का आम तौर पर क्या प्रभाव पड़ा।

विवरण

इंजीनियरी क्षेत्र के केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	सरकारी उपक्रम का नाम	निवल लाभ/हानि		
		1992-93	1991-92	1990-91
1	2	3	4	5
	भारी इंजीनियरी			
1.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	59	79	47
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लि.	55	104	63
3.	भारत भारी उद्योग निगम लि.	47	92	0
4.	भारत वैगन एण्ड इंजी. कंपनी लि.	165	235	79

1	2	3	4	5
5.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि.	40	−61	46
6.	भारत हैवी इलेक्ट्रिल्स लि.	13316	15009	3694
मध्यम व हल्की इंजीनियरी				
1.	अंतरिक्ष कारपारेशन लि.	26	0	0
2.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इण्डिया लि.	19	1	−35
3.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.	8589	5723	3687
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपो. ऑफ इण्डिया लि.	110	−2758	−1038
5.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.	262	348	355
6.	एच.एम.टी. लि.	272	2608	1415
7.	एण्ड्रंयू यूले एण्ड कंपनी लि.	189	410	520
8.	बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लि.	1321	873	685
9.	बीको लॉरी लि.	21	−171	−236
10.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	3893	3575	3425
11.	भारत डायनामिक्स लि.	6	1291	485
12.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	23	16	39
13.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	340	255	−744
14.	सेमी-कण्डक्टर काम्प्लेक्स लि.	490	799	212
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	1211	−2451	232
16.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.	660	664	207
	परिवहन उपस्कर			
1.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	2335	1820	1752
2.	गोवा शिपयार्ड लि.	1279	1157	757
3.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	3644	3482	4614
4.	मझगांव डाक लि.	587	460	321
5.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.	5234	5448	4868

[हिन्दी]

निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं संबंधी योजनाएं

2418. **श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत शहरों के विकास करने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) 1990-91 में प्रारम्भ की गई निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सुविधा योजना के तहत मध्य प्रदेश के निम्नलिखित 10 शहरों को लिखा गया है :

1. बरासिया
2. कटनी
3. रायगढ़
4. खारसिया
5. राजनन्द गांव
6. मन्दसूर
7. बुरनपुर
8. भोपाल
9. जबलपुर
10. खण्डवा

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के और शहरों को शामिल करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि का नियतन

2419. **श्री प्रेम चंद राम : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिये नियत धनराशि का राज्य की अन्य परियोजनाओं के विकास हेतु निवेश करने की केन्द्र से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दी जायेगी;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है, और

(ङ) बिहार सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) 1993-94 के दौरान बिहार की राज्य योजना के लिए सिंचाई सेक्टर हेतु अनुमोदित परिव्यय 500.27 करोड़ रुपये है, जिसके विपरीत फरवरी, 1994 तक बृहत, मझौली और लघु सिंचाई के तहत सम्भावित संचयी व्यय 161.49 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से जल आपूर्ति परियोजना

2420. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर के लिए जल आपूर्ति परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह सहायता कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान जल आपूर्ति एवं मल-निर्यास परियोजना की अनुमानित लागत 442.40 करोड़ रुपये है, जिसमें जयपुर तथा रास्ते में आने वाले 3 कस्बों और 91 गांवों को जल आपूर्ति मुहैया कराने के साथ-साथ जयपुर के लिए मल-निर्यास सुविधा पर विचार किया गया है।

(ग) इस समय कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि विश्व बैंक ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह कतिपय अनिवार्य अध्ययन पूर्ण कराए और ये अध्ययन राज्य सरकार द्वारा अभी पूरे किए जाने हैं।

दल बदल विरोधी कानून

2421. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** :
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री वी. कृष्णा राव :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करने का है;

(ख) क्या दल बदल विरोधी कानून को और अधिक व्यापक बनाने की कोई मांग है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दल परिवर्तन रोकने के लिए विधि के कुछ पहलुओं की सरकार समीक्षा कर रही है किंतु उसने इस विषय में अभी तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया है।

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चुने गए प्रत्याशी

2422. **श्री शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा द्वारा 1990, 1991 और 1992 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं में भर्ती हेतु कितने प्रत्याशियों को चुना गया;

(ख) प्रत्याशियों की शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर भर्ती अर्थात् कला, विज्ञान, वाणिज्य, अभियान्तिकी, चिकित्सा, विधि अथवा अन्य किसी विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त प्रत्याशियों का विवरण क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में रहने वाले सफल घोषित प्रत्याशियों का विवरण क्या है;

(घ) मातृभाषा के आधार पर सफल प्रत्याशियों, जैसा उन्होंने अपने आवेदन पत्रों में घोषित किया है, का विवरण क्या है;

(ङ) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से सफल हुए प्रत्याशियों का ब्यौरा क्या है, और

(च) ऐसे सफल प्रत्याशियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने मुख्य परीक्षा में भाषा को विषय के रूप में लिया?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सूचना विवरण-I पर दी गई है।

(ख) सूचना विवरण-II पर दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न के इन भागों से सम्बन्धित सूचना न तो एकत्र की जाती है और न ही रखी जाती है।

(ङ) सूचना विवरण-III पर दी गई है।

(च) सूचना विवरण-IV पर दी गई है।

विवरण-I

सिविल सेवा परीक्षा 1990, 1991 तथा 1992 से विभिन्न अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या

परीक्षा का वर्ष	1990	1991	1992
चुने गए उम्मीदवारों की संख्या	940	871	761

विवरण-II

उम्मीदवारों की शैक्षिक पृष्ठभूमिवार ब्यौरा

विषय	वर्ष/उम्मीदवारों की संख्या		
	1990	1991	1992
कला (बी.ए./बी.ए. आनर्स)/एम.ए.)	397	325	267
वाणिज्य (बी.कॉम./बी.कॉम (आनर्स) एम.कॉम)	42	42	30
विज्ञान (बी.एस.सी./बी.एस.सी. (आनर्स)/ एम.एस.सी.)	132	125	98
कृषि (बी.एस.सी. (कृषि)/एम.एस.सी.(कृषि)	34	19	15
इंजीनियरी (बी.टेक/एम.टेक)	281	311	313
चिकित्सा विज्ञान	47	43	35
डॉक्टरेट	03	01	03
पशु चिकित्सा विज्ञान	04	05	-

विवरण-III

लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की भाषा के माध्यम से सफलता प्राप्त उम्मीदवारों का ब्यौरा

परीक्षा का माध्यम	वर्ष		
	1990	1991	1992
असमी	1	1	-
बंगाली	1	2	-
गुजराती	5	5	2
हिन्दी	49	31	68
कन्नड	4	2	3
मलयालम	-	1	1
मराठी	4	-	7
तमिल	4	7	4
तेलगू	4	7	6
उर्दू	2	1	1
अंग्रेजी	866	814	669

साक्षात्कार का माध्यम	वर्ष		
	1990	1991	1992
अंग्रेजी	867	818	670
*भारतीय भाषाएं	73	53	91

*संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भाषाओं का ब्यौरा नहीं रखा जाता।

विवरण-IV

सफल उम्मीदवारों का भाषावार ब्यौरा

भाषा	उम्मीदवारों की संख्या		
	1990	1991	1992
01 असमी	4	3	-
02 बंगाली	11	11	8
03 गुजराती	7	7	5
04 हिन्दी 618	619	529	
05 कन्नड	19	7	10
07 मलयालम	13	10	12
08 मराठी26	20	32	
09 उड़िया	33	23	25
10 पंजाबी	30	21	13
11 संस्कृत	-	-	1
14 तमिल43	27	23	
15 तेलगू 103	88	79	
16 उर्दू 9	3	8	
17 छूट प्राप्त उम्मीदवार	33	32	16

आर्थिक सुधार प्रक्रिया

2423. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर्याप्त मौलिक सुविधाओं तथा उद्योग एवं व्यापार को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय और राज्य के कानूनों में समरूपता के अभाव में आर्थिक सुधार प्रक्रिया के संकट में पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय और राज्य के कानूनों में तदनुसार समरूपता लाने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) भारत सरकार ने निवेश के प्रवाह और व्यापार की सुविधा के लिए कानून और कार्यविधियों को पर्याप्त रूप से सरल बना दिया है। इससे राज्य सरकारों से भी विचार माध्यम-विमर्श शुरू किया है, ताकि उनके द्वारा प्रशासित कानून और कार्यविधियों के सरलीकरण और उन्हें संगत बनाने के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी जा सके । यह एक सतत प्रक्रिया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत – उक्रेन सहयोग

2424. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्रेन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और उक्रेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए उक्रेन के राष्ट्रपति श्री एल.एम. खावचुक की यात्रा के दौरान 27 मार्च, 1992 को नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

(ग) और (घ) उपर्युक्त समझौते के परिपालन के क्रम में जून 1993 को कीव, उक्रेन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग के कार्यक्रम को सम्पन्न किया गया। सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित बातें आती हैं : पदार्थ प्रौद्योगिकी, धातु विज्ञान, वैमानिकी अनुसंधान, मानकीकरण तथा गुणवत्ता प्रणाली, जल

शुद्धिकरण, विकल्प वाहन-ईंधन, औषध-उत्पादन, अग्नि-अनुसंधान, भवन-प्रौद्योगिकी, निम्न तथा उच्च तापीय अतिचालकता तथा खनन प्रौद्योगिकी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की विचाराधीन परियोजनाएं

2425. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कौन-कौन सी परियोजनाएं केंद्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृति दे दी जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परियोजनाओं का कार्य शुरू हो जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की कोई भी स्कीम योजना आयोग के पास स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

पेय जल

2426. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कौन-कौन से शहर पिछले तीन वर्षों से पेय जल की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल पटना और रांची शहरों में ही पेयजल की कमी है।

(ख) से (घ) पेयजल की कमी का सामना कर रहे शहरों के लिए कोई केंद्रीय सहायता नहीं दी जाती है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में आधारभूत सुविधाएं

2427. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न शहरों का विकास करने को उच्च प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने पांच महानगरों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। देश में विभिन्न शहरों का विकास मूलतः राज्य का विषय है तथा सरकार ने अनुवर्ती राज्य योजनाओं में इसे उचित प्राथमिकता दी है। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बड़े शहरों (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद तथा बंगलौर) के आधारभूत संरचनात्मक विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य उपयुक्त संस्था तथा वित्त पोषक कार्यविधि के माध्यम से बड़े शहरों में आर्थिक तथा वास्तविक आधारभूत संरचना को प्रोत्साहन देना है। स्कीम के वित्तपोषण का पैटर्न इस प्रकार है :

(i) केन्द्र सरकार (25 प्रतिशत)

(ii) राज्य सरकार (25 प्रतिशत), तथा

संस्थागत/बाजार उधार (50 प्रतिशत)।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

2428. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पहले सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण बंगलौर के व्हाइट फिल्ड में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पार्क से इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उद्योगों के विकास में सहायता मिलेगी

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

तिरुपति के निकट "रेडार"

2429. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति के निकट अधिष्ठापित "मसोस्फेयर" स्ट्रेटोस्फेयर'ट्रोपोस्फेयर रेडार पूर्णरूपेण कार्य करने लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश भर के वैज्ञानिक इसे वायुमंडलीय अनुसंधान हेतु एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विविध राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने वायुमण्डलीय अनुसंधान के लिए तिरुपति के निकट गंडकी में स्थापित मध्य-मंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल (एम.एस.टी.) राडार सुविधा के प्रयोग में गहन रुचि दिखाई है। इस सुविधा के उपयोग के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सितंम्बर 1993 में जारी उद्घोषणा के प्रत्युत्तर में उत्साहवर्धक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एम.एस.टी. राडार सुविधा के प्रयोग से विविध परीक्षणों की शुरुआत के लिए फिलहाल इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने विविध भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रयोक्ता वैज्ञानिकों द्वारा एम.एस.टी. राडार के आंकड़ो के प्रभावी उपयोग के लिए श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति में एम.एस.टी. राडार उपयोग के लिए एक केन्द्र को भी प्रायोजित किया है।

अधिक सैनिक स्कूल खोलना

2430. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति ने अपने 19वें प्रतिवेदन में ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक सैनिक स्कूल खोलने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित कराने जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे स्कूलों को खोलने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी ग्रामीण क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में सैनिक स्कूल संबंधित राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही खोला जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी निवेश प्रस्ताव

2415. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान कुछ विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य-मुख्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए अन्य मंत्रालयों से भी स्वीकृति ली गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 (जनवरी तक) के दौरान 705 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें 6549.41 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तंग्रस्त है। इन स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे जैसे भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम और जिस देश से वह संबंधित है उस देश का नाम, निर्माण की मद, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक नीति 1991 संबंधी व्यक्तव्य के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उद्योगों में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन देता है। अन्य सभी प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालयों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके गुण दोष के आधार पर सरकार के द्वारा मंजूरी दी जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वित्त निगम

2432. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास वित्त निगम बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इन योजनाओं को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास वित्त निगम की स्थापना के लिए सहमत नहीं हुई है। मोटे तौर पर ऋण वित्त पर निर्भरता की बजाए टैक्स कम-सब्सिडी आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निजी निवेश पर बल देने की नीति अपनायी गई है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सागर ताप ऊर्जा

2433. **श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सागर ताप ऊर्जा योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना का अनुमानित व्यय कितना है, और

(घ) योजना पूरी होने में कितना समय लगेगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) जी, नहीं। प्रौद्योगिकी विकास के वर्तमान स्तर पर महासागरीय ताप ऊर्जा रूपान्तरण (ओ.टी.ई.सी.) विद्युत संयंत्र की स्थापना करने में सरकार द्वारा ऐसे भारी पूंजी निवेश वाले संयंत्र पर निवेश करना तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से बहुत जोखिम भरा कार्य है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के मैसर्स सी. सोलर पावर द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपत्तनम् अपतट पर स्वयं बनाओ स्वयं चलाओ आधार पर 250 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर 100 मेवा के एक ओ.टी.ई.सी. विद्युत संयंत्र की स्थापना और तमिलनाडु सरकार को विद्युत की बिक्री के लिए रुचि प्रकट की गई है। इस आशय के समझौता ज्ञापन पर जनवरी 1994 में तमिलनाडु सरकार और मैसर्स सी. सोलर पावर के बीच हस्ताक्षर किए गए। मैसर्स सी.सोलर पावर को राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न निरापत्तियां प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है और उन्हें प्रस्तुत करना है। महासागरीय सर्वेक्षणों के पश्चात् प्रस्तावित स्थल के उपयुक्त पाए जाने पर इस ओ.टी.ई.सी. संयंत्र को छः वर्षों में लगा लिए जाने की उम्मीद है।

महासागर ऊर्जा क्षमता

2434. **श्री के. प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में महासागर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इस ऊर्जा को उपयोग में लाए जाने हेतु क्या प्रयास किए गये हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी ऐसी योजनाएं बनायी जायेंगी, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) उपलब्ध महासागरीय आंकड़ों के आधार पर देश में विभिन्न प्रकार की महासागरीय ऊर्जा से 80,000 मेवा. विद्युत की संभाव्यता होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा (लगभग 10,000 मेवा.) महासागरीय ताप ऊर्जा रूपान्तरण (लगभग 50,000 मेवा.), और लहर ऊर्जा (लगभग 20,000 मेवा.) शामिल है। तथापि हमारे देश के तटीय जल में वर्ष के एक भाग के दौरान

तेज चक्रवातीय परिस्थिति के कारण महासागरीय ऊर्जा के किफायती ढंग से दोहन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम है।

(ख) और (ग) सी.ई.ए./एन.एच.पी.सी. द्वारा गुजरात की कच्छ की खाड़ी में 21 प्रतिशत के संयंत्र भार गुणक के साथ 900 मेवा. के ज्वारीय विद्युत संयंत्र के लिए तैयार की गई तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट में इस परियोजना की पूंजीगत लागत लगभग 6000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार लक्षद्वीप में 1 मेवा. के ओ.टी.ई.सी. विद्युत संयंत्र, जिसके लिए वर्ष 1984 में एक टी.ई.एफ.आर. तैयार की गई थी, की अनुमानित लागत को भी इस परियोजना को स्थापित करने के लिए बहुत अधिक समझा गया। जहां तक लहर ऊर्जा का संबंध है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा महासागर विकास विभाग के तत्वावधान के अंतर्गत 150 किवा. का एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया था। वर्तमान तकनीकी विकास के स्तर पर लहर ऊर्जा परियोजना द्वारा उत्पादित ऊर्जा की लागत भी मितव्ययी नहीं है।

(घ) और (ङ) आठवीं योजना के दौरान 100% साम्या के साथ विदेशी निवेशकों द्वारा स्वयं बनाओं स्वयं चलाओ के आधार पर तमिलनाडु के अपतट पर 100 मेवा. के ओ.टी.ई.सी. विद्युत संयंत्र और अंडमान निकोबार द्वीप के अपतट पर लहर चालित 1 मेवा. की लघु जल विद्युत परियोजनाओं को हाथ में लिए जाने की परिकल्पना की गई है। इन दोनों प्रायोगिक परियोजनाओं के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के बाद ओ.टी.ई.सी. तथा लहर चालित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार पर विचार किया जाएगा। यदि विद्युत उत्पादन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाती है तो महासागर विकास विभाग द्वारा केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रेक वाटर के साथ जुड़े हुए लहर चालित दोलायमान वॉटर कॉलम विद्युत परियोजनाओं के विस्तार की परिकल्पना की गई है।

समुद्र तापीय परिवर्तन प्रौद्योगिकी

2435. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**
श्री दत्ता मेघे :
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र तापीय ऊर्जा परिवर्तन प्रौद्योगिकी पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार संयंत्र के सफलता पूर्वक कार्य करने के पश्चात् विभिन्न समुद्र तटों पर ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अमरीका की किसी फर्म के साथ कोई समझौता किया है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (च) जी नहीं, प्रौद्योगिकी विकास के वर्तमान स्तर पर बड़े महासागरीय ताप ऊर्जा रूपान्तरण (ओ.टी.ई.सी.) विद्युत संयंत्र की स्थापना करने में सरकार द्वारा ऐसे भारी पूंजी निवेश वाले संयंत्र पर निवेश करना तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से बहुत जोखिम भरा कार्य है। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) के मैसर्स भी सोलर पावर द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखपट्नम अपतट पर स्वयं बनाओ स्वयं चलाओ आधार पर 250 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत पर 100 मेवा के एक ओ.टी.ई.सी. विद्युत संयंत्र की स्थापना और तमिलनाडु सरकार को विद्युत की ब्रिकी के लिए रुचि प्रकट की गई है। इस आशय के समझौता ज्ञापन पर जनवरी 1994 में तमिलनाडु सरकार और मैसर्स सी. सोलर पावर के बीच हस्ताक्षर किए गए, मैसर्स सी. सोलर पावर को राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न निरापत्तियां प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है और उन्हें प्रस्तुत करना है। महासागरीय सर्वेक्षण के पश्चात् प्रस्तावित स्थल के उपयुक्त पाए जाने पर इस ओ.टी.ई.सी. संयंत्र को छः वर्षों में लगा लिए जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) इस परियोजना में अधिक पूंजी निवेश और अधिक तकनीकी तथा वित्तीय जोखिमों को देखते हुए ऐसे ओ.टी.ई.सी. संयंत्रों को आगे और स्थापित करने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब कि मैसर्स सी. सोलर द्वारा पावर सतत् आधार पर प्रस्तावित 100 मेवा ओ.टी.सी. परियोजना का प्रदर्शन सफलता पूर्वक कर लिया जाये।

रक्षा विभाग की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

2436. **श्री तारा सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कमान के अंतर्गत रक्षा अचल भूसम्पदा कार्यालय ने कमान में "क" श्रेणी या प्रथम कोटि की छावनी में बन रहे अनधिकृत भवनों को गिराने के क्या प्रभावी कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस कमान के अंतर्गत इन छावनियों के कुछ कार्यकारी अधिकारियों ने इस प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 के उपबन्धों की अवहेलना कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार रक्षा भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कदम उठाएगी, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रक्षा सम्पदा अफसर छावनी अधिनियम, 1924 तथा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा धारक बेदखली) अधिनियम, 1971 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार समुचित कार्रवाई करते हैं।

(ख) इस प्रकार की लापरवाही बरते जाने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते रहेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सचिव समिति

2437. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में सचिवों की एक शक्ति प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसे क्या-क्या काम सौंपे गये हैं;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस रूपरेखा तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी, और

(च) इस समिति की स्थापना देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में कहां तक सहायक होगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) अधिकार-प्राप्त समिति विज्ञान सलाहकार परिषद की सिफारिशों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्रिमंडलीय समिति को सौंपेगी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन को मानीटर करेगी। यह समिति स्वयं अपनी ओर से भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर मंत्रिमंडलीय समिति के विचार के लिए प्रस्ताव ला सकती है।

यह अधिकार प्राप्त समिति निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करेगी :

(i) संसद द्वारा अनुमोदित किये गये बजट के दायरे में अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार के अधिकार।

(ii) अनुमोदित कार्यक्रमों/परियोजनाओं/मिशनों/गतिविधियों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय परिव्यय का निर्धारण। संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सचिव द्वारा अपने अनुदान के मांग में दर्शायी जाने वाली राशि के निर्धारण का निर्णय भी समिति करेगी। इस अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निवेश का निर्णय लिये जाने के पश्चात् अलग से निर्धारित ई.एफ.सी./पी.आई.बी. पद्धतियों के अनुसरण की कोई आवश्यकता न होगी।

(iii) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विदेशी मुद्रा एलोकेट करना।

(iv) बगैर सी.पी.डब्ल्यू.डी.डी.जी.एस. एण्ड डी. जैसी एजेंसियों को नियुक्त किये हुए सिविल कार्यों को सम्पन्न करने तथा भंडारण के लिए खरीद की आज्ञा देना।

(v) व्यक्तिगत मामलों, जैसे-पदों के सृजन, कार्मिकों के स्थानांतरण, वैज्ञानिकों, सलाहकारों, व्यावसायिकों तथा सलाहकार-संगठनों की विशेष सेवाएं लेना, आदि के पूरे अधिकर।

(vi) निर्णयों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए अपने स्वयं के नियम तथा पद्धतियां बनाना।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समिति को सेवाएं उपलब्ध करायेगा।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सेवा

2438. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड गत कुछ वर्षों से निजी एयरलाइनों की सेवा कर रहा है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने उत्पाद/सर्विस में विविधता लाने और अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विचार से निजी एयरलाइनों के लिए सिविल वायुयानों के अनुरक्षण का कार्य हाथ में लिया है। इस उपक्रम ने बोइंग 737 वायुयान पर जांच-बी तथा जांच-सी का कार्य पूरा किया है और यह इन वायुयानों तथा अन्य वायुयानों की और अधिक गहन सर्विसिंग करने का काम भी हाथ में लेने के लिए व्यवस्था कर रहा है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को शक्तियों का प्रत्यायोजन

2439. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी मामलों के विभाग ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को अपनी कुछ अभियोजन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा व इसके कारण क्या हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (से.बी.) के एक अधिकारी को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 56 (3), 59 (1) 63, 68, 73 (2)/2 (ख), 113 (2) तथा 207 के अंतर्गत अपराधों के सम्बन्ध में शिकायतें दायर करने के लिए प्रधिकृत किया है।

द्वारका में कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए भूमि की कीमत

2440. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका आवासीय परियोजना के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों के लिए भूमि की कीमत में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सोसायटियां बढ़ी हुई दरों पर भूमि लेने के लिए तैयार हैं;

(ग) क्या कई सोसायटियों ने पहले निर्धारित दर पर भूमि की कीमत जमा कर दी है, और

(घ) यदि हां, तो उन सोसायटियों के नाम क्या हैं और किन-किन सोसायटियों ने अपनी जमा राशि वापस मांगी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सरकार ने 1992-93 के लिए सहकारी सामूहिक आवास समितियों के लिए 1650.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की थी और 1993-94 के लिए द्वारका परियोजना हेतु संशोधित कर इसे 1861.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विवरण-I के अनुसार 1861.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बढ़ी हुई दरों पर मांग व प्रस्ताव पत्र में यथाअपेक्षित 25% भूमि प्रीमियम तथा 10% धरोहर राशि को जमा करते हुए अब तक 8 समितियों ने भूमि की पेशकश को स्वीकार किया है।

विवरण-II के अनुसार अन्य 34 समितियों ने जमा करने के लिए निर्धारित समय में बढोत्तरी की मांग की है।

(ग) उपर्युक्त "ख" में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त 6 समितियों ने वर्ष 1992-93 के लिए पूर्व निर्धारित 1650.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 35% भूमि का प्रीमियम जमा कराया था।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित समितियों के नाम, विवरण-III के अनुसार संलग्न हैं। उपर्युक्त समितियों, जिन्होंने की गयी पेशकश पर 1861.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि प्रीमियम का आंशिक राशि जमा की है, किसी ने भी धनराशि की वापसी के लिए नहीं कहा है।

विवरण-I

डी.डी.ए. में भूमि प्रीमियम का 35% जमा करने वाली 8 समितियों की सूची

क्र.सं.	पंजीकरण सं.	समिति का नाम	पेशकश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1.	874	शिव भोले सी.जी.एच.एस.	4500
2.	886	विवेकानन्द सी.जी.एच.एस.	7500
3.	889	वेल्कम ग्रुप	9500
4.	892	वृन्दावन	8500
5.	901	इंडियन एयरलाइंस आफिसर्स	5500
6.	937	सी.बी.आई.पी.	4000
7.	965	नव संसद विहार-2	21500
8.	970	शाहजहांबाद	17000

विवरण-II

उन समितियों की सूची जिनको समयावधि वृद्धि की अनुमति दी गयी है।

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	समित का नाम	
1	2	3	4
1.	858	पारस को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
2.	859	वत्सला को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
3.	863	बर्कर को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
4.	871	यू.जी.सी. को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
5.	881	यूथ को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
6.	882	हितकारी को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
7.	888	यंगमैन को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
8.	890	बी.ई.एल. इग्जूटिव को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
9.	893	सद्भावना को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
10.	895	आकाश को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
11.	900	टी.डी.ए. इम्प्लाईस को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
12.	902	गोदरेज को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
13.	903	न्यू अमर को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
14.	906	हिमांचल को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
15.	911	नवीन संगम को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
16.	925	सम्मती को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
17.	928	संघ मित्र को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
18.	929	माऊंट एवरेस्ट को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
19.	930	आर्यावर्त्त को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
20.	932	समृद्धि को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	
21.	936	इलिजेबल को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	

1	2	3
22.	941	क्लासिक् को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
23.	944	इनसात् को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
24.	945	लाकरा को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
25.	947	बृज कुंज को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
26.	950	यंग इंटरप्रियसर को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
27.	954	जानकी को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
28.	958	अंखण्ड को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
29.	959	मेनक ज्योति को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
30.	960	पूर्णिमा को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
31.	963	प्रेरणा को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
32.	966	डिफेंस लैड कंटेक्टर्स को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
33.	967	आकाश लोक को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
34	630	राफटिव को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी

विवरण-III

न्यायालय के आदेश के अनुसार 1650.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि प्रीमियम का 35% जमा करने वाली समितियों की सूची

	पंजीकरण संख्या	समिति का नाम
1.	860	गायत्री सी.जी.एच.एस. को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
2.	884	ग्रेट कैपिटल को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
3.	908	श्री राम को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
4.	910	यूनिक इंसोरेंस को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
5.	924	फ्रेंड्स सर्कल को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी
६.	६३८	**दिल्ली हिन्दुस्तान मर्कन्टाईलस को.आ. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी**

दिल्ली बार काउंसिल के आदेश

2441. **श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दिल्ली बार काउंसिल के आदेशों के विरुद्ध भारतीय बार काउंसिल की कितनी अपीलें प्राप्त हुई;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) कितनी अपीलें अभी भी लंबित हैं और उनके क्या कारण हैं, और

(घ) इन अपीलों पर कब तक निर्णय लिया जाएगा/को कब तक निपटाया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् की वर्ष 1991 और 1992 के दौरान, दिल्ली विधिज्ञ परिषद् के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् को वर्ष 1993 में, दिल्ली विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति के तारीख 22-1-93 के आदेश के विरुद्ध एक अपील (वी.बी. श्रीवास्तव बनाम राम प्रकाश) प्राप्त हुई थी। अपील की सुनवाई शीघ्रता से करने के लिए, भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उपाय किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की शाखाएं

2442. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति की कितनी शाखाएं हैं और ये शाखाएं कहां-कहां हैं तथा इनके कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या प्रत्येक शाखा में कितनी है;

(ख) सरकार को इस समिति की और अधिक शाखाएं खोलने हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) इनमें से अब तक कितने मामले निपटा दिए गए हैं, और

(घ) लंबित मामलों को तत्काल निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) केन्द्रीय भंडार की दिल्ली/नई दिल्ली में इस समय 63 शाखाएं हैं। इन शाखाओं के स्थान तथा प्रत्येक शाखा में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय भंडार की शाखाएं खोलने के लिए 20 अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) केन्द्रीय भंडार अब तक तीन इलाकों में नाम मात्र किराए पर जगह प्राप्त करने में सफल हो पाया है। इन तीन जगहों का कब्जा लेने तथा शाखा खोलने के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने का काम चल रहा है।

(घ) ऐसे इलाकों में जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बहुलता है, वहां जब कभी उपयुक्त विपणन प्रसुविधाएं, नये स्टोर खोलने की वित्तीय व्यवहार्यता, साथ ही नाम मात्र किराये पर जगह की उपलब्धि जैसी शर्तें पूरी होती हैं तो नई शाखाएं खोलने के लिए कार्यवाही की जाती है।

विवरण

दिनांक 1-2-1994 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	भण्डार का नाम	नियमित कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	रायसीना रोड	8
2.	योजना भवन	4
3.	आर.के. पुरम IV	5
4.	एस. नगर बी. ब्लाक	4
5.	क्यू. ब्लाक	3
6.	मोती बाग-I	4
7.	आर.के. पुरम-I	4
8.	माल रोड	4
9.	नेताजी नगर	4
10.	काली बाड़ी	3
11.	मोती बाग-II	3
12.	आर.के. पुरम-II	2
13.	कस्तूरबा नगर	3
14.	पण्डारा रोड	6
15.	एन्ड्रयूज गंज	4
16.	आर.के. पुरम (वेस्ट)	3
17.	एस. नगर एच-ब्लाक	5
18.	कर्जन रोड	5

1	2	3
19.	आर.के. पुरम-IX-ए	4
20.	यू.पी.एस.ई.	3
21.	एन.सी.ई.आर.टी.	2
22.	मिन्टो रोड	5
23.	एशिया हाऊस	3
24.	जल विहार	1
25.	सादिक नगर	4
26.	तिमार पुर	3
27.	मोती बाग (नोर्थ-वेस्ट)	5
28.	प्रगति विहार	4
29.	चितरंजन विहार	4
30.	पुष्प विहार-I	3
31.	ए.एस.आई.	1
32.	पटेल धाम	3.
33.	नोर्थ ब्लाक	3
34.	डी.आई.जेड.	4
35.	लोधी कालोनी	4
36.	आर.के. पुरम-III	3
37.	आई.ए.आर.आई. पूसा	4
38.	किदवई नगर	3
39.	आर.के. पुरम-VII	4
40.	श्रीनिवास पुरी	1
41.	आर.के. पुरम-V	3
42.	नानक पुरा	2

1	2	3
43.	बापा नगर	5
44.	नारोजी नगर	3
45.	आर.के. पुरम-IX-बी.	3
46.	वसन्त विहार	4
47.	सी.जी.ओ. कम्प्लेक्स	4
48.	पुष्प विहार-IV	5
49.	पुष्पा भवन	1
50.	पेशवा रोड/एम. मार्ग एफ.पी.एस.	5
51.	आई.एन.ए.	3
52	सी.आर. बिल्डिंग	4
53.	पीतम पुरा	4
54.	एफ.सी.आई.	2
55.	कालकाजी डी.टी.सी. डिपो	2
56.	आई.ए.ए.आई.	2
57.	पटपड़ गंज	4
58.	बी.बी. मार्ग	3
59.	हरि नगर	4
60.	कृषि विहार	4
61.	कृषि कुंज	4
62.	प्रेम नगर	2
63.	एन.टी.पी.सी.	3
	कुल	221

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

2443. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री चित्त बसु :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री राम देव राम :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री श्रीकांत जेना :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव
श्री माहेन सिंह (देवरिया) :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों पर राजसहायता देने संबंधी मौजूदा नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में उर्वरक संबंधी समिति ने कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(च) उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता का विकल्प तैयार करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार थे :

"(I) विभिन्न उर्वरक निर्माताओं के लिए प्राधिकरण मूल्य की संगणना की विद्यमान पद्धति की पुनरीक्षा करना, और

(II) यह सुझाव देना कि क्या विद्यमान योजना के अंतर्गत उर्वरकों के मूल्य में कमी करने के लिए कोई गुंजाइश है, अथवा क्या उर्वरक मूल्य निर्धारण के लिए, राजकोष पर अधिक भार डाले बिना, नयी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और इसके साथ ही किसानों को उचित मूल्य तथा निर्माताओं को उचित लाभ सुनिश्चित करना।"

समिति की कुछ सिफारिशों का उद्देश्य राजसहायता के खर्च को कम करना था जैसे कि फास्फेटिक उर्वरकों का विनियंत्रण करना, पूंजीगत माल और आयातित फास्फोरिक एसिड से सीमा शुल्क को हटाना, तथा नयी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए ऋण पर ब्याज भार में रियायत देना। अन्यों के साथ-साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वित किया गया है।

[अनुवाद]

एक्स-रे का दुष्प्रभाव

2444. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1994 के "इकनोमिक टाइम्स", नई दिल्ली में "ओवर डोज ऑफ एक्स-रे वाइडस्प्रेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में एक्स-रे प्रतिष्ठानों में जांच की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा प्रचार अभियान द्वारा रोगियों को अधिक एक्स-रे करवाने से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के विरुद्ध सावधान करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने देश में नैदानिक एक्स-रे उपकरणों वाले प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा की है और यह पाया कि प्रत्यक्षतः किसी नैदानिक लाभ को खोए बगैर आम जनता पर पड़ने वाले विकिरण प्रभाव की अनावश्यक मात्रा को कम करने की गुंजाइश है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की सहायता से देश में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित की जाने वाली नैदानिक एक्स-रे ट्यूबों, जनित्रों और गद्देदार पलंगों के 150 से अधिक संयोजनों के नमूने मंजूर किए हैं। नमूनों को मंजूरी यह सुनिश्चित करने के बाद ही दी जाती है कि उपकरण में सुरक्षा संबंधी पर्याप्त विशेषताएं अंतर्निर्मित हैं। इस क्षेत्र के बारे में जानकारी का प्रचार प्रेस-विज्ञप्तियों द्वारा किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने एक्स-रे प्रतिष्ठानों में विकिरण-सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में राज्य सरकारों को लिखा है। राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि वे केवल उस किस्म की एक्स-रे मशीनें खरीदें, जिस किस्म को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से अनुमोदन संबंधी प्रमाण-पत्र मिल चुका है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने ऐसे यंत्रों का डिजायन तैयार किया है और उनका निर्माण किया है, जिनसे सही गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। इन यंत्रों को देश के विभिन्न भागों में प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित भौतिकीविदों को वितरित किया गया है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने चिकित्सा एक्स-रे प्रतिष्ठानों में नियामक पहलुओं, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विकिरण सुरक्षा के बारे में, विभिन्न शहरों में समालोचना कार्यक्रमों का आयोजन किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की छः प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि ये कर्मचारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित एक्स-रे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकें और उन्हें पंजीकृत कर सकें।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड चिकित्सा एक्स-रे परीक्षणों की किस्म और आवृत्ति हरेक किस्म के परीक्षण के दौरान पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की मात्रा और संबंधित विवरणों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए पूरे देश में फैले ग्यारह अस्पतालों में समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम के लिए धनराशि दे रहा है। इस अध्ययन से प्राप्त आंकड़े ऐसे क्षेत्रों का, जिनमें विकिरण के प्रभाव की मात्रा कम करने के संबंध में अधिक ध्यान दिया जा सकता है, पता लगाने में उपयोगी योगदान देंगे।

प्राकृतिक गैस की कमी

2445. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक क्षमताओं को अधिक बढ़ाने की सरकार की योजना पर प्राकृतिक गैस की भारी कमी से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गैस एवं कच्चे माल के अधिक भंडार वाले देशों के साथ संयुक्त प्रयास करने की संभावनाओं का तुरंत पता लगाने की कोशिश की है;

(ग) क्या कतार और ईरान के साथ ऐसे दो संयुक्त प्रयासों की दिशा में काम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में इस संबंध में कोई समझौता हुआ है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा ७५८क मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) आंठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित तीन उर्वरक परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस की कमी के कारण कार्यान्वयन के लिए हाथ में नहीं लिया जा सका।

(ख) से (च) ओमान और ईरान में उपलब्ध गैस के भंडारों के आधार पर नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कतार, सऊदी अरेबिया तथा बरूनी ने भी ऐसे संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्रों की कुछ उर्वरक कंपनियों ने इन देशों में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि प्रकट की है।

[हिन्दी]

गुजरात को वित्तीय सहायता

2446. **श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान नए उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) निजी उद्यमियों द्वारा खुद ही धनराशि का प्रबंध करके उद्योग स्थापित किये जाते हैं। उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। उद्योग बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्य वित्त निगमों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं।

[अनुवाद]

ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क के बारे में दिनांक 12-5-1993 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8317 के उत्तर में दिए गए मूल सुधार संबंधी विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं, रक्षा राज्य मंत्री ने दिनांक 12-5-1993 को "ऋषिकेश-बद्रीनाथ रोड" के बारे में मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी, सांसद, लोक सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 8317 का लिखित उत्तर दिया था।

2. बाद में विदित हुआ कि प्रश्न के भाग (सी) एवं डी के जवाब में दी गई सूचना त्रुटिपूर्ण थी। त्रुटि अनजाने में हुई है। सूचना भेजने में हुई गलती के लिए खेद है।

मैं एतद् द्वारा अतारांकित प्रश्न सं. 8317 के संशोधित ... की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। (संलग्न-1)

विवरण

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
1	2	3
ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क **मेजर जनरल (रिटायर्ड)** **भुवन चन्द्र खण्डूरी**		
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :		
(क) क्या सरकार को वर्षा के मौसम के दौरान भू- स्खलन के कारण ऋषिकेश- बद्रीनाथ सड़क की खराब हालत की जानकारी है;	(क) अन्य किसी पर्वतीय मार्ग की तरह इस मार्ग पर भी भू-स्खलन होता है, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान इस सड़क की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रहती है।	(क) अन्य किसी पर्वतीय मार्ग की तरह इस मार्ग पर भी भू- स्खलन होता है, लेकिन वर्षा के दौरान इस सड़क की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रहती है।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ सड़क के बारे में दिनांक 12-5-93 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8317 के उत्तर में दिए गए मूल सुधार संबंधी विवरण

1	2	3
(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस सड़क की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?	(ख) इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है : वर्ष — खर्च की गई राशि (करोड़ रु. में) 1990-91 — 1.30 1991-92 — 1.70 1992-93 — 1.30	(ख) इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है : वर्ष — खर्च की गई राशि (करोड़) 1990-91 — 1.30 1991-92 — 1.70 1992-93 — 1.30
(ग) क्या सरकार का विचार इसके सामरिक और पर्यटन महत्त्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की है; (घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा और और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और	(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं योजना के दौरान इस सड़क को एक नए राष्ट्रीय राज मार्ग के रूप में घोषित करने की सिफारिश नहीं की है। इसके अलावा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने भी यह सलाह दी है कि धन बहुत कम उपलब्ध होने के कारण कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार करना बहुत कठिन है।	(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी सड़कों को बतौर नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की आवश्यकता का नया प्रस्ताव रखा, जिसमें कि पहले ही दिल्ली-गाजियाबाद - मेरठ-हरिद्वार ऋषिकेश रोड को केवल ऋषिकेश तक शामिल किया गया था। तथापि, बाद के पत्र में, राज्य सरकार ने सिफारिश की कि दिल्ली - गाजियाबाद - मेरठ - हरिद्वार - ऋषिकेश - जोशीमठ - बद्रीनाथ रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल किये जाने हेतु विचार किया जाए।

1	2	3
		जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने यह सलाह दी है कि धन बहुत कम उपलब्ध होने के कारण इस समय कोई नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार करना बहुत कठिन है।
(ङ) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस सड़क को चौड़ा करने का है, यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है।	(ङ) जी हां। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1993-94 क दौरान लगभग 3.70 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।	(ङ) जी हां। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 3.70 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

12.04 म.प.

भारतीय फिल्मों में अश्लीलता के संबंध में

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आजकल सिनेमा में जो क्राइम, सैक्स और अश्लील गाने तथा डांस दिखाये जा रहे हैं वे हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर तथा महिलाओं के सम्मान पर बहुत बड़ा आघात है। साथ ही यह एक चिन्ता का विषय भी बन गया है। 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। हम सारी महिला सांसद महामहिम राष्ट्रपतिजी से मिलने गई और एक नम्र निवेदन उनसे किया। उसका थोड़ा-सा अंश में आपको पढ़कर सुनाती हूं :

[अनुवाद]

"आज 8 मार्च, 1994 को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, हम विभिन्न दलों के अधो हस्ताक्षरी महिला संसद सदस्य, एक स्वर में इस अवसर पर नारी और नारीत्व के सम्मान की गंभीर परिस्थितियों और उनकी चुनौतियों के बारे में महामहिम का तथा उनके माध्यम से जन सामान्य एवं भारत सरकार तथा इससे सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

परस्पर विरोधी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एक ओर तो अधिकाधिक प्रयास किये जा रहे हैं एवम् यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संकल्प पारित किए जा रहे हैं ताकि समाज में महिलाओं के अधिकारों एवं स्थितियों के स्तर में वृद्धि हो सके और दूसरी और महिलाओं के नारीत्व

का उपयोग अत्यंत आपत्तिजनक तरीके से हो रहा है जो जिससे उनकी सामाजिक स्थिति को कमजोर बनाया जा रहा है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज में जो यह गलत प्रवृत्ति पड़ रही है।, इसको रोका जाये। जो सदाचारी लोग हैं वे इसकी चर्चा करें। संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। हमारे भाइयों से मेरी विनती है कि जैसे हमने कश्मीर इश्यू पर एक होकर बात की वैसे ही इस पर भी एक होकर चर्चा करें और इसका प्रचार घर-घर, टेलिविजन पर हो, जिससे इसका हल निकले। यह ठीक है कि हमारे मौलिक अधिकारों में हमें बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस राइट को इंडीसेंट मैनर से यूज किया जाये। आरबिटरेरी राइट नहीं दिया गया है। निजीकरण का मतलब यह नहीं है कि गन्दा बोला जाये, सुना जाये और देखा जाये, यह नहीं हो सकता। बेशर्मी की हद दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है कि शर्मिन्दगी को दबे पांव पीछे हटना पड़ रहा है।

कहीं ऐसा न हो कि शर्मिंदगी को अपना मुंह छिपाने के लिए कोई जगह न रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी फिल्म निर्माता हो चाहे इस काम से संबंधित जो भी लोग हों जिसके लिए कुछ ऐसा कानून पास किया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इस पर रोक लगे और समाज में अच्छी स्थिति पैदा हो। ऐसी स्थिति आज हो गई है कि घर में बैठकर हम अपने परिवार के साथ फिल्म नहीं देख सकते हैं। पहले घर था कि इसमें हमने यह भी कहा है कि।

[अनुवाद]

पहले महिलाएं अपने घर की चारदिवारी में कैद थी। अब वह अपने कमरे में कैद है क्योंकि वह बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैठक कक्ष में टी.वी. नहीं देख सकती है।

[हिन्दी]

यह स्थिति पैदा हो गई है। यह समाज की स्थिति है। हम किसी एक व्यक्ति या सरकार को दोषी नहीं समझते हैं। यह समाज में जो स्थिति है इसको दुरुस्त करना चाहिए और इसके लिए सब लोगों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए हम एक फुल लैन्थ डिसक्शन इस हाउस में चाहते हैं जिनके लिए हम चाहते हैं कि आप परमीशन दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मालिनी जी बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ महिला सदस्यों को इस विषय पर बोलने की अनुमति देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सभी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि संसद

के इस सत्र में सदस्यगण ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम सभी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हम सभी समान रूप से जनसंचार माध्यम के तेजी से वाणिज्यीकरण और जिस तरह से यह देश की संस्कृति पर आक्रमण कर रहा है उसके प्रति चिंतित हैं। इसके बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ताकि उपयुक्त एवं सटीक प्रस्ताव सामने आ सकें।

हम यह जानते हैं कि यह सामाजिक समस्या है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सरकारी आदेश देकर अथवा मात्र कानून में संशोधन करके रातोंरात ठीक किया जा सके, लेकिन हमारा यह मानना है कि सरकार और राज्यों का भी इस मामले में कुछ दायित्व है और इस संबंध में संसद की भी कुछ जिम्मेदारी है। अतः हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहेंगे। मैं आशा करती हूं कि आप इसकी अनुमति देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष जी, दो दिन पहले मैंने सदन को आगाह किया था कि इस कला के माध्यम से किस प्रकार हमारे सभाज में भ्रष्ट मनोवृत्ति का फैलाव हो रहा है। इसका नासूर काफी दूर तक फैल गया है और दूरदर्शन जो कि अपने को सक्षम बनाने में अक्षम रहा है वह विदेशी संस्कृति की ओढ़ में भौंड़ेपन की स्थिति पर पहुंच गया है। इससे महिलाओं का बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। किस प्रकार से भद्दी मनोवृत्ति वाले द्विअर्थक गानों का प्रदर्शन किया जाए जिससे हमारा प्रदर्शन अच्छा हो सके और आकर्षक बन सके इसका प्रयास हो रहा है और हम भी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। इसका नतीजा सामने आने लगा है कि आज जिस प्रकार के प्रश्न हमारे बच्चे पूछते हैं हम उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं। पहले यह कला ऐसी थी कि साथ बैठकर बाप-बेटी इसका रसास्वादन कर सकते थे लेकिन आज आप टी.वी. देखेंगे तो बंद कमरे में देखेंगे, यदि सिनेमा जाएंगे तो बच्चों से छिपकर देखेंगे। इन सारे दुष्परिणामों को देखते हुए हमने कल मंत्री महोदय से मिलने का काम किया और हमें अपनी समीक्षा से ऐसा लगा कि इसके दुष्परिणाम आप केवल घर में ही नहीं देखेंगे बल्कि हमारे यहां अपराधी स्वीकार करते हैं कि टी.वी. पर इस प्रकार की हरकतें देखकर वह प्रोत्साहित होते हैं। इस संबंध में पूरी बहस होनी चाहिए यह मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, कल हम सभी महिला सांसद इस संबंध में राष्ट्रपति जी से मिले थे। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हिटलर द्वारा रानी झांसी को आमन्त्रण देते हुए टी.वी. पर फिल्में दिखायी जाती हैं। रानी झांसी की पीठ पर उसका बच्चा है, वह कहती है कि ज्योंही वह बच्चे से मुक्त हो जाएगी, वह उसके साथ चली जाएगी। यह सब क्या है ? हमें बेहद खेद है और मैं समझती हूं कि यह केवल महिलाओं की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरी सभी हमारी संपूर्ण विरासत से जुड़ा मामला है। इसे बंद किया जाना चाहिए और इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस विषय पर कई

बार चर्चा होती रही है। सबसे पहले यह होता था कि अश्लील पोस्टर लगते थे, विज्ञापन आते थे और ऐसी चीजों के विज्ञापन आते थे, जिनका उपयोग भी महिलाएं नहीं करती थीं, किन्तु उन चीजों के विज्ञापनों में भी महिलाओं का उपयोग किया जाता था और जब महिला संगठन इसके विरोध में आवाज उठाते थे, तो सिने सर्किल एसोसिएशन की तरफ से कहा जाता था कि वे पोस्टर तो भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास किए हुए हैं, फिर आप इनको कैसे रोक सकती हैं, इसलिए महोदय, सबसे पहले तो इस भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की कार्य-प्रणाली पर चर्चा होना आवश्यक है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हम सबको एक बड़ा नोट सर्कुलेट किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत की सांस्कृतिक नीति बनाने जा रहे हैं और ऐसे समय में एक तरफ तो हम कहते हैं कि मातृ देवो भवः एक तरफ तो स्त्री को देवता का रूप देते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार से स्त्री के अंग प्रत्यांगों का प्रदर्शन होता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी गीता जी ने कहा, इस प्रकार की फिल्में और विज्ञापन पूरी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मूल्यों पर चोट करने के समान है। यह कार्य कोई विदेशी टी.वी. पर नही हो रहा है, हमारा ही जो मैट्रो चैनल है जिस पर परसों ही मिर्च मसाला नामक कार्यक्रम आया था उसमें इस प्रकार की अश्लील चीज दिखाई गई थीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही नहीं कहना चाहती हूं कि यह सब बन्द होना चाहिए, बल्कि इस पर यहां एक पूरी और विस्तृत बहस होनी चाहिए। जिस ढंग से आज हमारे दूरदर्शन पर विज्ञापन देते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक मामा अपने भांजे की जेब में जब भांजा पार्टी में जाता है, तो उसकी जेब में कुछ रखता है और मामा कहता है कि इसका प्रयोग पार्टी में करना। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। हमारे देश में लड़के कोई इस काम के लिए पार्टी में नहीं जाते जिससे उसका प्रयोग वहां करे। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। हमारे समाज के मूल्य कुछ दूसरे हैं, हमारे यहां की उच्च परम्पराएं हैं। हम ऐसे विज्ञापनों के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं और वह भी सरकारी माध्यमों से, तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके कथन के अंतिम भाग से सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जो चिन्ता प्रतिभा जी ने व्यक्त की है उससे अपने को जोड़ते हुए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी संस्कृति पर जो हमला हो रहा है, उस पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए और यह केवल उनका ही नहीं बल्कि सारे सदन और सारे समाज की चिन्ता का विषय है।

महोदय, परसों जी टीवी पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसका संभवतः शीर्षक था "हिन्दी और सैक्स तथा अश्लील गानों के प्रति चिन्ता" जब यह कार्यक्रम दिखाया जाने लगा, तो मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि पूरे आधे घंटे तक इसमें सिर्फ अश्लील दृश्य ही एक के बाद एक दिखाये गये जिससे हम लोगों का सिर शर्म से झुक गया। जो अश्लील व द्विअर्थी गाने थे

उनमें अंगप्रत्यंगों का इतना भोंड़ा प्रदर्शन दिखाया गया कि उसको देख कर लग रहा था कि जैसे सिनेमाघर की अश्लीलता चौराहे से निकलकर घर के अंदर ड्राईगरूम में पहुंच गई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर यहां विस्तार से चर्चा हो।

इस विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। हमारी भावी पीढ़ी बिगड़ रही है। जिन बच्चों की जुबान पर देशभक्ति और कर्मभक्ति के गीत होने चाहिए, वे आज अश्लील गीत गाते हुए घूम रहे हैं, जबकि वे समझते भी नहीं हैं कि वे क्या गा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे समाज के वातावरण को बिगाड़ने का काम हो रहा है। नैतिकता के इस पतन को रोकने का तुरंत काम होना चाहिए। और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : महिलाओं के बारे में जो चिंता यहां पर व्यक्त की गई है, उसके बारे में मैं बिल्कुल सहमत हूं। कल हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिलने भी गए थे और उन्होंने भी इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी और आश्वासन दिया था कि वे इस बारे में बात करेंगे। इसी तरह से कल सदन में शुक्ला जी ने भी बताया था कि इस पर चर्चा के लिए समय देंगे। हमारी मांग है कि ये सारी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए और इस विषय पर इस सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, सेंसर बोर्ड के बारे में क्या विचार है। भारतीय फिल्मों के कुछ गीत तो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड इस संबंध में क्या कर रहा है। वह उन फिल्मों को प्रमाण पत्र कैसे दे देता है इन फिल्मों को कैसे अनुमति दी जाती है ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिभा पाटील जी का आभारी हूं, उन्होंने एक ऐसे विषय को उठाया जो देखने में महिलाओं से संबंधित होगा, ऐसा किसी को लग सकता है, वास्तव में यह प्रश्न इस देश की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज विश्वभर में जो टेक्नालाजीकल इन्वेशन हुए हैं, उससे मीडिया की स्थिति वह नहीं रही, तो आज से पहले थी। सेटलाइट टी॰वी॰ विश्व में एक महत्वपूर्ण डेवलमेंट है, जिसके परिणामों के बारे में पहले से चिंता करके अग्रिम कदम उठाने चाहिए। मुझे खेद है कि सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और न ही सरकार इस बारे में सोच रही है। बाकी सारी बातें जो यहां पर कही गई हैं, मैट्रो टी॰वी॰ पर इस तरह का प्रकरण दिखाया गया, जिसमें हिटलर रानी लक्ष्मीबाई को प्रपोज कर रहा है और वह अपने शिशु को नीचे उतार कर कहती है कि यह मेरी लायबिलिटी है और पता नहीं क्या-क्या उसमें दिखाया गया। यह सीधे तौर पर दूरदर्शन पर जिम्मेदारी है। **श्री के॰पी॰ सिंहदेव** यहां पर होते तो उनसे पूछते कि इस प्रकार का प्रकरण दूरदर्शन पर क्यों दिखाया गया।

इस बारे में मेरा आग्रह है कि एक समन्वित सांस्कृतिक नीति हमारे सामने लाई जाए।

[अनुवाद]

आधुनिकता और हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय प्रचार नीति क्या है।

[हिन्दी]

जिसके बारे में प्रतिभा जी का कहना महत्वपूर्ण है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसमें टेलीविजन भी आता है, प्रिंट मीडिया भी आता है प्रिंट मीडिया में जो विदेशी लोग आना चाहते हैं, उनके बारे में भी क्या नीति है। हमको अखबार से पता लगता है कि इंग्लैड का फलां अखबार यहां पर शुरू होने वाला है। यह स्थिति उचित नहीं है। मेरा आरोप है कि इस मामले में सरकार ड्रिफ्ट पालिसी अपनाए हुए है। दूरदर्शन जी टी.वी. के कंपीटीशन की वजह से इस तरह की चीजें दे, इसका क्या औचित्य है। हमने एक बार सॉफ्टवेयर के बारे में कमेटी बनाई थी, उसने कुछ अच्छे सुझाव दिये थे, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसलिए मेरा कन्क्लूडिंग रिमार्क यह है कि हमारे सामने एक समन्वित मीडिया पालिसी यहां प्रस्तुत की जाए और उस पर विचार किया जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव : सबसे पहले मैं सदन की महिला सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्न को बड़ी भावना के साथ उठाया है और हम इस विषय में पूरी तरह से उनके साथ हैं। मैं केवल यह सूचना देना चाहता हूं कि सरकार जो काम कर रही है, वह करे, सदन की तरफ से भी कम्युनिकेशन, इनफारमेशन एंड ब्राडकारस्टिंग मिनिस्ट्री के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में भी हमने इस प्रश्न को लिया है और सैंसर बोर्ड के चेयरमैन को भी इसमें साक्ष्य के लिए बुलाया था, और उस कमेटी के माध्यम से इस विभाग को भी कहा है कि यह चिंता का विषय है, चूंकि हमारी संस्कृति के विरुद्ध काम किया जा रहा है और बहुत गंदगी गानों में, फिल्मों में, विज्ञापन में दूरदर्शन के माध्यम से लायी जा रही है। हम इस चिंता के साथ अपने को जोड़ते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम देशों की अंधाधुंध नकल बढ़ रही है। चूंकि यह आधुनिकता नहीं है बल्कि हमारे मूल्यों और आदर्शों को तोड़ने की कोशिश है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में सदन की पूरी राय को गंभीरता से लेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्ज़फ़ुरपुर) : अध्यक्ष जी, एक कहावत है :

[अनुवाद]

का वर्षा जब कृषि सुखाने।

[हिन्दी]

यहां पर यह वही बहस हो रही है। जब आपने ग्लोबलाईजेशन और लिबेलाईजेश आर्थिक क्षेत्र में कबूल कर लिया है तो यह बहस हम छेड़ रहे हैं। इसका कितना औचित्य है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। बहुत मानसिक पीड़ा से मैं यह बात कह रहा हूं केवल इसलिए नहीं कि आर्थिक नीति के बारे में हमारी कोई अलग राय है। आपको याद होगा कि चंद महीनों पहले माईकल जैक्सन का कार्यक्रम होना था और 10-12 करोड़ रुपया एक शीतल पेय कंपनी द्वारा उस पर खर्च करना था। जब कंपनी आ गई तो उनके साथ उनकी सभ्यता आनी है। जब उसकी दुकानें लग जाएंगी तो हमारे ढाबे बंद हो जाएंगे। हमारे देश की लड़कियों को छोटे कद के कपड़े पहनाकर खड़ा किया जाएगा। हम दुनिया देख चुके हैं और थोड़ा-बहुत दुनिया के बारे में जानते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसी सारी प्रक्रिया को आप रोक नहीं पायेंगे। इसके साथ गैट जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका ने कह दिया है कि हर क्षेत्र में खोलो तो खोलना ही होगा, आप नहीं रोक सकते हैं, यह सत्य है,

कोई मजाक की चीज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोचना है तो जरूर सोचेंगे। अखबारों के बारे में आप जानते हैं कि कैसे लड़ रहे हैं। और सेमिनार कर रहे हैं। अगर मोटा पैसा मिला होता तो शायद दूसरा सेमिनार करते। सभी लोग पैसे की होड़ में लगे हुए हैं और देश की संस्कृति तथा सभ्यता भूल गए हैं। नाच-गाना सुनने के लिए लोग जवाहर लाल नेहरू जैसे स्टेडियम में जाते हैं...(**व्यवधान**) बड़े लोगों के बच्चे बंबई, मद्रास या कलकत्ता से हवाई जहाज चार्टर्ड करके बीस-बीस हजार रुपया खर्च करते हैं। ये सारी चीजें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे टेलिविजन पर क्यों आ रहा है। क्योंकि इसकी विश्वनीयता नहीं हैं। मैं, देशी या विदेशी टी.वी. प्रोग्राम नहीं देखता हूं लेकिन इतना जानता हूं कि हिन्दुस्तान के लोग दूरदर्शन को देखना या रेडियो को सुनना पंसद नहीं करते हैं। यह सरकारी प्रचार का साधन है या कुछ परिवारों के प्रचार का साधन है। ये कुछ परिवारों के जन्म-मरण या सारा जीवन बनाने वाले साधन है। इसको मान लिया जाए तो यह कटु सत्य है। लोग इस चीज से ऊब जाते हैं। ऐसी अनेक विचारधाराएं हैं कि आप सरकारी माध्यमों को प्रचार का कोई एक धन-दान का माध्यम बना देंगे तो लोग उसको नहीं देखने की बजाय विदेशी चीज को खोजते हैं। ये सारी समस्या हमारे राजनीतिक तौर-तरीके या आर्थिक तौर तरीके से जुड़ी हुई है। इस पर कोई ठोस बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अवसर निकल चुका है, इसलिए पछताने से कोई फायदा नहीं है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : माननीय महिला सदस्य ने जो कुछ कहा है उससे हम सहमत हैं। कुछ दिनों पहले जब उन्होंने यह कहा था कि हमें सभा में इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और कार्य मंत्रणा समिति में इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ समय निकालना चाहिए। इसका संकेत मैं पहले ही दे चुका हूं। जहां तक श्री लाल कृष्ण अडवाणी और जार्ज फर्नान्डीज द्वारा उठाए गये सामान्य विषय, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब भी हमें समय मिलेगा हम इस पर चर्चा करेंगे। अवकाश के बाद अथवा उसके कुछ समय बाद इस पर चर्चा की जा सकती है ताकि इस विषय पर आम राष्ट्रीय सहमति जुटाई जा सके क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम दलगत राजनीति कर सकें अथवा ऐसा कुछ कर सकें।

पूरे देश में यह धारणा है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जाए। यदि संसद इस पर विचार कर सकती है और सरकार का उचित कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन कर सकती है तो हमें उसका पालन करने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मेरे विचार से यह सर्वव्यापी समस्या है। ऐसी स्थिति में यह समस्या व्यक्ति, सरकार तथा सम्पूर्ण समाज से जुड़ी हुई है और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार है क्योंकि विपक्ष के नेता और विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों ने इसके लिए कहा है हम चर्चा के लिए समय निर्धारित करेंगे तथा इसके लिए समुचित समय, एक घंटा नहीं बल्कि पर्याप्त समय दिया जाएगा। परन्तु मेरा एक अनुरोध है कि जब इस मामले पर चर्चा हो तो सभा में सभी सदस्य उपस्थित हों अन्यथा इस मामले का महत्व कम हो जाएगा। मैं जानता हूं कि उस पर अनेक सदस्य बोलना चाहेंगे परन्तु हम महिला सदस्यों को निश्चित रूप से पर्याप्त समय देंगे।

श्रीमती विभू कुमारी देवी (त्रिपुरा पूर्व) : यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मैं उस पर बोलना चाहती हूं। आप जानते हैं कि त्रिपुरा में क्या हुआ। महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हम आपको पर्याप्त समय देंगे, मुझे इसका ध्यान था इसलिए मैंने कह दिया है कि समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति बाद में दूंगा। कृपया, बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, कल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सहारा एयरलाइंस का जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसके गिरकर टूटने से पालम एयरपोर्ट तक तबाही मची। वहां रूस का भी एक जहाज खड़ा था जिसके सारे यात्री आज रूस के लिए जाने वाले थे, वह भी पूरी तरह से तवाह हो गया। आग बुझाने वाली दमकलों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। अभी यहां बहस चल रही थी कि बाजार में निजीकरण का सिलसिला चल पड़ा है और हमारा इंडियन एयरलाइंस का भी निजीकरण हो गया है। जार्ज साहब ने ठीक कहा कि यह निजीकरण भोगवाद की संस्कृति में जिस तरह से हम आजादी के बाद फंसे हैं, हम लोग अपने सीने पर हाथ रखकर देखें कि हम कहां तक इसमें डूबे हुए हैं।

सहारा एयरलाइंस जो कम्पनी है उसके चार जहाज हैं, सरकार को इस पर पहले वक्तव्य देना चाहिए था।

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुल्क) : नोटिस आ गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है।

श्री शरद यादव : ये जहाज सेकंड हैंड है या नये हैं। यह सस्ते में जो पैसेन्जर का ले जाने का काम कर रहे हैं यह सेवा के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं और इसके चलते ही यह एक्सीडेंट हुआ है और इतना भयावह हुआ है कि यदि वह एयरपोर्ट पर गिर जाता तो सैकड़ों लोग उसमें मर जाते। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके रख-रखाव और सुधार के लिए आपने क्या सावधानियां बरती हैं और जो चार जहाज इन्होंने खरीदे हैं वह पुराने हैं या नये हैं ? राम विलास पासवान जी ने एक सवाल उठाया था कि सस्ते दामों पर पैसेन्जर को सुविधा दी जा रही है इसके पीछे कारण क्या है। कारण यह है कि ये कहीं-न-कहीं से पैसा कमा रहे हैं और उस पैसा बचाने के चलते यह हादसा हुआ है, उनके पैसे की भूख के चलते हुआ है। क्या इसके बाद आप इन प्राइवेट एयरलाइन्स को रोकने का काम करेंगे या नहीं क्योंकि यह बंबई और अच्छे रूट्स पर चल रहे हैं और इससे सरकार की एयरलाइन्स घाटे में जा सकती है, हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन को बरबाद करने का काम यह कर सकते हैं। सरकार इस पर नीतिगत वक्तव्य दे कि प्राइवेट एयरलाइन्स को आगे चलाने का काम करेंगे और यह जो एयरलाइन्स है इनके साथ क्या-क्या शर्तें हैं ?

...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : इस पर दो दिन पहले हम लोगों ने सरकार को चेतावनी दी थी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस संबंध में, मैं केवल एक और वाक्य जोड़ना चाहता हूं कि इन प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटरों के बारे में समुचित जांच करायी जानी चाहिए। सहारा और अन्य सभी कम्पनियों के संबंध में यह जांच करायी जानी चाहिए कि उनके पास किस प्रकार के विमान हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिए। मैंने कह दिया है कि मैं आपको अनुमति दूंगा। यह जरूरी नहीं है कि आप बार-बार खड़े हों। यह वास्तव में अच्छी बात नहीं है। कृपया, बैठ जाइए।

ऐसा हुआ है और मुझे विश्वास है कि पूरी सभा इसके बारे में चिंतित है। श्री शरद यादव ने इस पर शुरू में वक्तव्य दिया है, वह कुछ जानकारी चाहते थे दुर्घटना और उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों पर जानकारी दी जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : अध्यक्ष जी, बार-बार नर्मदा योजना, सरदार सरोवर प्रोजैक्ट के बारे में गुजरात के विरोध में स्टेटमेंट आ रहे हैं। यह सही है कि 45 वर्षों में इसका रेव्यू नहीं हो सका है फिर भी जिम्मेदार लोगों की तरफ से गुजरात के हितों का नुकसान करने के लिए कई स्टेटमेंट आ रहे हैं। हम जानते हैं कि आज गुजरात की राजकीय परिस्थिति बिल्कुल डांवाडोल है। उसका लाभ लेकर अभी-अभी मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश ने डैम की हाइट घटाने के लिए कहा है। कल ही एक केन्द्रीय मंत्री की तरफ से ऐसा ही निवेदन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरदार सरोवर डैम की हाइट घटायी जाए। हम नहीं समझ सकते हैं कि 45 सालों तक कुछ नहीं हो सकता और फिर बार-बार पूरे गुजरात की 5 करोड़ जनता जिसके पूरे सेन्टीमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात में पीने के पानी की जो परिस्थिति है, दुष्काल की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से इस नर्मदा योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करना राष्ट्र के हित में है। फिर भी इसके आमने-सामने कोई न कोई ऐसी अड़चन डाली जाती है जिससे उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी ऐक्टिविस्टो को उकसा कर गुजरात को नुकसान पहुंचाया जाता है। मेरा अनुरोध है कि पूरे गुजरात में जो परिस्थिति बनी है उस पर सरकार विचार करे।

12.35 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गुजरात के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो और गुजरात में कोई जातीय तांडव खड़ा न हो, इस बात की रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि शुक्ल जी यह सरकार की ओर से कोई अधिकृत वक्तव्य आए। यह स्थिति स्वीकार

नहीं की जा सकती है। चूंकि किसी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है या वहां पर राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसलिए जो ऐस्टाब्लिश फैक्ट्स हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए और एक मिश्चित निर्णय जो दोनों राज्यों के मध्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से हुआ है उसमें कोई फेरबदल इसलिए किया जाए कि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है, इसको सहन नहीं किया जा सकता है। कोई मंत्री या मुख्य मंत्री कहे कि इस की राइट कटाई जाएगी, इस बात को सहन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में अधिकृत वक्तव्य केन्द्रीय सरकार की ओर से आना चाहिए। नहीं तो इन बयानों के कारण खामखां लोगों में एक बेचैनी और तनाव पैदा हो रहा है।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत माकूल है। पानी और सिंचाई का सवाल हिन्दुस्तान की समूची गरीबी से बहुत वास्ता रखने वाला सवाल है और आप जानते हैं कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में पानी के बंटवारे का झगड़ा है, हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी के बंटवारे का झगड़ा है और आज तक हरियाणा तथा राजस्थान को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल पाया है और ये झगड़े बड़े ही खतरनाक झगड़े हैं। आज जो यह सरदार सरोवर योजना है, यह बहुत बड़ी योजना है। इस पर विवाद हो और दांवपेच शुरू हुआ है, यह ठीक नहीं है। इसका काम पहले बड़ी आसानी से चल रहा था और अब इसमें विवाद लाने का काम शुरू किया गया है। आज हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिए अगर कोई सबसे जरूरी चीज़ है, तो वह है हिन्दुस्तान के खेत को पानी, इसके लिए केन्द्र सरकार संजीदा नहीं है और इसमें उलझन के कारण इस सरदार सरोवर योजना पर अलग-अलग लोग अपने-अपने दांवपेच लड़ा रहे हैं। राष्ट्रीय पैमाने पर, इर्रिगेशन के सवाल पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नीति बने इसके लिए केन्द्र सरकार को एक नई योजना के साथ इस सदन में आना चाहिए जिससे हम इस देश की 70 प्रतिशत भूमि जो असिंचित है, इसको सिंचित कर के इस देश की गरीबी को मिटाने और जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का काम कर सकें।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर बांध बनने से मध्य प्रदेश के आदिवासियों के तमाम गांव डूबने जा रहे हैं। अभी मैं उस एरिया से आ रहा हूं वहां के लोगों की हालत बहुत दयनीय है। यदि एक बड़े बांध के बनने के बाद वहां के लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिलती है उनको उजड़ने पर मजबूर होना पड़े तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि बांध का बनना रुके। हम तो चाहते हैं कि बांध बने किन्तु जो लोग वहां से विस्थापित होते हैं उनको सैटल तो करिए।

मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ गांव 1994 में डूबने वाले हैं और कुछ 1995 में डूबने वाले हैं, लेकिन उन लोगों का अभी तक कोई सैटलमेंट नहीं किया गया है। आदिवासियों की अपनी परम्पराएं हैं। उनको पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, हैल्थ सेंटर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, धंधा रोजगार चाहिए। जब तक ये सारी व्यवस्थाएं आप लोग नहीं करेंगे तब तक मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आज बांध के कारण लोग उजड़ रहे हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश में ला एंड आर्डर की समस्या खड़ी हो गई है वहां पर आपस में लोग लड़ रहे हैं। कहीं जमीन नहीं मिल रही है। वहां लोग भटक रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरदार सरोवर बांध बने, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को हटाया जाना

है, उनके लिए समुचित व्यवस्था की गई है या नहीं, यह देखना आवश्यक है। जब तक उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था न की जाए, तब तक उनको न हटाया जाए। ...**(व्यवधान)**... यही मुझे मंत्री महोदय से कहना है।...**(व्यवधान)**...

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को हमारी बात भी सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा पर बनने वाले बांधों की चर्चा कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है और इनकी हाइट कम करने के लिए बहुत बातें उठाई गई हैं।...**(व्यवधान)**...उपाध्यक्ष महोदय, इनको दूसरे का व्यू प्वाइंट भी सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हिदुस्तान के सभी इन्सानों को एक-सी भावना रखनी चाहिए, यदि कहीं दुख और गरीबी है तो इसका ध्यान रखना चाहिए। शरद यादव जी ने कहा ठीक कहा है कि गरीब आदमी का संबंध पानी से है और किसान की गरीबी हटाने के लिए पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जहां पर सिंचाई के साधन हो गए हैं, वहां पर किसानों की गरीबी हटी है। किसानों को सुरुचि के अनुसार इस बात को देखना होगा कि सभी इन्सानों के हित में यह बात हो। सरदार सरोवर को हाईट के अनुसार पानी का स्टोरेज होगा और नर्मदा सागर को उससे रेगुलेटेड रिलीज देने के लिए भी ऊंचा बांध बनाने की जरूरत है। दोनों बांधों की ऊंचाई से मध्य प्रदेश के बहुत सारे गांव डूब में आ रहे हैं और वहां पर अधिकतर आदिवासी गरीब लोग निवास करते हैं, जिनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां सिंचाई होगी, वहां की भूमि तो हरी-भरी होगी, वहां के लोग धन-धान्य से भरपूर होंगे, लेकिन जो लोग उजड़ेंगे, उनकी तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। उनकी खेती और जीवन के साधन उजड़ जाएंगे और वे दूसरी जगह पर जाकर बसेंगे। ये लोग जहां जाकर बसेंगे, तो वहां पर क्या उनको वहीं जीवन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं ? यही कारण है कि मानवीय आधार पर इन बांधों की हाईट कम होनी चाहिए। बांधों की हाईट कम करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सब लोगों से बात की है और सभी पार्टियों के लोगों ने एक मत से निर्णय लिया है कि इस मसले को उठाया जाए और इन बांधों की ऊंचाई को घटाया जाए। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूं कि इन्सानियत के नाते बांधों की हाईट को कम किया जाए, ताकि लोगों की तकलीफ कुछ कम हो सके। इसके साथ-साथ पानी का समुचित उपयोग सब जगहों पर होना चाहिए।...**(व्यवधान)**...उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि नर्मदा में जितने जल की अपेक्षा की जा रही थी, उतना जल नहीं है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इस मामले में केन्द्रीय सरकार की स्थिति को समय-समय पर स्पष्ट किया गया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस मामले पर हमने पहले जो कुछ कहा है वह यथावत है। गुजरात में राजनैतिक अस्थिरता के प्रश्न पर कोई अथवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उससे भारत सरकार और हमारी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

हमारी आज की स्थिति वैसी ही है जैसी कि पहले थी। मुझे इसमें कुछ और नहीं कहना है।

श्री शरद जी और माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जलनीति बनायी गई है। जिसे देश ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है और हम देश की जल नीति का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल एक बजे तक नहीं चल सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, आप किसी-किसी को 25-25 मिनट भी एलाव कर रहे हैं और हमें एक महत्वपूर्ण विषय को भी उठाने की परमीशन नहीं दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : उपाध्यक्ष जी, आप मुझे सिर्फ एक मिनट दे दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : उन्होंने आज शुरू से अपना विषय उठाने के बारे में कहा है। आप इनको अपनी बात कहने का मौका दीजिये।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : तमिलनाडु और पांडिचेरी में अल्पसंख्यकों के दिमाग में गम्भीर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि हिन्दू मुन्नानी ने योजना बनायी है कि पांडिचेरी में 200 वर्ष पुराने प्रसिद्ध कैथेडरल चर्च और तमिलनाडु में मद्रास में केलंकान्नी चर्च को या तो गिरा दिया जाए अथवा इसका अधिग्रहण किया जाए। उन्होंने इस महीने की 10 तारीख अर्थात कल महाशिवरात्रि के अवसर पर **दीप अराधना** के लिए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु कि हिन्दुओं को मंदिर वापस मिलने चाहिए, इन चर्चों तक मार्च करने का निर्णय किया है। हिंदू कट्टरपंथियों ने पांडिचेरी और मद्रास में इन दोनों कैथेडरल चर्चों पर अपना दावा किया है।

इससे अल्पसंख्यकों के दिमाग में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तमिलनाडु अथवा पांडिचेरी में अयोध्या जैसी स्थिति पैदा की जाए। पांडिचेरी चर्च और बेलंकान्नी चर्च के आस-पास गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। वहां बहुत अधिक क्षोभ और तनाव व्याप्त हैं। वहां किसी भी समय साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस घटना के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य दे और यह मांग भी करता हूं कि इन दोनों चर्चों की सुरक्षा के लिए यह गृह मंत्री कुछ अर्ध सैनिक बल भेजे। **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिलनाडु में इस पर कोई साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक तनाव नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब भी अन्बारासु कोई मुद्दा उठाते हैं तो विवाद पैदा हो जाता है। मैं यह भली-भांति जानता हूं। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभा को अमरीकी विद्युत कम्पनी द्वारा किए गये 200 करोड़ रुपये के ऐसे गम्भीर घोटाले की जानकरी दे रहा हूं जो इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है। इसका शिलान्यास श्री साल्वे ने 5 मार्च को उड़ीसा में किया

था ? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। **इंडियन एक्सप्रेस** और अन्य समाचारपत्रों में आज यह प्रकाशित हुआ है कि इस अमरीकी कम्पनी को भारत सरकार की स्वीकृति और काउन्टर गारंटी कैसी मिली। कल प्रधानमंत्री महोदय बता रहे थे "कि हम भारत में, विद्युत कम्पनियों को आमन्त्रित कर रहे हैं।" इस कम्पनी विद्युत मंत्रालय से पहले निर्माण लागत में 840 करोड़ की और बाद में 1000 करोड़ रुपये की छूट मंजूर करा ली।

क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कोयला आधारित राज्य में विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है जहां विद्युत लागत 5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है जबकि 'भेल' का कहना है कि वह 2.22 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से संयंत्र स्थापित कर सकता है। परन्तु अमरीकी कम्पनी को 5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की लागत से अनुमति दी गई थी। इसका तात्पर्य यह है कि हम 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत बिक्री की जायेगी। मैं यह नहीं जानता कि यह कार्य किसने किया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी विशेष मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको पहले नोटिस देना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने इस मामले को उठाने के बारे में सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे अपना कथन पूरा करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून सबके लिए है। यह सभी पर लागू होता है। कानून को अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदला नहीं जा सकता। कानून सभी के लिए है और इसके आगे सभी को झुकना पड़ेगा। प्रक्रिया के अनुसार जब कभी भी आप किसी विशिष्ट मंत्री पर आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको इसकी सूचना देनी होगी।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं किसी मंत्री के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत बात नहीं रख रहा हूं। यह तो सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय है। यह एक गम्भीर मामला है। इससे उड़ीसा को नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने माननीय मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने आधार शिला रखी है।

श्री श्रीकान्त जेना : उड़ीसा में विद्युत मंत्रालय द्वारा इस विशाल अमरीकी कंपनी को विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने की साजिश की गई है और वे हमें मजबूर करना चाहते हैं। यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। उड़ीसा की जनता के साथ हुई सर्वाधिक बड़ी धोखाधड़ी के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार जिम्मेदार हैं। मैं यह चुनौति देता हूं कि यह 2000 करोड़ रुपये का घपला है। यह एक बड़ा घोटाला है। यदि आप मुझे एक सूचना देने के लिए कहेंगे तो मैं क्या सूचना दूंगा। यह

कि विद्युत मंत्री शिलान्यास रखने हेतु उड़ीसा क्यों गए ? इसमें रिश्वत ली गई है। यह रिश्वत किसने ली है ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। यह बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि सभा में व्यवस्था बनाये रखें ? सभा की कार्यवाही प्रक्रिया के अनुसार चलनी चाहिए। यदि प्रक्रिया का उल्लंघन होगा तो इससे सभा की अवमानना होगी। मैं श्री पी.जी. नारायणन को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पी.जी. नारायणन : उपाध्यक्ष महोदय, श्री इरा अन्वरासु ने सभा में कथित रूप से यह बताया कि तमिनाडु में साम्प्रदायिक तनाव है। परन्तु मुझे यह कहना है कि तमिलनाडु में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है जैसा कि श्री अन्बारासु ने कथित रूप से बताया है। तमिलनाडु में सामाजिक और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति ठीक-ठाक बनी हुई है। श्री इरा अन्बरासु सभा में इस प्रकार की बातें क्यों उठा रहे हैं ? श्री इरा अन्बरासु को यह चाहिए था कि वे इस मुद्दे को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के ध्यान में लाते। यदि तमिलनाडु में किसी भी तरह का तनाव होगा तो इस मुद्दे पर वह तुरंत कार्यवाही करेंगी। श्री इरा अन्वारासु इस प्रकार की सारी बातों को सभा में अनावश्यक रूप से क्यों उठा रहे हैं ? तमिलनाडु में कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

12.54 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय की वर्ष 1994-95 अनुदानों की विस्तृत मांगें (,खण्ड-I और खण्ड-II)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) गृह मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-I) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 5506/94]

(2) गृह मंत्रालय (विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र) की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों (खण्ड-II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[गंन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.5507/94]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

रसायन और उर्वरक मंत्रालय और संसदय कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रानिकी (विभाग और समुद्री विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से मैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5508/94]

पारादीप फास्फैट्स लिमिटेड़, भुवनेश्वर की वर्ष 1992-93 की, केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रानिकी (विभाग और महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पारादीप फास्फैट्स लिमिटेड भुवनेश्वर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फास्फैट्स लिमिटेड भुवनेश्वर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5509/94]**

(2) (एक) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में दी गई। देखिए एल.टी. सं. 5510/94]

(4) इलैक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल.टी. संख्या 5511/94]

(5) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5512/94]

पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5513/94]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5514/94]

(4) उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5515/94]

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) संसाधन और उत्पाद विकास केन्द्र, कनौज के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संसाधन और उत्पाद विकास केन्द्र, कनौज के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रख गए। देखिए संख्या एल.टी. 5516/94]

(2) (एक) इन्डो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5517/94]

(3) (एक) इन्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इन्डो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5518/94]

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : डा. अबरार अहमद की ओर से मैं बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5519/94]

12.57 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 7 मार्च,1994 को हुई अपनी बैठक में पारित बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा की 7 मार्च, 1994 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 फरवरी, 1994 को पारित किये गये वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1994 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

12.57½ म.प.

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 7 मार्च, 1994 को यथापारित बैंककारी बिनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 प्रस्तुत करता हूं।

12.58 म.प.

लोक लेखा समिति

अठ्ठावनवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की डिजाइन और विकास पर लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा) का अठ्ठावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.58 ½ म.प.

संचार संबंधी स्थाई समिति

पांचवां प्रतिवेदन और कार्यवृत

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी का वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) और उनसे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवृत पर संचार संबंधी स्थाई समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा के कार्य

12.59 म.प.

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 15 मार्च, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान लोक सभा में सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 15 मार्च, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन

अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

(क) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी अपराधों का विचारण) संशोधन अध्यादेश, 1994

(ख) कॉफी (संशोधन) अध्यादेश, 1994

(ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अध्यादेश, 1994

3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1994 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार और पारित करना।

4. वर्ष 1994-95 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

5. वर्ष 1994-95 के लिए लेखा मांगों (सामान्य) को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करना।

6. वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

1.00 म.प.

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : उसी के अन्दर उड़ीसा का मामला जोड़ दिया जाय। मेरा सुझाव है कि यह स्टेडिंग कमेटी के अध्यक्ष को रेफर करके। उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा अधिकार है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उसमें कोई गलत बात नहीं की जा रही है, यह आपके अधिकार क्षेत्र में है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, आपने उचित कहा कि किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने से पहले पूर्व नोटीस दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मित्र श्री श्रीकांत जेना ने अपना वक्तव्य समाप्त करते समय दूसरों के द्वारा रिश्वत लिये जाने की बात कही थी। दूसरे, श्री बल्लभ पाणिग्रही ने श्री श्रीकान्त जेना की टिप्पणियों को निकाले जाने के लिए व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया था। सांसद श्री बल्लभ पाणिग्रही विशेष चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं क्या आप उन्हें बोलने का अवसर देने के बारे में सोचेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि शून्यकाल समाप्त हो चुका है और हमने नियमित कार्य शुरू कर दिया है। क्या हम वापिस लौट सकते हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उन्होंने व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया था। माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों को ठीक किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथमतः शून्यकाल में व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं उठाया जाता है दूसरे, यदि कुछ ऐसा है जो नियमों और प्रक्रिया के विरुद्ध है तो हम इसे हटा कर देंगे। (व्यवधान)

मेरी समस्या यह है कि अध्यक्ष पीठ को कुछ प्रक्रिया नियमों का अनुपालन करना होता है। यदि प्रक्रिया का अनुपालन न करवाना अध्यक्ष पीठ की विवशता थी तो प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले व्यक्तियों पर अवहेलना कर आरोप आता है। यदि कुछ आरोप ऐसे हैं जो प्रक्रियाओं और नियमों के विपरित हैं तो इस मामले को देखेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। कृपया क्षमा करें। कृपया मुझे कार्य आगे बढ़ाने दें। कृपया अनावश्यक बाधा खड़ी न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेम्बर क्या कहना चाहता है मंत्री कैसे कह सकता है। मंत्री ने कहा कि मेम्बर यह कहना चाहता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : श्रीकांत जेना जी ने एक सवाल उठाया था। उड़ीसा के मेम्बर बोलना चाहते थे। मंत्री ने कहा कि मेम्बर एक्सपंज करने के लिए बोल रहे थे। हम नहीं जानते कि मेम्बर क्या बोल रहे थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मामले को देखना अध्यक्ष पीठ का कर्तव्य है। यदि यह प्रक्रियाओं और मानकों के सिद्धान्त के विपरित है तो अध्यक्ष पीठ ऐसे मामले को अवश्य देखेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. दिल्ली से देहरादून वायुदूत सेवाएं जो कि 9 नवंबर 1993 से बंद पड़ी है इससे पहले वायुदूत अपनी एक उड़ान दिल्ली से देहरादून करता था लेकिन इसके बंद होने से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः उक्त उड़ान की वायु सेवा को शीघ्र शुरू किया जाए।

2. विकास केन्द्र जो शिवराजपुर (पद्मपुर) कोटद्वार में जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून 89 में प्राप्त की गई थी लेकिन अब उस विकास केन्द्र को वहां से अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के विदिशा और रायसेन शहर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएं।

2. इन्दौर से सागर के बीच एक नयी रेल लाइन बिछायी जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :

1. ब्यावर जिला अजमेर (राजस्थान) में राष्ट्रीय सूती वस्त्र कपड़ा निगम (एनटीसी) के अंतर्गत संचालित एडवर्ड एवं महालक्ष्मी मीलों के हजारों श्रमिकों को माह फरवरी 94 का बकाया वेतन दिलवाने तथा मीलों को पूर्ववतः चालू रखने की आवश्यकता।

2. अजमेर–चित्तौड़गढ़–उदयपुर मीटरगेज को ब्रोडगेज में बदलने हेतु शीघ्र ही आवश्यक सर्वेक्षण करने तथा क्रियान्वित हेतु धन आबंटन की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया जाये। महाराष्ट्र रूई संघ द्वारा रूई की गांठें खरीदने हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम से बकाया देयों की बसूली।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करें :-

(1) खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगो के द्वारा प्रदूषित पदार्थों के आमी नदी में गिराये जाने से आमी नदी के प्रदूषित जल के कारण जनजीवन को भारी संकट, पशुओं के पीने के पानी का संकट, अनेक बीमारियों के फैलने की स्थिति के कारण प्रदूषित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने तथा आमी नदी के प्रदूषित जल को शुद्ध करने की आवश्यकता।

(2) गोरखपुर बहराईच राष्ट्रीय मार्ग के मगहर से डुमरियागंज के बीच क्षतिग्रस्त होने से लगातार दुर्घटना में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के मगहर से डुमरियागंज के बीच में मरम्मत कार्य शीघ्र कराने की आवश्यकता। (इति)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को और जोड़ा जाये :

(1) कोटा दूरदर्शन के मैट्रो चैनल के प्रारम्भ करने बाबत।

(2) कोटा को वायुयान सेवा से जोड़ने बाबत।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाय।

प्रख्यात स्वतन्त्रता सैनानी वीर सुरेन्द्र साई, जिन्होंने अपना आधा जीवन अर्थात् 37 वर्ष दिल्ली में ब्रिटिश जेल में व्यतीत किये, की प्रतिमा की स्थापना।

1.08 म.प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1993-94

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं बजट (सामान्य 1993-94 हेतु) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाते हुए एक वक्तव्य (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 5320/943]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.10 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.09 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.10 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.17 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.17 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जगदीश टाइटलर इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिनांक 8-3-1994 को सहारा इंडिया एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान की दुघर्टना के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

2.17½ म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिनांक 8-3-1994 को सहारा इंडिया एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान की दुघर्टना

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : दिनांक 8 मार्च, 1994 को सहारा इंडिया एयरलाइन्स का बोइंग 737 विमान वी.टी-एस.आई.ए. इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली पर प्रशिक्षण उड़ान पर कार्यरत था, जिसमें कैप्टन पी. खुराना अनुदेशक के रूप में मौजूद थे। विमान में कुल चार व्यक्ति सवार थे, एक अनुदेशक और तीन प्रशिक्षु पायलट। विमान के पहले 14.13 बजे उड़ान भरी थी। पांच उड़ानें करने के बाद, विमान पुनः 14.54 बजे

उड़ा। उड़ान भरने के तुरन्त बाद, विमान अचानक चक्कर खाते हुए बॉई ओर झुक गया और उसे तेजी से उतरते हुए देखा गया। अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के निकट वह एप्रन से टकराया। बे 45 पर खड़े एक एयरोफ्लोट आई.एल-86 विमान को भी धक्का लगा और वह सहारा इंडिया विमान के साथ ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया; दोनों विमानों में आग लग गई थी।

दोनों विमानों में से किसी भी विमान में कोई यात्री नहीं था। एयरोफ्लोट विमान में एयरलाइन कार्मिकों द्वारा विमान में खराबी दूर करने का कार्य किया जा रहा था। उनमें से दो दुर्घटना के समय मर गए और घायलों में से एक व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई। एक अन्य घायल व्यक्ति अस्पताल में है। सहारा इंडिया विमान के चारों कर्मीदल सदस्यों की भी मृत्यु हो गई बताई गई है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना स्थल पर उपस्थित पांच और व्यक्तियों को चोटें आईं और उनमें से एक की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस प्रकार, कुल आठ व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा और पांच घायल हो गये हैं। घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया। मृत और घायल व्यक्तियों के परिवारों को सूचित करने की कार्रवाई की गयी है। शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को दिल्ली लाने के प्रबन्ध भी किये गए हैं।

दुर्घटना होने के तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारी इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और बचाव तथा सहायता कार्यों का पर्यवेक्षण किया।

तीन हवाई पुल (एरोबिज) और पार्किंग बे क्षतिग्रस्त हो गये हैं। दुर्घटना के बाद, हवाई अड्डे पर उड़ान प्रचालन करीब तीन घंटे बन्द रहे और 17.50 बजे पुनः आरंभ किया गया।

उपलब्ध साक्ष्य और परिस्थिति से प्रथम दृष्टया किसी तोड़-फोड़ की कार्रवाई का संकेत नहीं मिलता।

नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रारंभिक जांच-पड़ताल आरंभ कर दी गयी है। सरकार ने : एक न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय किया है जिससे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों का पता लग जाएगा।

इस शोचनीय घटना से उत्पन्न विषाद :

शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगण, शोक संतप्त परिवारों का दुख-बांटने में मेरा साथ देंगे।

2.20 म.प.

बजट रेल 1994-95, सामान्य चर्चा
लेखा अनुदानों की मांगें (रेल) 1994-95 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1993-94

उपाध्यक्ष महोदय : हम आज 4 म. पू. तक बैठें। श्री नीतीश कुमार अध्यक्ष पीठ पर आसीन थे। अतः उन्हें चर्चा में भाग लेने का अधिकार है। जहां तक सदस्यों की सूची का प्रश्न था, हमने सूची के अनुसार सदस्यों को बुलाया और सूची अब समाप्त हो गई है। अब श्री नितीश कुमार बोलेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मेरा एक अनुरोध है। हमारे पक्ष के केवल दो (श्री मुकुल वासनिक)सदस्यों को जो कल बोलना चाहते थे, यह आश्वासन दिया गया था कि वे कल बोलेंगे। अतः कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें। और यदि माननीय रेल मंत्री से यह अनुरोध किया जाये कि वह 4.00 म.पू. पर अपना उत्तर दें, तो इस बीच जो बोलना चाहे उन्हें बोलने का अवसर दिया जा सकता है।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : यदि यह 4.00 म.पू. तक चले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन इस तरह नहीं कि 4.00 म.पू. तक बैठे रहें।

श्री मुकुल वासनिक : नहीं उस प्रकार से नहीं। कल की चर्चा आज 4.00 म.पू. तक चली। परन्तु आज यह 4.00 म.प. तक चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अध्यक्ष पीठ की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट का समय दिया जायेगा। सात मिनट समाप्त होने के तत्काल पश्चात् मैं पहली घण्टी बजाऊंगा। दूसरी घंटी समय की समाप्ति से एक मिनट पूर्व बजाई जाएगी और 10 मिनट की समाप्ति के तत्काल पश्चात् तीसरी घंटी बजाई जाएगी।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत तकलीफ की साथ मैं रेलवे बजट के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। जिस दिन माननीय मंत्री जी रेल बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो उस रोज भी हम अपनी पीड़ा को नही छिपा पाए थे और रोष अभिव्यक्त करते हुए उनके भाषण के दौरान ही सदन से उठकर बाहर चले गए थे। पिछले तीन वर्षों से लगातार रेल बजट में हम क्षेत्रीय असंतुलन का आरोप लगाते रहे हैं रेल राष्ट्र की रीढ़ है और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। रेल बजट में लगातार क्षेत्रीय असंतुलन दिखाया जाता है तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना पर कुठाराघात होता है इसलिए हम रेल मंत्री जी का ध्यान इस सवाल पर आकर्षित करते रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि अगर इस प्रकार का असंतुलन है तो मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और यथा संभव विचार करने का प्रयास करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि असंतुलन में कोई कमी नहीं आ पाई है, वह बढ़ता ही जा रहा है। इस बार रेल बजट में भी दो राज्यों का विशेष ख्याल रखा गया है जैसे-एक राज्य प्रधान मंत्री का गृह राज्य है और दूसरा राज्य रेल मंत्री का गृह राज्य है। हमको इस बात पर एतराज नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश ओर कर्नाटक में रेलवे की ज्यादा सुविधा मिले तो हम उसका समर्थन करेंगे लेकिन हम आपसे यह मांग करेंगे कि जिस प्रकार से आप आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक को समझते हैं तो उसी प्रकार आप रेल म.ा हैं तो आपको पूरे राष्ट्र को अपना समझना चाहिए···**(व्यवधान)** बिहार की उपेक्षा हो रही है।

हावड़ा से दिल्ली को आने वाली लाइन बिहार से ही शुरू हुई थी। मतलब यह है कि रेल लाइन बिछाने का काम उस इलाके से शुरू हुआ था। हिन्दुस्तान की आबादी का 10 प्रतिशत बिहार में है, लेकिन वहां रेल लाइन की लम्बाई लगभग 8 प्रतिशत है। आज भी वहां का बहुत बड़ा इलाका रेल सेवा से वंचित है। हम लगातार कुछ मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते रहे हैं।

बिहार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आज जो देश में विदेशी

पर्यटक आते हैं आप विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि बौद्ध धर्मावलम्बी सबसे बड़ी संख्या में इस देश में आते हैं। वे इसलिए भी आते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ था। भगवान बुद्ध सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजगिरी गये थे, उसके बाद बौद्धगया गये थे। कोई भी बौद्ध हिन्दुस्तान आता है तो निश्चित रूप से राजगिरी और बौद्धगया जाता है। लेकिन वहां की काफी उपेक्षा हो रही है। बख्तियारपुर से राजगिरी के बीच रेल लाइन 32 वर्ष पहले की बनी हुई है। उसके पहले लाइट रेल्वे थी। उसके स्थान पर रेल्वे बोर्ड के द्वारा बड़ी लाइन राजगीर 30-32 साल पहले पहुंची। बाबू जगजीवन राम जब रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि राजगिरी और गया के बीच जो मिसिंग लिंक है उसको पूरा किया जायेगा। यह बौद्धिस्ट सर्किट हो जाता है। इसके लिए जापान के लोग भी पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन रेल मंत्रालय की उदासीनता के चलते और पैसा नहीं मिल सका। सिर्फ 20-21 किलोमीटर का मिसिंग लिंक है। हर आय समूह के लोग इस देश में आते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रेल से घूमना पसंद करते हैं, हम उनको वहां देखते हैं। राजगिरी और हिसूआ के बीच में 20-21 किलोमीटर की दूरी है, मुश्किल से 22 करोड़ रुपये की लागत से उस मिसिंग लिंक को पूरा किया जा सकता है और राजगिरी से बौद्धगया रेल लाइन से जोड़ा जा सकता है। हम लोग मांग करते रहे, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। वहां पर जापान के सहयोग से एक होटल भी चल रहा है। उसका एक साल का व्यवसाय 10 करोड़ रुपये है। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि वहां कितनी सम्भावनायें हैं पर्यटन उद्योग की, इसको ध्यान में रखते हुए इस मिसिंग लिंक को आपको देखना चाहिए।

पिछले वर्ष बिहार के जितने सांसदों ने रेल बजट पर भाग लिया था, एकाध अपवाद हो सकते हैं, सभी लोगों ने तब भी यह मांग की थी कि राजगिरी से गया के बीच में लिंक बनाया जाये। हिसुआ से रेल लाइन गया तक आती है, यह मांग हमने की थी। दूसरी बात है गया से लेकर पटना के बीच में अभी तक एक ही रेल लाइन है। उसके दोहरीकरण का सवाल है। पूरे दक्षिण बिहार से गाड़ियां आती हैं गया तक और उसके बाद बॉटलनिक बन जाता है वहां से एक ही लाइन है पटना तक। इससे वहां बहुत अव्यवस्था हो जाती है। अगर गया और पटना के बीच लाइन का दोहरीकरण हो जाये तो रेलवे की आमदनी भी बढ़ेगी तथा आप और गाड़ियां भी चला सकते हैं इससे यात्रियों को भी सुविधा होगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जो रेल भाड़ा और माल भाड़ा से आमदनी होती है, अकेले बिहार के कोयला क्षेत्र से 17 प्रतिशत उसमें आपको मिलता है। अगर तमाम कोयला और अन्य मिनरल्स को दूसरे मालों के साथ जोड़ दे। पूरे रेल विभाग की आमदनी का 25 प्रतिशत बिहार देता है और आबादी का 10 प्रतिशत का हिस्सा है। आप इस बार का बजट देख लें तो कोई नया प्रोजैक्ट नहीं लिया है। जो चल रहे हैं उसमें ही पैसा दिया है। जैसे मुजफ्फरपुर-रकसौल के बीच में पैसा दिया है। गंगा नदी पर पटना के पास रेल पुल बनाने का प्रस्ताव है। सालों से इसके ऊपर विचार होता रहा है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इससे होगा। नेपाल के साथ जो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक संबंध है और नेपाल के लोग भारी संख्या में पटना तक आते हैं, इलाज के लिए भी आते हैं, अगर गंगा पर रेल पुल बन जाए तो उससे यातायात में सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां कुछ वर्ष पूर्व तक गंगा नदी पर सड़क पुल नहीं था। उससे भारी

[श्री नीतीश कुमार]

असुविधा होती थी। लोगों को स्टीमर से गंगा पार करनी पड़ती थी। नदी पर सड़क ब्रिज बनने से यातायात में क्रांति आ गई। अगर रेल ब्रिज बन जाए तो दूसरी क्रांति आएगी। हम ऐसी मांग करते रहे हैं जो आवश्यकता पर आधारित है और हक पर आधारित है लेकिन बिहार की इतनी उपेक्षा होती है और पूरे पूर्वी क्षेत्र की, उड़ीसा, बंगाल की उपेक्षा होती है। हमने पिछले वर्ष आग्रह किया था तो मंत्री जी ने कहा कि हम आपको एक गाड़ी देने जा रहे हैं। हमने पूरे साल मंत्री जी की प्रशंसा की। लोग हमें पत्र लिखते तो हम इनकी तरफ से ही जवाब दे देते थे कि मंत्री (श्री नीतीश कुमार)जी गाड़ी देने जा रहे हैं। हमें इतनी खुशी थी। हमारी इतनी उपेक्षा होती है कि हमें थोड़ा बहुत भी मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हम नयी राजधानी दिल्ली से गोहाटी के लिए देने जा रहे हैं। इन्होंने सप्ताह में एक दिन के लिए ऐलान किया। एक दिन राजधानी पर चढ़ने के लिए कौन इंतजार करेगा ? ऐसी गाड़ी न देने के बराबर है और हमारा पूरा इलाका उपेक्षा का शिकार है। यह राष्ट्रीय मुख्यधारा से हमे जोड़ रहे हैं। चाहे देश पर कोई विपत्ति आई हो वहां के लोग मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। सबसे पहले देश को आजाद कराने के लिए वहीं से मुहिम चली थी। वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जगह है। आप बंबई, कलकत्ता और दक्षिण के लिए राजधानी दे सकते हैं मगर पूर्वी क्षेत्र के लिए सप्ताह में एक दिन और वह भी पूरे बिहार की सेवा करती जाएगी। मेरा ख्याल है कि वह पटना होते हुए जाएगी।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : हमारे मित्र जानते नहीं हैं हमारा उनसे कितना गहरा प्यार है। कहीं कुछ थोड़ा बहुत खोया है मगर नीतीश को खोया तो सबको खोना है।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन हमें अफसोस होता है कि आपने राजधानी दी तो वह भी सप्ताह में एक दिन। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सप्ताह भर यह गाड़ी चलनी चाहिए। एक ट्रेन डीलक्स एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलती थी। उसका नाम बदलकर पूर्व ऐक्सप्रेस कर दिया। उस ट्रेन का नाम बदलकर और उस गाड़ी की आपने उसकी दुर्गति कर दी। उस ट्रेन में ए.सी. फस्ट क्लास का कोच लगता था उसको आपने खत्म कर दिया। उसमें चेयर कार लगती थी उसको खत्म कर दिया। कई प्रकार की सुविधाएं उसमें थी उनको आपने बंद कर दिया राजधानी के पहले वह ट्रेन सबसे सम्मानित समझी जाती थी उसका रुतबा आपने सामप्त कर दिया। वह डीलक्स ऐक्सप्रेस जिसका नाम आपने पूर्व ऐक्सप्रेस कर दिया उसका रुतबा आप उसको दिलाइए और उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह उसमें मिलें और उस ट्रेन में भी 3 टियर एसी लगाया जाए। यह हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं।

दूसरी मांग हम यह करना चाहते हैं कि बिहार से इतनी सवारियां आती हैं, हम इतना राजस्व देते हैं और हमारे यहां से रेलवे को 25 प्रतिशत तक आमदनी का जरिया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। पटना बिहार की राजधानी है और पूर्व में वह देश की राजधानी रही है। पहले पाटलिपुत्र के नाम से इसको जाना जाता था और मगध साम्राज्य की यह राजधानी थी। जो आपके आसन के ऊपर यंह आशोक चक्र दिया हुआ है, यह भी उसी पाटलिपुत्र की देन है। यह उसी राज्य का चिह्न है, ज़ो आज भारत सरकार का राज-चिह्न है बिहार को जो भी ट्रेन दी जाती

है, वह इस प्रकार से बिगाड़ कर और तोड़-मरोड़ कर दी जाती है कि उसमें बहुत असुविधा होती है और वह इतनी देरी से वहां पहुंचती है कि उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पटना से दिल्ली आने के लिए शताब्दी ऐक्सप्रेस की तरह की ट्रेन चलानी चाहिए।

महोदय, महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई की शुरूआत चम्पारण यानी बिहार से की थी और बिहार से ही भारत को राज चिह्न दिया है और बिहार का देश की आजादी की लड़ाई से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है इसलिए मैं मांग करता हूं कि दिल्ली और पटना के बीच में एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलनी चाहिए जो सबसे कम समय में दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली पहुंच सके। हजारीबाग प्रमंडल मुख्यालय हैं, लेकिन वह रेल से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए हम जो समस्याएं रख रहे हैं वे बिहार के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए भी आवश्यक है। बख्तियारपुर रेलवे लाइन का विस्तार गया तक करना आदि ऐसे विषय हैं जिनका सम्बन्ध न केवल देश से बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। इसी प्रकार गंगा के ऊपर रेल पुल की मांग का महत्व भी अन्तर्राष्ट्रीय है।

अन्त में मैं मांग करना चाहता हूं कि रेलवे का एक जोनल मुख्यालय बिहार में भी खोला जाए। हमारे यहां के कतिपय सदस्यों ने इन मांगों को रखा है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करते हुए अनुरोध करना चाहते हैं कि जो प्यार मंत्री महोदय ने अभी बीच में खड़े होकर जबाव देकर दिखाया है वही प्यार मंत्री महोदय जिन घोषणाओं को किया गया है उनको पूरा करके बिहार को देंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। कल 9 मार्च को हम 4.00 म॰प॰ तक बैठे थे और बोलने के इच्छुक सभी सदस्यों की सूची को समाप्त किया था। यदि और सदस्य होते तो हम 6.00 म॰प॰ तक बैठ सकते थे....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शुक्ल ने घोषणा की थी कि यदि सभा सुवह 6.00 म॰पू॰ से आगे तक चलती है तो वे नाश्ता की व्यवस्था करने को तैयार हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि और सदस्य भी अभी बोलने के इच्छुक हैं। अतः मैं कुमारी ममता बनर्जी को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत ग्रेटफूल हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं रेल बजट का स्वागत करती हूं, लेकिन नीतीश कुमार जी का भाषण सुनकर मुझे भी हिन्दी में बोलने की प्रेरणा मिली है। हमारे वेस्टर्न रीजन की रेलों को बजट में इनक्लूड किया गया है, लेकिन हमारे बंगाल की जो तमलुक लाइन है, वह अभी तक पेंडिंग है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

डिघा-तुमलुक प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। देश में आजादी आने से पहले 3 जगहों पर सरकार बनी थी, उनमें से तुमलुक एक स्थान है। इस तरह से इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह प्रोजेक्ट बहुत दिनों से पैंडिग पड़ा है। अभी इसके लिए 2 करोड़ रुपया दिया गया है। इसी तरह से इकलाखी-बल्लूरघाट, हावड़ा-आमता लाईन भी है। इन प्रोजेक्टों के लिए कभी 1 लाख, कभी 1 करोड़ और कभी 1 हजार रुपया दे दिया जाता है। इस तरह से तो ये प्रोजेक्ट कभी पूरे नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन तीनों प्रोजेक्टों को शीघ्र पूरा करवाने की कृपा करें। हावड़ा-आमता प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सबसे ज्यादा जोर देकर कहना चहती हूं कि इकलाखी-बल्लूरघाट प्रोजेक्ट की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाए। यह नार्थ बंगाल का पिछड़ा हुआ इलाका है, यहां पर 70 परसेंट एससीएसटी और माइनास्टिीज के लोग रहते हैं। पिछले महीने मैंने इकलाखी का विजिट किया था। वहां पर न यातायात का और न कम्युनिकेशन का कोई साधन है यदि किसी को अस्पताल भी जाना हो तो 4 घंटे तक बस का इंतजार करना होता है। प्राईवेट टैक्सी करके वहां के लोग जा नहीं सकते हैं। आज नार्थ बंगाल के आइसोलेट (कुमारी ममता बनर्जी)हो जाने से वहां की जनता के ग्रेवांसेस हैं, उनको देखना सरकार का काम है। इकलाखी-बल्लुरघाट प्रोजेक्ट के लिए 1 हजार रुपया दिया गया है, आप स्वयं सोचिए कि 1 हजार रुपए से क्या काम हो सकता है। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वहां की जनता यह न समझे कि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है वहां गरीब मजदूर हैं, जो टी-गार्डन्स में रहते हैं। मेरा मंत्री महोदय से कि ये तीनों प्रोजेक्ट जो कि एससीएसटी और माइनारिटी बैल्ट में आते हैं, इनकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैट्रो रेलवे पर हमको गर्व है और इस बार इसके लिए 200 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहती हूं कि पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और इस ओर विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का हमको पता है कि पैसे का प्रापर उपयोग नहीं हुआ है।

एक निवेदन और करना चाहती हूं कि बंदेलगेट और लेकगेट पर फ्लाई-ओवर स्वीकृत पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव न आने से यहां पर काम शुरू नहीं हो सका है। बहुत कंजेस्टेड एरिया है और कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें विद्यार्थियों की जानें भी गई हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि राज्य सरकार से प्रस्ताव नहीं आता है तो इस मामले को केन्द्र सरकार अपने स्तर पर राज्य सरकार से बात करे और इस काम को शीघ्र शुरू करवाए। इसी तरह से बिहार और उड़ीसा के बारे में नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि बंगलौर और बंगाल में कोई फर्क नहीं है। यह रमजान का महीना है। इस रमजान के महीने में एक शेर मंत्री जी को सुनाना चाहती हूं, जिसको सुनकर उनके दिल में दर्द उत्पन्न होगा और मुझे आशा है कि वे हमारी मांगों की तरफ ध्यान देंगे।

खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले,
खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।

इसी तरह से मंत्री महोदय हम लोगों की रजा को समझेंगे और रमजान के महीने में हमारी आशाओं को पूरा करेंगे।

अंत में सिर्फ इतना और कहना चाहती हूं कि महिला यात्रियों की सुरक्षा की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमने इस विषय पर 4 बजे तक चर्चा की। सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैंने यह घोषणा नहीं की थी कि यह चर्चा पूरी हो गई है और मंत्री महोदय कल इसका उत्तर देंगे, क्योंकि इस समय श्री नीतीश कुमार पीठासीन थे। अब यदि मैं सभी को बोलने को अनुमति देता हूं तो मेरे विचार में इससे सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, केवल लेखानुदान पर मतदान होगा। मंत्री महोदय अनुदानों की मांगों के संबंध में मतदान कराएंगे। तत्पश्चात्, स्थाई समिति अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और उसके बाद इस सभा में रेलवे बजट पर फिर से पूरी बहस होगी। अतः इस पर 5 बजे तक चर्चा कर सकते हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : श्री वी. धनंजय कुमार वहां थे। लेकिन वे लोग सदन से चले गए और सो गए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानते हैं लेकिन वहां का रेल मंत्री न होने की वजह से इसको पूरी तरह अनदेखा किया जाता है आजादी के 47 वर्षों बाद भी वहां पर मात्र चौदह किलोमीटर रेल लाईन बन पाई है, जैसे-नंगल-तलवाड़ा लाईन का काम बिल्कुल ठप्प पड़ा है। जम्मू-काश्मीर में उग्रवाद बढ़ा तो आपने श्रीनगर तक रेल लाईन बिछाने की बात की है। क्या अन्य प्रदेशों में भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वहां ऐसी स्थिति पैदा हो।

जनवरी-1991 में ऊना की रेल लाईन का उद्घाटन हुआ था तो तत्कालीन रेल मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र जी ने घोषणा की थी कि इस लाईन के लिए पचास करोड़ रुपए का प्रावधान रेल बजट में करेंगे। मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की है तो उन्होंने कहा कि वे स्कीपर्स कास्ट प्राइस देने के लिए तैयार है इसलिए इसके लिए प्रावधान कीजिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण रेल लाईन है।

आज तक जो छोटी रेल लाईन बनी हुई है वह अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, लेकिन आजादी के बाद वहां आप कुछ नहीं कर पाए हैं। भनुपति से रामपुर तक की लाईन पर काम नहीं हुआ है। गेज कनर्वसन के काम को अगर नयी रेल लाईन बिछाने की कास्ट पर करेंगे तो एक्सपेंशन का काम रोक देने से पिछड़े हुए क्षेत्र और पिछड़े रह जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पठानकोट से जोगिन्दर नगर और कालका से शिमला की छोटी लाईन को भी गेज कनवर्सन के लिए कंसीडर करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि दक्षिण भारत या पश्चिम भारत से सीधा पठानकोट या कालका तक ट्रेन चलाई जाए जिससे आने वाले पर्यटकों को सुविधा हो सके।

[प्रो. प्रेम धूमल]

उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रीजी ने एक हजार करोड़ रुपये को बोझ गरीब आदमियों पर डाल दिया है किराया और भाड़ा बढ़ाकर, इसके साथ ही सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न आदि पर भी जो ढुलाई के चार्जेज बढ़ाये हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें वे वापस लेने की घोषणा करें।

रेलवे स्टाफ की सुविधाओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वे बहुत कम है। मैंने पहले भी मांग की थी, अब फिर करना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो आपका स्टाफ है उसके लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहले भी कहा था लेकिन अभी तक वह नहीं की गई है। जो अपाइंटमेंट के मामले हैं, अनुकम्पा के आधार पर हैं, वे एक अर्से से लम्बित हैं। हम लिखते हैं तो उत्तर आता है कि इसको देखेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है।

मैं एक मांग करना चाहूंगा, जोकि पहले भी कर चुका हूं। हिमाचल एक्सप्रेस में ए.सी. स्लीपर का कोई प्रावधान नहीं है। एक ही ट्रेन ब्राडगेज में जाती है, आपने हर बार वादा किया है कि ज्यों ही उपलब्ध होंगे लगा दिये जायेंगे, लेकिन वह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि उसे शीघ्र लगाया जाये।

[अनुवाद]

***श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर** (बीड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए प्रस्तुत रेलवे बजट का समर्थन करती हूं।

माननीय प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में देश बेहतर तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण देश ने उद्योग, कृषि, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे सभी क्षेत्रों में चहुंमुखी प्रगति की है। मुझें खुशी है कि रेलवे बजट उनके निर्देशन में तैयार किया गया है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। रेलवे विशेषकर भारतीय रेलवे का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे खुशी है कि माननीय रेल मंत्री जी के कार्यकाल में सभी राष्ट्रों में आमान परिवर्तन तथा विद्युतीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। सीमित कोष से ही रेलवे नेटवर्क को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए मैं रेलवे मंत्री को धन्यवाद देती हूं।

1994-95 के रेलवे बजट में मालभाड़े एवं यात्री भाड़े में मामूली वृद्धि का प्रस्ताव है। और यह अधिक नहीं है। इस वृद्धि से रेलवे को 997 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होगा। गत वर्ष रेलवे की कुल योजना हेतु 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जबकि चालू वर्ष के लिए 5615 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जब हम रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा सेवाओं पर गौर करते हैं तो इसमें परिचालित 5 प्रतिशत की वृद्धि अधिक नहीं है।

वर्तमान रेलवे बजट की कुछ मूख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषा के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(1) द्वित्तीय श्रेणी के किराए में कई चरणों में 1 रुपये से 6 रुपये तक की वृद्धि। मेरे विचार से यह वृद्धि न्यायोचित नहीं है क्योंकि द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते सामान्यतः गरीब लोग ही हैं अतः मैं द्वितीय श्रेणी के किराये में की गई वृद्धि को वापस लेने हेतु अनुरोध करती हूं।

(2) बहरहाल प्रथम श्रेणी तथा वातनुकूलित श्रेणी के किराये में वृद्धि न्यायोचित है क्योंकि इन श्रेणियों में सम्पन्न तथा धनी लोग यात्रा करते हैं जो किराया देने में सक्षम हैं।

मैं सुविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी कपिलदेव एवं उनकी पत्नी को प्रथम श्रेणी रेल पास दिए जाने का स्वागत करती हूं। लेकिन मैं यह सुविधा इस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की मां को भी प्रदान करने का अनुरोध करती हूं।

माल भाड़ा रेलवे के लिए राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय रेलवे के अनुमानित 19068 करोड़ रुपए के राजस्व में माल भाड़े द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व का हिस्सा 13173 करोड़ रुपये है। लेकिन 18505 करोड़ रुपयों के वास्तविक राजस्व में माल भाड़े से प्राप्त होने वाले राजस्व का हिस्सा 12830 करोड़ रुपये है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अब तक केवल दो मिनट का ही समय लिया है। मैं कभी-कभी ही बोलती हूं। इसके अलावा, मैं एक महिला वक्ता हूं और महिला दिवस पर बोल रही हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाय।

जैसा कि मैंने कहा, माल भाड़ा रेलवे राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन मुख्य समस्या मालडब्बों की अनुपलब्धता है। व्यापारियों को काफी परेशानी होती है। उनके माल कई सप्ताह तक एक ही जगह पड़ा रहता है। माल की चोरी का खतरा रहता है। वर्षा के दिनों में उनका माल भीग जाता है। व्यापारियों के हेतु ट्रक द्वारा माल की ढुलाई की सुविधाजनक नहीं है क्योंकि उन्हें विभिन्न नाकों पर इंतजार करना पड़ता है। लेकिन रेल द्वारा माल के यातायात से इन सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह व्यापारियों को माल डिब्बे उपलब्ध कराएं।

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि कोंकण रेलवे परियोजना पर ठीक ढंग से काम चल रहा है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु धनराशि एकत्र करने के लिए सरकार ने बांड तथा ऋणपत्र जारी करने की अनुमति दी थी। मैं मराठवाड़ा रेल विकास निगम स्थापित करने हेतु अनुरोध करती हूं। इससे मराठवाड़ा में रेल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा। तथा ऋणपत्र जारी करके धनराशि जुटाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मिराज-लाटूर रेल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपये की छोटी-सी धनराशि दी गयी है।

इस रेल लाइन के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने चाहिए।

दाऊंद-बारामती-दाऊंद लाइन के निर्माण कार्य को भी अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए और इसके लिए 25 करोड़ रुपये की राशि नियत की जानी चाहिए।

[श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर]

कुरडुवाडी एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जहां लंबी-दूरी की गाड़ियों तथा सुपरफास्ट गाड़ियों को ठहराया जाना चाहिए। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

अहमदनगर-पुणे-मुम्बई के बीच एक नई। गाड़ी शुरू की जानी चाहिए ताकि यात्रीगण अहमदनगर से मुम्बई समय से पहुंच सकें। इस समय अहमदनगर स्टेशन पर आरक्षण कोटा नहीं है। मैं अनुरोध करती हूं कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन पर झेलम, कर्नाटक तथा गोवा एक्सप्रेस गाड़ियों में कम-से-कम 4 सीटों का आरक्षण कोटा दिया जाना चाहिए।

मैं बुलढ़ाना-जालना नई रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

एक बार जब मैं रेल में यात्रा कर रही थी कई पैसेन्जर्स ने पूछा कि रेल मंत्रालय के पास पैसा नहीं है तो गाड़ियां कैसे चलती हैं, ब्रोड गेज कैसे बनता है, नयी लाइनें कैसे बनती हैं। मैंने उनसे कहा कि हमारे मंत्री जी के पास कम पैसा होने के बावजूद जितना काम हो रहा हैं तो जब उनको पैसा मिलेगा तो वह सुविधाएं बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे।

अब मैं अपने जिले के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मेरे जिले की संख्या 25 लाख है। सबसे पिछड़ा जिला हमारा है। हर साल वहां के पांच लाख मजदूर गन्ना तोड़ने के लिए बाहर के जिलों में जाते हैं। उनके बच्चों की जिन्दगी नहीं होती है। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही.है। इसलिए मेरी विनती है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको प्राधान्य देकर वहां का विकास करना सरकार का कर्तव्य है। रेल मंत्री कर्नाटक के रहने वाले हैं मैं भी कर्नाटक की रहने वाली हूं। कर्नाटक के भाई होने के नाते मैं आपसे कुछ अधिक मांगने वाली नहीं हूं।

3.00 म.प.

मैं जिले का विकास करने के लिए भाई से बहिन के नाते प्रार्थना करती हूं कि अहमद नगर-ब्रीडपरकी रेलवे लाइन को मान्यता दी जाए और आज के बजट रिप्लाई में उसके लिए कम-से-कम 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाए। इस बात की घोषणा आप आज जो रिप्लाई देंगे, उनमें करेंगे, ऐसी मुझे आशा है इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ मैं रेल मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, मेरे जिले, हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखला में बड़ी लाइन जिसकी आधारशिला श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में रखी थी, अब तक पूरी नहीं की गई है। उस लाइन का एक भाग, बरगछिया तक पूरा किया गया था। परन्तु लाइन का शेष भाग गत 10 वर्षों में पूरा नहीं किया जा सका है। इसकी उपेक्षा की गई गत वर्ष, कुछ पैसे आबंटित किए गए थे परन्तु वर्ष के बीच में, वह पैसा वापस ले लिया गया था और इसका उपयोग नहीं किया गया था।

इस वर्ष, हावड़ा-आमता और हावड़ा-शियाखला लाइन के लिए केवल 1000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह काफी ज्यादा दुखद बात है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे हावड़ा और हुगली इन दो जिलों के दुखों पर ध्यान दें और बजट में संशोधन करके इन क्षेत्रों के लिए कुछ धन आबंटित करें। कृपया उत्तर देने के समय वह यह आश्वासन दे सकते हैं।

दूसरी बात, हावड़ा-बरगछिया भाग का जहां तक प्रश्न है, वह पूरा हो चुका है, लेकिन वर्तमान में केवल तीन जोड़ी रेलगाड़ियां चल रही हैं। हम कुछ और ई.एम.यू. रेलगाड़ियां शुरू होते देखना चाहते हैं जिससे कि इन क्षेत्रों के साधारण यात्रियों को लाभ मिल सकें। दक्षिण पूर्व रेलवे की हमारी तीसरी और चौथी लाइन पर काम तेजी से शुरू होना चाहिए जिससे कि ये लाइनें पूरी की जा सकें। इसके लिए, समुचित धनराशि जारी की जानी चाहिए। उपनगरीय रेलगाड़ियां इसी समय से नहीं चलती हैं। यह यात्रियों के लिए कठिन समस्या है मंत्री महोदय सदा कहते हैं कि यह 97 प्रतिशत या 98 प्रतिशत समय-प्रतिबद्धता से चलती है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। मैं मंत्री से इस मामले पर विचार करने का आग्रह करता हूं। जब रेलगाड़ी सही समय पर नहीं चलती हैं, तो 'सीजन टिकट' का भाड़ा क्यों बढ़ाया गया है ? मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे 'सीजन टिकट' भाड़े पर विचार करें और इसे कम कर दें या कम-से-कम उन्हें वैज्ञानिक 'स्लैब' प्रणाली और दूरी के हिसाब से पुनर्निधारित करें। 'सीजन टिकट' के भाड़े को कम किया जाना चाहिए। 30 लाख लोग रेलगाड़ी में फेरी लगाने का काम करते हैं। मैं जानता हूं, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। आप इसे पसंद करें या नहीं करें, वे यहां हैं। मैं मंत्री जी से जीवन की सच्चाई स्वीकार करने का आग्रह करूंगा और उन्हें परिचय पत्र देने के लिए कहूंगा ताकि पंजीकरण शुल्क लगाई जा सके, उन्हें अनुशासित किया जा सके तथा वे फेरीवाले भी अपनी जीविका कमा सकें। उनकी समस्याएं भी ली जानी चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। अन्त में, मैं कहूंगा कि हल्दिया को पश्चिम बंगाल के दूसरे बाहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे कलकत्ता के साथ उचित रूप से जोड़ा जाना चाहिए। हमारी यह मांग है कि हल्दिया को कलकत्ता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। लोकल ई.एम.यू. रेलगाड़ियां हल्दिया से शरू होकर आन्दोलन, दानुकुनी होते हुए सियालदह स्टेशन तक आनी चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हू कि वे हल्दिया से सियालदह तक ई.एम.यू. रेलगाड़ियां चलाएं।

मैं माननीय मंत्री से पुनः आग्रह करूंगा कि कम-से-कम माननीय मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में कुछ और धनराशि दें जिन्होंने हावड़ा-आमता-शियाखला लाइन के लिए आधारशिला रखी थी। उन्हें अपने नेता को याद रखना चाहिए। वे इस लाइन के लिए धनराशि न आबंटित करके अपने नेता का अपमान नहीं करेंगे बल्कि वे अपने नेता को याद रखेंगे तथा इस लाइन के लिए समुचित धनराशि का आबंटन करेंगे। मैं उनसे बजट में संशोधन करके इसी बजट में हावड़ा-आमता लाइन के लिए कुछ और धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट में किराए में 997 करोड़ रुपये की वृद्धि करके रेल मंत्री ने भारत के गरीब उपभोक्ता पर बहुत बड़ा वजन डाला है। पेट्रोल,

[श्री गुमान मल लोढा]

गैस के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बजट से पहले बढ़ाने के बाद 997 करोड़ रुपये का और किराया बढाना राष्ट्र और जनता के लिए बहुत बड़ा घातक कार्य है जिसके लिए स्वयं रेल मंत्री तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उनसे ज्यादा दायित्व हमारे वित्त मंत्री का है जिन्होंने रेल बजट में, जिसका 1985-86 में बजट का सपोर्ट 51 प्रतिशत होता था उसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया।

हमारे याहं पर जो ब्रौडगेज किया जा रहा है, उसका मैं स्वागत करूंगा क्योंकि उससे अधिक सुविधा मिलेगी, डैवलपमेंट होगा। लेकिन दिल्ली से लेकर अहमदाबाद के ब्रौडगेज कनवर्जन के कार्यक्रम को इस वर्ष के बजट में न लेकर पिछले साल केवल ऐनाउंस करके रेल मंत्री ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है। बम्बई से जो व्यक्ति दिल्ली आता है, अहमदाबाद पर मीटरगेज होने से उसे रेल बदलनी पड़ती है। इससे बिजनस और इंडस्ट्री को नुकसान होता है। मैं कहूंगा कि अहमदाबाद से दिल्ली के ब्रौडगेज के कार्य को इस वर्ष पूरा करके पाली को भी उसमें जोड़ा जाए। वहां पर माउंट आबू में टूरिस्ट सेन्टर है, दिलवाड़ा मंदिर है, राणकपुर मंदिर भी है, उन सबको कनैक्ट करने वाली लाइन को ब्रौडगेज किया जाए।

जीतारन नामक स्थान पर पावन धाम मंदिर है जहां के लिए राष्ट्रपत्ति महोदय ने अपने भाषण में, 2 करोड़ रुपये जनता से इकट्ठे करवाकर कैन्सर ट्रीटमैंट के हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करवाई थी। लेकिन वहां पर रेलवे स्टेशन न होने के कारण आज तक राष्ट्रपति जी की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी और जनता भी कष्ट में है। रेल मंत्री ने स्वयं भी पिछले साल जोधपुर में एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि रेलवे लाइन का सर्वे कर लिया जाएगा और उसके पश्चात् एक रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन बर से बिलाड़ा तक बिछा दी जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कि इस कार्य को इस वर्ष पूरा किया जाए, केवल सर्वे करने से काम नहीं होगा। इसके साथ ही नवजीवन एक्सप्रेस और करणावती का समय आपस में मिला दिया जाए ताकि जोधपुर से आने वाले व्यक्तियों को उनमें तुरन्त जाने का अवसर मिल सके।

रेलवे में अनेक प्रकार के क्लासिफिकेशन बनाए हुए है और कई बार घोषणा की गई कि हम केवल दो प्रकार के क्लासिफिकेशन रखेंगे ताकि गरीब कन्ज्यूमर्स को सुविधा मिल सके। आज (श्री गुमान मल लोढा)स्थिति यह है कि नम्बर एक पर पैलेस ऑन व्हील, फिर सैलून क्लास, फर्स्ट ए.सी., ए.सी. II टायर ए.सी. III टायर, ए.सी. व्हील चेयर, शताब्दी ऐग्जीक्यूटिव क्लास, जनरल फर्स्ट क्लास, जनरल सैकंड क्लास, सैकंड स्लीपर, ग्राउंड क्लास जिसमें लोग बिना टिकट के चलते हैं और रेलवे के कुछ अधिकारी उनसे सुविधा शुल्क लेकर उन्हें घुसा देते हैं। एक ऑन दी रूफ क्लास है। जिन गरीब आदमियों को टिकट नहीं मिलता है वे रूफ पर बैठ कर यात्रा करते हैं। वे लोग एक्सीडैंट में मारे जाते हैं। इस प्रकार से 12 क्लास बनी हुई हैं। जो नीचे की क्लास है यानि कि सैकिण्ड क्लास, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाये। जहां ज्यादा गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है, वहां गाड़ियां बढ़ायी जायें।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस बजट को समर्थन देता हूं। केरल के लोग खुश हैं क्योंकि इस बार रेल मंत्री ने हमारी ओर कुछ ध्यान दिया है। रेलवे बजट में केरल राज्य में रेलवे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। बावजूद इसके कि यह धनराशि केरल के लोगों की 5 प्रतिशत जरूरत को भी पूरा नहीं करता है, हम केरल राज्य के प्रति रेल मंत्री द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाए जाने के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

माननीय रेलमंत्री ने यह घोषणा की है कि कोंकण रेलवे परियोजना मार्च, 1995 तक चालू कर दी जाएगी। लेकिन जहां तक केरल के उत्तरी भाग का संबंध है, हमें तभी लाभ मिलेगा जब कुट्टीपुरम-कालीकट-शेरानूर-मैंगलोर रेलवे लाइन को दोहरा किया जाय। शोरानूर-मैंगलोर रेलवे लाइन की दोहरीकरण की वास्तविक लागत लगभग 60 करोड़ रुपये है। लेकिन इस बजट में केवल दो करोड़ रुपये निधारित किए गए। मुझे आशा है कि अगली बार रेल मंत्री मैंगलोर में शोरानूर लाइन के दोहरीकरण के लिए और ज्यादा धनराशि आवंटित करेंगे।

दूसरे, वैनाद जिला केरल राज्य का सबसे पिछड़ा जिला है। यह एक आदिवासी जिला भी है। केवल यही जिला है जो रेलवे मानचित्र पर नहीं है। अतएव, हमने नन्जनवडे विघ्री रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। नन्जनवडे से विजघिर की दूरी केवल 95 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं हैं। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री इस मांग पर विचार करेंगे। मालाबार क्षेत्र में कालीकट मुख्य शहर है। कालीकट के रेलवे क्वाटर्स की स्थिति काफी दयनीय है। मैंने भी वहां के रेलवे क्वाटर्स का दौरा किया था। यह केवल एक जेल जैसा कमरा है। शयन-कक्ष में एक भी खिड़की नहीं है। परिस्थिति बहुत दयनीय है। रेलवे क्वाटर्स में कुछ सुधार किया जाना चाहिए।

इस बजट की मुख्य बात यह है कि रेल मंत्री ने केरल की ओर कुछ ध्यान दिया है। लेकिन केरल के उत्तरी भाग की ओर हमें एक भी रेलगाड़ी नहीं मिली। त्रिवेन्द्रम और कालीवत काफी महत्वपूर्ण जगह हैं। लेकिन अब त्रिवेन्द्रम से कालीवत तक तीन रेलगाडियां चल रही हैं जो कोट्टायम होकर जा रही हैं। नई रेलवे लाइन का उद्घाटन रेल मंत्री द्वारा किया गया था। यदि एक रेलगाड़ी को एलेप्पी लाइन की ओर मोड़ दिया जाये तो हम कम-से-कम 2 घंटे समय की बचत कर सकते हैं। अतएव, मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री इस मांग पर विचार करेंगे।

कालीकट में इंजीनियरिंग सेक्शन की सुविधा समाप्त किए जाने का विचार है। इस इंजीनियरिंग सेक्शन को बन्द करने का विचार है। मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस निर्णय पर पुनर्विचार करें क्योंकि आप जानते हैं, कालीकट, मालाबार क्षेत्र में एक मुख्य स्थान है और मुख्य बात यह है कि केरल एक उपभोक्ता राज्य है और हमारी कई वस्तुएं चावल और गेहूं समेत राज्य के बाहर से आते हैं। अतएव, परिवहन व्यय में वृद्धि ने निश्चित रूप से केरल के लोगों को अतिरिक्त कठिनाइयां प्रदान की हैं। हम आशा करते हैं कि रेल मंत्री इस मामले का पुनर्निरीक्षण करेंगे। रेल मंत्रालय

[श्री के. मुरलीधरन]

ने इस बार हमारी बातों पर विचार किया है। हम आशा करते हैं कि अगले वर्ष भी हमारी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। अतएव, मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं तथा रेलवे बजट को समर्थन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हर साल किताबों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उनको बढ़ाने में भारत सरकार और रेल मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी दिल्ली में पुस्तक मेला लगा, उसमें पुस्तक दर्शकों की काफी भीड़ रही लेकिन पुस्तकों की बढ़ी हुई कीमतों को एफोर्ड करने की हैसियत भारत के पाठक की नहीं है और हर साल रेल विभाग पुस्तकों की दुलाई का भाड़ा बढ़ा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि किताबों और स्टेशनरी की दुलाई का जो भाड़ा बढ़ा है, उसको इन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए।

दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन पर व्हीलर का एकाधिकार बना हुआ है। जिससे रेलवे की लूट एक संस्था द्वारा अपने बुक स्टाल खोलकर पूरे देश में की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने संसाधनों को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन व्हीलर के एकाधिकार को खत्म करने की रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। उसको खत्म किया जाना चाहिए।

तीसरी बात, पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बजट में घोर उपेक्षा की गई है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं गोरखपुर जाकर यह सार्वजनिक बयान दिया था कि लखनऊ और गोरखपुर के बीच की लाइन को डबल किया जायेगा लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इसका कोई प्रावधान बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है।

चौथी बात, गौरखपुर मंडल में ही बगहा छितौनी रेलवे लाइन पर भारत सरकार की योजना के अनुसार रेल का पुल तो बन रहा है। लेकिन योजना थी कि उसके ऊपर सड़क का भी पुल बनाया जायेगा, उसको बनाने के बारे में रेल मंत्रालय क्यों सुस्ती कर रहा है ? मैं आग्रह करता हूं कि सड़क यातायात चालू करने के लिए सड़क के पुल को भी बनाया जाय।

दूसरी बात, रेलवे अपनी तरफ से छोटी लाइनों को बड़ी लाइन बनाने की महत्वाकांक्षी योजना चला रहा है लेकिन जहां बड़ी लाइन बनाई जा रही है, वहां ट्रेन नहीं चलाई जा रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गोरखपुर मंडल में ही वरहद भट्टी रेल मार्ग को आपने छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया लेकिन जब से बड़ी लाइन हो गई, उस पर कोई रेलगाड़ी चलती ही नहीं। इस (श्री मोहन सिंह)तरह बड़ी लाइन बनाने का जो लाभ, जो फायदा जनता को मिलना चाहिए और जो आप अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं, वह नहीं मिल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मैं अफसोस प्रकट करता हूं और मांग करता हूं कि जिन लाइनों को बड़ी लाइन में तबदील किया जाता है, उन पर रेलगाड़ियां भी चलाई जायें, यह घोषणा भी मंत्री जी की ओर से होनी चाहिए।

गोरखपुर और गोंड़ा के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन के रूप में बदलने की भारत

सरकार ने इसमें कोई घोषणा नहीं की है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका आमान परिवर्तन किया जाना चाहिए।

अन्तिम सुझाव यह है कि महत्वपूर्ण गाड़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ने के लिए वैशाली एक्सप्रैस आती है। आपने सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में 3 टायर AC स्लीपर लगाने की बात की है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वैशाली एक्सप्रैस में भी AC 3 टायर स्लीपर लगाया जाय।

आपकी घंटी बजने वाली है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं इसलिए में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस रेल बजट में बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल की उपेक्षा की ही गई है और जितना भाड़ा हर साल बढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, न क्षेत्र में रेलवे का विस्तार हो रहा है और न रेलवे के अन्दर जो पैसेंजर बैठते हैं, उनके लिए कोई सुविधा प्रदान की जा रही है।

मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध मे ही अपनी बात कहूंगा। इन समस्याओं के बारे में आज दो साल से हम मंत्री महोदय से पत्र के माध्यम से और सांसद में भी इन समस्याओं को उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कई मांगें तो ऐसी हैं, जिन पर कुछ खर्च नहीं होना है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पा रहे हैं। रांची से एकमात्र ट्रेन हटिया अमृतसर के लिए चलती है जो रात को 2-3 बजे दिल्ली पहुंचती है, जिससे यात्रियों को दिल्ली में रात के समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले यह गाड़ी 9-10 बजे दिल्ली पहुंचा करती थी। हमारी मांग बहुत दिनों से चली आ रही है कि इस के समय का पूर्ववत किया जाए, ताकि यात्रियों की कठिनाई दूर हो सके। इसी तरह से रांची से दिल्ली एक सुपर फास्ट गाड़ी की मांग भी काफी समय से की जाती रही है, इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। लुधियाना एक ट्रेन जाती है जो धनबाद में 17 घंटे खड़ी रहती है, इसको रांची तक बढ़ाने का काम किया जाए। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस सप्ताह में 3 बार खड़गपुर, अरदा, पुरलिया, रांची, राउरकेला रांची होकर चलाने का कष्ट करें, ताकि यात्रियों को पुरी, भुवनेश्वर , कटक जाने की सुविधा मिल सके। इसी तरह से हटिया से हावड़ा तक एक सुपरफास्ट चेअरकार गाड़ी कोटशिला, पुरलिया, आगरा, आसनसोल, दुर्गापुर के लिए चलाने की मांग भी बहुत दिनों से लंबित है, इसको भी स्वीकृत करने का कष्ट करें। रांची से और हटिया से बंबई के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है, इसलिए रांची से बंबई एक गाड़ी चलाई जाए। हटिया-रांची से दक्षिणी-पूर्व रेलवे के अंतिम पड़ाब आसनसोल के लिए एक ईएमयू गाड़ी चलाई जाए, अभी यह आगरा से चलती है। रांची से हावड़ा मात्र एक गाड़ी चलती है, जिसमें से ऐसी प्रथम श्रेणी का डिब्बा हटा लिया गया है, इसको फिर से लगवाने का कष्ट करें। रांची से लोहरदगा में गेज कनवर्शन की मांग 20-25 वर्षों से की जा रही है, इस मांग को पूरा करके उस लाईन को डोरी से जोड़ दिया जाए तो इससे समय में 6-7 घंटे की बचत होगी। इसी तरह से टाटा-पटना एक्सप्रेस चाहिल में नहीं रुकती है, इसको वहां पर दो मिनट का हाल्ट दे दिया जाए तो वहां के निवासियों को बहुत सुविधा होगी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में रांची से बोगी जोड़ी जाए।

[श्री राम टहल चौधरी]

उपाध्यक्ष महोदय, रांची एक औद्योगिक नगरी है, वहां पर काफी खानें आदि भी है। इन चीजों का ध्यान में रखते हुए मैंने जो बातें मंत्री महोदय के सामने रखी हैं, उनकी ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.बी. सिदनाल (बेलगाम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन एक करोड़ लोग रेलगाडियों में सफर करते है। इस समय रेल-नेटवर्क काफी अच्छी है। मैं अनुभव करता हूं कि बजट प्रावधान उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब भारत सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की और जबकि निजीकरण किया जा रहा है, मुझे नहीं पता है कि रेलमंत्री क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आमान परिवर्तन के लिए कोई धनराशि नहीं है सुधार के लिए कोई धनराशि नहीं है और देखरेख के लिए कोई धनराशि नहीं है। अतएवं कई तरह की दिक्कतें हैं। इसलिए, मैं रेल मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि वे रेलवे की भूमि बेचने पर विचार करें अथवा इसे पट्टे पर दें ताकि वे धनराशि अर्जित कर सकें और पूरे देश की रेलवे नेटवर्क में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसे निवेश कर सकें। यह आर्थिक विकास का एक माध्यम है। जब तक कि तीव्र परिवहन की सुविधा उपलब्ध न हो, हम अर्थव्यवस्था के विकास की आशा नहीं कर सकते हैं। यद्यपि हमारे पास खुली आर्थिक नीति है, हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं।

अतएवं, रेलमंत्री को मेरा सुझाव है कि रेलवे की जमीन पट्टे पर दी जाये और रेलवे नेटवर्क का विकास देश के हर कौने में किया जाये।

मैं इस बजट में उल्लेखित सभी नई बातो का स्वागत करता हू। मैं बजट के आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे कई मित्रों ने इसके बारे मे पहले ही बता दिया है। मैं केवल कुछ मुद्दों का जिक्र करूंगा जो मेरे चुनाव क्षेत्र और मेरे राज्य से संबंधित हैं।

पहली बात, बेलगाम, जो मेरा चुनाव क्षेत्र है, महाराष्ट्र और गोवा के करीब है। इसे रेलमंत्री द्वारा पूरी तरह से नजरअन्दाज कर दिया गया है। गत एक शतक से कोई तीसरी रेलगाड़ी बेलगाम से होकर नहीं गुजरी है। न तो स्टेशन में सुधार लाया गया है और न ही नई लाइन शुरू की गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि रेल मंत्री ने क्यों मेरे क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया है जो कि उत्तर कर्नाटक में है। दूसरी ओर के बहुत से लोग रेल मंत्री पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने केवल कर्नाटक में दिए बहुत कुछ किया है। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं-मैं उन पर अरोप नहीं लगाना चाहता- कि वे हमारी और भी ध्यान दें और यह देखें कि हम भी देश के अन्य भागों की तरह से ऊपर आए हैं तथा हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो। मिराज से बंगलौर तक जो रेल लाइन बदली जा रही है वह बंगलौर से अरसीकैरे तक आयी है, जैसा कि महोदय आप (श्री एस.बी. सिदनाल)भी जानते हैं। यह कार्य मिराज से बेलगाम तक अथवा बेलगाम से हुबली तक शुरू किया गया है, ऐसा ही कुछ है। इस के लिए बहुत कम धनराशि आबंटित की गई है

तथा इसके पूरा होने के चार-पांच वर्ष और लग सकते हैं हमारे लिए यह बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि गतिविधि पूरी तरह ठप्प है इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजमार्ग चार पर पड़ा है जहां यातायात बढ़ गया है तथा प्रति दस किलोमीटर पर दो-तीन बस अथवा कार दुर्घटनाएं होती हैं। इस पर हमारे लिए यात्रा करना भी कठिन हो गया है। इस राजमार्ग पर बहुत भीड़ हो गई है। आप इस पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से कार नहीं चला सकते हैं। इसलिए मेरा रेलमंत्री महोदय से अनुरोध है कि रेल लाइन के आदान प्रविर्तन के बाद मिराज से बंगलौर तक एक गाड़ी और चलायी जाए। इस वर्ष के दौरान कोई धनराशि मंजूरी नहीं की गई है। उन्होंने मुश्किल से 2 करोड़ रुपये दिए हैं। अरसीकैरे से बंगलौर तक और हुबली से बंगलौर तक रेललाइन के लिए मेरे विचार से 62 करोड़ रुपये दिए गये हैं। मैं नहीं जानता कि यह भेदभाव क्यों किया गया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि कर्नाटक की जनता के प्रति तो न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनायें। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि यह मेरा दृष्टिकोण है।

बेलगाम इस क्षेत्र का केन्द्रीय स्थान होने के कारण इसी स्थान पर झांसी की रानी से बहुत पहले किट्टूर रानी चेन्नाम्मा ने 1824 में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और अक्टूबर, 1833 में ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। जब वह राज्यमंत्री थे तब मैंने मंत्री महोदय श्री जाफर शरीफ से इसके लिए अनुरोध किया था और उन्होंने उनके नाम पर एक गाड़ी चलाने के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था। अब वह केबिनेट मंत्री हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। वर्तमान किट्टूर एक्सप्रेस का नाम बदलकर किट्टूर रानी चेन्नाम्मा एक्सप्रेस कर दिया जाना चाहिए। केवल तभी लोग समझ सकते हैं अन्यथा बहुत से किट्टूर गांव हैं और इस बात को कोई नहीं समझेगा।

जोनल ऑफिस बेलगाम में खोला जाना चाहिये सीमावर्ती स्थान होने के कारण महाराष्ट्र को इससे सुविधा होगी तथा यह गोवा के लिए भी सुविधाजनक रहेगा। परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। यह स्टेशन दियासलाई की डिब्बी की तरह है, यहां आप न तो बैठ सकते हैं और न ही यहां कोई सुविधा है। बड़ी लाइन के अनुपात में इसका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिये इसलिए आपके माध्यम से मेरा यह अनुरोध है कि बेलगाम में जोनल ऑफिस खोला जाए। यदि उन्हें वहां नई सुविधाएं उपलब्ध कराने में कठिनाई है तो इसके लिए हुबली सबसे बढ़िया जगह है जहां आधारभूत सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। मैं समझता हूं कि वहां जोनल ऑफिस खोलने में कोई कठिनाई नहीं है।

रेल विभाग में कर्नाटक के लोगों की नियुक्ति नगण्य है। महोदय आप भी यह बात जानते हैं। इस देश में पांच रेल मंत्री हुए हैं परन्तु रेलवे में मुश्किल से हमारे 500 लोग ही नियुक्त किए गये हैं। हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है। जब हम कोई मामला प्रस्तुत करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि बेलगाम में जोनल ऑफिस खोला जाए। अन्य बातों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है ?

मैं रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि रेलवे के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें ताकि अर्थव्यवस्था की

[श्री एस.बी. सिदनाल]

अन्य नीतियों के साथ-साथ रेलवे भी लाभान्वित हो सके। अन्यथा रेलवे का कार्य ठप्प पड़ जाएगा, परिवहन का कोई साधन नहीं होगा और अर्थव्यवस्था का बिल्कुल विकास नहीं होगा। इसलिए वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह रेल मंत्री की सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री ब्रहमानन्द मंडल (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल बजट में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का किराया और माल भाड़ा बढ़ाया गया है। इससे पहले भी मंत्रीजी ने जो रेल बजट पेश किया था, सबमें ये किराये बढ़ाये जाते रहे हैं। इसलिए मैं इस रेल बजट का विरोध करता हूं। मंत्रीजी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। रेलवे से आप बिना किसी विशेष भार के पैसे जुटा सकते हैं। जब कभी मैं रेल से सफर करता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें काफी बड़ी संख्या में हाकर्स चलते हैं। मुझे बिहार का मालूम है। वहां पर एक लाख से अधिक हाकर्स जिनके पास पास नहीं हैं, अपना रोजगार लेकर चलते हैं। उनकी मांग है कि उन सभी लोगों को रेल पास जो लाल कार्ड है वह दिया जाये। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में 10 लाख से अधिक हाकर्स रेल में चलते हैं और अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। वे आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि गाड़ी में चलने के लिए उनको पचास से सत्तर रुपये रोज आपके अधिकारियों और कर्मचारियों को देने पड़ते हैं। अगर आप उनसे इसका 1/4 हिस्सा भी प्रतिदिन लेकर उनको लाल कार्ड दे दें तो मैं समझता हूं कि एक हजार करोड़ रुपये से अधिक आपको राजस्व मिल सकता है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरी मांग है कि इस भार को जो उन्होंने यात्रियों के ऊपर डाला है, वापस लें और 10 लाख जो हाकर्स हैं उनको लाल कार्ड दें।

मैंने पिछले वर्ष भी रेल मंत्री जी का ध्यान जमालपुर कारखाने की ओर आकर्षित किया था। मैंने कहा था कि यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था जिसमें 22 हजार मजदूर काम करते थे और आज मात्र 10 हजार मजदूर काम कर रहे हैं और उस पर कार्यभार नहीं है। रेलवे में जितने भी आधुनिक काम हो रहे हैं वह सारे काम करने के लिए जमालपुर कारखाने के मजदूर और अधिकारी तैयार हैं। बार-बार हम मांग करते रहे कि जमालपुर कारखाने का इनफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि सवारी डिब्बे बनाने के लिए इनको अतिरिक्त पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि इन्होंने स्वीकार किया है कि कपूरथला में सवारी डिब्बे के निर्माण के बावजूद रेल डिब्बे की जरूरत है। वहां की इतनी आवश्यकता है इसके बावजूद भी उस कपूरथला में हमने नया कारखाना खोला है। जमालपुर कारखाने में सवारी डिब्बे और माल डिब्बे के निर्माण के लिए और जो कारखाना स्टीम इंजन की मरम्मत के लिए बन रहा था, वहां इलैक्ट्रिक इंजन की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए। दोहरीकरण के संबंध में भी मैंने कहा था कि क्यूल से कजरा तक मुश्किल से 10 किलोमीटर बचा हुआ है। उसका दोहरीकरण करें। जमालपुर से भागलपुर तक ई.एम.यू. चलाई जाए। हमने मांग की थी कि जमालपुर से झाझा तक ई.एम.यू. चलाई जाए चूंकि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अभी भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया और बराबर कहा ज़ाता रहा कि पैसे नहीं हैं इसलिए यह कार्य नहीं किया जा सकता है। हमारे बिहार के साथियों ने कहा कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्षेत्रीय आधार पर दक्षिणी भारत के विकास के लिए आपके पास पैसे होते हैं और उत्तरी

और पूर्वी भारत के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसलिए संतुलित बजट होना चाहिए। रेल जो पूरे भारत में एक दूसरे प्रदेश के लोगों को जोड़ती है आपका बजट इसको तोड़ने का काम करता है यह ठीक नहीं है। इसलिए जब रेल एक कोने से दूसरे कौने को जोड़ती है तो आप ऐसा बजट बनाएं जिससे एक कोने से दूसरे कौने को आप जोड़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। समय कम है इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बारे में कछ बातें यहां पर रखना चाहता हूं। हमारे देश में रेल एक बहुत बड़ा उद्योग है हमारी सरकार की नीति है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनका विकास करें। मंत्री जी ने 1994-95 के बजट में रेल लाइन के सर्वेक्षण में धुले नरढाणा के लिए एक लाख अठाइस हज़ार की जो धनराशि रखी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वेक्षण के बाद धुले नरढाणा को स्वीकृति दी जाएगी और यह लाइन सेन्ट्रल और वैस्टर्न रेलवे को जोड़ने वाली लाइन होने की वजह से 37 किलोमीटर लंबाई की है इसलिए इसका सर्वेक्षण करने के बाद उसका काम हाथ में लिया जाए ऐसी मैं विनती करता हूं।

सूरत भुसावल लाइन, जो गुजरात को उत्तरी और दक्षिणी हिन्दुस्तान से जोड़ने वाली है, इसका दोहरीकरण किया जाए। इसके दोहरीकरण से गुजरात और महाराष्ट्र के जो ट्राइबल इलाके हैं उनको फायदा होने वाला है। इस लाइन पर अभी 7 जोड़ी सवारी गाड़ियां और 24 माल गाड़ियां चलती हैं। इसके साथ-साथ मैं इस लाइन के विद्युतीकरण की मांग भी करता हूं। इसी के साथ मैं मनमाड मलेगांव धुले नरढाणा इंदौर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की मांग भी करता हूं। आपने इतना समय मुझे बोलने के लिए दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनका नाम सी.सी.टी.वी. पर नहीं दिखाया जा रहा है जिससे ऐसा भ्रम होता है कि माननीय मंत्री जी शायद जवाब दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बैठिए।

[अनुवाद]

श्री बालिन कुली (लखिमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलमंत्री, श्री जाफर शरीफ द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं। इस बार उन्होंने अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस बार उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस आदि जैसी लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियां चलाकर और नई लाइनें बिछाकर कम से कम देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं तथा संसद सदस्यों की मांगों को पूरी करने का प्रयास किया है।

महोदय, वह गुहावटी तक एक राजधानी एक्सप्रेस शुरु करने जा रहे हैं। महोदय इसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। परन्तु उन्होंने कहा है कि यह गाड़ी सप्ताह में एक बार चलेगी। मेरा उनसे अनुरोध है कि उस राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन अर्थात् सप्ताह में सात दिन चलाया जाए।

[श्री बालिन कुली]

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी लम्बे समय से यातायात के साधनों का अभाव रहा है। इसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का वातावरण खराब है और आतंकवाद प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आतंकवादी से निपटने के लिए सेना तथा पुलिस कर्मियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में तत्काल जाना पड़ता है। इसलिए सभी पर्वोत्तर राज्यों तथा उनकी राजधानियों की रेल लाइनें आपस में जुड़ी होनी चाहिये अन्यथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा पर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसलिए मेरा रेल मंत्री महोदय, श्री जाफर शरीफ से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषतः असम, मणिपुर और नागालैंड जो बर्मा, चीन तथा बंगलादेश की सीमा के साथ-साथ हैं, के बारे में सोचें। इस कारण इन राज्यों की जनता की सुरक्षा हम सभी के लिए चिंता का विषय है।

महोदय, जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर एक तीसरे पुल का निर्माण किया जा रहा है। परन्तु इसकी प्रगति बहुत ही धीमी है। मैं स्वयं वहां जाकर इस पर निर्माण कार्य प्रगति देखी थी। वहां निर्माण कार्य की गति धीमी है। रेल मंत्री महोदय ने मुझे और कुछ अन्य संसद सदस्यों को आश्वासन दिया है कि जोगीघोपा में तीसरे पुल के निर्माण के बाद ब्रह्मपुत्र पर चौथा पुल बनाया जाएगा। इसलिए जोगीघोपा पुल का शीघ्र निर्माण बहुत जरूरी है और यह निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा ही जाना चाहिए ताकि डिब्रुगढ़ के निकट बोगी बिल में ब्रह्मपुत्र पर चौथे पुल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके।

मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि गुवाहटी से घुबरी तक चलने वाली घुबरी एक्सप्रेस को काफी समय पहले बन्द कर दिया गया है। जनता तथा संसद सदस्यों की मांग है कि इस गाड़ी को शीघ्र ही पुनः चलाया जाना चाहिए। जनता यह भी मांग कर रही है कि बोंगाई गांव फकीरा ग्राम छोटी लाइन को यथाशीघ्र बड़ी लाइन में बदला जाए।

मैं यह भी मांग करता हूं कि उत्तर-सीमांत रेलवे में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए तथा उत्तर-सीमांत रेलवे में तीसरी और चौथी श्रेणी में स्थानीय लोगों को शत-प्रतिशत रोजगार दिया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार के कोई अवसर नहीं है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुरत्तुपुजा) : समय की कमी के कारण मैं केरल की वास्तविक मांगों के संबंध में ही अपने सुझाव दे रहा हूं। रेल मंत्री महोदय ने कोट्टायम से पुनलूर तक रेल लाइन के लिए एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण की अनुमति दी है। मेरा यह अनुरोध है कि अंगमालि से, जहां नया अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनने जा रहा है, रेल लाइन के निर्माण की वास्तविक मांग को, जो करीब पांच-छः वर्षों से स्थगित कर दी गई है, पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा यह सुझाव है और मैं यह निवेदन करता हूं कि रेल मंत्री महोदय ने खंड 21(9) में पेज 14 पर कोट्टायम से पुनलूर तक जिस प्रारम्भिक सर्वेक्षण को अनुमति दी है उसने एरुमेली से अंगमालि तक तथा कालाडी, मुवत्तुपुजा, रानी, पतनमतट्टा जैसे मुख्य केन्द्रों से होकर पुनलूर तक शामिल किया जना चाहिए। इस प्रकार यह वास्तविक मांग है और मुझे विश्वास है कि इस माग को पूरा करने में अतिरिक्त

धनराशि की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रारम्भिक सर्वेक्षण का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और हम सब जानते हैं कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण एक बहुत ही सामान्य बात है। इसलिए इन स्थानों को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं है। इससे केवल तीर्थयात्री सबरीमाला और एरुमेली ही नहीं पहुंचेंगे बल्कि यह रेलमार्ग भाड़ा प्रधान हो जाएगा क्योंकि मदुरै होते हुए कोचीन, चालाकुडी वैल्ट का औद्योगिक क्षेत्र इस रेलमार्ग से जुड़ जाएगा।

3.47 म.प.

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

छोटे रेलमार्गों पर डीजल मल्टीपल यूनिटें शुरु करने के सम्बन्ध में रेल मंत्री महोदय पहले (श्री राम नाईक)ही उल्लेख कर चुके हैं। अब मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि केरल ऐसा स्थान है जो अंत में है जहां से स्लीपर क्लास डिब्बे लगाए जाने के कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि कम दूरी की गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि केरल में डीजल मल्टीपल यूनिटें शुरु की जानी चाहिए। यदि केरल में ऐसी एक या दो अथवा तीन या चार गाड़ियां चला दी जाएं तो, मेरे विचार से, काफी मदद मिल सकती है।

मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री महोदय ने पिछले ...

हमें प्रसन्नता है कि माननीय रेलवे मंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण के साथ-साथ इस बजट भाषण में भी यह दोहराया है कि दिल्ली से मद्रास तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को त्रिवेन्द्रम तक चलाया जायेगा। मैं समझता हूं कि उन्हें मार्ग का उल्लेख भी करना चाहिए था। यह केरल राज्य के लिए भेंट है। अतएवः इस गाड़ी का मार्ग केरल के सभी भागों से होते हुए वाया कोयम्बतूर होना चाहिए। इसे अन्य मार्ग से नहीं जाना चाहिए बल्कि केरल के अन्य भागों से न जाकर सीधे त्रिवेन्द्रम जाना चाहिए।

यदि ऐसी सुविधायुक्त और द्रुतगामी रेलगाड़ी केरलवासियों के लिए है वो मेरा सुझाव है कि यह योजना सही अर्थों में तभी लागू होगी जब सभी रेलमार्गों का विद्युतीकरण पूरा हो जाता है। यद्यपि मंत्री महोदय ने उदारता बरतते हुए इरोड से इरणाकुलम तक के रेलमार्ग के विद्युतीकरण के लिए कुछ धनराशि दी है परन्तु प्रदत राशि बहुत कम है। यह धनराशि 15 करोड़ है और मैं समझता हूं कि इससे 15 कि.मी. मार्ग का ही विद्युतीकरण हो पाएगा। अतएवं सभी मार्गों का विद्युतीकरण शीघ्र करना आवश्यक है अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि हमें यह सुविधा मिल पाएगी।

अपनी बात के अन्त में मेरा कहना है कि केरल के प्रत्येक भाग से यह मांग रही है कि केरल में एक रेल कोच फैक्ट्री लगाई जाय। यह मांग लम्बे समय से रही है और एक बार यह समाचार प्रकाशित भी हुआ था कि केरल को एक कोच फैक्ट्री दे दी गई है, मुझे यकीन है कि रेलवे मंत्री मेरी अन्य मांगों को स्वीकार करेंगे और आखरी मांग को स्वीकार करना उनके लिए भी आसान नहीं है अतः मेरा अनुरोध है कि यह मांग अगले रेलवे बजट के समय पूरी कर दी जाय।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

लच्छेदार भाषा में रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बताया गया है कि जैसे रेल किराये में कोई वृद्धि की ही नहीं गयी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यदि हम आज तक या अगले वर्ष तक का रेल बजट भी ध्यान में रखें तो किराये में 70 से 75 प्रतिशत तक वृद्धि हो जायेगी। यदि आज हम एक रुपया कहें तो उससे बात नहीं बनती क्योंकि शुरू से जो 50 रुपये बढ़ाये गये हैं, उसकी तरफ शायद ध्यान ही नहीं जा रहा है। माननीय रेल मंत्री जो थोड़ा विचार करके देखें क्योंकि उन्होंने कहा है कि 100 किलोमीटर तक के रेल किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी है लेकिन आज हमारे देश की परिस्थिति ऐसी हो गयी है, जैसा कहते हैं कि - "अन्ना साझो दाई दिशा, आमा फिरवी जगदीशा" जिसका तात्पर्य यह है कि इस देश का मजदूर चाहे वह बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, या उत्तर प्रदेश का है, इस देश के एक कौने से दूसरे कौने तक, बम्बई तक अपनी रोजी रोटी की तलाश में, पेट पालने के लिए जाता है और अपनी जान हथेली पर रखकर जाता है। यदि मान लिया जाए कि साल में उसे एक बार अपने घर जाना पड़ता है तो क्या उसे मात्र 100 किलोमीटर का रास्ता ही तय करना पड़ेगा, उससे आगे वह कैसे जायेगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। रेल किराया और माल भाड़े में जो वृद्धि हुई है, हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि वह इसलिए हुई है क्योंकि कई योजनाएं उन्हें पूरी करनी हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज रेलवे से संबंधित जितनी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, अधूरी छोड़ दी जाती हैं, चाहे किसी भी कारण से उन्हें अधूरा छोड़ा जाता है या उनके पूरा होने में विलम्ब होता है, उसकी जगह से योजनाओं के एस्टीमेट में लगातार बढ़ोत्तरी होती जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है।

मैं यहां एक बात और उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगी कि हमारे यहां इन्दौर दाहीद एक रेलवे लाईन है, जो पहले करीब 3 अरब रुपये की योजना थी और उस योजना को बनाते वक्त वहां के ट्राईबल एरिया को ध्यान में रखा गया था, इसके अलावा वहां के कोल कैरीग ट्रैफिक रूट के आल्टरेशन को भी ध्यान में रखा गया था, इतना ही नहीं रेट ऑफ रिटर्न की बात का ख्याल भी रखा गया था, लेकिन आज स्थिति यह है क़ि पिछले 4-5 साल से, 15 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद, गत वर्ष के बजट और इस वर्ष के बजट में उसके लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, कुछ नौमिनल-सा प्रावधान किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब आपने उस रेलवे लाईन पर 15 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और उसका बहुत कुछ काम पूरा भी हो चुका है, फिर क्यों 3 करोड़ रुपये की वह परियोजना आज बंद पड़ी हुई है और अपने खुलने की राह देख रही है। उसके लिए 11 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, 26 करोड़ रुपये सैक्शन हो चुके हैं, इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद और जिसके बन जाने से इन्दौर मकसी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जायेगी, उज्जैन से फिर रिवसिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, इस सारे फायदों के होते हुए भी, जिन फायदों को ध्यान में रखते हुए इन्दौर मकसी रेल परियोजना हाथ में ली गयी थी, मैं पूछना चाहूंगी कि 15 करोड़ रुपया जिस तरह से खर्च कर दिया गया, उसे आप किस खाते में डालेंगे, वह कहां से आयेगा। अंत में तो उसका बोझ इस देश की जनता के सिर पर ही पड़ेगा। किस कारण से वह परियोजना आज ठंडे बस्ते में बंद कर दी गयी है।

सभापति जी, अंत में मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। जितनी योजनाएं लम्बे समय तक अधूरी पड़ी रहती हैं, सालों तक चलती रहती हैं, जैसे इन्दौर में राजकुमार ओवरब्रिज पिछले लगभग 10 साल से बनता आ रहा है लेकिन अभी भी अधूरा है। इन्दौर शहर की स्थिति आज ऐसी हो गयी है और वह इतना बढ़ गया है कि उस जैसे चार स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने जरूरी हो गये है। यानि की योजना सालों-साल चलती रहती है। उसके कारण आगे भी इस प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं···**(व्यवधान)**··· न आप हमें पूरा समय बोलने का दे रहे हैं और न रेल मंत्री हमारे यहां की योजनायें पूरी कर रहे हैं। आप हमें अपना भाषण अधूरा छोड़ने के लिये मजबूर कर रहे हैं और रेल मंत्री हमारे यहां की योजनायें अधूरी छोड़ रहे हैं। हम इस बीच में परेशान हो रहे हैं। इन्दौर की एक भी मांग पूरी नहीं हो रही है। अवन्तिका एक्सप्रैस बम्बई सैट्रल तक पहुंचाने की मांग की थी। इस बीच में राजस्थान से एक गाड़ी जाती है जो बम्बई सैट्रल पहुंचती है, अभी एक नई गाड़ी अहमदाबाद से इंट्रोड्यूस की है जो कि बम्बई सैंट्रल जाती है।

इन्दौर एक व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्र भी है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। आप उसे प्रदेश की राजधानी से जोड़ने का काम करिये। इंटर सिटी लिंक सेवा पूरी नहीं हो रही है। हमने इन्दौर के लिये नई ट्रेन मांगी है। हमारी वह मांग पूरी नहीं की जा रही है। वहां खंडवा-अजमेर 100 साल पुरानी लाइन है। उसमें अमान परिवर्तन की कोई योजना नहीं बनायी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश के लोगों ने और खास करके इन्दौरवासियों ने क्या गलती की है जिस की सजा आप उंनको दे रहे हैं। इन्दौर-दाहोद लाइन मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके के लिये हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों और प्रदेशवासियों ने रेल मंत्री का क्या बिगाड़ा है ? आप इसकी तरफ ध्यान दें। मैं इन्दौर-दाहोद लाइन के लिये एक बार फिर पुरजोर मांग करती हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, वैसे तो रेल बजट पर इतनी लम्बी बहस हो चुकी है कि जो बातें कहूंगा हो सकता है वे बार-बार कहीं गई हों। लेकिन कुछ बातें कहना मैं जरूरी समझता हूं।

सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से रेल के बारे में लापरवाही का दौर शुरू हो गया है। रेल मंत्री कितना भी रेल सेवाओं को सुधारने की कोशिश करें मगर सरकार की नई आर्थिक नीति अपनी रेल को खा रही है। यह चीज सदन को ख्याल में रखनी होगी। जब इस आर्थिक नीति को लेकर आने वाले दिनों में इस सदन में और सदन के बाहर बहस होगी तो उसके बारे में तभी मैं जिक्र करूंगा।

आप दो बातें देख लें। बजटरी सपोर्ट घटते-घटते 18 परसेंट पर आया है। कुल रेल विकास पर पैसा खर्च होना है 6515 करोड़ और बजटरी सपोर्ट है मात्र 1150 करोड़ रुपये। बाहर से लेने वाले कर्ज की राशि 1050 करोड़ है, वह इंडियन रेलवे फाइनान्स कारपोरेशन से आता हो चाहे दूसरे ढंग से आता हो, इसमें हम लोग रेल व्यवस्था की जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। अपने विकास की तो तिहाई रकम रेलवे जो अपनी बचत से इस काम के लिये लगा रहा है वह

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

4315 करोड़ रुपया है। मैं इस बात को सबसे पहले इसलिये कह रहा हूं कि रेलवे पर कई किस्म के हमले होते हैं, ऐक्सीडैंट होते हैं, कितना सारा बिगाड़ या कहीं कोई कमजोरी दिखायी पड़ी तो सभी लोगों को सुनाने की बात होती रहती है, लेकिन यह एक ऐसी संस्था है जो इस राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत और सबसे आवश्यक ढांचे के तौर पर, और इस सबसे मजबूत और आवश्यक ढांचे के बारे में जब सरकार की इतनी लापरवाही है कि वह पिछले एक अर्से से बजट के द्वारा उसको मिलने वाली मदद को आहिस्ता-आहिस्ता घटाकर आज मात्र 18 प्रतिशत पर ला दिया है तो इस पर गुस्सा करना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। वह भी एक ऐसे संदर्भ में कि अगर आप देखेंगे, रेल बजट के इस दस्तावेज में एक्सप्लेनेटरी मैमोरेण्डम के पेज 120 पर तो 1993-94 में भारत की सरकारी रेलों पर सामाजिक दायित्वों का आर्थिक प्रभाव का हिसाब दिया है, फाइनेंशियल इफैक्ट ऑफ सोशल ओब्लीगेशन, यह सरकारी आंकड़ा है, मंत्री जी, आपने ही इस दस्तावेज को यहां पर रखा है, इस दस्तावेज के माध्यम से 2008 करोड़ रुपये केवल फाइनेशियल इफैक्ट ऑफ सोशल ओब्लीगेशन करके सरकार स्वयं कबूल करती है और बजटरी सपोर्ट के माध्यम से मात्र 1150 करोड़ रुपया आता है।

4 म.प.

रेल के साथ हम यह नहीं कहेंगे कि सौतेली मां का व्यवहार हो रहा है, यहां तो जो आज इस देश में अमेरिकी चाहते हैं, उसको करने कराने का जो एक ढांचा बन गया है, उसमें रेल मंत्री जी, आप अपने दिमाग को चाहे जितना चाहें जिस पत्थर पर जाकर ठोकने का काम करें, यह सरकार आपको कुछ नहीं करने देगी। चूंकि इसकी जो नीति है, वह रेल को खत्म करने वाली नीति है। लेकिन इस नीति से जो हानि हो रही है, हमारी सारी अर्थव्यवस्था पर, इसके बारे में हम दो शब्द कहना चाहते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि रेल के विकास के लिए जितनी पूंजी जितनी मात्रा में खर्च होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है और उसके चलते रेल में प्रवास करने वाले जो लोग हैं या माल की ढुलाई का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनको जो परेशानी होती है, वह तो आने वाले दिन में एक तरफ बढ़ती जायेगी और दूसरी ओर रेल की जो आमदनी है, वह घटती जायेगी।

चूंकि मैं आपके पूरे इस बजट को देखते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब रेल केवल एक ही लक्ष्य को अपने सामने रखकर काम कर रही है और वह लक्ष्य है कि कैसे अपनी बुक्स को बेलैंस करें, बजट के प्रस्ताव बेलैंस करें। बजट को बेलैंस करने के लिए जहां से भी, जिस तरह से, जिस क्षेत्र से भी पैसा निकालने का काम करना है, यात्री किराया बढ़ाइये, माल की ढुलाई का पैसा बढ़ा दीजिए, यह दो मुख्य उपाय आपके हाथों में हैं, हर साल इनको बढ़ाते-बढ़ाते बुक्स बेलैंस करने तक आज आप अपने को सीमित रख रहे हैं मगर जो जिम्मेदारी आपने ली थी और मंत्री जी, मैं आपको याद करा दूं कि वह जिम्मेदारी जो आपके कारपोरेट प्लान डाक्यूमेंट में आपने कबूल की थी, 1985 से 2000 ईस्वीं तक, यानि 15 साल के लिए जो कारपोरेट मिशन आफ इंडियन रेलवे का बनाया हुआ दस्तावेज है और जहां तक मुझे याद है तो इसको बनाने में आपका भी योगदान रहा होगा। इसमें आपके कारपोरेट आब्जैक्टिब्ज क्या हैं, आपने उसमें यह कहा था :

[अनुवाद]

"समुचित क्षमता सहित आधुनिक रेलवे प्रणाली होने के लिए अधिकतम इंटर मोडल मिक्स पर आधारित माल दुलाई और यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और प्रणाली की वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाए रखते हुए समाज को कम से कम कीमत पर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना।"

[हिन्दी]

अब इसमें से फाइनेंशियल वायबिलिटी छोड़कर बाकी सारा खत्म हो गया। इस माने में खत्म हो गया कि सफीशिएण्ट कैपेसिटी आपके पास कहां है।

सभापति जी, आप तो बम्बई से आते हैं, हमारा भी बम्बई से रिश्ता है। रेल के अन्दर कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल बम्बई की सब-अर्वन गाड़ियों में होता है, जो सामान्य जीवन में हम लोगों के इस्तेमाल में नहीं आते हैं। जहां सुपर डैन्सिटी होती है यानि एक डिब्बे में अगर सौ लोगों को ले जाने की जगह है तो उसमें 300 लोगों को बैठाना सुपर डैन्सिटी होती है। इन सब-अर्वन गाड़ियों में बैठना कम होता है और खड़ा होना ज्यादा होता है।

इसलिए 100 के स्थान पर 300 लोगों को ले जाते हैं, तो लोग कहां पर सो सकते हैं और कहां पर बैठ सकते हैं। इन डिब्बों में आमतौर पर खड़े होकर यात्रा की जाती है। मंत्री जी को तो इन सब चीजों का अनुभव है, लेकिन मैं। आग्रह करूंगा कि एक बार अपने सहयोगियों को, खासकर मनमोहन सिंह जी को बंबई की सबर्बन ट्रेन में अवश्य घुसेड़ दें, तब ये सुपर डेंसिटी का मतलब जान जाएंगे और पता लग जाएगा कि इन्सान किस तरह से रेलों में यात्रा करते हैं। रेल के अंदर जानवर की फेट डिब्बे में कितनी संख्या में और किस तरह से ले जाना है, इसके लिए तो कानून है, बुकिंग क्लर्क और क्लीयरिंग सुपरवाइजर को सजा हो सकती है, लेकिन इन्सानों के बारे में इस तरह का कोई कानून नहीं है। यह अजीब हालत है। हमने अपनी रेल-व्यवस्था को कहां पहुंचाने का काम किया है, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश आपके बजट में दिखाई नहीं देती है।

इस साल आपने क्या इंतजाम किया है। चाहे बंबई सबर्बन हो, दिल्ली से लेकर पटना या कलकत्ता से लेकर किसी स्थान तक हो, सबर्बन गाड़ियों और दूरी तक जाने वाली गाड़ियों में जहां तक सभी लोगों को स्थान देने का सवाल है, तो आपको एक साल में 3000 कोचेज बनाने होंगे। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मंत्री जी इन्कार कर सकते हैं। और आप बनाने जा रहे है 1600 कोचेज, जिसमें से 200 ई.एम.यू. कोचेज कलकत्ता, बंबई आदि के लिए हैं। इस तरह से सामान्य लोग इस बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जबकि पिछले साल 2139 कोचेज और 308 ई.एम.यू. कोचेज बनाए गए थे और 1992-93 में 2479 कोचेज और 180 ई.एम.यू. कोचेज बनाए गए थे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके बजट पर डंकल का प्रभाव है, यह इस चीज का सुबूत है। इस तरह से आपकी स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसमें आपकी नई आर्थिक नीति का बहुत हाथ है।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

एक और बात को लेकर मैं मंत्री महोदय से शिकायत करना चाहता हूं। पिछले साल भी मैंने इस बात को कहा था और इस बार भी मैं इसको दोहराना चाहता हूं। इस बारे में मोहन सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण बात उठायी है। उन्होंने कहा है कि गेज कनवर्शन हो रहा है लेकिन नई गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। कनवर्शन के औचित्य से हम इन्कार नहीं कर सकते, इसके औचित्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस रफ्तार से आप कनवर्शन कर रहे हैं, इस काम के लिए पैसा दे रहे हैं, उससे थोड़ी परेशानी होती है पहली परेशानी तो यह है कि जितनी नई लाईनें बननी चाहिए, उतनी नहीं बन पा रही हैं, उन पर दिया जाने वाला पैसा प्रति वर्ष घटता जा रहा है। आपके पास 60-61 हजार किलोमीटर रेलवे लाईन है और 18 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक 30 किलोमीटर नई रेल लाईन पर आप 30 लोगों को रोजगार देते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप 1000 किलोमीटर नई रेल पटरी बिछाते, जिस तरह से अंग्रेज करते थे, तो आप कितने लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देते।

हिन्दुस्तान में 1947 तक अंग्रेजों का राज रहा तो इस देश में अंग्रेजों ने हजारों किलोमीटर लंबी रेल पटरी बिछाने का काम किया था। आजादी के 45-46 साल बाद भी हम लोगों ने उसको इतना घटाने का काम किया कि जहां तक बनी हुई थी तो वहीं पर रुक गयी है। रोजगार केवल रेल पर पैदा नहीं होता है। जब रेल के अंदर एक रोजगार पैदा करते हो तो उसका अप-स्ट्रीम, डाउन स्टीम और सर्विस सैक्टर मिलाकर 25 रोजगार पैदा होते हैं। रेल विभाग में इसके आंकड़े हैं और एफ.आई.सी.सी.आई. ने भी इस पर लिखा हुआ है। गेज कन्वर्सन का काम करते हुए आपको रोलिंग स्टाफ चाहिए, लेकिन उसके इंतजाम का पैसा होने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट प्लान में रोलिंग स्टाक के लिए 1992-93 से 1924 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और 1726 करोड़ रुपया आपने व्यवहार से उसको उतारा तो इस साल वहां पर 1750 करोड़ रुपया ही दे पाए हैं। मीटर-गेज को ब्रोड गेज में आप नहीं कर पाये। रोलिंग स्टाक भी आपसे नहीं हो पाया या जो भी आमदनी होनी चाहिए तो उसकी भी घाटे की स्थिति बन रही है। मेरी प्रार्थना है कि उतना बढ़िया काम जो आपने हाथ में लिया है तो उसका एक ऐसा ढांचा बनना चाहिए जो फायदा करने वाला हो घाटा पहुंचाने वाला न हो।

एक तो सुपरफास्ट गाड़ियों का सिलसिला चला है। हम सब लोगों के दिमाग में है कि राजधानी गाड़ी चलनी चाहिए और हमारे यहां रुकनी चाहिए। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सुपरफास्ट गाड़ी तीन पैसेंजर गाड़ियों को बगल में जाने से रोक देती है। हिन्दुस्तान में आज गरीब इन्सान के पास देश के किसी भी कौने में जाने के लिए रेल के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम सब के दिमाग में सुपर-फास्ट और राजधानी गाड़ियों का भूत चढ़ गया है जिसकी वजह से देश के अन्य मुसाफिरों को आने-जाने में तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं माल-गाड़ियों के आवक-जावक में भी इसी प्रकार की हरकत हो जाती है जिससे साईड-लाईन करने का काम उनका हुआ करता है। ऐसे सवाल पर ठीक ढंग से बहस होनी चाहिए। सरकार भी आजकल बदलती जा रही है। जैसे-यहां वाले उधर जाते हैं और वहां वाले इधर आते हैं लेकिन यह लोगों की सुविधाओं का प्रश्न है जिस पर गंभीरता से सोचना आवश्यक है।

बिहार की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे साथी श्री मोहन सिंह ने भी छितौनी-बगहा के बारे में सवाल उठाया था मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने छितौनी-बगहा के काम को हर तरह से सहयोग देने का काम किया इसलिए वह काम लगभग पूरा होने की स्थिति में आ गया है। आपके मंत्रिमंडल के मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल, जल संसाधन मंत्री हैं जिनके जल संसाधन विभाग ने 70 करोड़ रुपया देना था, लेकिन उसमें से छितौनी-बगहा के काम के लिए एक पाई अभी तक नहीं मिली है। चूंकि उनको पैसा नहीं मिला है इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश को भी पैसा नहीं मिला है। सड़क के पुल का जो सवाल है वह हल होना मुश्किल हो जायेगा, अगर जल संसाधन मंत्री से और दो सरकारों से पैसा नहीं मिलता। कोंकण रेलवे का काम है वहां भी रुकावट हो सकती थी, लेकिन मैं मंत्रीजी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस पर आपने गौर किया है। गोवा के इलाके के ही एक व्यक्ति को जिसने एक डेढ़ साल तक इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की और 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान भी रेलवे को हुआ, फिर भी उसको आपके प्रधान मंत्री ने अपनी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मंत्री बनाया हुआ है। आज गोवा का मामला हल हो रहा है। हमें खुशी है कि अगले साल तक यह हल हो जायेगा। मगर बिहार को इस बजट में आपने ऐसे कर दिया है कि जैसे वह है ही नहीं। गंगा के पुल का सवाल हो, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। जोनल आफिस के बारे में हम लोग एक भूमिका लेकर बैठे थे कि एक आफिस खोलने में दो करोड़ रुपये खर्च होंगे और हमारे दिमाग में यह भी था कि यह पैसा दफ्तर पर लगे या दो सौ किलोमीटर लाइन बनाने पर लगे। लेकिन आपने एक नीति के तहत फैसला किया है तो बिहार में जोनल आफिस बनना चाहिए। कमला पुल की बात हो या जमालपुर के वर्कशाप की बात, हो जिसका जिक्र हमारे बिहार के साथी ने भी किया। इनके ऊपर भी आपको देखना चाहिए। उस वर्कशाप की पूरी योजना आपके पास है जो कि 59 करोड़ रुपये की है। उसके अमल के लिए इस बजट में केवल दो लाख रुपये मिले हैं। इतने पैसे में तो एक जीप भी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए उसको इन्साफ मिलना चाहिए। वह कार्यशाला ऐसी है कि हिन्दुस्तान का रेल का सबसे पुराना इंजीनियर हो या अब का हो सभी लोग उसके लिए तैयार हैं। यह वर्कशाप ज्वेल इन दि क्राउन है। एक जमाने में इसका बड़ा नाम था और आज वह लाचारी की हालात में पड़ी हुई है और बन्द होने की अवस्था में है।

हम चाहते हैं कि बिहार में रोजगार को मद्देनजर रखकर राज्य पर अधिक पैसा खर्च करने का काम करें। समस्तीपुर-दरभंगा के लिए जो इस साल पैसा दिया है वह दस करोड़ रुपये है। भारत सरकार का कुल खर्च 29 करोड़ रुपये का है। आपको इसमें अधिक पैसा देना चाहिए। इस साल इसको खत्म करने की तरफ कदम उठाये तो उत्तर बिहार का कल्याण होगा, जिसका मतलब पूरे बिहार का कल्याण है। छितौनी-बगहा पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। राजगिरी से लेकर बौद्धगया, नालन्दा, वैशाली ये इलाके ऐसे हैं जहां पर सारे संसार से बौद्धिस्ट अपना तीर्थस्थान समझ कर आते हैं। उनके लिए रेल की आवश्यकता है, वह आपको पूरी करनी चाहिए। बिहार बुद्ध की धरती है उसको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए। क्योंकि इसको देखने के लिए जापान ही नहीं अन्य देशों से भी लोग आते हैं। उनकी जो समस्यायें हैं उनको हल करने के लिए रेल की वहां व्यवस्था करनी चाहिए।

हाकर्स के बारे में आप एक काम करें। मैंने कोशिश की कि उनकी समस्या का हल निकले।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

वे दस रुपये देने के लिए तैयार हैं, बीस रुपये देने के लिए तैयार हैं। वे काम करते हैं मगर क्या होता है कि उनको पकड़ा जाता है। और पुलिस उनकी पिटाई करती है, पुलिस उनसे घूस लेती है और फिर दूसरे दिन उनको जाने देती है और एक हफ्ते बाद फिर पकड़ती है और फिर वही चक्र चलता रहता है। मैं इस काम को करने वाला था लेकिन कई प्रकार की आपत्तियां आ गईं, कानूनी दिक्कतें आ गईं और वह सब दुरुस्त करने से पहले हम सड़क पर आ गए। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि लाखों लोगों के पेट का यह सवाल है और लाखों लोगों के पेट का सवाल और देश में भ्रष्टाचार को, घूसखोरी को कम करने का मौका है चूंकि उनसे पैसा लेकर जो रोज़ उनको तंग करने का सिलसिला है यह खत्म हो। रेल को कुछ पैसा इससे मिलेगा और उनको इसके लिए लाइसेंस दिये जाने चाहिए। आप उनकी परेशानी को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और हो सके तो अभी अपने जवाब में मंत्री जी इस बारे में बताएं, इन्हीं शब्दों के साथ आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : चार बजे रेल मंत्री ने जवाब देना था। जिन लोगों ने पहले से नाम दे रखे हैं ऐसे पांच नाम मेरे पास हैं। अगर वह दो मिनट में अपनी बात करेंगे तो फिर रेल मंत्री जी को कहा जा सकता है कि कुछ देर से वह जवाब दें। लेकिन दो मिनट से अधिक समय सदस्य लेंगे तो मुश्किल हो सकती है इसलिए सदस्य दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

[अनुवाद]

डा. के.वी.आर. चौधरी (राजमुदंरी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

माननीय रेलवे मंत्री से दो वर्ष पूर्व अपने रेलवे बजट भाषण में विशाखापटनम से विजयवाड़ा के मध्य रेलमार्ग के विद्युतीकरण को मजूंरी दी थी। परन्तु पिछले बजट में भी, उन्होंने बजट से कोई धनराशि नहीं दी थी।

इस वर्ष के बजट भाषण में भी काकीनाड़ा-कोटीपल्ली रेललाइन रेलवे लाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस लाइन के बारे में हाल ही एक सर्वेक्षण किया गया था और इसका निष्कर्ष था कि इससे 14.81 प्रतिशत लाभ प्राप्त होंगे। यह रेलमार्ग अर्थक्षम भी होगा।

मैं रेल मंत्री से इसे मंजूर करने और उस पर सहानुभूति से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैंने कोथागुडम कवूर रेलमार्ग का सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है। इसका सर्वेक्षण 1950 में किया गया था। अब तक, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वाया कोथागुडम और विजयवाड़ा के मध्य यातायात की भीड़ और भारी सामान की आवाजाही होती है। यदि यह रेल लाइन बिछाई जाती है तो यह कम खर्चीली सिद्ध होगी और यह राजामुन्द्री तक की 60 कि.मी. की दूरी और इससे आगे की दूरी को कम कर देगी।

अतः माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कोथागुडम-कावूर लाइन का सर्वेक्षण कराएं।

मेरा रेल मंत्री से यह भी अनुरोध है कि विशाखापत्तनम् मंडल और विजयवाड़ा मंडल के मध्य बेहतर समन्वय हेतु विशाखापत्तनम् मंडल का दक्षिण केन्द्रीय रेलवे में विलय कर दें।

माननीय रेल मंत्री से यह भी अनुरोध है कि मद्रास राजधानी एक्सप्रेस को यदि रोजाना सम्भव न हो सके तो कम-से-कम सप्ताह में तीन बार कर दिया जाय।

मैंने निडदवोलु स्टेशन पर रेलवे गेट प्रदान करने का अनुरोध किया था जिस पर विचार नहीं किया गया। अपने चुनाव क्षेत्र रेलवे स्टेशन के सुधार और आश्रय स्थल के लिए भी अनुरोध किया था। मैंने माननीय रेल मंत्री से प्रत्येक वर्ष के बजाय तीन या चार वर्ष में एक बार किराया बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुझे आशा है कि अगले वर्ष से रेल मंत्री परम्परानुसार रेल के किरायों में वृद्धि प्रत्येक वर्ष के बजाय तीन या चार वर्ष में एक बार करेंगे।

4.26 म.प.

(श्रीमती सन्तोष चौधरी पीठासीन हुईं)

राजमुंद्री और बम्बई; नरसापुर और विशाखापत्तनम के मध्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के मध्य इंटर सिटी एक्सप्रेस; विशाखापत्तनम और नई दिल्ली के मध्य एक सुपरफास्ट चलाने के बारे में पहले मुझे आश्वासन दिया गया था क्योंकि लिंक एक्सप्रेस 2100 कि.मी. की दूरी के लिए 41 घंटे लेती है। मैंने पहले भी एक्सप्रेस ट्रेन के हाल्ट शुरू करने के लिए अभ्यावेदन दिये हैं जैसे दिल्ली-हावड़ा रेलगाड़ी का हाल्ट द्वारापुडी, इस्टकोस्ट एक्सप्रेस; विशाखा एक्सप्रेस का द्वारापुडी पर, कोणार्क एक्सप्रेस का अनापरती, कोव्वूर और गोदावरी स्टेशनों पर। परन्तु उन्होंने हमारे अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया है।

आगे, अनपर्ती स्टेशन के आई.एम.टी.डी. जंक्शन के समीप राजमुंद्री पर दो महत्वपूर्ण उपरि-पुलों या पुलों की आवश्यकता है। माननीय रेल मंत्री से इन मांगों पर विचार करने का अनुरोध करती हूं और मुझे आशा है कि वे इन पर सहानुभूति से गौर करेंगे इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, मैं पहली बार रेलवे बजट पर बोल रहा हूं और अभी तक, अपने पूरे संसदीय जीवन में रेलवे बजट पर नहीं बोला हूं। आज मुझे कुछ जरूरी बात कहनी है और इसलिये कभी-कभी पुरानी परम्पराओं को तोड़ना पड़ जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रेल मंत्री जी ने इस देश में एक बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने सारी छोटी लाईनों को बड़ी रेल लाईनों में परिवर्तित करने का फैसला किया है। इस फैसले को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं जिसका सारे देश ने स्वागत किया है। मेरी दरख्वास्त रेल मंत्री जी से होगी कि इस काम के लिये वे कोई सीमाबद्ध तरीके से एक निश्चित समय निर्धारित कर लें कि दो पंचवर्षीय

[श्री चन्द्रजीत यादव]

योजनाओं के अंदर, साधन एकत्रित करके, साधन जुटाकर, प्लानिंग कमीशन से बात करके, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से बात करके, जितना जल्दी हो सके, इस काम को पूरा कर लें। मैं उनका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां मेहरबानी करके रेल मंत्री जी पिछले दिनो गये थे और हमारे अनुरोध पर उन्होंने साहबगंज से आजमगढ़ होते हुए मऊ तक जाने वाली छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करने के काम का शिलान्यास किया था और अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से सारा जिला उमड़कर शिलान्यास समारोह के मौके पर, रेल मंत्री जी को सुनने के लिये आया था। उसका कारण था कि आजादी के बाद सबसे बड़ी मांग उस इलाके की यही थी कि इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित कर दिया जाये। वहां स्वयं रेल मंत्री जी ने घोषणा की थी और रेलवे बोर्ड के एक सम्मानित सदस्य ने भी कहा था कि एक साल के अंदर, सन् 1994 तक, इस छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित कर दिया जायेगा, गेज परिवर्तन का काम पूरा कर लिया जायेगा लेकिन आज मुझे अफसोस इस बात का है कि एक ही स्वर से कभी प्लानिंग कमीशन कहता है कि पूरा रुपया हमसे ले लीजिये, फिर इस काम को शुरू कीजिये।

कभी रेल मंत्री ने इसको इस बजट में रख दिया कि जब प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति मिलेगी तो मैं इसे करूंगा। मेरा अनुरोध है कि आपने देश की जनता को वचन दिया है कि 1994 में उस लाइन का काम पूरा होगा, तो उसे पूरा करिये। इससे वे जिले लाभान्वित होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। माधवन और बलिया का नाम केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि इंग्लैंड की संसद में भी गुंजता था। यह वह पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहां केरल के बाद सबसे ज्यादा आबादी का धनत्व हमारे यहां है और ये सबसे गरीब जिले हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि इस काम को तरजीह देते हुए प्राथमिकता से इसको किया जाए, तो बलिया, गोरखपुर आदि जिलों को विकास का अवसर मिलेगा।

महोदय, शाहगंज का जो जंक्शन है, इसकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इस बारे में मैंने रेलवे बोर्ड को लिखा था, लेकिन कोई विशेष असर नहीं हुआ। दिल्ली से लखनऊ, फैजाबाद, शाहगंज होते हुए वाराणसी तक सारी गाड़ियां रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए मुगलसराय जाती हैं, लेकिन यह पूरा का पूरा इलाका, वाराणसी, शाहगंज, अयोध्या आदि का इलाका सारा का सारा अछूता रह जाता है। यहां के लोग सिंगापुर और मलेशिया अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जाते थे। अब भी दिल्ली सिंगापुर और कई अरब कंट्रीज में गए हुए हैं। लेकिन उनके आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए भी कोई तबज्जुह दीजिए। जो ट्रेनें चलती भी हैं, उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है। आप टायलेट देख लीजिए, गंदी मिलेगी। डिब्बे टूटे मिलेंगे। इन सब में सुधार कीजिए।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दक्षिण भारत की तरह से हर ट्रेन में एक इलैक्ट्रीशियन जरूर चलना चाहिए जिससे यदि किसी डिब्बे में लाइट नहीं हो, तो लाइट तुरन्त पहुंचाई जा सके। लाजमी तौर से एक इलेक्ट्रीशियन का होना जरूरी है। जहां पर ट्रेन 10 मिनट से ज्यादा रुके वहां पर सफाई कर्मचारी हर डिब्बे में जाकर सफाई करे। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें अपने नियमनित

समय पर चले और निर्धारित अवधि में स्टेशनों पर पहुंचे। इस विषय में कहा बहुत गया है, लेकिन पैसेंजर दोनों में सुधार कोई नहीं हुआ।

अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने व अन्य बिहार के साथियों ने जो बातें कही हैं कि ठीक हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इसी प्रकार से गया से राजगिरी जो तीर्थ यात्रियों का एक बहुत बड़ा केन्द्र है, उसको रेल से जोड़ने का काम होना चाहिए। बिहार के हमारे साथियों का जो कहना है, उसके बारे में आपने और प्रधान मंत्री जी ने भी आश्वासन दिए हैं उनको पूरा करना चाहिए। बिहार में ट्रेनों की बहुत कमी है और काफी बड़ा इलाका है जो ट्रेनों से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। बिहार के वे क्षेत्र जो ट्रेनों से नहीं जुड़े हैं, वे उभरते हुए क्षेत्र हैं वहां बहुत सम्पदा है, वहां बहुत मिनरल है, लेकिन ट्रेन से जुड़े न होने के कारण वे अपना और क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अगर बिहार का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने निजी तौर पर काफी परिश्रम किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ और फैसले कर लिए जाएं, तो यह रेल जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलों में अपना स्थान रखती है, वह ज्यादा सक्षम और गतिशील तथा आधुनिक ट्रेनें बन सकेंगी।

(इति)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदया, श्री साल्व साहब पर शून्यकाल में आरोप लगा है और उस पर कहा था कि आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, तो क्या आप दे रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : आप जब चाहें, हम तैयार हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : जीरो आवर की बाबत मंत्रीं जी ने जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना था, वह कब दे रहे हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : आप जब कहें, मैं तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु (भन्डास सेन्ट्रल) : महोदय, सर्वप्रथम मैं छोटे से माननीय रेल मंत्री द्वारा बड़ा से रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। परन्तु साथ ही मैं रेलवे बजट की चर्चा में प्रायस्थित के बजाय क्षोम के साथ भाग लेना चाहूंगा। आज मैं तमिलनाडु के साथ लगातार हो रहे अन्याय के प्रति क्षोम के साथ बोल रहा हूं तथा तमिलनाडु के साथ धनराशि, नई रेल लाइनें और अन्य रेलवे विकास परियोजनाएं के आवंटन के मामले में भी तमिलनाडु के साथ किए जा रहे अन्याय के प्रति मुझे क्षोम है। यह बड़े दुख की बात है कि निधियों के आवंटन का ग्राफ प्रतिवर्ष नीचे गिरता जा रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय रेल मंत्री ने तमिलनाडु के हितों की पूर्ण उपेक्षा की है यद्यपि वे हमारे पड़ोसी हैं और तमिलनाडु में विशेष रूप से नागौर दरगाह अवसर आते हैं। मैं नहीं जानता हूं और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि नागौर-बंगलौर रेल लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया है और अपने पसंदीदा यात्रा केन्द के लिए धनराशि का आवंटन क्यों नहीं किया है। मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देना चाहूंगा **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : एक ओर तो आप उन्हें बधाई दे रहे हैं दूसरी ओर शिकायत भी कर रहे हैं।

श्री आर. अन्बारासु : जहां भी अच्छी बातें हैं, वहां मैं उनको बधाई दे रहा हूं और जहां भी मैं कुछ कमियां पाता हूं तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें उनकी जानकारी में लाऊं।

माननीय रेल मंत्री ने 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों में 12 नई रेल गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तमिलनाडु में एक भी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है। रेल लाइनों के दोहरीकरण के संबंध में भी यही स्थिति है रेलवे बजट में चार रेल लाइनों के दोहरीकरण का प्रस्ताव है लेकिन तमिलनाडु में एक भी लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव नहीं है।

महोदया, मैं मध्य मद्रास का रहने वाला हूं जहां उत्तम किस्म के सवारी रेल डिब्बे बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित भारतीय कोच फैक्ट्री (आइ.सी.एफ.) स्थित है। भारतीय कोच फैक्ट्री को रेल डब्बों के निर्यात हेतु अनेकां बार अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्राप्त हुई। लेकिन यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भारतीय कोच फैक्ट्री के लिए बहुत ही कम रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि आर.सी.एफ. तथा व्हील एण्ड एक्सल प्लांट के लिए भारी रकम आवंटित की गई है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक भारतीय कोच फैक्ट्री को 1150 सवारी रेल डिब्बे बनाने का आर्डर था जिसे एकाएक घटा कर 750 कर दिया गया है। यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है, लेकिन मुझे इसके कारण की जानकारी नहीं है। जब मैंने महोदय से मिलकर उन्हें कठिनाइयों से अवगत कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि कोचों के लिए आर्डर नहीं हैं। जब रेलवे लाइनों का छोटी लाइन से बड़ी लाइनों में बदलने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तो निश्चय ही अधिक कोचों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं उनके मंतव्य से सहमत नहीं हूं। मैं मंत्री महोदय से शीघ्र ही कोचों के सामान्य उत्पादन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

अब भारतीय कोच फैक्ट्री को कन्टेनर्स के निर्माण के लिए आर्डर दिए गए हैं। लेकिन भारतीय कोच फैक्ट्री जैसी बड़ी संस्था के लिए कन्टेनर्स का बनाया जाना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से कोचों, वह भी कपूरथला स्थित आर.सी.एफ. की तरह तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित कोचों, के निर्माण हेतु आर्डर देने का अनुरोध करता हूं। मुझे लगता है कि भारतीय कोच फैक्ट्री को बदनाम के लिए व्यवस्थित प्रयास हो रहे हैं। इस फैक्ट्री ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के गत चार महत्वपूर्ण दशकों में देश की अविचल रहकर सेवा की है। मैं यहां स्पष्ट रूप से भेदभाव तथा इस एकक को विखंडित करने के प्रयास को देख रहा हूं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी मांग पर विचार करें तथा रेल सवारी डिब्बों के निर्माण हेतु और मांग प्रस्तुत करें। जहां कपूरथला के आर.सी.एफ. को कोचों के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये तथा बंगलौर के व्हील एण्ड एक्सल प्लांट को 12 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं भारतीय कोच फैक्ट्री को मात्र 1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह स्पष्ट भेद-भाव है और यह आवंटन ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। भारतीय कोच फैक्ट्री में चौदह हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इसकी अनदेखी हो रही है। आपने पूरे भाषण के दौरान मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ कहना भूल गए हैं।

मद्रास के एम.आर.टी.एस. रेलवे लाइन के अन्तर्गत केवल बारह किलोमीटर की दूरी कवर की जाती है। इस परियोजना की शुरूआत 1983 में हुई। राशि के थोड़े-थोड़े आवंटन के कारण यह परियोजना गत ग्यारह वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकी। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से और अधिक राशि के आवंटन, अर्थात् 55 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि का आवंटन करने का अनुरोध करता हूं ताकि एम.आर.टी.एफ. परियोजना का काम पूरा किया जा सके। उन्होंने विकास हेतु इस वर्ष कुछ नयी परियोजनाओं की शुरूआत की है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने पांच सेक्सनों में आमान परिवर्तन का कार्य किये जाने की घोषणा की है, इनमें से दो कर्नाटक में हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। मैं अब दूसरे सदस्य को बुलाऊंगा।

श्री अन्बारासु इरा : महोदया, एक बात और कहनी है। हम लोग चाहते हैं कि मद्रास से दिल्ली के बीच एक नई राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए। यदि उन्हें त्रिवेन्द्रम से प्यार है तो वहां राजधानी एक्सप्रेस हेतु अलग से लाइन हो। टेम्पल ट्रेन के बारे में रेल मंत्री से मिला हूं और मुझे आशा है कि अपने जवाब के दौरान वे स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : पिछली शाम से आज सुबह 9 बजे तक हम लोग उपस्थित थे। यदि सदस्यगण बहस में हिस्सा लेने को उत्सुक थे तो उस समय इन्हें यहां होना चाहिए था। यदि कुछ ही सदस्यों को अपवाद स्वरूप बोलने का मौका दिया जाए तो, इस बात को कोई भी समझ सकता है। लेकिन यदि आप बहस जारी रखना चाहते हैं तो यह बात मुझे समझ में नहीं आती।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत ही मुश्किल है, सदस्यों को सहयोग देना चाहिए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं माननीय रेल मंत्री के द्वारा अभी कही बात में, मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। आज जब रेल बजट पर पुनः चर्चा शुरू हुई उस समय राजनीतिक दलों के बहुत से प्रतिनिधियों से हम लोगों ने विचार-विमर्श किया। हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माननीय रेल मंत्री 4 बजे अपराह्न में उत्तर देंगे। इसके बाद जम्मू-काश्मीर एवं मणिपुर के बजट पर चर्चा होगी जिसे हम लोगों को 8 बजे तक पारित कर देना होगा। अतः मैं अनुरोध पूर्वक कहता हूं कि हम लोगों को काम जल्द निपटाना होगा।

सभापति महोदय : अब सिर्फ दो वक्ता रह गये हैं और उनमें से प्रत्येक को मैं दो मिनट का समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चुन चुन प्रसाद यादव (भागलपुर) : सभापति महोदया, हमारे नेता चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि हमारे रेल मंत्री जी ने रेल बजट को बनाने में काफी मेहनत की लेकिन हम को लगता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के लिये ही परिश्रम किया, पूरे देश का ख्याल करके बजट नहीं बनाया। पूर्वी क्षेत्र और खास करके बिहार की उपेक्षा की गई। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं।

[श्री चुन चुन प्रसाद यादव]

"साकी ने भर कर जाम दिया सब को वज्म में,
सागर जो हमने मांगा तो शीशा हिला दिया"

समय कम है। इसलिये मैं अपने क्षेत्र की ही बात करूंगा। मेरा भागलपुर क्षेत्र है। भागलपुर से मंदार हिल तक एक रेल गाड़ी चलती है। मैं चाहता हूं कि उसे देवघर तक बढ़ा दिया जाये। यह लोगों के लिये बहुत उपयोगी होगा और वाणिज्य के हिसाब से भी लाभप्रद होगा। देवघर बिहार का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है।

भागलपुर से विक्रमशीला एक्सप्रेस चलती है। आगे पटना में वह मगध एक्सप्रेस हो जाती है लेकिन लौटने पर पटना में ए.सी. और पैंटरी कार को काट दिया जाता है। क्या आपने इसका सर्वेक्षण कराया है ? क्या पटना के बाद कोई ए.सी. में चढ़ने लायक आदमी नहीं रहता है ? मेरी मांग है कि ए.सी. और पैंटरी कार को भागलपुर तक ले जाया जाये। एक गाड़ी 4056 डाउन भागलपुर होकर गोहाटी जाती है जिस को ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस कहते हैं,

कहलगांव एक सब डिवीजन टाउन है और कहलगांव जहां एनटीपीसी का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा संयंत्र है, वहां काफी लोग रहते हैं ही, साथ ही बहुत से स्कूल, कालेज भी हैं। इसके अलावा जो एनटीपीसी के लोग हैं, सबों को बड़ी कठिनाई होती है इसलिए ब्रह्मपुत्र मेल को कहलगांव में भी रोका जाय।

दूसरी बात हम यह चाहते हैं कि एक नई गाड़ी भागलपुर से और चलाई जाय दिल्ली के लिए क्योंकि भागलपुर में रेशम का बहुत बड़ा कारोबार है। भागलपुर पुराना शहर है, कमिश्नरी टाउन हैं और महाभारत काल में कर्ण का यही अंग देश था। वहां रेशम का कारोबार है और वहां से करोड़ों रुपये का रेशम का निर्यात होता है। भागलपुर मुंगेर में गंगा पर रेल पुल बनाया जाए ताकि उत्तर भारत ही नहीं, नेपाल तक से भी काफी लोगों का कारोबार हो सके।

एक डी.एम.यू. गाड़ी जमालपुर तक चलती है, उसको कम से कम भागलपुर तक चलाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदया, मैं बहुत ही भारी मन से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि अंत में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे बोलने का मौका न मिल सके। दल से हम लोगों ने कई सदस्यों की अनेकों शिकायतें सुनी हैं। इससे भारतीय रेलवे के प्रशासन तथा संचालन में कितनी अधिक खामियां हैं इसका पता चलता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि माननीय मंत्री जी सदस्यों की शिकायतें सुनते समय एक अजीब आनंद का अनुभव ले रहे थे। हम लोगों ने आमान परिवर्तन की बात सुनी है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि आवश्यकता सही मायनो में रेलवे प्रशासन के दृष्टिकोण तथा यात्रियों के प्रति इसके नजरिए को बदलने तथा रेलवे प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन करने की है।

अब मैं यह मानने लगा हूं कि रेलवे बजट के प्रस्तुत किये जाने का मतलब यात्री तथा माल भाड़े में वृद्धि किया जाना है। इसके आलावा, माननीय रेल मंत्री के बजट-भाषण में रेलवे प्रशासन में कैसे सुधार किया जाए उसके लिए कोई नई दिशा नहीं मिलती। हम लोगों को माननीय रेल मंत्री द्वारा पूंजी कोष बनाए जाने की बात सुनने का पहले-पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने पूंजी कोष में 1950 करोड़ रुपये जमा करने का आश्वासन दिया है जिससे भविष्य में ढांचागत विकास किए जाने की आशा नजर आती है। जहां तक हमारे चुनाव-क्षेत्र अथवा मेरे राज्य कर्नाटक का प्रश्न है, मैं उसके लिए कोई विशेष मांग नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा, हालांकि अन्य कई सदस्यों को उनसे शिकायत है। कर्नाटक में रोज आने-जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों की तरफ श्री जाफर शरीफ ने पहले-पहले ध्यान दिया है। मैं मंत्री महोदय से अपने चुनाव क्षेत्र जिसका कुछ हिस्सा पहाड़ी है तथा जिसे कोडागु जिला कहते हैं मैं नयी रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराए जाने की मांग करता रहा हूं। यह बाग बगीचों के दृष्टिकोण से सम्पन्न क्षेत्र है चूंकि जहां कॉफी की खेती होती है और कॉफी के निर्यात से देश अत्यधिक विदेशी मुद्रा अजित करता है। इस बार रेल बजट में चिकमंगलूर तथा सकालेशपुर के बीच बरास्ता बेलूर नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराये जाने की बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कोडागु में भी सर्वेक्षण कराने का आर्डर शिघ्र जारी करें ताकि सकालेशपुर से आगे मैसूर तक रेल लाइन को बढ़ाया जा सके। इसी अनुरोध के साथ मैं रेल मंत्री जी को कर्नाटक पर विशेष कृपा रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि बजट में उद्धृत प्रावधानों को शिघ्रातिशिघ्र निर्धारित समय के अन्दर सभी संबंधित लोगों के संतुष्टि के अनुरूप पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदया, मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने 1994-95 के लिए रेल बजट तथा 1993-94 की पूरक मांगों पर बहस में भाग लिया। माननीय सदस्यगण ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और अति महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं जैसे माल भाड़ा और यात्री भाड़ा में वृद्धि के प्रभाव, उपनगरीय सेवा में, सुरक्षा, रेल सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार, समान रेल लाइन नीति, शुरू किए जाने वाली परियोजनाएं और अन्य बातें। मैंने उनके सभी सुझावों साथ ही उनकी चिंताओं पर गौर किया है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि उन सभी पहलुओं पर मैं विशेष ध्यान दूंगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि रेल संबंधी संसदीय स्थाई समिति भी अनुदान मांगों का विस्तृत जांच कर रही है। उचित समय पर हमें उनकी रिपोर्ट का लाभ मिलेगा। अतः मैं चर्चा का विस्तृत उत्तर उसके बाद देना चाहता हूं। इस समय जबकि यह सम्मानित सभा 1994-95 के अनुदान मांगों पर मतदान करा रही है इसलिए मैं अभी सभा के विचारार्थ रेल विभाग की अविलम्बनीय आवश्यकताओं तक ही सीमित रहूंगा।

महोदया, लेखानुदान को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है ताकि आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दो माह के रेल खर्च को वहन किया जा सके और पूरे वर्ष के अनुदान मांगों पर बाद

[श्री सी.के. जाफर शरीफ]

में विस्तृत चर्चा करके पारित किया जायेगा। यद्यपि बजट के प्रस्तावित इस वर्ष की किसी भी नई सेवा पर तब तक कोई खर्च नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुदान मांगों को स्वीकृति नहीं दे दी जाती।

1993-94 के अनुपूरक अनुदान मांगों को सामान्य राजस्व को देय लाभांश की अतिरिक्त राशि को पूरा करने तथा आवश्यक नए कार्यों पर खर्च करने, जिस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, के लिए प्रस्तुत किया गया है।

महोदया, वास्तव में वर्ष 1994-95 के एक भाग के लिए व्यय एवं चालू वर्ष 1993-94 में रेलवे के लिए आवश्यक और राशि उपलब्ध कराने हेतु सभा से आग्रह करने से पूर्व मैंने यह सोचा था कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दे दूंगा। फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि हमें स्थाई समिति को भी पहलुओं पर विचार करने का मौका देना चाहिए। चर्चा को सुनने के बाद सरकार का भी कोई दृष्टिकोण बनेगा। स्थाई समिति के सिफारिश मिल जाने हमारे लिए तथा सभा के लिए भी किसी निर्णय पर पहुंचना आसान हो जाएगा। चूंकि हमारे प्रिय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां पर हैं अतः मैं उनके द्वारा उठाए गए एक दो-मुद्दों का जवाब देना चाहूंगा।

मैं उनके द्वारा की गई प्रशंसा के प्रति आभारी हूं। वास्तव में यदि मैंने कुछ करने का प्रयास किया है तो ऐसा नहीं है कि यह मैंने किया है। मुझे विश्वास है कि यदि उन्हें अवसर मिलता तो वह भी वही करते जो मैंने किया है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि--चाहे हम सभा के सत्ता पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में--सभी जन प्रतिनिधियों को स्वभाविक तौर पर विकास में रुचि होगी।

गत वर्ष श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सुबह पांच बजे भाषण दिया था। गत रात्रि, हमें उनकी अनुपस्थिति खल रही थी, यद्यपि हम सुबह चार बजे तक बैठे रहे। आज फिर 2 बजे से ही चर्चा चल रही है। इससे क्या पता चलता है ? इससे यह पता चलता है कि संसद सदस्यों की अपने क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के प्रति सक्रिय रुचि है। जिस किसी पर भी उत्तर दायित्व का भार होता है उसे सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। मेरा यह मानना है कि निवेश के मामले में विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जो भी हो, श्रीमती गांधी के कार्यकाल के दौरान मुझे कनिष्ठ मंत्री के तौर पर इसी मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला था। अतः इस व्यवस्था के साथ कार्य करने का मुझे थोड़ा अनुभव था। श्री जार्ज फर्नान्डीज को यह आंशका थी कि नोट वर्थ में वृद्धि हो रही है परंतु रौलिंग स्टाक कहां है। पूरी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि शायद उन्हें समय मिलता तो वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकने के लिए मेरी तुलना में और भी कठिन प्रयास करते। रौलिंग स्टाक की कोई कमी नहीं है। हां, केवल विद्युत इंजन की कमी है। एक शिकायत यह है कि हमने विद्युतीकरण पर पर्याप्त निवेश नहीं किया है। कारण अत्यंत मामूली है। हमारे पास कर्षण हैं परन्तु विद्युत इंजन नहीं हैं। विद्युत कर्षण वाले क्षेत्र में भी हम डीजल इंजन चला रहे हैं। आप सभा सदस्यों की भावना देखें। वे विकास कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हमारी सरकार ने नई आर्थिक नीति नई औद्योगिक नीति के संबंध में निर्णय लिया है। अन्य सदस्यों के

दृष्टिकोण जो भी हो—उनका इस नई आर्थिक नीति एवं नई औद्योगिक नीति के बारे में अपना दृष्टिकोण होगा, प्रत्येक राज्य देश के प्रत्येक क्षेत्र को उनका लाभ मिलना चाहिए। इसी कारण जब मैंने यह पाया कि वर्तमान रेल मार्गों पर पर्याप्त गाड़ियां हैं, जब यह महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क तीन वैकल्पिक मार्गों को तलाश रहा था—तब हमने सामान्य रेल लाइन नीति शुरू की। यह निर्णय मैंने नहीं लिया। मैं तो आम आदमी ठहरा। ये वही तकनीकी जानकार लोग हैं जो गत चालीस वर्षों से इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं और उन्होंने ही विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया है। एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं मैं नहीं जानता कि संसद सदस्य इससे अवगत हैं अथवा नहीं—और ब्रिटिश मानदंड के अनुसार प्रति एक किलोमीटर आमान परिवर्तन पर 80 लाख से एक करोड़ रुपया लगता था, अंतर्निदित लागत की समीक्षा करने के बाद अब उतने ही आमान परिवर्तन पर 30 लाख से 60 लाख रुपये का खर्च आता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री महोदय, क्या आप एक क्षण के लिए मेरी बात सुनेंगे।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं परंतु इससे फिर दूसरी लगातार चर्चा शुरू नहीं हो। क्योंकि आपके साथ मुझे कटु अनुभव हुआ है। यह बहुत कठिन है।

5.00 म.प.

श्री बसुदेव आचार्य : आपने किसी अनुमान के बारे में 30 लाख से 60 लाख का आंकड़ा दिया है। क्या यह अनुमान कम नहीं है ? क्या इस में पुलों, सिग्नल व्यवस्था, प्लेटफार्मों और स्टेशनों के सुधार का खर्च भी शामिल है ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : एक बात मेरी समझ में नहीं आती हैं कि जब मैंने अंतर्निहित लागत की बात की तो किसी को इससे परेशान होने की क्या बात है ? मैं यह सही दावा करता हूं कि रेल मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जो अत्यधिक स्पष्ट है, हमारा ही एक मात्र ऐसा मंत्रालय है जिसकी एक परामर्श दात्री समिति है जिसमें तीन ग्रुप हैं। और उन तीनों ग्रुप के अध्यक्ष विपक्ष के लोग हैं। वे कार्यकरण पद्धति के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन इन ग्रुपों द्वारा की गई किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उन्होंने इसका अध्ययन करने हेतु अत्यधिक परिश्रम किया है, उन्होंने इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है और अति महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि जिस कारण हमें कुछ अधिक बजटीय समर्थन मिलता है। और अभी भी हमने इस पर विचार के लिए एक बेहतरीन स्थाई समिति की नई व्यवस्था अपनाई है। आप पूछ रहे हैं कि यदि हम अन्तर्निदित लागत को समाप्त कर दे तो क्या होगा ? रेल का प्रमुख दायित्व मालों की दुलाई एवं सभी यात्रियों के आवागमन को सुनिश्चित करना हैं। अन्य संबद्ध विकास जैसे बड़े प्लेट फार्मों स्टेशनों और अन्य चीजों का विकास उस क्षेत्र के अन्य विकास के अनुरूप होता है। अतः आज एक निवेशक के लिए यदि आप निवेश की स्थिति तैयार करना चाहते है, यदि आप उसमें विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो आधारभूत संरचना उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बाजार तक कच्चा माल या तैयार माल को ले जाया जा सके। यह आवश्यक था।

[श्री सी.के. जाफर शरीफ]

मुझे विश्वास है मेरे वामपंथी दल के मित्र और मा.ज.पा. के सदस्यगण-- मुझे खुशी है कि वह इन बातों का बरीकी से अध्ययन करते हैं। **(व्यवधान)** मैंने उनके बारे में कहा है। यह केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूसरों पर भी लागू है। आपको अन्य महत्वपूर्ण घटकों पर भी विचार करना चाहिए जब आप समान रेल लाइन नीति के संबंध में विचार कर रहे हों। आप बहु आमान व्यवस्था लागू रख सकते हैं जोकि ब्रिटिश विरासत है जहां आपको धन की हानि हो रही है। छोटी रेल लाइन की तुलना में बड़ी रेल लाइन में धन की बचत होती है। उसका क्या लाभ है आपको समझना चाहिए ? मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि स्थाई समिति द्वारा इन मुद्दों पर विचार करने के बाद महत्वपूर्ण मुद्दों के उत्तर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : बिहार के बारे में तो कुछ कहें।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : नीतीश कुमार को क्या कहूं, मैंने पहले ही कहा कि मुझे उनसे इतना प्यार है।

श्री राम कृपाल यादव : प्यार कैसा है, मार कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : गुवाहाटी में दो बार लगातार दुर्घटना हो चुकी है उस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

आप स्वयं जाकर देख आएं आपने कहा था कि रेल ट्रैक खराब है। क्या आप पुनः दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं तब आप पुनर्निर्माण करने की घोषणा करेंगे ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। मैं आज यह कहता हूं कि जो मैंने मांग रखी है, अभी सदन इसी वोट आन अकाउंट को पास करें। स्टेण्डिंग कमेटी इसको देखेगी और उसकी जो राय होगी उसकी और सदन की राय लेकर जब डिमांड्ज फॉर ग्रांट्स आएंगी तब इन सब बातों पर मैं रोशनी डालूंगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैंने डिबेट इनीशियेट किया था, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मांगों के बारे में जो आपका कहना है वह आपने कह दिया और आपने यह भी कह दिया कि उसके बारे में सही जवाब बाद में देंगे जब जनरल डिसक्शन होगा। इसके साथ-साथ आपने एक अप्रैल से किराया वृद्धि लगाने की बात की है। उसके बारे में आपने कुछ जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सबरबन रेल और सेकंड क्लास पैसेन्जर पर जो आपने किराया बढ़ाया है उस बारे में भी कुछ कहें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं इस समय किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : पिछले दो वर्षों से, मैं आपसे सेना के पदक विजेताओं को यात्रा में उसी प्रकार की रियायत देने के लिए अनुरोध करता रहा हूं जैसा कि आप स्वतंत्रता सेनानियों को देते रहे हैं। आपने अपने भाषण में इस संबंध में कुछ नहीं कहा। प्रधान मंत्रीजी, रेलवे द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, आदि जैसे पदक विजेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और गत दो वर्षों से मैं रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करता रहा हूं कि उन्हें रेल सुविधाओं के मामले में स्वतंत्रता सेनानियों के समान सुविधाएं दी जानी चाहिए।

आपने (रेलमंत्री जी से) यह कहा था कि आप इस मामले की जांच करेंगे परन्तु उसके बाद इस मामले में न तो पिछले वर्ष और न ही इस वर्ष में कोई कार्यवाही की गई। कृपया उनके साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर का बर्ताव करें। वे देश की सीमा पर अपने जान की बाजी लगा रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उनको मात्र 200 कि.मी. तक द्वितीय श्रेणी के साधारण किराये में केवल 50 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है। कृपया इस मामले पर थोड़ा प्रकाश डालिए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : कृपया मेरा साथ दीजिए। यह अंतिम उत्तर नहीं है। जब रेल संबंधी स्थायी समिति अनुदानों की मांगों पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, तब उसके बाद ही उत्तर दिया जायेगा...**(व्यवधान)**...

क्या आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है ?

मैं अभी उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं जिसे श्री राम नाईक ने अभी-अभी पूछा है और कई अन्य सदस्यों ने भी इस बात को उठाई है। वह मुद्दा यात्री किराया और माल ढुलाई, विशेषकर उप-नगरीय किराये के बारे में है।

विनम्रतापूर्वक आपसे मेरा यह निवेदन है कि जैसाकि मैंने पहले कहा था कि जब हम विकास की बात करते हैं तो ऐसे समय चाहे हम इस ओर बैठे हों अथवा उस ओर हम सभी जन प्रतिनिधि हैं, हमारा विकास के मामले से वास्ता है। हमें इस मामले में सहानुभूति दिखाने की जरुरत नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट तौर पर बता दूं कि यदि कोई इतनी धनराशि का भुगतान नहीं कर सकता तो मैं इस मामले पर विचार करता। कुल मिलाकर हमने किसी व्यक्ति पर कोई बोझ नहीं डाला है इस पर देश के किसी भाग में कोई विरोध नहीं हुआ। लोग इतनी राशि देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इसका स्वागत किया है। आप इस मुद्दे को इतना तूल क्यों दे रहे हैं ?

अपना स्थान ग्रहण कीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : आपने हजारीबाग के बारे में कुछ नहीं कहा है। ...**(व्यवधान)**...ये पहले वायदा कर चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूं।

हजारीबाग के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : आप जरा बैठ जाइए। मंत्री जी, आप इनकी डिमांड्ज को नोट कर लें। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह संसद में स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद अंतिम उत्तर देंगे। मैं केवल इकलाखी-बालूरघाट लाइन के बारे में बताना चाहती हूं जिसके लिए मात्र 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि स्थायी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद इकलाखी-बालूरघाट लाइन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायें।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी मांग भी यही है। हमने भी यह मांग की है। कृपया हमारी बात भी सुन लीजिए। माननीय मंत्री ने इकलाखी-बालूरघाट और हावड़ा-इकतारी परियोजनाओं के लिए प्रावधान की राशि को 1 करोड़ रुपये से 1000 रुपये तक घटा दिया है। पश्चिम बंगाल में दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और इनमें से एक परियोजना के लिए कोई रेल लाइन नहीं है। माननीय मंत्रीजी कृपया हमें यह बतायें कि क्या वह इन दोनों परियोजनाओं के लिए आवंटन की राशि बढ़ाने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : जब कुमारी ममता बनर्जी रेल भवन आयीं तो मैंने केवल यही कहा कि मैं स्थायी समिति की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने के बाद अंतिम उत्तर दूंगा। बस मैंने यही बात कही है और मैं यह स्वीकार करता हूं।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा के बारे में क्या हुआ ? उड़ीसा अभी भी उपेक्षित है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : मंत्री जी, हजारीबाग के बारे में तो बताईये। आपने आश्वासन दिया था लेकिन यहां आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। **(व्यवधान)**

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मंत्री जी को हजारीबाग के बारे में जरूर कुछ बताना चाहिये, यह हमारी काफी पुराने समय से चली आ रही मांग है।

सभापति महोदया : आप पहले बैठ जाईये, मेहरबानी करके बैठ जाईये।

आपको यह पता है कि समय बहुत लग चुका है और बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। मंत्री जी ने आपको अभी चर्चा का जवाब दिया है। आपको यह भी पता है कि हम लोगों ने आज शाम

6.00 बजे तक बैठकर सब कुछ कम्पलीट करना है और बहुत-सी चीजें अभी पूरा करने वाली हैं। आप जो भी चाहते हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूं कि इस गौरवशाली सदन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है और कोआपरेशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। आप जो कुछ चाहते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता है लेकिन.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरी आपसे रिक्वैस्ट है, आपने जो कुछ कहना था, कल सारी रात हम बैठे रहे और कल रात से बहुत कुछ आपने कहा है, आज भी कहा है, अब कृपा करके बीच में कोई भी इंटरप्ट मत कीजिये। हमारे सामने जो भी बिजिनैस है, उसे हमें अब खत्म कर लेने दीजिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों (रेलवे) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 14 और 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले ढांचों को अदा करने के लिए कार्य सूची की स्तम्भ 3 में दिखायी गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1993-94 की अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में राष्ट्रपति को दी जायें :-"

मांग संख्या 8,15 और 16

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए लेखानुदान की मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	2,47,67,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	14,47,83,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	113,42,31,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों को मरम्मत और अनुरक्षण	240,52,66,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	177,73,39,000
6.	सवारी और मालडिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	253,76,57,000
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण	124,67,82,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	198,50,40,000
9.	परिचालन व्यय-यातायात	821,62,96,000
10.	परिचालन व्यय ईंधन	513,45,88,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	89,54,35,000
12.	विधि संचालन व्यय	117,84,91,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	285,12,12,000
14.	निधियों में विनियोग	996,66,67,000
15.	परिसम्पतियों-खरीद, निर्माण और बदलाव	996,66,67,000
	राजस्व	7,50,67,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	191,03,07,000
	रेलवे निधियां	1798,34,16,000

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	30,00,00,000
15.	सामान्य राजस्व की लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	46,00,00,000
16.	परिसम्पत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव अन्य व्यय रेलवे निधियां	1,00,000

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रधान मंत्री जी, अभी रुक जाएं, तो अच्छा है क्योंकि शून्य काल में सवाल उठा था कि पावर प्रोजेक्टों में प्रति मेगावाट जनरेशन का रेट बंद हो रहा है। कि बैंक का आरोप लगा था। उस पर बोलना है।

7.15 म.पू.

[अनुवाद]

विनियोग (रेल) लेखाअनुदान विधेयक, 1994*

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों को पूरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक* पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

---

*दिनांक 9-3-1994 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित प्रस्तुत।

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित-निधि में कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : मैं इस चरण पर विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक का द्वितीय वाचन है।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्ररतुत किया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति महोदया, यह जो बिल उन्होंने मूव किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मंत्रीजी आपने एक नई परम्परा, जो सदन का सम्मान करने वाली नहीं है, वह डाली है। वोट ऑन अकाउन्ट है, इसका मतलब क्या यह है कि जो बजट में चीजें हैं वे समाप्त हो जाती हैं ? ऐसा तो नहीं होता।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आपने इसके लिए सूचना दी ?

श्री राम नाईक : अब विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका हो इसलिए मैं सूचना दे रहा हूं। मेरा बोलना अपने आप में सूचना देना है। जब तक कि विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जाता है, मैं सूचना किस तरह दे सकता हूं ? यह नियमों के अनुरूप है।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : विधेयक सदन के समक्ष नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं ? माननीय मंत्री अब विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदया, जो संसदीय परंपरा है, उसके विरुद्ध मंत्री महोदय, काम करने जा रहे हैं और आपने जो नई डिमांड्स के बारे में कहा है, वह हम सब देख सकते हैं, लेकिन जो आपने आश्वासन दिए थे, जैसे आपने बंबई में रेल दुर्घटना में मरने वाली औरतों के बारे में कहा था, आप उन महिलाओं के बारे में क्या करने जा रहे हैं क्योंकि आपका जो उत्तर है वह घोर निराश करने वाला है। संतुष्टि देने वाला उत्तर बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

इसे मांग से क्या लेना-देना है ?

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लोकनाथ चौधरी : मुझे बोलने का अधिकार है। आप मुझे इससे वंचित क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया खिन्न न हों।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं। एक यह कि रेलवे उड़ीसा राज्य से धन प्राप्त कर रहे हैं परन्तु इसे खर्च नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गत वर्ष 1992-93 के दौरान 10 करोड़ रुपये अर्जित किए लेकिन वे केवल 2 करोड़ रुपये बनसारी रेलवे लाइन पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने 25 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं लेकिन वे केवल 9 लाख रुपये इस वर्ष खर्च कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है ?

मैं समझता हूं कि यह उड़ीसा के साथ धोखाधड़ी है।

उड़ीसा में दो या तीन लाइनें हैं जिन पर काम शुरू किया जाना है। हम रेल मंत्री को पैसे दे रहे हैं लेकिन योजनाएं उचित तरीके से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। इसके पहले कि हम विनियोग को मंजूर करें, मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे हमें बताएं कि इस राशि को क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है और क्या रुकावटें हैं ? वे इनका पता लगाएं और यह सुनिश्चित करें कि आबंटित राशि उचित तरीके से खर्च हो।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदया, मैं केवल एक और मुद्दा जोड़ना चाहूंगा। रेल राज्य मंत्री द्वारा ऐसी धारणा तैयार की गई है कि इस बजट के बाद उड़ीसा को काफी ज्यादा पैसा दिया गया है। लेकिन अगर आप बजट को देखें... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने 'राजधानी' दिया है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : काफी पहले से, ब्रिटिश दिनों से, आपके पास राजधानी है, जो कलकत्ता जाती है। लेकिन यह सप्ताह में एक बार उड़ीसा जाया करेगी और हम नहीं जानते हैं कि यह कब जाती है।

कुछ भी हो मेरा इस विधेयक का विरोध करने का कारण ही यही है। मैं पुनः महोदय से आग्रह करूंगा कि वे रेलवे मानचित्र पर देखें। यदि माप रेलवे मानचित्र देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या अन्य किसी राज्य की तुलना में केवल असम और उड़ीसा काफी पिछड़े हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि उड़ीसा के लिए काफी अधिक धन दिया गया है। आप उड़ीसा से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त करते हैं। लेकिन उड़ीसा राज्य को काफी कम धनराशि दे रहे हैं। मंत्रीजी ने कहा है कि उन्होंने बोलांगीर-खुर्दा रोड लाइन को स्वीकृति प्रदान की है आपने कितना दिया है ? आपने अनुमानित 340 करोड़ रुपये में से केवल 1 करोड़ रुपये दिए हैं। इसका क्या अर्थ है ?

जब जार्ज फर्नान्डीज रेल मंत्री थे, उन्होंने तलचेर-सम्बलपुर लाइन के लिए 25 करोड़ रुपये दिए थे। यह लाइन 1992-93 तक पूरी की जानी थी। लेकिन यह अभी भी आधी बनी है। आपके इंजीनियर और प्रबंधक पैसों से खेल रहे हैं। यदि आप वहां जायें तो आप पाएंगे कि वे कैसे गैर-जिम्मेदाराना ढंग से पेश आ रहे हैं।

[श्री श्रीकांत जेना]

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश राज और कांग्रेस राज के दौरान उड़ीसा का तिरस्कार किया गया था। मैं तो कहूंगा कि श्री जार्ज राज में बहुत थोड़ा काम हुआ है। और मेरा कहना है कि उस समय भी, उड़ीसा का तिरस्कार हुआ है। उड़ीसा का अब तिरस्कार हो रहा है। अतएवं, हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

उड़ीसा से एक सदस्य को राज्य मंत्री का पदभार देकर, उड़ीसा की समस्या का समाधान नहीं होगा। वर्तमान राज्य मंत्री अप्रैल में सेवानिवृत्त होंगे। आप उड़ीसा से किसी व्यक्ति को राज्य मंत्री बना सकते हैं और हम इससे खुश होंगे। लेकिन पर्याप्त धन भी दिया जाना चाहिए। और वहां कार्य भी तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : महोदया, माननीय मंत्री ने गत बजट के दौरान अहमदाबाद-दिल्ली बड़ी लाइन के बारे में एक वायदा किया था। इस बजट में, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद बड़ी लाइन की सिफारिश की थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह यह कार्य कब तक कर पायेंगे। वे यह बिल्डा जितरण स्टेशन के बारे में भी आपने वायदा किया है कि सर्वेक्षण किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी रेल लाइनों का कब तक निर्माण करेंगे मैं इन दो लाइनों के बारे में जानना चाहता हूं। मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने बड़ी लाइन की सिफारिश की थी मैंने कहा था कि यह एक अच्छी चीज है। लेकिन मैं मंत्रीजी से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि इस वर्ष के इन दोनों लाइनों का कब तक निर्माण कर दिया जायेगा।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : कार्य प्रगति पर है और यह 1996 में पूरा कर लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर (बीड) : सभापति महोदया, महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। वहां की जनसंख्या 23 लाख की है। वहां उद्योग न होने की वजह से हर वर्ष पांच लाख लोग गन्ना तोड़ने के लिए बाहर के डिस्टीक्ट में छः महीने के लिए जाते हैं। सरकार की नीति बैकवर्ड डिस्ट्रीक्ट के विकास करने की है। मैं चाहती हूं कि इस वर्ष के बजट में अहमदनगर-बीरपल्ली नई रेल लाइन को मान्यता दी जाय और उसके लिए बजट में 10 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा जाय। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मंत्री महोदय को मेरी बात का उत्तर देने दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी ने पहले ही सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में सूचना दे दी है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैंने पहले ही अलग से आपको बता दिया था कि हम इस संबंध में क्या कर रहे हैं। आपने सही जिक्र किया है कि हम अनुदान के लिए प्रतीक्षा नहीं करें। हम इससे परिचित हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ किया जायेगा प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

5.26 म.प.

विनियोग (रेल) विधेयक, 1994*

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाग और विनियोग प्राधिकृत करने वाले निधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिये भारत की संचति निधि में से कतिपय राशि का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

* दिनांक 9-3-1994 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं विधेयक को* प्रस्तुत करता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं** :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले तथा खेल कूद विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : जम्मू और कश्मीर तथ मणिपुर के बजटों को एक साथ लिया जा सकता है।

सभापति महोदया (श्रीमती संतोष चौधरी) : जी, हां।

जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदया, कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि जम्मू और कश्मीर पर तथा मणिपुर की काफी चर्चा हो चुकी है इसलिये, जम्मू और कश्मीर के बजट तथा मणिपुर के बजट पर न केवल साथ-साथ चर्चा की

**राष्ट्रपति की सिफारिश पर पुरःस्थापित। प्रस्तुत किया गया।

जाये बल्कि उन्हें चर्चा किये बिना ही पारित कर दिया जाये। इसलिये मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी इसे पारित करने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि वे भी इस निर्णय में सहभागी थे जो कार्य मंत्रणा समिति ने किया था। यदि वे कुछ टिप्पणियां करना चाहें अथवा एक-दो मिनट के संक्षिप्त भाषण करना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं परन्तु उन पर पूरा भाषण नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदया : केवल दो या तीन सदस्यों में से प्रत्येक दो-तीन मिनट के लिये बोल सकते हैं।

5.31 म.प.

जम्मू-कश्मीर बजट 1994-95 –सामान्य चर्चा; लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1994-95; और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1993-94 मणिपुर बजट 1994-95 -सामान्य चर्चा; लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर), 1994-95 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर), 1993-94

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(i) "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू तथा कश्मीर की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

(ii) "कि कार्य सूची स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 7 तथा 9 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू तथा कश्मीर की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

(iii) "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 46 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर की संचति निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

(iv) "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 5, 7 से 18, 20 से 23, 25 से 31, 34 से 39, 41 से 43, 45 से 46 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1994-95 के लिए लेखा अनुदान की मांगें (जम्मू-कश्मीर)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की गई लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2 .	3	4
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	9,68,58,000	93,97,000
2.	गृह विभाग	108,71,53,000	2,82,72,000
3.	योजना और विकास विभाग	1,62,71,000	3,52,00,000
4.	सूचना विभाग	2,05,02,000	22,55,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	46,40,80,000	28,85,92,000
6.	विद्युत विकास विभाग	169,19,11,000	136,23,79,000
7.	शिक्षा विभाग	148,02,58,000	8,64,05,000
8.	वित्त विभाग	68,71,89,000	1,25,50,000

1 2	3	4
9. संसदीय कार्य विभाग	78,45,000	–
10. विधि विभाग	3,19,64,000	–
11. उद्योग और वाणिज्य विभाग	16,99,02,000	26,76,17,000
12. कृषि ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	33,09,12,000	26,89,42,000
13. पशु पालन विभाग	20,23,94,000	4,78,33,000
14. राजस्व विभाग	34,92,82,000	1,69,000
15. खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	21,39,60,000	214,69,56,000
16. लोक निर्माण कार्य विभाग	60,41,91,000	52,31,50,000
17. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	66,17,16,000	9,28,73,000
18. सामाजिक कल्याण विभाग	8,79,61,000	4,05,07,000
19. आवास और शहरी विकास विभाग	11,02,03,000	24,78,05,000
20. पर्यटन विभाग	3,88,71,000	7,88,44,000
21. वन विभाग	17,99,16,000	787,33,000
22. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	25,86,55,000	18,91,86,000
23. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति	36,28,29,000	24,42,34,000
24. संपदा, आतिथ्य और नयाचार तथा बाग और पार्क विभाग	7,69,07,000	1,49,34,000
25. श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	4,48,36,000	6,04,20,000
26. मत्स्य पालन विभाग	1,66,30,000	1,03,70,000
27. उच्च शिक्षा विभाग	22,34,27,000	6,67,93,000

लोक सभा को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष* 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	5,89,35,000	
2.	गृह विभाग	26,64,40,000	3,94,05,000
3.	योजना और विकास विभाग	78,89,000	
4.	सूचना विभाग	63,84,000	
5.	लद्दाख कार्य विभाग	7,85,32,000	
6.	ऊर्जा विकास विभाग	33,26,40,000	
7.	शिक्षा विभाग	65,09,44,000	73,90,000
8.	संसदीय कार्य विभाग	15,55,000	
9.	विधि विभाग	42,09,000	
10.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	5,77,68,000	
11.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	22,56,44,000	
12.	पशु पालन विभाग	4,56,63,000	
13.	राजस्व विभाग	3,23,74,000	--
14.	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	2,08,99,000	
15.	लोक निर्माण कार्य	3,54,77,000	--
16.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	29,13,83,000	

1 2	3	4
17. सामाजिक कल्याण विभाग	14,52,13,000	—
18. आवास और शहरी विकास विभाग	3,24,70,000	—
19. पर्यटन विभाग	51,54,000	—
20. वन विभाग	2,13,36,000	—
21. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	2,23,65,000	—
22. लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल-आपूर्ति विभाग	3,58,30,000	2,48,10,000
23. संपदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	6,87,000	—
24. श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	47,45,000	—
25. मत्स्य पालन विभाग	54,84,000	—
26. उच्च शिक्षा विभाग	1,48,000	—

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	राज्य विधान मंडल	26,40,000	—
2.	मंत्रि-परिषद	21,56,000	—
3.	सचिवालय	41,46,000	—

1	2	3	4
4.	भू-राजस्व स्टाम्प और पंजीकरण तथा जिला प्रशासन	48,20,000	--
5.	वित्त विभाग		32,53,000
6.	पुलिस	9,59,11,000	
7.	लोक निर्माण विभाग		6,44,57,000
8.	सूचना और प्रचार	1,94,000	
9.	शिक्षा	8,23,35,000	65,11,000
10.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	1,42,53,000	
11.	नगरपालिका, प्रशासन, आवास और शहरी विकास	25,87,000	1,30,39,000
12.	श्रम और रोजगार	17,000	
13.	जनजातीय और पिछड़े वर्गों का कल्याण	6,19,98,000	
14.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	13,34,000	
15.	सहकारिता	20,10,000	1,17,50,000
16.	कृषि	48,93,000	
17.	डेरी फार्मिंग सहित पशुपालन और पशु चिकित्सा	73,97,000	
18.	सामुदायिक विकास और ए.एन.पी., आई.आर. डी.पी. और एन.आर.ई.पी.	5,94,45,000	
19.	उद्योग और नाप तथा तोल विभाग	1,26,73,000	29,95,000
20.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी		3,22,71,000
21.	विद्युत	--	3,54,84,000
22.	युवा कार्य और खेल विभाग	48,53,000	
23.	न्याय प्रशासन	2,06,000	
24.	चुनाव	1,25,39,000	
25.	राज्य उत्पाद शुल्क	9,48,000	

1	2	3	4
26.	बिक्री कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क	2,59,000	—
27.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	5,01,000	—
28.	अग्नि से बचाव और नियंत्रण	2,82,000	—
29.	पुनर्वास	50,40,000	—
30.	लेखन सामग्री और मुद्रण	8,96,000	—
31.	लघु सिंचाई	36,24,000	—
32.	मीन उद्योग	18,66,000	—
33.	पंचायत	2,90,000	—
34.	रेशम उद्योग	19,95,000	6,50,000
35.	कला और संस्कृति	6,97,000	—
36.	राज्य की प्रशिक्षण अकादमी	8,15,000	—
37.	बागवानी और मृदा सरंक्षण	1,11,63,000	—
38.	पर्यटन	16,63,000	—
39.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	14,10,000	—

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1994-95 के लिए लेखानुदान की मांगें (मणिपुर)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	राज्य विधान मंडल	1,03,80,500	

1	2	3	4
2.	मंत्रि-परिषद	30,40,000	
3.	सचिवालय	3,45,59,000	--
4.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण तथा जिला प्रशासन	4,33,65,500	
5.	वित्त विभाग	12,85,53,000	18,00,000
6.	परिवहन	40,12,000	70,50,500
7.	पुलिस	23,88,38,500	45,00,000
8.	लोक निर्माण विभाग	15,00,78,500	20,44,65,500
9.	सूचना और प्रचार	46,03,000	
10.	शिक्षा	51,51,27,500	500
11.	चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	9,56,75,000	--
12.	नगरपालिका, प्रशासन, आवास और शहरी विकास	1,02,10,000	73,01,000
13.	श्रम और रोजगार	71,39,500	--
14.	जनजातीय और पिछड़े वर्गों का कल्याण	7,24,22,500	1,000
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	84,39,500	3,81,74,000
16.	सहकारिता	1,41,37,000	19,000
17.	कृषि	4,44,04,000	47,50,000
18.	डेरी फार्मिंग सहित पशुपालन और पशु-चिकित्सा	4,94,02,000	--
19.	वानिकी और मुद्रा संरक्षण	4,46,14,000	--
20.	सामुदायिक विकास और ए.एन.पी., आई.आर. डी.पी. और एल.आर.ई.पी.	2,83,25,500	

1	2	3	4
21.	उद्योग और नाप तथा तौल विभाग	3,55,88,500	12,87,500
22.	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	5,28,02,000	7,18,47,000
23.	विद्युत	15,39,47,500	20,21,03,500
24.	सतर्कता विभाग	12,78,500	
25.	युवा कार्य और खेल विभाग	1,74,56,500	—
26.	न्याय प्रशासन	72,49,500	
27.	चुनाव	80,57,000	
28.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,09,58,500	—
29.	बिक्री कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/शुल्क	30,35,000	
30.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,90,53,500	
31.	अग्नि से बचाव और नियंत्रण	39,55,500	
32.	जेलें	87,73,500	29,40,500
33.	होम गार्ड	81,93,000	—
34.	पुनर्वास	21,41,000	
35.	लेखन सामग्री और मुद्रण	51,00,500	-
36.	लघु सिंचाई	75,16,00	2,48,09,500
37.	मीन उद्योग	1,86,14,500	2,500
38.	पंचायत	53,96,000	
39.	रेशम उद्योग	1,48,22,000	1,000
40.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	4,97,25,000	16,90,00,000
41.	कला और संस्कृति	83,70,500	—
42.	प्रशिक्षण की राज्य अकादमी	13,03,500	—

1 2	3	4
43. बागवानी और मुद्रा संरक्षण	2,89,13,000	5,00,000
44. समाज कल्याण विभाग	2,07,55,000	
45. पर्यटन	21,13,500	8,46,500
46. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	85,10,000	

सभापति महोदय : प्रो. धूमल कृपया चर्चा की शुरूआत करें।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर और मणिपुर के बजट पर बहस शुरू करते हुए मुझे यह कहना है कि इस सरकार को इस सदन का पूरा समर्थन मिलने के बावजूद और सर्वसम्मत प्रस्ताव इनके पक्ष में पास होने के बावजूद अभी तक इनकी ओर से कोई ठोस कार्रवाई करने के लिए कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

जब जम्मू-कश्मीर में 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव इस सदन ने पास किया था, तब भी बहुत से सदस्यों ने अनेकों सुझाव दिये थे,

5.32 म.प.

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन ऐसा लगता है, जैसे विरोध पक्ष से तो आप पूरा समर्थन चाहते हैं और जब आपके सदस्य बोलते हैं तो विरोध पक्ष पर आरोप लगाकर उन पर आक्षेप करके आप हल्की राजनीति उस बहस में लाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में हमारी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि लाखों लोग उस प्रदेश से आपकी गलत नीति के कारण शरणार्थी बनकर आज हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में, विशेषकर दिल्ली में और जम्मू में आकर बसे हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। बार-बार इस सदन की ओर से आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उनके लिए विशेष प्रावधान करें, उनके लिए जो धनराशि निश्चित की गई थी, वह लगातार हर महीने उनको नहीं मिल रही है। शरणार्थियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं। जो कर्मचारी वहां से शरणार्थी बनकर आये हैं, उनमें से कुछ आपके चुनाव क्षेत्र में भी हैं, उन कर्मचारियों को खाना पकाने की गैस लेने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

अगर वह भी उग्रवादियों की हां में हां मिलाते तो वह भी वहां रहते और उनको शरणार्थी न बनना पड़ता लेकिन वह भारत मां की जय बोलते थे, क्योंकि वह यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए उनको राष्ट्रभक्त होने की यह सजा मिली है कि उन्हें शरणार्थी बनकर अपने ही देश के विभिन्न हिस्सों में रहना पड़ रहा है जब-जब आपको समर्थन चाहिए तो आप यहां आ जाते हैं कि हमारा समर्थन करिये और सारे पक्ष इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको इस देश के साथ बनाये रखने के लिए हर प्रयत्न किया जाना चाहिए, आपको लगातार समर्थन दे रहे हैं।

हर बार वित्त मंत्री महोदय से हम पूछते हैं कि शरणार्थियों पर आपने कितना खर्च किया। उसकी अलग डिटेल दीजिए लेकिन कभी आप उसका वर्णन नहीं करते। इस बार भी मैं देख रहा था तो मुझे कहीं शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए आप कितना धन आबंटित करने जा रहे हैं, उन पर कितना खर्च होगा, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आप क्या करेंगे और वह कर्मचारी जो वहां आये हैं, उनमें पी.एण्ड.टी. के जो कर्मचारी हैं, उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला। एच.एम.टी. के बहुत से कर्मचारी अभी तक एडजेस्ट नहीं हो पाये हैं, वह वर्णन कहीं नहीं मिला। अगर उनकी समस्याओं को भी हम मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो फिर हम उन लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं ?

गृह मंत्री जी ने लेह के लिए एक आटोनोमस बाडी बनाने की बात कही है। यह मुझे बजट प्रावधानों में कहीं नजर नहीं आता, कहीं जिक्र नहीं है कि इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है।

एब बात की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केवल कश्मीर घाटी से आए हुए शरणार्थियों का सवाल नहीं है, बल्कि 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए शरणार्थियों की भी समस्या है। आज तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही उनको यहां की नागरिकता प्रदान की गई है। हम सोचते थे कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पहचान पत्रों का प्रावधान होगा और उन लोगों को भी पहचान पत्र, वोट देने का अधिकार और नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं किया गया है।

एक बात मैंने पिछली बार भी उठाई थी, जिसकी रिपोर्ट आपके पास भी है और आपके अधिकारियों के इस बारे में बयान भी आ चुके हैं, वह यह है कि आप जो पैसा यहां से वेतन आदि के लिए देते हैं, उसका कुछ हिस्सा प्रतिमाह उग्रवादियों को दे दिया जाता है। यह ठीक है कि यहां से चाहे राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव हो या बजट हो, सर्व-सम्मति से पास कर दिए जाते हैं, लेकिन यह आपके देखने की बात है कि क्लासीडेंटेड फंउ ऑफ इंडिया का पैसे का इस तरह का दुरुपयोग कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा न किया जाए, जिससे उग्रवादी हथियार लेते रहे और हमसे लड़ते रहे, बल्कि यह पैसा वहां के विकास में काम आए। जम्मू-कश्मीर की समस्या

[प्रो. प्रेम धूमल]

का मुख्य कारण ही यही है कि यहां बहुत कम विकास हुआ है। यहां पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत रहा है। यदि घाटी में हाईवे बना है तो वह तो ठीक है, लेकिन अगर वह डोडो की तरफ बनता है तो उसको ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए। सरकार द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग न हो, यह देखने की भी आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. कामसन (बाह्य मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर के वर्ष 1994-95 के बजट का समर्थन करता हूं। तथापि मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मणिपुर को उपेक्षा, अलग-थलग करने और विकास की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, कई बार हम यह कहते हैं कि विकास के लिए शांति जरूरी है। यह सही है कि शांति के बिना विकास नहीं हो सकता। किन्तु पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां की बात अलग है पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति विकास की कमी के कारण खत्म हुई है। इसलिये हमें वहां पर पहले विकास करना चाहिए जिससे हम वहां पर शांति को बहाल कर सकें। मेरा विशेष बल इस बात पर है कि पूर्वोत्तर राज्यों की ओर न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति पर बल्कि विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो कई बार यह कहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति नहीं होने की वजह से विकास नहीं किया जा सकता। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं कि वहां विकास न होने की वजह से ही शांति नहीं है।

दूसरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से मणिपुर से कानून और व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब है हमने हाल ही में सभा में भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने और राज्यपाल की रिपोर्ट पर और वहां की स्थिति पर विचार किया था। न केवल मणिपुर राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति ही गम्भीर है बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में शामिल होने से पड़ौसी राज्यों में इंगति विधियों के विस्तार की समस्या भी गम्भीर बन चुकी है। मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा किंतु पूर्वोत्तर राज्यों में जिनमें मेरा अपना राज्य मणिपुर भी शामिल है, पाकिस्तानी एजेंसी आई.एस.आई. व.। इन गतिविधियों में शामिल होने की बात की यहां पर सभी को जानकारी है। आपको एन.एस.सी.सी. का तो पता होगा जो मणिपुर राज्य में, विशेष रूप से उस पहाड़ी क्षेत्र में फैली हुई है जिसका कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और आपको यह भी पता है कि वहां आतंकवादी और एन.एस.सी.एन. ताकतों में वृद्धि हो रही है। एन.एस.सी.एन. को अब यू.एन.पी.ओ. से मान्यता मिल गयी है, जिसे

कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का ही एक लघु मंच माना जाता है। अतः इन बातों को गंभीर मानना चाहिए।

इस स्थिति में, हमें क्षेत्र के विकास पर अधिक बल देना है। वहां अत्यधिक बेरोजगारी है, औद्योगिक विकास की कमी है। और सड़कों के विकास की भी कमी है यही समय है कि हमें पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संचार पर अधिक बल देना चाहिए। जब तक सड़क संचार नहीं है और गांव आपस में नहीं जुड़े हैं तो औद्योगिक विकास का कोई अर्थ नहीं है मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़क ही नहीं है तो विकास के बारे में आप क्या सोच सकते हैं ? मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में आज भी कुछ गांवों में लोगों को, साधारण नमक लेने के लिए जो कि सबसे सस्ती चीज है, 10 से 20 किलोमीटर के लगभग पैदल चलना पड़ता है। जब तक कोई निजी वाहन अथवा कोई ठेकेदार गांव में नहीं आता है, तब तक उन्हें ये जरूरी चीजें नहीं मिलतीं। वहां पर उचित दर की दुकानें नहीं हैं। वहां पर निजी दुकानें भी नहीं हैं। देश के उस हिस्से की यही स्थिति है।

इससे संबंधित दूसरी एक चीज और बता दूं। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए हम संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान के विस्तार की मांग कर रहे हैं, जो संविधान के निर्माताओं द्वारा आरम्भ से ही उपलब्ध कराया गया सामाजिक आर्थिक विकास का एक साधन है। मैं सभा को पुनः यह बता दूं कि सरकार इन बातों पर विचार नहीं कर रही है हालांकि हम दूसरी बातों की तरह से ही इसके लिए सरकार पर पिछले 20 वर्षों से दबाब डाल रहे हैं। मैं यह भी बता दूं कि आपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में छठी अनुसूची के प्रावधान को एक मात्र मेरे निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और अन्य सभी राज्यों में लागू कर रखा है। अतः जब तक आप इस छोटी-सी बात की व्यवस्था नहीं कर देते, तो ऐसी खराब स्थितियों में आप विकास की बात कैसे सोच सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि चूंकि संविधान (बहत्तरवां संसोधन अधिनियम अर्थात् नगर पालिका अधिनियम और पंचायत अधिनियम के पारित हो जाने से, उसी दिन से पूरे देश को धरातल शहरी स्थानीय विकास अपना ग्रामीण विकास के अधीन आ गया है। केवल मेरे निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस देश का कोई भी भाग संवैधानिक तंत्र से छूटा नहीं है, जहां के लिए हम संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने की मांग करते हैं। छठी अनुसूची भी और कुछ नहीं है बल्कि यह तो संविधान के अंतर्गत पंचायत प्रणाली का दूसरा रूप है। मैं सरकार को यह स्मरण करा दूं कि जब हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय गृह मंत्री थे तब उन्होंने 1984 में इसी सभा में यह घोषणा की थी कि संविधान की छठी अनुसूची को मणिपुर के मामले में भी लागू किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से जितने भी माननीय गृह मंत्री रहे हैं सभी की इस बारे में सहानुभूति तो रही है किन्तु उनके सहानुभूतिपूर्ण शब्दों के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैं इस मामले पर पुनः जोर देता हूं कि सरकार को इस मामले को याद करना चाहिए।

[प्रो॰ एम॰ कामसन]

मुझे यह बात यहां पर इसलिए कहनी चाहिए क्योंकि मणिपुर में विधान सभा नहीं है और वहां का बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है। मणिपुर में जिला परिषद के कर्मचारियों को छह महीने से वेतन नहीं मिल रहा है इससे पूर्व का बजट भी इस सभा द्वारा पारित किया गया था। इस बार भी मणिपुर का बजट पेश किया जा रहा है। किन्तु मेरे विचार से इसमें कुछ कमी है।

सामान्य कानून और व्यवस्था के संबंध में बात यह है कि वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरते ही हमें लोकप्रिय सरकार चाहिए। अब कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में लोगों के [illegible] भय है। मुझे [illegible] बात की जानकारी है और लोगों ने निःसंदेह बात को सहन भी किया है हालांकि इस बारे में कुछ शिकायतें भी रही हैं। एक दिन पहले भी मैंने सभा में यह कहा था कि हमें कुछ समय तक यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा किन्तु यह आने वाले समय के लिए कोई इलाज नहीं है। वर्तमान विधान सभा की अवधि फरवरी, 1995 तक है। आप वहां की स्थिति में सुधार होते ही सरकार को पुनः बहाली कर सकते हैं। यही मेरा सुझाव है। लोग वहां पर लोकप्रिय सरकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि स्थिति में केवल लोकप्रिय सरकार के माध्यम से ही सुधार किया जा सकता है। सैनिक शासन और सैनिक कार्यवाही तो सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उपाय मात्र ही सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु सैनिक कार्यवाही कोई इलाज तो नहीं है। इसकी तुलना में यह तो मात्र एक अस्थायी उपाय है। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र विशेष रूप से बाहरी मणिपुर निर्वाचन-क्षेत्र ही कुल क्षेत्र 90 प्रतिशत है। यह क्षेत्र त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों से अधिक है। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र अलगाववादी आंदोलनों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है अतः मेरा यह अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पर केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इस स्थिति को पैदा करने वाले एन.एस.सी.एन. भूमि नागाओं को शांति स्थापित करने हेतु बातचीत के लिए फिर से बैठक में बुलाया जाए।

मैं फिर सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति का उपचार सैनिक कार्यवाही के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत आपको युवकों के मन की बात लेनी चाहिए और आपको केवल राष्ट्रवादी तत्त्वों का ही पक्ष लेना चाहिए। आपको केवल अलगाववादी तत्त्वों की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया, तो फिर इस बजट को पास करना हमारी मजबूरी है, इसलिए पास करना ही पड़ेगा। मैं जब प्रधान मंत्रीजी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारे देश का सबसे बड़ा पर्यटन केन्द्र है। कश्मीर के बारे में प्रधान मंत्री जी का स्नेह केवल पर्यटन का सबसे बड़ा केन्द्र है, इस पर था। इससे मुझे उनके इस वक्तव्य पर बड़ा आश्चर्य और खेद हुआ। प्रधान मंत्रीजी

के लिए केवल पर्यटन का केन्द्र हो सकता है, हमारे लिए तो देश की अस्मिता का सबसे बड़ा स्रोत है।

आज दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। दुनिया में केवल एक ही बड़ी शक्ति रह गई है। कश्मीर से केवल 20-25 किलोमीटर पर सैंट्रल एशिया का रिपब्लिक कजाकिस्तान हो, जहां पर रूस, ईरान और अमरीका तीनों अपनी हैसियत को बढ़ाकर एक रणनीति के हिसाब से अमरीका वहां बैठकर पूरे एशिया के देशों को निर्देशित करना चाहता हो। ऐसी हालत में यदि भारत सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति का दिमाग केवल कश्मीर के लिए इतना है कि वह पर्यटन का केन्द्र है तो मैं सिवाय उन पर दया करूं, मेरे पास और कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। क्योंकि अभी मानवाधिकारों के सवाल पर जो जिनीवा में बैठक हो रही है। वहां पर श्री फारूख अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू दिया है जो चार दिन पहले हिन्दुस्तान के अखबारों में आया था, वह कहते हैं कि मैं हिन्दुस्तान के सभी बड़े नेताओं से मिला हूं और करीब-करीब सभी बड़े नेतओं की राय हो गई है कि कश्मीर को एक ओटोनॉमस रीजन घोषित कर दिया जाए और उसमें सुझाव के तौर पर वह कहते हैं कि जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है यानी जितने कश्मीर पर पाकिस्तान का अधिकार है और जितने पर हिन्दुस्तान का अधिकार है उसी को आधार मानते हुए दोनों के बीच में एक समझौता हो जाए, ऐसा मैंने समाचार-पत्रों के जरिये उनके साक्षात्कार को पढ़ा। यदि उन्होंने यह साक्षात्कार भारत सरकार के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से मिल कर दिया है और उनका कहना है कि इस बात पर लोगों की सहमति है तो मैं इसके गंभीर परिणामों के प्रति भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और अपनी तरफ से इस सुझाव का घोर विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को भूत सवार है। एक्चुअल कंट्रोल लाइन चीन के सवाल पर हो चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के सवाल पर हो, भारत की सरकार झुक कर हमारी सीमाओं के साथ सौदेबाजी करके हमारी सीमाओं पर शांति की अपील करना चाहती है। मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि यह भारत के स्वाभिमान और भारत की सुरक्षा और इसकी इज्ज़त के खिलाफ है। आज की परिस्थिति में जो फारूख अब्दुल्ला का सुझाव है, भारत सरकार के क्या विचार हैं इसकी सफाई देनी चाहिए।

तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि वहां राजनैतिक स्थिति बहाल हो। इस पर मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और सदन की एक राय होनी चाहिए। कल प्रधान मंत्री जी की राय पर कश्मीर के सवाल पर पूरे सदन ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। उनकी इज्ज़त बढ़ जाती और उनका शिष्टाचार कहता था कि सदन के भीतर सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री जी सदन के प्रति आभार प्रकट करते, सारे राजनीतिक दलों के प्रति, जिन्होंने मिल कर भारत की इज्ज़त के सवाल पर एक प्रस्ताव किया है, एक शब्द नहीं कहा। उनकी ओर से आभार प्रकट किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सवाल पर सारे दल एक हैं यह इसका एक प्रमाण है। जिन राजनेताओं ने कश्मीर में बहुत दिनों हुकूमत की है उनकी कश्मीर में जाने की हैसियत नहीं है। जो कश्मीर में जाकर मरना नहीं जानते उनकी सुरक्षा पर खर्च करना

[श्री मोहन सिंह]

पैसे की बरबादी है और वह नहीं किया जाना चाहिए। उनको निर्देशित किया जाना चाहिए कि हम आपकी सुरक्षा का भार वहन करने के लिए दिल्ली में तैयार नहीं हैं। यदि आपकी इच्छा है तो कश्मीर में जाएं। हम वहां राजनैतिक प्रक्रिया और सामान्य वातावरण बनाने में आपकी मदद करेंगे। गृह मंत्री जी ने जब छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने लद्दाख के बारे में विकास परिषद की घोषणा की थी। मैं उसका स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि उसका विधेयक सदन के भीतर शीघ्रातिशीघ्र लाना चाहिए। लद्दाख के लोग पैदल चल कर दिल्ली में आए थे। एक बहुत बड़ा जत्था हिन्दुस्तान भर का भ्रमण करते हुए 6 महीने तक चलकर लद्दाखी लामा लोग इस दिल्ली में आए। उन्होंने बापू की समाधि पर धरना दिया। उनका कहना था कि उनकी जो भोटी भाषा है उसको भारत की भाषाओं में शामिल किया जाए। मैं उस मांग का समर्थन करता हूं। जब आप वहां की विकास परिषद् का विधेयक उसमें लाए तो लद्दाख की जो भोटी भाषा है उस को भी भारत की भाषाओं में सम्मिलित करने का एक प्रस्ताव इस सदन में आए। इन्हीं सुझावों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का मेरा इरादा कम ही था। मैं सरकार के विचारार्थ जो भी कहने जा रहा हूं, उसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता। मैं इन आंकड़ों को देख रहा था। इन आंकड़ों ने मुझे संक्षिप्त हस्तक्षेप करने पर बाध्य कर दिया है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम भारत की संचित निधि से लगभग 248 करोड़ रुपये के विनियोग के लिए मतदान करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आरोप वापस लें।

श्री जसवन्त सिंह : बिल्कुल नहीं, महोदय। युवा और फुर्ती के संसदीय कार्यमंत्री का आपसे मिलकर विचार-विमर्श करना आवश्यक है। मेरे पास एक मुद्दा है, जिस पर, सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह या तो मुझे स्पष्टीकरण दे या निश्चित रूप से इस पर वक्तव्य दे। हमसे भारत की संचित निधि से 245 करोड़ रुपये के विनियोग के व्यवस्था की आशा की गई है। आंकड़ों की दृष्टि से मैं इस राशि को एकमुश्त 250 करोड़ रुपये ही कहूंगा। मेरी दिक्कत सुनें। किस एजेंसी के माध्यम इस 250 करोड़ रुपये का व्यय होने जा रहा है। हम जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रशासन एक प्रमुख समस्या है। जिन जिलों में और जिस ग्राम स्तर पर यह धन खर्च किया जाना है वहां प्रशासन पंगु सा हो गया है। मुझे सीधे, स्पष्ट उत्तर की उम्मीद नहीं है। पर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करे क्योंकि जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा था, इस धन का उचित व्यय नहीं होने वाला है।

दूसरे, संसद में, मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं कि सरकार के ध्यान में यह बात लाई जाए कि इस राशि के व्यय पर या तो निगरानी नहीं है या अपर्याप्त सवेक्षण किया गया है। कृपया इस मुद्दे पर उत्तर देने का प्रयास न करें। पर इस पर ध्यान जरूर दें।

तीसरे, उस धन की कोई समुचित लेखा-परीक्षा नहीं की गई है जिसे हम खर्च करने जा रहे हैं। याद रखें, हम 250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मैं केवल इस विशिष्ट बजट मांग की चर्चा कर रहा हूं ! मैं गुजरे वर्षों की बात नहीं कर रहा : मैं इस 250 करोड़ रु. से संबंधित किसी अन्य पहलू की चर्चा नहीं कर रहा हूं और न ही पहले की किसी राशि के बारे में कहने जा रहा हूं कि उसकी कोई समुचित लेखा परीक्षा नहीं हुई। कृपया इस पर विचार करें। बार-बार हर छः महीने पर हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा लगता है कि हम किसी अंधे, गहरे कुंए में पैसा डालते जा रहे हैं। मेरे मित्र श्री धूमल ने आरम्भ में कहा था कि अनुरोधों के बावजूद संसद के साथ सहभागिता के प्रश्न पर जम्मू-कश्मीर में आर्थिक कार्यकलाप के किसी पहलू पर एक भी कार्यकरण बजट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह समझने की बात है कि घाटी के संदर्भ में आप ऐसा नहीं कर सकते। पर निश्चित ही जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों के बारे में जहां उस प्रकार की कठिनाइयां अभी नहीं हैं, आप संसद को जानकारी दे सकते हैं। कार्य निष्पादन बजट दिखाइये; उक्त राज्य में व्यय की समीक्षा बतलाइये। मैं चाहता हूं कि सरकार संसद के साथ सहभागिता का महत्वपूर्ण कार्य करें। काम करने को तो सरकार करती ही है। पर यदि आप संसद के साथ सहभागिता करें और जम्मू-कश्मीर राज्य में राजस्व के संग्रह की संपूर्णता की बात करें, तो मैं पूछता हूं कि हमें कितना राजस्व और राज्य के किस भाग से राजस्व मिल रहा है ?

6.00 बजे म.प.

248 से भी कुछ अधिक करोड़ रुपयों में से आप कितना और कहां खर्च करने जा रहे हैं? हमें यह जानना जरूरी है; संसद को अवश्य पता रहना चाहिए। जब मैं 248 और कुछ अधिक करोड़ रुपयों की बात करता हूं तो यह धन-निर्धारण विचित्र-सा लगता है। मैं शून्य लगाना भूल गया हूं। अतः मैंने जहां कहीं भी 248 करोड़ और कुछ अधिक करोड़ रुपये की बात की है, उसमें कृपया फ्क्र अतिरिक्त शून्य लगा कर पढ़ें। मैं क्षमा याचना करता हूं। यह स्पष्ट गलती थी जो मैंने की।

महोदय, मैंने प्रतिशतों की गणना बहुत तीव्रता से की है। उस पूरे राज्य में पर्यटन से राजस्व की भारी कमाई होती है। कुल के बारे में पूछें तो मेरे अंकगणित में पुनः गलती हो सकती है, पर मैं देख रहा हूं कि पर्यटन पर आप मात्र 0.2 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं। इस पर कृपया विचार कीजिए। पर्यटन पर केवल 0.2 प्रतिशत खर्च किया जाना है जब कि हमें अच्छी तरह पता है कि जहां तक जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रश्न है, वहां पर्यटन राजस्व का प्रमुख स्रोत है।

मेरी गणना के अनुसार आप गृह पर, जो कानून और व्यवस्था का एक सुंदर नाम है, लगभग 12 प्रतिशत खर्च करने जा रहे हैं। शिक्षा पर आपका विचार 25 प्रतिशत खर्च करने का है। मेरी

[श्री जसवन्त सिंह]

समझ से जम्मू-कश्मीर में प्रमुखतः आघात शिक्षा को लगा है। आप इस पैसे को कहां खर्च करेंगें ? मैं इस विषय को पूर्णतः वाद-विवाद में बदलना नहीं चाहता। मैं अब के संबंध में केवल कुछ चिंता व्यक्त कर रहा हूं, जिस पर संसद को वोट देना है। माननीय, मंत्रीजी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। वह यदि चाहें तो, उन्हें जब कभी समय मिले, मुझे एक छोटा-सा पत्र दे सकते हैं और मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। पर जैसे-जैसे मैं इन कागजात को देख रहा हूं, मुझे ये वास्तविक चिंता की बातें लग रही हैं।

आप शिक्षा पर लगभग 25 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। शिक्षा की दुरवस्था हो रही है। वहां स्कूल नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं। इस 25 प्रतिशत के अलावा आप उच्च शिक्षा पर थोड़ा अधिक खर्च कर रहे हैं। दिक्कत तो यह है कि उच्च शिक्षा पर अधिक प्रहार हुआ है। विश्वविद्यालय नहीं चल रहे हैं; परीक्षाएं नहीं हो रही हैं।

आप कृषि पर केवल 10 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं; एक शीर्ष के अंतर्गत आप स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर 20 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं और साथ ही शायद मैं शून्यों में गलती कर रहा हूं- 660 करोड़ रुपये से कुछ अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और जल आपूर्ति पर खर्च कर रहे हैं। इसमें अंतर है। ये सभी भ्रामक लेखाशीर्ष हैं। मुझे एकाध छोटे सवाल पूछने हैं।

पर्यावरण के लिए घाटी में एक रुपया भी निर्धारित नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि कुछ पैसा खर्च हो रहा है। खरपतवार के प्रकोप से डल झील में काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। साथ ही न केवल घाटी में ही बल्कि लद्धाख में भी पर्यावरण संबंधी चिंता के अन्य पहलू विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ, लद्धाख में भारी पैमाने पर वन नष्ट किए जा रहे हैं। परिणामतः इसका प्रभाव पड़ रहा है, जैसे इसके कारण लद्धाख में अत्यधिक सैन्य-बल जमा हो रहा है। इसका पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है और फिर भी पर्यावरण के लिए एक रुपए का प्रावधान नहीं किया गया है। इस पर कृपया विचार करें। मैंने सीधे-साधे ढंग से ये सब बातें कहीं हैं और मैं इसे बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं, पर मैंने माननीय मंत्रीजी के साथ अपनी चिंताओं की सहभागिता करना अपना कर्तव्य समझा। मुझे आशा नहीं है कि वे उत्तर देंगे। वस्तुतः मैं उत्तर चाहता भी नहीं हूं पर मैं चाहता हूं कि वह इन बातों पर विचार करें और मुझे जब कभी भी उनके पास समय हो, पत्र द्वारा उत्तर देकर कृतार्थ करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद मे जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा करना एक रस्म–सी हो गई है। राष्ट्रपति शासन में विस्तार के बाद, अब सभा के लिए इसे स्वीकृत करना एक निर्विवाद सत्य बन गया है। हमने इस संसद को राज्य विधान सभा में बदल दिया है और हम सरकार की गलत नीतियों के कारण संघीय प्रणाली का स्तर गिरा रहे हैं। तथापि पिछले सप्ताह हमने कश्मीर से संबंधित विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। समय

कम है और मैं राज्य का ध्यान लोगों की कुछ तात्कालिक समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ताकि सरकार उन पर कार्यवाही कर सके।

गत रात भी मैं टेलीफोन पर अपने साथियों से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में लोग भारी पेरशानी में हैं। सामान्य जनता एक ओर उग्रवादियों की गोलियों का और दूसरी ओर पुलिस का भी शिकार बन रही है। हमने बार-बार सरकार से अपील की कि हमें भारी कष्ट में पड़ेगा इन लोगों से निपटने में अत्यंत सतर्कता बरतनी होगी। सरकार को जो कश्मीर को देश का एक अविभाज्य अंग बनाए रखना चाहती है, इन लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना पड़ेगी। यह सही कश्मीर नीति की सही प्रतिक्रिया होगी। जो भी अत्याचार हुए हों, पर सच्चाई यही है कि लोग वहां कष्ट में हैं। हमें इन लोगों की रक्षा के लिए अत्यन्त ही सतर्कतापूर्ण कदम उठाने हैं।

महत्वपूर्ण समस्या जो उन्होंने बतलाई वह श्रीनगर में आवश्यक वस्तुओं की कमी है। मिट्टी का तेल, राशन आदि उपलब्ध नहीं हैं। लोगों को ये चीजें ठीक ढंग से नहीं मिल रहीं। इसके चलते लोग कष्ट में हैं। सरकार को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही ढंग से हो।

वे कह रहे हैं कि कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सभी वस्तुओं के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक हैं कि एक ओर जहां वहां के लोग बाहर ज़ाकर अपनी जीविका नहीं कमा सकते वहीं दूसरी ओर अपनी रोटी के लिए उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। यह एक अत्यंत ही गम्भीर स्थिति है और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

जैसा कि श्री जसवन्त सिंह ने कहा, हम शिक्षा पर काफी कुछ खर्च कर रहे हैं, पर कश्मीर में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। कश्मीर में सही अध्यापन और सही परीक्षा प्रणाली तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई। यहां तक कि वे छात्र भी जो देश के अन्य भागों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों से भी पटना और देश के अन्य भागों में स्थित मेडिकल और इंजिनियरिंग कालेजों में पढ़ रहे छात्रों के सामने नई समस्या खड़ी हो रही हैं। वे कठिनाई में है। मंत्रालय को इसकी भी जांच करनी चाहिए।

फिर एक समस्या भ्रष्टाचार की है। यहां से भारी राशि का भुगतान हो रहा था। इसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। लूटा गया है। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न भागों में विकास कार्यों के लिए धन खर्च करने में प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भारी भ्रष्टाचार होता है। सरकार इस पर अविलंब ध्यान देकर कार्यवाही करे।

जम्मू के बारे में एक भेदभाव पूर्ण भावना है। उनका व्यापार और परिवहन भारी संकट में है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नए और पुराने, दोनों प्रकार के प्रवासी कष्ट में हैं। उनकी भोजन व्यवस्था, उनकी शिक्षा, सब में परेशानी है। इन समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

वहां लगभग 400 पंचायतें हैं। बहुउद्देशीय श्रमिक भी हैं। वे पिछले कई दिनों से नियमित किए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यदि युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता रहा, तो वे कहां जाएंगे ? इस तरह तो वे निराश हो जायेंगे। इससे एक तरह के विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है।

वहां लगभग 1,000 अंशकालिक स्कूल हैं। प्रत्येक स्कूल में 100 से 150 छात्र हैं। लेकिन शिक्षकों को केवल रु. 100 रुपये मिलते हैं। उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं। वे भी हड़ताल पर हैं। ये सभी समस्याएं वहां हैं।

डोगरी और लद्धाखी का प्रश्न अभी भी गृह मंत्रालय में लम्बित पड़ा हुआ है। मैं सरकार का ध्यान तात्कालिक समस्याओं की ओर आकृष्ट कर रहा हूं जिन पर उसे ध्यान देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। लद्धाख और कारगिल जैसे अन्य हिस्सों में कई समस्याएं हैं। सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जनता में इस बात का सही संदेश भेज सकें कि हम उनके विकास के विषय में, उनकी दिन प्रति दिन की समस्याओं के बारे में काफी चिन्तित हैं। इससे, हमें घाटी में सामान्य स्थिति बनाने के अपने प्रयासों में मदद मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर और मणिपुर को एक साथ विचारार्थ किया गया है। मैंने जम्मू-कश्मीर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब मैं मणिपुर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मणिपुर और जम्मू-कश्मीर का मुद्दा एक साथ किया गया है। अब श्री जार्ज फर्नाण्डीज की बारी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे इस बजट से बहुत परेशानी है···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष जी, मेरी जो परेशानी है, वह इन दोनों बजटों को लेकर है। यह सही है। कि दोनों प्रदेशों में आज विधान सभा नहीं है, वहां अनेक किस्म की परेशानियां भी हैं लेकिन इन दोनों प्रदेशों के जो लोग हैं, वह इस देश के लोग हैं। अगर हम यह मानते हैं तो इस बजट का कुछ अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जहां-जहां पूंजी विकास के लिए लगनी चाहिए, शायद ही कोई क्षेत्र है, जहां पर इसमें कोई बढ़ोत्तरी हुई है। मोटे-मोटे हर क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि कटौती हुई है।

हम जिस एक बात को कहते रहे कि हिन्दुस्तान में जो आगे बजट बनेगा तो वह बजट लोगों को परेशानी में डालने वाला होगा और उसमें भी जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं

उनको सबसे अधिक परेशानी में डालने वाला बजट होगा, इसके यह दोनों बजट जिंदा सबूत हैं। मैं मंत्री जी का एनुअल फाइनेशियल स्टेटमेंट, जम्मू कश्मीर पर आपका ध्यान आकृर्षित करना चाहता हूं। पेज नं. 4, रेवेन्यू एकाउण्ट डिस्बर्समेंट, वैलफेयर आफ शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकबर्ड क्लासेज, इसमें आपका पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टीमेट 9 करोड़ 36 लाख 41 हजार का है। इस साल आपका आबंटन 4 करोड़ दो लाख रुपये है और मुझे मालूम है कि यह साल पूरा होने तक वह दो करोड़ तक ही आकर पहुंच जायेगा।

मैं उसी तरह से आपका ध्यान एनुअल फाइनेशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट आफ मणिपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, फिर वैलफेयर आफ शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकबर्ड क्लासेज, जिसमें लगभग सभी समाज के शोषित वर्ग के लोग है, ट्राइब्स है, इसमें 1992-93 का खर्च 15 करोड़ 90 लाख रुपये था। फिर आपका ग्लोबलाइजेशन, लिब्रलाइजेशन शुरू हो गया, बड़े लोगों के लिए इन्तजाम, गरीबों की मार करना, उसमें पिछले साल कुल इन्तजाम 4 करोड़ 97 लाख था, इसमें 15 करोड़ 90 लाख से उतरकर 4 करोड़ 97 लाख पर आ गये लेकिन आपने रिवाइज्ड एस्टीमेट 10 करोड़ 44 लाख का दिखाया मगर इस साल आप सीधे बजट में आये हो और उसका आधे से कम यानि 5 करोड़ 26 लाख आपने इसके लिए रखा है। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जहां समाज का सबसे शोषित वर्ग का बजट है, उसमें आप कैसे उसको मारने जा रहे हैं और वह भी प्रदेशों में, जहां पर आपको अधिक से अधिक लोगो की परेशानियां को दूर करने का प्रस्ताव लाना चाहिए।

समय नहीं है, बरना मैं इसमें जो मणिपुर का कैपिटल रेवेन्यू बजट है, आप हर क्षेत्र में देखें, कैपिटल आउट ले, फ्लड कण्ट्रोल प्रोजैक्ट, मणिपुर में बाढ़ का क्या मामला है, यह मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहां बाढ़ में जाता हूं। इसमें पिछले साल का एस्टीमेट 3 करोड़ 86 लाख का दिया था, रिवाइज्ड एस्टीमेट में आपका 3 करोड़ 15 लाख हो गया और अब 2 करोड़ 66 लाख है। कैपिटल आउट ले आफ नोर्थ ईस्टर्न एरिया, जहां ट्राइबल लोगों की आबादी ज्यादा है, पिछले साल आपने रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में 9 करोड़ 53 लाख दिया है, इस साल आप 6 करोड़ दे रहे है। कैपिटल आउट ले आफ कोआपरेशन में पिछले साल 68 लाख था, इस साल 25 हजार है। यह मैं केवल उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं।

इस दस्तावेज पर मैंने टिक मार्क करके रखा है। अगर आप इसको देखें तो अपवाद छोड़कर कोई भी जगह नहीं है, जहां पर आपने कटौती न की हो। यह बजट आपके डंकल, गैट, ग्लोबलाइजेशन, लिबलाइजेशन या हिन्दुस्तान के 3 परसेंट लोग और उनके इर्द-गिर्द वाले और 7 परसेंट लोगों की अय्याशी और देश के सीमावर्ती इलाको में जो लोग आज अनेक परेशानियों के शिकार बनकर बैठे हैं, उनको खत्म करने की आपकी यह साजिश है।

इस बजट का सख्त विरोध इस सदन में होना चाहिए और इसको मंजूर नहीं होने देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : मैं ज्यादा समय लेकर किसी के लिए समस्या खड़ी नहीं करूंगा। मुझे कुछ बातें कहनी हैं, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। हाल ही मणिपुर राज्य के एक मेरे मित्र ने एक अत्यंत गम्भीर विषय पर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। यदि मणिपुर के सिवा कोई दूसरा राज्य होता, तो मुझे पक्का विश्वास है कि इससे हलचल मच जाती और एक बड़ा विवाद आरम्भ हो जाता। पर जैसा कि आपको पता है, महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुध कोई नहीं लेता। चूंकि मुझ से अनुरोध किया गया था कि मैं इस मुद्दे पर सभा और राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करूं और बात को स्पष्ट करूं, अतः कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। महोदय एक बार राजीव जी ने कहा था कि पूर्वोत्तर में रहने वाले हम भले ही अल्पविकसित हों, पर किसी अन्य की तुलना में हमारे पास अधिक मानसिक शांति और आध्यात्मिक दृढ़ता है। यही हमारे बल है और मैं सभा का ध्यान इसी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, राज्यपाल की रिपोर्ट में कुछ लोगों के नाम उग्रवादियों से जुड़े बताए गए हैं। यह काफी गम्भीर बात है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए। यदि कुछ लोग उग्रवादियों से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। अन्यथा, बिना किसी साक्ष्य के हमें उनकी प्रतिष्ठा कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः हमें इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो सके। मुझे आशा है, इस बात से पूरी सभा सहमत होगी।

दूसरे, अभी मणिपुर राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है। मैं चाहता हूं कि कम-से-कम राष्ट्रपति शासन के दौरान भ्रष्टाचार से समुचित रूप से निपटा जाये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि मणिपुर में नशीले पदार्थों और दवाओं तथा एड्स के आतंकों से लड़ने के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गई है। नशीली दवा की समस्या की व्यापकता और एड्स से पीड़ित लोगों का प्रतिशत मणिपुर में अधिकता है। अभी तक मणिपुर में कोई सम्पूर्णतः नशा मुक्ति पुनर्वास केन्द्र भी नहीं खुला है। इस उद्देश्य के लिए कुछ धन दिया जाए तो इससे काफी सहायता मिलेगी।

मेरी आखिरी बात इन सभी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। यह प्रस्ताव है कि बर्मा के साथ खुले व्यापार करने की सुगमता के लिए कुछ सीमा क्षेत्र खुले रखे जाएं। आर्थिक रूप से यह अच्छी बात है, पर इसकी भी अपनी कुछ समस्याएं हैं। मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए सच्चे भाव से कदम उठाए जाएंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री जसवन्त सिंह और कई अन्य विद्वान सदस्य इस बात पर सही जोर देते रहे हैं कि पूर्वोत्तर में विद्रोह की स्थिति पर सभा में एक पूर्णकालिक चर्चा हो। मुझे आशा है कि ऐसी चर्चा होगी।

मुझे बोलने का मौका दिया गया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ के लिए 1992-93 में दिया गया था 23 करोड़, अब दिया गया है 19 करोड़। फैमली वैलफेयर के लिए 5 करोड़ दिया गया था, अब दिया गया है 2 लाख। इस तरह से जिन चीज़ों के बारे में सबसे अधिक पैसा दिया जाना चाहिए, उनकी यह हालत है।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर राज्य के वर्ष 1994-95 के बजट के संबंध में चर्चा में भाग लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि मेरे देखने में यह आया है कि अनेक बजटीय प्रावधानों में भारी कटौती की गई है और इस पर मैं अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं। मणिपुर औद्योगिक रूप से अल्पविकसित और मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यहां तक कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी पर्याप्त धनराशि प्रदान नहीं की गई है। मणिपुर ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिभा के अनेक अच्छे खिलाड़ी दिए हैं लेकिन हम जानते हैं कि यहां तक कि 'खेलकूद' शीर्ष के अन्तर्गत भी कटौती की गई है। वास्तव में, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप इस बात से अवगत हैं कि मणिपुरी लोग खेलकूद और नृत्य के प्रति अपनी स्वाभाविक अभिरुचि के लिए विख्यात हैं और वे अत्यंत सुसंस्कृत लोग हैं। लेकिन पूरी तरह से कृषि प्रधान इस मणिपुर राज्य, जहां पर कोई उद्योग नहीं है लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किये गये हैं। चूंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से विकसित नहीं है, बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। राज्य में इस समय 2 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं। इस प्रकार विकास न होने और पिछड़ेपन के कारण अनेक समस्याएं उठ रही हैं। विकास न होने और रोजगार अवसरों के अभाव में युवा लोग अधिकाधिक विद्रोही गतिविधियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार को न केवल मणिपुर राज्य के विकास पर ही, बल्कि समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहां पर पन विद्युत परियोजनाओं की अत्यधिक संभावनाएं विद्यमान हैं क्योंकि यहां प्रचुर मात्रा में जल संसाधन मौजूद हैं। लेकिन इस संसाधन का उपयुक्त रूप से दोहन नहीं किया गया है। इसी कारण से यहां पर अनेक समस्याएं मौजूद हैं।

जैसा कि मेरे अन्य माननीय सहयोगियों द्वारा उल्लेख किया गया है, नशीली दवाओं और एड्स जैसी समस्याएं निरंकुश रूप से बढ़ रही हैं। एड्स तो अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रही है। लेकिन नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने और एड्स के निदान तथा उपचार की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सरकार को इन समस्याओं के समाधान की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कोई भी राज्य अधिक समय तक राष्ट्रपति

[श्री उद्धव बर्मन]

शासन के अन्तर्गत नहीं रहना चाहिए। अतः वहां लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। उस के लिये वहां शीघ्र चुनाव कराए जाने चाहिए और वहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित कर सके। फिर वहां भ्रष्टाचार भी अत्यधिक मात्रा में व्याप्त है। इस को समाप्त किया जाना चाहिए। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि वहां कोई भ्रष्टाचार न रहे और इस धन का कोई दुरुपयोग नहीं हो जो इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान किया गया है।

महोदय, सीमा-व्यापार भी हो रहा है। इम्फाल में इस संबंध में बातचीत भी चल रही है। इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मैं पुनः एक बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम सेना की सहायता से मणिपुर अथवा किसी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं के विकास कर सकते। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों के विकास का संबंध है, उनके विकास हेतु सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। आपको मानव और प्राकृतिक दोनों संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के लोग यह महसूस करें कि वे भारत का ही एक अंग है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा और न आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा। विकास के कार्यक्रमों में कम राशि रखी गई है लेकिन वह जनता तक नही पहुंचेगी और अधिकाधिक उसके एक बड़े हिस्सा को हड़प जाएंगे और वे धनराशि का बड़ा हिस्सा दे देंगे ताकि उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा गिरे। दूसरा कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि पंचायती चुनाव करा दिए जाएं। कश्मीरी भाषा सभी मजहब लोगों की भाषा है जिसको लगातार दबाया गया और अभी भी उपेक्षा हो रही है। यह पुरानी भाषा है जिसमें लोक संगीत है, लोक कथा है फिर भी उसको अभी तक दबाया गया है और लद्दाख में भी यही हालत है। मैं आग्रह करूंगा कि उनके लिए आप आबंटन करें और कश्मीरी भाषा को हर स्तर पर महत्व दें। क्योंकि हमारे देश की यह एक प्रमुख भाषा है और प्रमुख अंग है। उसका आप आठवीं अनुसूची में स्थान है।

जो कश्मीरी युवक रोजगार चाहते हैं, उनको देश के अन्य भागों में नौकरियां दें ताकि वे देश का एक हिस्सा बन सकें और नियोजन की प्रक्रिया तेज हो। हम चाहते हैं कि समस्त राष्ट्र में एक समान नियोजन की प्रक्रिया हो और उद्योगों का विकास हो। वहां के लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलें और कहा कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। किसी के पिता की हत्या हो गई, वे हटे नहीं थे, क्योंकि उनकी 10-12 एकड़ जमीन थी, उनकी दुकानों को लूट लिया गया, कई परिवार जम्मू में आ गये और हमें बताया कि पत्र लिखने पर भी कुछ नहीं हुआ। मैं भी उस पत्र की कापी संलग्न करके राज्यपाल जी को दी है। वे लोग अत्यन्त विचलित हैं। उनको

वोट देने का अधिकार नहीं है। यह एक खतरनाक और दर्दनाक स्थिति है। इसलिए राष्ट्रीयता को देखते हुए उनके साथ न्याय किया जाये।

जल विद्युत योजना की वहां अपार सम्भावना है। लेकिन हमने देखा कि लद्दाख में, कारगिल में और घाटी के सुदूर इलाकों में बिजली की कमी है। पन-बिजली के जरिये इसको दूर कर सकते हैं। जहां-जहां जमीन है, योजनायें बनाकर खेती में उनको लगा सकते हैं ताकि वे राष्ट्रीयता की धारा में वापस आयें, रचनात्मक कार्य कर, उत्पादन कार्य करके दूसरी दिशा में वहां की धारा को मोड़ने का काम करें।

मणिपुर के बारे में मेरा आग्रह है कि योजना की जो कमी है उसको पूरा करें। वहां पर पहले भी दल-बदल के आधार पर सरकार का गठन किया गया था। मुझे शिकायत है कि दल-बदल कराकर पुनः आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं कृपा करके ऐसा न करें। वहां स्थिति अच्छी है, आम चुनाव करवा दें, लोग निर्णय करेंगे और चुनी हुई सरकार काम करेगी।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरा पहला मुद्दा यह है कि इस बजट में इस सभा की वह सुविचारित राय परिलक्षित नहीं होती जो जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के दौरान अभिव्यक्त हुई थी मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि इस सभा की यह सुविचारित राय थी कि जम्मू और कश्मीर के समस्या मात्र कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है, जम्मू और कश्मीर एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, यह न केवल राष्ट्रीय समस्या ही बन गई है, बल्कि इसके राजनैतिक समाधान की भी आवश्यकता है इस सभा ने यह मत भी व्यक्त किया था कि जम्मू-कश्मीर समस्या का समाधान राज्य के द्रुत औद्योगिकीकरण द्वारा व्यापार और वाणिज्य के सुधार पर पर्याप्त जोर देकर और इस क्षेत्र में माना जाना सुगम बनाकर किया जा सकता है।

अन्य विषयों का भी उल्लेख किया गया। लेकिन मुझे ज्यादा आश्चर्य यह है कि सभा की यह भावना बजटीय आवंटन में परिलक्षित नहीं होती। उदाहरणार्थ, जहां तक आयोजना और विकास का संबंध है, कुल 5 करोड़ रुपये के लगभग राशि आवंटित की गई है जबकि राज्य के आधिथ्य सत्कार और परिलाब्धियों संबंधी मद संख्या 24 के अन्तर्गत आप देखेंगे कि 9 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। मुझे नहीं पता कि आथित्य-सत्कार और परिलब्धियों से आपका क्या अभिप्राय है ? सम्पूर्ण विकास और आयोजना के लिए केवल 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का दो गुणा राज्य ने आतिथ्य-सत्कार और परिलाब्धियों संबंधी मद पर व्यय किया जाता है।

वाणिज्य और उद्योग के लिए 32 करोड़ रुपये के लगभग राशि आवंटित की गई है; लेकिन मैं उसके ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां तक गृह मंत्रालय का किए गए आवंटन का संबंध है, गह 112 करोड़ रुपये से अधिक है, अर्थात् सर्वाधिक धनराशि गृह मंत्रालय आदि को दी गई है। अतः यह आवश्यक व्यय का संतुलित और विवेकपूर्ण आवंटन नहीं है। इस बजट से सभा

[श्री चित्त बसु]

की भी भावना व्यक्त नहीं होती। सभा की भावना यह थी कि समस्या का एक राजनैतिक समाधान हो, इसका द्रुत औद्योगिकीकरण होना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना था कि जम्मू और कश्मीर के लोग अपने आप को अलग-थलग महसूस न करें, वे लोग भारत का अभिन्न अंग हैं, और इस हेतु राजनैतिक आंदोलन और लोगों में राजनैतिक शिक्षा की आवश्यकता है।

जहां तक सूचना विभाग का संबंध है, इसे केवल 3 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। अतः मेरी शिकायत अथवा परेशानी यह है कि इस बजट में इस सभा की वह भावना परिलक्षित नहीं होती जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी चर्चा के समय हुई थी। अतः मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से पूरी तरह से सहमत हू कि इस सभा को यह बजट स्वीकार नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और यदि आपके पास समय नहीं है, तो आप यह जानकारी संबंधित सदस्यों को लिखित में दे सकते हैं। यही सुझाव श्री जसवंत सिंह ने दिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मेरे पास जो भी जानकारी है, मैं माननीय सदस्यों को बताने के लिए तैयार हूं।

श्री जसवंत सिंह : नहीं, आप इसे लिखित में दें।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर एवं मणिपुर के बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। कई माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं।

सर्वप्रथम, मैं जम्मू और कश्मीर के बजट को लूंगा। 1993-94 में जम्मू और कश्मीर राज्य योजना परिव्यय की संशोधित राशि 680 करोड़ रुपये की तुलना में 1994-95 के लिए 950 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। 1993-94 में योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता 782.81 करोड़ रुपये की तुलना में योजना के लिए इस वर्ष 851.62 करोड़ रुपये दी गई है। कृषि, ऊर्जा, संचार और समाज सेवा विशेष बल दिए जाने वाले क्षेत्र हैं।

कई सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की है कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हुआ है। लेकिन मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए खुशी हो रही है जम्मू और कश्मीर में कुछ विकास कार्य किए गए हैं। उदाहरणार्थ 1993-94 की योजना की उपलब्धियां इस प्रकार हैं : (1) जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण शुरू किया गया है, कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण ठप्प पड़े पन बिजली परियोजना को पुनः शुरू किया गया है, लगभग 17.17 करोड़ रुपये की लागत वाली मध्यम श्रेणी की लिफ्ट सिंचाई योजना रंजन और रजाल को पूरा कर लिया गया है। 1993 में, जम्मू डेंटल कालेज से सम्बद्ध

800 बिस्तरों वाला आधुनिक अस्पताल खोला गया है। जम्मू क्षेत्र के छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जम्मू में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की गई है। 1994-95 में जिन अन्य क्षेत्रों पर बल दिया गया है वे हैं स्व-रोजगार सड़क और पुल, विशेषकर कश्मीर के घाटी में सोपोर-हिल्ला पुल तथा जम्मू क्षेत्र मे एन्नास और धारमारी सड़क, पिछड़े जिले, डोडा में कास्तीगठ सिंचाई नहर, 66 गांवों में वास्तविक वृहद सफाई कार्यक्रम शुरू किया गया है, महिला विकास निगम की स्थापना की जा रही है ताकि बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए लाभ आधारित कार्यक्रम शुरू किए जा सकें। 1993-94 तथा 1994-95 में हमने ये विकास कार्य शुरू किए हैं। हम इन क्षेत्रों में विकास पर बल दे रहे हैं।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इन क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन सर्वप्रथम मैं इन दोनों राज्यों के वित्तीय एवं बजटीय पहलुओ तक ही सीमित रहूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए बहुत थोड़ी धनराशि आवंटित की गई है। महोदय, यह सही नहीं है। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत समाज कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है।

चालू वर्ष में संशोधित आकलन 363 करोड़ रुपये से बढ़कर 9.36 करोड़ रुपये हो गया है क्योंकि इसमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि भी शामिल है। आगामी वर्ष में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऐसी धनराशि को भी शामिल कर दिया जाएगा तथा इसे संशोधित आकलन में दर्शाया जाएगा।

परिवार कल्याण कार्यक्रम भी शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस प्रकार आगामी वर्ष के लिए अधिक राशि का प्रावधान होने की संभावना है और केन्द्रीय बजट के पारित होने के बाद उसे संशोधित आकलन में दर्शाया जाएगा।

माननीय सदस्य, श्री जसवंत सिंह ने कई बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह विशेष तौर पर कहा है कि कुछ क्षेत्रों विशेषकर पर्यटन के क्षेत्र के लिए बहुत कम राशि का आवंटन किया गया है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए 1993-94 में बजट अनुमान 15.40 करोड़ रुपये था और 1993-94 के लिए संशोधित अनुमान 14.03 प्रतिशत था। 1994-95 के लिए बजट अनुमान 17.5 प्रतिशत होने की संभावना है, यानि दो प्रतिशत अधिक। उन्होंने यह कहा है कि 2 प्रतिशत धनराशि भी पर्यटन के लिए आवंटित नहीं की गई है।

श्री जसवंत सिंह ने और भी कई मुद्दे उठाए थे जिनमें से बहुत से मुद्दों के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है। इनके सम्बन्ध में मैं जानकारी एकत्र करके उन्हें दे दूंगा।

[श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति]

मणिपुर के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया तथा नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, नशीली दवाओं की लत और एड्स के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं इस माननीय सभा को यह बताना चहता हूं कि हाल ही में, 21 जनवरी, 1994 को हमने म्यांमार सरकार के साथ सैनिक एवं नागरिक अधिकारियों के आपसी सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तस्करी एवं नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस समस्या से निपटने के लिए सूचनओं का आदान-प्रदान करने के लिए सीमा-व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने इस समस्या के लिए सीमा व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने इस समस्या को गम्भरीता से लिया है।

शरणार्थियों को राहत देने के संबंध में, मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसे दोहराने की आवश्कता नहीं है। प्रत्येक शरणार्थी को 1,000 रुपये की नकद राहत राशि दी जा रही है। उन्हें राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिविरों में ये कार्य शुरू किए गए हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में महोदय, आप की अनुमति से मैं सूचना एकत्र करके उन्हें दे दूंगा।

श्री भोगेन्द्र झा : उनमें से कई लोगों को आवास और क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हमने कुछ लोगों के लिए झोंपड़ियों में आवास की व्यवस्था की है और अन्य लोगों के लिए टेन्टों में रहने की व्यवस्था की है। यदि माननीय सदस्यों को कोई विशेष समस्या है तो वह मुझे लिखकर दें और मैं उस मामले को प्रशासन के साथ उठाऊंगा।

मैं इस सम्माननीय सभा से जम्मू और कश्मीर के लिए लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर वर्ष 1994-95 के प्रथमार्ध के लिए लेखाअनुदानों की मांगों पर मतदान चाहता हूं, लद्दाख के लिए पूरे वर्ष की आवश्यकताओं की मांग की जा रही है।

मणिपुर के संबंध में मैं 1994-95 के एक भाग के लिए लेखानुदान की मांगों पर मतदान चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. प्रेम धूमल ने यह आपत्ति की है कि तुमकुर एच.एम.टी. में आए शरणार्थियों को गैस, राशन कार्ड आदि उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं तथा उन्हें उपयुक्त सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं इस मामले को प्रशासन के साथ उठाऊंगा।

लेखानुदानों की मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1994-95-मतदान
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू-कश्मीर), 1993-94-मतदान

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1994-95 के लिए लेखानुदानों की मांगों (जम्मू-कश्मीर) को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जम्मू-कश्मीर) को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

यह प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 7 और 9 से 27 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गई राशियों अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.46 म.प.

जम्मू और कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994*

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

*दिनांक 9 मार्च,1994 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2 खंड-2, में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड-1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.48 म.प.

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1994*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 9-3-94 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक में का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और तीन विधयेक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव पारित करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

** राष्टपति की सिफारिश से पुरःस्थापित। प्रस्तुत।

6-50 ½ म.प.

लेखानुदानों की मांगें (मणिपुर), 1994-95; और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (मणिपुर) 1993-94-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1994-95 के लिए लेखानुदान की मांगों (मणिपुर) को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 46 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध पें, कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1993-94 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की (मणिपुर) को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ-2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :-

मांग संख्या 1 से 5, 7 से 18, 20 से 23, 25 से 31, 34 से 39, 41 से 43, 45 और 46"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1994*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की

---

* दिनांक 9-3-94 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित* करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 के एक भाग की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय ; अब मैं खंड 2 और खंड 3 को सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ में दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति ; महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* दिनांक 9-3-94 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्टपति की सिफारिश से पुरःस्थापित। प्रस्तुत।

6.55 म.प.

मणिपुर विनियोग विधेयक, 1994*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापिंत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1993-94 की सेवाओं के लिए मणिपुर राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गए।

---

* दिनांक 9-3-94 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्टपति की सिफारिश से पुरःस्थापित। प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधयेक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधयेक पारित किया जाये।

श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपने भाषणों को सीमित करके सहयोग देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

अब सभा मंगलवार, 15 मार्च, 1994 को 11 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.57 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 15 मार्च, 1994, 24 फाल्गुन, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी०एल०एस०-48/28/12/94 (एन०)
250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।